Page No.1

राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

अङ्क ६] द्वितीय विधान सभा के नवम् सत्र, १९६० का २६वां दिवस [संख्या १६

शुक्रवार, १६ सितम्बर, १९६०

विधान सभा की बैठक म० पू० ११ बज कर १६ मिनट पर विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

———

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

———

तारांकित प्रश्नोत्तर

[सिंचाई, गृह, शिक्षा, पंचायत, पशु-पालन, सामान्य प्रशासन, नागरिक रसद, योजना एवं विकास, खनिज, समाज कल्याण, स्वायत्त शासन एवं सार्वजनिक निर्माण-विभाग]

श्री अध्यक्ष : प्रश्न, श्री प्रभुलाल पुरोहित।

मोरेल बांध

६०४. श्री प्रभुलाल पुरोहित (लालसोट) क्या सिंचाई मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या सरकार को विदित है कि बन्ध मोरेल का निर्माण ४२ लाख रुपये खर्च करके किया गया था और उससे २५,००० एकड़ भूमि की सिंचाई कराई जाने की संभावना थी? यदि हां, तो क्या सरकार को यह भी विदित है कि गत ५ वर्षों में इस बांध से औसत सालाना सिंचाई ५,३३४ एकड़ आई है और आय केवल ४५,६६४ रुपये बैठी है? यदि हां, तो इस कमी के क्या कारण हैं?

(ख) क्या यह सच है कि गत ५ वर्षों में इस बांध की नहरों की मरम्मत में औसतन सालाना ३,२३१५७ रुपया खर्च हुए हैं?

(ग) क्या गत वर्षों में जनता की कोई मांग थी कि इस बांध के नीचे सिंचाई योग्य जितना क्षेत्र है उतना पानी बांध में रख कर बाकी सरप्लस पानी बाहर निकाल दिया जावे ताकि कई ग्रामों की डूबी हुई भूमि में काश्त कराई जाकर लाखों मन गल्ला पैदा किया जा सके? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई?

(घ) क्या सरकार इस बांध के पानी

Page No.2

(श्री प्रभुलाल पुरोहित)

को त्रिनोरी सागर व मोड़ा सागर में डालने का विचार रखती है ?

(ङ) इस वर्ष पेटा बांध में काश्त कराये जाने के लिए क्या व्यवस्था की जा रही है ?

उप-मंत्री सिंचाई (श्री दौलतराम सारण) : (क) मोरेल बन्ध का निर्माण ४१,१३,०००) रुपये की लागत से किया गया है। इससे १६,३३० एकड़ भूमि की सिंचाई करवाये जाने की संभावना है। गत ५ वर्ष की सालाना औसत सिंचाई ५,३५५ एकड़ व आय ४७,६७७) रु० है। सिंचाई कम होने के निम्नलिखित कारण हैं :—

(१) नहरों के पक्के काम यानी प्रपात आदि बनने बाकी हैं।

(२) लगभग ६ मील लम्बी नहरें अभी बन कर तैयार नहीं हुई हैं।

(३) कमांड में से लगभग ८,२२३ एकड़ भूमि अभी काश्त नहीं होती है। यद्यपि ये काबिल काश्त जमीन है।

(४) सिंचाई के अनुकूल फसलें काश्तकारों ने पैदा करना शुरू नहीं किया है।

(५) खालियां अधिकतर तैयार नहीं हुई हैं।

(६) इस तालाब के कमांड में कुछ पुराने छोटे तालाब हैं जिन पर पिलाई की दर अन्य तालाबों की दरों से काफी कम है जिसके कारण काश्तकार अधिक दर देने को तैयार नहीं हैं।

(ख) जी नहीं। नहरों की मरम्मत में पिछले ५ वर्षों में औसत १७,३६३.६० नये पैसे सालाना खर्च हुए हैं।

(ग) जी नहीं।

(घ) जी नहीं।

(ङ) ऐसी व्यवास्था करने की कोई संभावना नहीं है।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी (डीग) : यह प्रश्न जो इस समय पूछा गया है इसका उत्तर पहले भी दिया गया है और उसमें यह था कि इससे २५ हजार एकड़ भूमि की सिंचाई हुई और इसमें जो उत्तर दिया गया है उसमें १६ हजार एकड़ की सिंचाई हुई बताया गया है। क्या इतने दिनों में वह सींची हुई भूमि कुछ कम हो गई ?

श्री दौलतराम सारण : प्रश्नकर्ता ने पूछा है, उसका जवाब दिया गया है। प्रश्न कर्ता ने पूछा है कि ४२ लाख रुपया खर्च करके उसमें २५,००० एकड़ भूमि की सिंचाई कराई जाने की संभावना थी ? उसके उत्तर में मैंने बताया है कि १६,३३० एकड़ भूमि को सिंचाई कराये जाने की सभावना है।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : आपके ओरिजिल प्लॉन के अनुसार आपके कमान्डिग एरिया हैं उसकी कितने वर्षों में सिंचाई होनी चाहिये ?

श्री दौलतराम सारण : इसकी सिंचाई ७ वर्षों में मीडियम स्कीम में होनी चाहिये।

श्री भैरोंसिंह : आपके इयरवाइज़ बेस

Page No.3

(श्री भैरोंसिंह)

प्रोग्राम हैं उनके अनुसार सिंचाई क्यों नहीं हो पाती ?

श्री दौलतराम सारण : मैंने निवेदन किया कि कहीं जमीन बंजर पड़ी है, फसल नहीं होती है, इस तरह से मैंने, और भी कारण हैं, वे बताये हैं ।

श्री भैरोंसिंह : क्या ऐसा एरिया भी है जहां पानी नहीं चढ़ सकता है ?

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : जो बांध बांधा गया है उसमें पानी का लेवल नीचा है और सिंचाई की जमीन ऊंची है, क्या इस वजह से दूसरी जगह पानी नहीं पहुंच पाता है ?

श्री दौलतराम सारण : मेरी जानकारी में ऐसा नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : ७ साल में आप २५ हजार के टार्गेट को पूरा एचीव कर पाएंगे ?

श्री दौलतराम सारण : अभी ६ मील नहर बननी बाकी है और दूसरी जो कमियें बताई गई हैं उनकी पूर्ति के लिये सरकार प्रयत्न कर रही है ।

श्री अध्यक्ष : जो किया जा रहा है उसमें शीघ्रता की जरूरत है ।

श्री भैरोंसिंह : पेटे काश्त के बारे में आपका क्या विचार है ?

श्री दौलतराम सारण : पेटे में काश्त नहीं हो सकती क्योंकि पानी भरा रहता है ।

श्री मुरलीधर व्यास : आपने कहा है कि आसपास इतने तालाब हैं कि जिससे लोग पानी लेते नहीं । पानी है और लेते नहीं हैं तो क्या अधिक भूमि सिंचित करने के लिये प्रयास करना पड़ेगा ?

श्री दौलतराम सारण : मैंने जो उत्तर दिया है उसको माननीय सदस्य ने पूरा नहीं सुना । मैंने एक ही कारण नहीं बताया किन्तु ६ कारण बताये हैं और उनमें से एक साधारण सा कारण यह है जिसके कारण कुछ सिंचाई में कमी पड़ी, बाकी के अन्य कारण भी हैं जिनके कारण भी सिंचाई में कमी पड़ी ।

श्री मुरलीधर व्यास : १७ हजार रुपये औसतन खर्च हुए हैं, यह पांच वर्षों की औसत है; तो पहले दूसरे वर्षों में कितना कितना रुपया खर्च हुआ ?

श्री अध्यक्ष : श्री लादूराम सुलाणिया ।

श्री दौलतराम सारण : अलग अलग तो आंकड़े नहीं हैं ।

श्री अध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज़ !

श्री मुरलीधर व्यास : माननीय मंत्री महोदय कहते हैं कि इतना खर्च हुआ; जब कि मेरे पास जानकारी है कि अधिक खर्च हुए हैं । इससे इतनी सी जमीन सिंचित हो और राज्य को अधिक आमदनी न हो उससे अधिक खर्चा हो तो फिर ऐसी योजना का क्या लाभ है ? हजारों एकड़ जमीन पहले ही इस बांध के बनने से पानी में डूब गई । जिस जमीन में काफी फसल पैदा होती थी, हजारों मन अनाज पैदा होता था, अध्यक्ष

Page No.4

(श्री मुरलीधर व्यास)

महोदय, यह बड़ा भारी सवाल है और आखिर योजना बनाने का फिर मकसद क्या रहता है ? इसकी सफाई होनी चाहिये और स्पष्ट रूप से मंत्री महोदय को उत्तर देना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : श्री लादूराम सुलाणियां।

ग्राम धमाणा के रेगरों को हाथ बांध कर पेड़ों पर लटकाया जाना

६०५ **श्री लादूराम सुलाणियां** (दूदू-सु०) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(क) क्या यह सत्य है कि तहसील दूदू में ग्राम धमाणा के तीन रेगरों को जाटों द्वारा हाथ बांध करके पेड़ पर दस फीट ऊंचा लटका देने की रिपोर्ट पुलिस थाने में कराई गई है ? यदि हां, तो कब और किसके द्वारा ?

(ख) क्या जाटों, मालियों और वहां के सरपंच ने उक्त रेगर परिवारों का सारा का सारा घर का सामान लूट लिया है ? यदि हां, तो क्या पुलिस ने यह सारा सामान बरामद कर लिया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(ग) क्या यह सत्य है कि उक्त गांव में केवल एक ही रेगर परिवार है और जाट व माली काफी संख्या में हैं ?

(घ) क्या यह भी सत्य है कि ग्राम सरपंच के द्वारा इसको दबाने के लिए दबाव डाला गया है ? यदि हां, तो क्या इसकी समुचित जांच की जायेगी ?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : जी हां, तहसीलदार दूदू की भेजी हुई ऐसी रिपोर्ट थाना फागी में दिनांक २६-७-६० को पहुँची थी।

(ख) जी नहीं, केवल मवेशियों की खालें बटोर कर मुलजिमान ने उस रेगर के एक कोठे में रख कर अपना ताला लगा लिया था जो ताला व चाभी पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर कोठा खोल दिया।

(ग) जी हां, रेगर का एक ही परिवार है किन्तु जाट व मालियों के अलावा चमारों के भी कई घर हैं।

(घ) जी नहीं, अतः जांच का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री लादूराम सुलाणिया : क्या उनका माल नहीं लूटा गया वहां से ? रेगरों का क्या सारा सामान नहीं लूटा गया ?

श्री रामकिशोर व्यास : खालें थीं वे ले आये और एक कोठे में बन्द कर दीं।

श्री लादूराम सुलाणिया : उनका दूसरा माल-जूते, बैल, मवेशी, अनाज, जेवर नहीं लूट कर ले गये ?

श्री रामकिशोर व्यास : मैंने कहा लूटा और एक कोठे में बन्द कर दिया। इन्वेस्टिगेशन पूरा हो गया और सेन्क्शन उसके लिए चाहिये।

श्री लादूराम सुलाणिया : क्या माल बरामद किया ?

श्री रामकिशोर व्यास : माल निकाला, दिला दिया।

Page No.5

श्री लादूराम सुलाणिया : दिला किसको दिया ?

श्री रामकिशोर व्यास : सुपुर्द तो किसी को किया होगा।

श्री लादूराम सुलाणियां : सुना नहीं।

श्री अध्यक्ष : श्री दयाकृष्ण विजय।

श्री लादूराम सुलाणियां : अध्यक्ष महोदय, यह बड़ा महत्व का प्रश्न है; रेगरों के घरों को लूटा, उनका सामान ले गये।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री दयाकृष्ण विजय।

पोस्ट मेट्रिक्युलेशन छात्रवृत्ति

६०६. **श्री दयाकृष्ण विजय** (छबड़ा): क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या पोस्ट मेट्रिक्युलेशन की संज्ञा में मल्टीपर्पज़ हाई स्कूल ही आते हैं या पुराने हाई स्कूल भी ?

(२) क्या पोस्ट मेट्रिक्युलेशन में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होनेवाले छात्रों को भारत सरकार की ओर से कुछ छात्रवृत्ति दी जाती है ?

(३) क्या यह छात्रवृत्ति मल्टी पर्पज़ और हाई स्कूल के आधार पर प्रथम श्रेणी के छात्रों की संख्या की अनुपातिक दृष्टि से दी जाती है अथवा मल्टीपर्पज़ और हाई स्कूल का भेद हटा कर प्राप्तांकों के आधार पर ?

(४) सन् १९५८–५९ में मल्टीपर्पज़ हाई स्कूल और दूसरे हाई स्कूलों के अलग अलग कितने विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में आये ?

(५) भारत सरकार की यह छात्रवृत्ति किन किन विद्यार्थियों को कितना कितनी मिली है तथा इनके कितने कितने प्राप्तांक हैं

(६) क्या इनके प्राप्तांक से अधिक हाई स्कूल के किसी विद्यार्थी ने प्राप्त नहीं किये ?

उप मन्त्री, शिक्षा (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (१) पोस्ट मेट्रिक्युलेशन की संज्ञा में हायर सेकन्डरी व हाई स्कूल परीक्षा पास करने वाले छात्र जो कॉलेजों में शिक्षा प्राप्त करते हैं, आते हैं ।

(२) जी हां ।

(३) यह छात्रवृत्ति हायर सेकन्डरी व हाई स्कूलों में प्रथम श्रेणी में पास होनेवाले छात्रों के अनुपात से दी जाती है।

(४) ६७ मल्टीपर्पज़ हायर सेकन्डरी और १,१५७ हाई स्कूलों के विद्यार्थी।

(५) सूची संलग्न है।

(६) जी हां।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिए)

श्री दयाकृष्ण विजय : यह जो आपने सूची लगाई है उसमें कितने हाई स्कूल और कितने हायर सेकन्डरी के विद्यार्थी हैं ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : यह सूची उपलब्ध नहीं है।

श्री दयाकृष्ण विजय : तब सूची से यह कैसे अन्दाज लगायें कि अनुपातिक दृष्टि से छात्रवृत्ति दी है या प्राप्तांक के आधार पर दी है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : नियम बने हुए हैं और नियमानुसार छात्रवृत्ति दी है।

श्री अध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

जयपुर प्रदर्शनी के टिकट

६०७. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) सन् १९५७ में जो प्रदर्शनी जयपुर में लगी उस निमित्त कुल कितने टिकट किस प्रेस से छपवाये गये तथा उसका कितना कितना भुगतान कब कब किया गया ?

(२) क्या अन्य प्रेसों में आदेश देने से पूर्व राजकीय मुद्रणालय में से नॉन अवेलेबिलिटी सर्टीफिकेट हासिल नहीं किया गया था, जो हासिल किया जाना आवश्यक था ? यदि हां, तो फिर हासिल न करने का क्या कारण था और इस अनियमित कार्यवाही के लिये सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? क्या इन टिकटों के छपवाने हेतु टेन्डर आमंत्रित किये गये थे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(३) इन टिकटों में से कितने बिके और अब कितने स्टॉक में मौजूद हैं ?

(४) इन टिकटों की बिक्री का रुपया ट्रेज़री में कब कब जमा हुआ व कितना ?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (क) सन् १९५७ में जो प्रदर्शनी जयपुर में लगी थी उस निमित्त कुल ३,६५,०९६ टिकट गवर्नमेन्ट प्रेस, जयपुर से छपवाये गये थे। उसका भुगतान अभी नहीं किया जा सका है।

(ख) चूंकि टिकट राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय से छपवाये गये थे, अतः इस प्रश्न के उत्तर की आवश्यकता नहीं रहती।

(ग) इन टिकटों में से २,४३,३०७ टिकट बिके, १,२१,४७२ स्टॉक में मौजूद हैं व ३१८ टिकटों का पता नहीं लगता है जिनकी कीमत रु० ९१.१७ न० पै० है। इस प्रकार एक टिकट ज्यादा होता है।

(घ) टिकटों की बिक्री की धन-राशि को प्रदर्शनी के खर्चे में शामिल कर लिया गया। सरकार द्वारा इस प्रदर्शनी के लिए जो स्वीकृति दी गई थी उसमें यह पहले ही साफ किया जा चुका था कि आमदनी की रकम को प्रदर्शनी के खर्चों में लगा दिया जाय। अतः इन टिकटों की आमदनी की कोई रकम खजाने में जमा कराने की बात पैदा नहीं होती।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जो धन राशि स्वीकृत की गई थी उसके ओवर एन्ड

Page No.7

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

अबाऊ टिकटों की आमदनी की धनसुराशि भी खर्च की गई ?

श्री रामकिशोर व्यास : प्रदर्शनी से जो इन्कम होगी उसको खर्च करने के आदेश भी दे दिये गये थे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जो सेंक्शन दी, खर्च की, उसके ओवर एन्ड एबव टिकटों की आमदनी भी खर्च कर दी गई ?

श्री रामकिशोर व्यास : ऐसे आदेश दे दिये गये थे कि जो आमदनी हो वह भी खर्च कर दी जाय।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : टिकट नहीं मिल रहे हैं उसके लिए क्या किया ?

श्री रामकिशोर व्यास : अभी मिले नहीं हैं, कोशिश की जा रही है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसके बारे में क्या कोई जांच के आदेश दिये ?

श्री रामकिशोर व्यास : अभी नहीं दिये हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री सूरजमल।

विकास अधिकारी, ओसियां का अवकाश

६०८. श्री सूरजमल (फलौदी-सु०): क्या पंचायत मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे:—

(क) क्या यह सही है कि ओसिय पंचायत समिति के प्रधान द्वारा वहां के विकास अधिकारी, श्री तेजनारायण शर्मा, को एक माह का अवकाश स्वीकृत किया गया था ? यदि हां, तो क्यों ?

(ख) क्या यह सच है कि उक्त अधिकारी फाइनेन्शियल ऑथोरिटी डेलीगेट किये बिना ही ओसियां गांव से चले गये जिससे कर्मचारियों को वेतन विलम्ब से मिला ?

(ग) क्या यह सही है कि उक्त पंचायत समिति ओसियां द्वारा कर्मचारियों का तथा अध्यापकों का वेतन उनको नहीं दिया जाकर तकाबी कर्ज में वितरित कर दिया गया और उक्त व्यक्तियों को वेतन दो-तीन माह से (आज तक) नहीं मिला ? यदि हां, तो सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

(घ) क्या यह भी सच है कि उक्त पंचायत समिति द्वारा तकाबी कर्ज जो वितरित जनवरी, १६६० से मार्च, १६६० तक किया गया उसमें बिल बना कर स्वीकृति नहीं ली गई और अवैधानिक रूप से वितरित किया ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मामले की सही जांच करेगी ?

पंचायत मंत्री (श्री हरिभाऊ उपाध्याय): (क) जी नहीं। प्रधान ने तो विकास अधिकारी को केवल बउम्मीद स्वीकृति के छुट्टी पर रवाना होने की स्वीकृति दी थी।

(ख) कार्यवाहक विकास अधिकारी की नियुक्ति के आदेश जारी कर दिये गये थे। राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद् अधिनियम की धारा ३४ की उप धारा (३) के अनुसार विकास अधिकारी किसी अन्य गजेटेड अधिकारी को फाइनेन्शियल ऑथोरिटी

Page No.8

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

डेलीगेट कर सकते हैं। कर्मचारियों को वेतन मिलने में १० दिन का विलम्ब हुआ था।

(ग) जी नहीं।

(घ जनवरी, १९६० से मार्च, १९६० तक जो तकावी वितरित की गई उसकी स्वीकृति पंचायत समिति की सम्बन्धित स्थायी समिति द्वारा हो चुकी थी। कार्य की बाहुल्यता तथा शीघ्रता के कारण समिति ने यह आदेश दे दिया था कि तकावी शीघ्र वितरित की जावे और तत्पश्चात् बिल बनाया जावे। तकावी मौके पर समिति के सदस्यों ने अपने समक्ष वितरित कराई। बिल बनाने से पूर्व पैसा अकाउन्ट से निकाल कर तकावी के रूप में वितरण करना उचित नहीं था। इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी): क्या आवश्यक कार्यवाही करनी चाहिये थी?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : प्रारम्भिक कार्यवाही तो यही होती है कि ऐसा क्यों किया गया। यह पाया जायगा कि गलत किया तो नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

श्री मुरलीधर व्यास : दस दिनों का विलम्ब हुआ, यह बताया। किस तारीख को वेतन मिलना चाहिये था और किस तारीख को मिला?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : वेतन के नियम मैं अपने साथ नहीं लाया हूं। उनसे मेरा सीधा सम्बन्ध भी नहीं है। दस दिन के बाद मिली तो चाहते क्या हैं?

प्रश्न संख्या ६०९

श्री अध्यक्ष : श्री धर्मपाल पंवार।

(अनुपस्थित)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

मानवाश्रम, दुर्गापुरा (जयपुर)

६१०. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या मानवाश्रम, दुर्गापुरा (जयपुर) कोई रजिस्टर्ड संस्था, ट्रस्ट, सोसाइटी या इनसे ही मिलती-जुलती कोई अन्य संस्था है?

(ख) यदि हां, तो इस संस्था के पदाधिकारियों, कार्यकर्त्ताओं तथा इसमें अध्ययन करनेवाले छात्रों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(ग) क्या इस संस्था को केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार की ओर से कोई आर्थिक सहायता दी गई है? यदि हां, तो किस किस वर्ष में कितनी कितनी रकम इसे दी गई है? सहायता की शर्त्तों का भी उल्लेख करने की कृपा करें।

(घ) इस संस्था का गत तीन वर्षों का बजट एवं आय-व्यय का हिसाब बताने की कृपा करें?

(ङ) जिन शर्त्तों पर राज्य सरकार द्वारा सहायता दी गई थी उनकी पूर्ति संस्था ने की या नहीं? क्या यह सही है कि गत वर्षों की

Page No.9

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

शर्तें पूरी नहीं होने पर भी इस वर्ष सरकार ने पुन: वित्त सचिव के कड़े विरोध के बावजूद भी इस संस्था को २०,०००) रुपये की आर्थिक सहायता दे दी है? यदि हां, तो क्यों?

(च) अब तक इस संस्था पर व्यय किये गये धन से क्या सार्वजनिक हित हुआ है?

(छ) क्या यह सही है कि इस संस्था द्वारा प्रकाशित पुस्तकें केवल पुस्तकालयों तक ही सीमित हैं और जनसाधारण इससे सर्वथा अनभिज्ञ है? यदि हां, तो ऐसा क्यों?

उप-मंत्री, शिक्षा (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त नहीं हो सका है।

श्री अध्यक्ष : श्री मोगजी भाई।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, यह सवाल तो लास्ट सेशन का है। इस सेशन में और पिछले सेशन में भी इसका जवाब नहीं आया, ८ महीने हो गये हैं।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई: श्री मोतीलाल शर्मा जो इस संस्था के अध्यक्ष हैं वे बीमार हैं और अस्पताल में दाखिल हैं इसलिए प्राप्त नहीं हो सका।

एक माननीय सदस्य : अगले साल और सही।

श्री अध्यक्ष : श्री मोगजी भाई।

थानेदार पुलिस, दानपुर द्वारा श्री मलिया की गिरफ्तारी

६११. श्री मोगजी भाई (बांसवाड़ा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या यह सही है कि पुलिस थाना दानपुर के थानेदार श्री शंकरलाल, ग्राम नादिया में मुलजिम श्री मलिया पिता श्री कीकां को गिरफ्तार करने के लिए फरवरी-मार्च, सन् १६६० में गये थे?

(२) क्या यह सही है कि मुलजिम श्री मलिया के खिलाफ पुलिस थाना दानपुर में कोई रिपोर्ट दर्ज हुई थी? यदि हां, तो कब और किसके द्वारा?

(३) क्या यह भी सही है कि मुलजिम श्री मलिया पिता श्री कीकां को माल सहित मकान पर गिरफ्तार किया गया था? यदि हां, तो उस मामले का पुलिस थाना दानपुर द्वारा अदालत में चालान कब पेश किया गया था? यदि नहीं किया गया, तो क्यों?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास): श्री मलिया के पास चोरी का जेवर होने की सूचना पर सब इन्स्पेक्टर श्री शंकरलाल ग्राम नादिया दिनांक १०-२-६० को गये थे, न कि उसे गिरफ्तार करने को।

(२) उसके यहां चोरी का जेवर होने की सूचना गुप्त रूप से सर्कल इन्स्पेक्टर को प्राप्त हुई थी जिस पर सर्कल इन्स्पेक्टर ने सब इन्स्पेक्टर को सूचित किया था।

(३) श्री मलिया को उसी समय जमानत व मुचलके पर छोड़ दिया गया था क्योंकि

(श्री मोगजी भाई)

माल चोरी का होने का शक था और आगे जांच करनी थी। जांच से माल धनी का पता नहीं लगा तब केस धारा ५२३ भा. दं. वि. सं. की कार्यवाही के लिए न्यायालय में दिनांक ७-९-६० को प्रस्तुत कर दिया गया जहां पर जैर तजवीज़ है।

श्री मोगजी भाई : क्या यह सही है कि मलिया के पास से जो माल बरामद किया गया था वह चोरी का नहीं था, उसका घर का माल था ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह तो अदालत तय करेगी।

श्री मोगजी भाई : क्या यह सही है कि उस थानेदार ने रिश्वत लेकर उसको छोड़ दिया और माल बरामद नहीं किया, न चोरी का मुकदमा ही दायर किया ?

श्री रामकिशोर व्यास : वह तो अदालत में है।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट, श्री भैरोंसिंह !

विलीज जीप नं० आर० जे० एल० ३०७९.

६१२. **श्री भैरोंसिंह** (श्री माधोपुर) : क्या पशु पालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या यह सही है कि टी० सी० एम० ऐड के अन्तर्गत अमेरिका से विलीज जीप० नं० आर० जे० एल० ३०७९ इस विभाग को मिली थी ?

(ख) क्या यह सही है कि इस स्कीम के अनुसार इस जीप का उपयोग सिमन इकट्ठा किया जाकर कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों पर भिजवाने में होना चाहिये था ?

(ग) क्या यह सही है कि यह गाड़ी उप संचालक श्री पी० एस० माथुर के अधिकार में रही तथा उन्होंने इस गाड़ी का पूर्णतया दुरुपयोग किया ?

(घ) क्या यह सही है कि अब यह गाड़ी आंधी कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र पर भेज दी गई है ?

(ङ) क्या यह सही है कि इस केन्द्र के लिये सरकार द्वारा एक नई गाड़ी खरीद किये जाने की आज्ञा हुई थी ?

(च) क्या यह सही है कि नई गाड़ी खरीद की जाकर उप संचालक द्वारा अपने पास रख ली गई तथा पुरानी को आंधी केन्द्र पर भेज दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

कृषि मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (क) जी हां।

(ख) जी हां। साथ में अन्य कार्यों के लिये भी इसका उपयोग किया जाता है।

(ग) जी हां। परन्तु दुरुपयोग नहीं हुआ।

(घ) जी हां।

(ङ) जी हां।

Page No.11

(श्री नाथूराम मिर्धा)

(च) जी हां। चूंकि इस नई गाड़ी के साथ ट्रॉली की व्यवस्था नहीं थी जो अन्य कार्यों के लिये परमावश्यक है ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि रूल्स के अनुसार जिस काम के लिये गाड़ी निश्चित की जाय उसके अलावा दूसरे काम में इस्तेमाल करते हैं तो उसकी अनुमति लेना आवश्यक है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : दूसरे काम में यूज़ किया ही नहीं।

श्री भैरोंसिंह : आपने 'क' का उत्तर देते हुए कहा है, "जी हां;" यानी जिस काम के लिये वह आई थी उस काम में उसको नहीं लिया गया है। तो ऐसा करने से पहले क्या सरकार की स्वीकृति ली गई थी ?

श्री नाथूराम मिर्धा : केवल सीमन कलेक्ट करने का ही उससे काम नहीं लिया जाता इसके अलावा जो भी इस विभाग के द्वारा काम होते थे उनमें भी उस गाड़ी से काम लिया गया।

श्री भैरोंसिंह : पिछले सेशन में श्री तेजाराम गहलोत के एक प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री महोदय ने बताया था कि टी० सी० एम० के अन्तर्गत जो गाड़ी दी गई है उससे अन्य कोई उपयोग नहीं लिया गया ?

श्री नाथूराम मिर्धा : कौन से प्रश्न के उत्तर में क्या कहा गया, यह मैं नहीं कह सकता; लेकिन मैं यह बता सकता हूं कि विलेज स्कीम्स के तहत एवं फोडर डेवलपमेंट स्कीम्स के तहत इसका प्रयोग किया जा रहा है।

श्री भैरोंसिंह : क्या आपने आन्धी सेन्टर के लिये नई गाड़ी की मन्जूरी दी थी ?

श्री नाथूराम मिर्धा : दी थी।

श्री भैरोंसिंह : उस स्थान पर पुरानी क्यों भेजी गई ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जो गाड़ी नई खरीदी गई थी उसके साथ ट्रॉली नहीं थी और जिसके साथ ट्रोली थी वह भी गाड़ी नई तरह की ही थी, उससे ज्यादा काम नहीं लिया गया ट्रॉली वाली गाड़ी उनको दे दी गई।

श्री भैरोंसिंह : जब वहां के लिये नई गाड़ी की मन्जूरी थी तो आपने पुरानी क्यों भेजी और इस प्रकार से पुरानी गाड़ी भेजने के लिये क्या सरकार से स्वीकृति ली गई थी ?

श्री नाथूराम मिर्धा : सरकार को इस बात का इल्म है, इसमें किसी भी प्रकार की अनियमितता नहीं हुई।

श्री भैरोंसिंह : तो क्या यह समझा जाय कि इस प्रकार करने से पहले गवर्नमेंट की मन्जूरी ले ली थी ?

श्री नाथूराम मिर्धा : पर्मिशन लेने की आवश्यकता नहीं थी, डाइरेक्टर को अधिकार है कि वह कौनसी गाड़ी को कहां भेजे।

Page No.12

श्री भैरोंसिंह : आन्धी सेन्टर के लिये जो रकम मन्जूर हुई थी वह सरकार द्वारा हुई तो बिना सरकार की आज्ञा लिये आपको हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं।

श्री नाथूराम मिर्धा : सरकार ने जब गाड़ी खरीदने की मन्जूरी दी उसके बाद गाड़ी खरीद ली गई। अब उसके बाद यह हैड ऑफ दी डिपार्टमेंट के अधिकार में है कि वह कौन सी गाड़ी कहां भेजे वह उपयुक्त व्यवस्था करते हैं। ट्रॉली वाली गाड़ी वहां भेजनी थी इसलिये जिसमें ट्रॉली लगी हुई थी वह गाड़ी भेजी गई और जो जीप है वह वहां के रास्ते के लिये उपयोगी साबित हो सकती है।

श्री अध्यक्ष : बजट तो था एक ब्लॉक के लिये, जिसका बजट था उसको तो वह गाड़ी भेजी नहीं गई।

श्री भैरोंसिंह : यही मेरा निवेदन है कि जिस बजट से यह गाड़ी खरीदी गई थी वह बजट आन्धी के सेन्टर के लिये था गाड़ी जो उससे खरीदी वह दूसरी जगह चली गई। आन्धी के बजट में जीप की संक्शन नहीं है।

श्री नाथूराम मिर्धा : जो मन्जूरी वहां के लिये थी उससे गाड़ी खरीद ली गई थी लेकिन चूंकि वहां एक ट्रालो के साथ वाली गाड़ी की आवश्यकता थी इसलिये उसको न भेज कर जिसके साथ ट्रॉली थी वह भेजी गई।

श्री अध्यक्ष : जानी वही चाहिये थी जिसके लिये बजट में संक्शन थी?

श्री भैरोंसिंह : यदि आप वहां के लिये जीप की उपयोगिता समझते तो आपको वहां की कन्डीशन के अनुसार जीप खरीदनी चाहिये थी।

श्री नाथूराम मिर्धा : डिपार्टमेंट का हैड जिसको ठीक समझता है, उपयोगी समझता है, वह वहां भेजता है।

श्री भैरोंसिंह : मोटर विहिकल्स रूल्स में भी इस प्रकार के प्रावधान हैं कि जिस काम के लिये जो गाड़ी मंगाई जाय उसी काम में वह ली जाय। उसके अलावा बजट में जिस जगह के लिये गाड़ी स्वीकृत थी वहां आपने भेजी नहीं, वैसी हालत में यह जो रूल्स के विपरीत सदन में बातें कही जाती हैं क्या ये ठीक हैं?

श्री नाथूराम मिर्धा : आप कौन से रूल्स की बातें करते हैं, आप तो वह रूल्स निकाल कर बता दीजिये?

श्री भैरोंसिंह : मोटर विहिकल्स रूल्स जो राजस्थान सरकार के बने हुए हैं, मोटरों के यूज़ करने के सम्बन्ध में बने हुए हैं, उनमें इस प्रकार की व्यवस्था है कि जिस काम के लिये गाड़ी ले जायी जाय वही काम उस गाड़ी से लिया जा सकता है दूसरा काम बिना सरकार की अनुमति के नहीं लिया जा सकता।

श्री नाथूराम मिर्धा : न इस प्रकार का कोई नियम ही है और न नियम के विरुद्ध कुछ किया ही गया है।

श्री अध्यक्ष : ऐसा नियम हो सकता है कि टी० सी० एम० के अन्तर्गत या

Page No.13

(श्री अध्यक्ष)

गाड़ियां आती हैं वे उसी काम में ली जायं।

श्री नाथूराम मिर्धा : वह उसी के लिये काम आ रही है, कहीं दूसरे काम में थोड़े ही भेज दी गई है। आन्धी सेन्टर के लिये जो प्रोविजन था वह गाड़ी खरीद कर यहां रख ली गई और जो ट्रॉली वाली गाड़ी थी वह वहां भेज दी गई।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : टी० सी० एम० की गाड़ी आन्धी में भेजी क्यों नहीं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : हम कहीं भी भेज सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मीचन्द।

श्री किशोरसिंह, अध्यापक प्राइमरी स्कूल, गुड़ानाह

६१३. **श्री लक्ष्मीचन्द** (सांचोर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(क) क्या यह सही है कि अध्यापक श्री किशोरसिंह जिला बाड़मेर की तहसील सिवाना के प्राइमरी स्कूल गुडानाह में नियुक्त थे और डेपुटेशन पर घाणसा, तहसील जसवन्तपुरा में कार्य करते थे ; मगर उनकी तनख्वाह गुडानाह के बजट से चुकाई जाती थी ?

(ख) क्या यह भी सही है कि उक्त अध्यापक स्टाफ नं० २,३१६ था और तारीख १२-१२-४६ को उसका देहान्त हो चुका था ?

(ग) क्या यह भी सही है कि उक्त अध्यापक की तनख्वाह माह जुलाई, १६४६ से १२ दिसम्बर, १६४६ की सरकार में बकाया है ?

(घ) क्या यह भी सही है कि उक्त तनख्वाह व प्रोविडेन्ट फण्ड की रकम उक्त मृतक व्यक्ति के वारिसों को अभी तक प्राप्त नहीं हुई ? यदि हां, तो क्यों ?

उप-मंत्री, शिक्षा (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) जी हां।

(घ) जी हां। क्योंकि उनका बिल भूतपूर्व महालेखापाल कार्यालय, जोधपुर को १३-६-४६ को भेजा गया और उस बिल का कोई पता नहीं चला।

श्री लक्ष्मीचन्द : अब क्या कार्यवाही की जा रही है ? पता नहीं चला, तो क्या पेमेन्ट नहीं होगा ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : इसके लिये स्पेशल ऑफिसर डेप्यूट करके उसको आदेश दिये जा रहे हैं कि तीन महीने के अन्दर अन्दर उनकी बकाया तनख्वाह के पेमेन्ट के बारे में इन्तजाम करें।

रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा): स्पेशल ऑफिसर बैठाने में कितना खर्चा होगा ?

श्री अध्यक्ष : श्री बेनाराम गहलोत।

ग्राम पंचायत कन्टालिया के सेक्रेटरी की पिटाई

६१४. श्री बेनाराम गहलोत (खारची) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(क) क्या यह सही है कि ता० १६-३-६० को ग्राम पंचायत कंटालिया द्वारा शीतला के मेले में मेला-टैक्स वसूल करते समय पंचायत सेक्रेटरी को कुछ बदमाशों द्वारा पीटा गया व टैक्स की रकम उससे छीन ली गई ?

(ख) क्या उस समय थानेदार बगड़ी भी वहीं मेले में मौजूद थे ?

(ग) क्या ग्राम पंचायत ने टैक्स वसूल करते वक्त पुलिस की इमदाद मांगी थी ?

(घ) क्या यह भी सही है कि पंचायत सेक्रेटरी की पिटाई होने व टैक्स की रकम छीन लेने की रिपोर्ट उसी वक्त थानेदार को की गई ?

(ङ) क्या यह भी सही है कि थानेदार ने वह रिपोर्ट नहीं ली और न उसे दर्ज किया ? यदि किया, तो कौन सी तारीख को ?

(च) क्या उपरोक्त मामले की शिकायत राज्य सरकार के पास आई है ? यदि हां, तो इस मामले की जांच कब किस अधिकारी द्वारा की गई और जांच का क्या परिणाम निकला ? जांच-रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(छ) क्या उपरोक्त मामले में सब-इन्सपेक्टर, बगड़ी दोषी पाया गया ? यदि हां, तो उसको क्या दंड दिया गया ?

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (क) पंचायत के क्लर्क की मेला टैक्स की वसूली के सम्बन्ध में मारपीट अवश्य हुई थी किन्तु कोई रकम नहीं छीनी गई।

(ख) थानेदार कन्टालिया में अवश्य थे, किन्तु घटनास्थल पर उपस्थित नहीं थे।

(ग) जी हां।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

(च-छ) मामले की जांच सहायक अधीक्षक, आरक्षी, पाली द्वारा की गई जिससे पाया गया कि केवल मारपीट ही की गई और रकम नहीं छीनी गई। अतः धारा ३५३ आई० पी० सी० में केस दर्ज कर तफतीश की गई। तफतीश से यह ज्ञात होने पर कि पंचायत को सरकार या चीफ पंचायत ऑफिसर की अनुमति के अभाव में मेला टैक्स वसूल करने का कानूनन अधिकार नहीं था, अतः मामला ३५३ या ३३२ आई० पी० सी० का न बना कर केवल ३२३ आई. पी. सी. का था जो नाकाबिल पुलिस दस्तन्दाजी होने से फाइनल रिपोर्ट अदमवकुआ में दिनांक २०-७-६० को दी गई।

श्री बेनाराम गहलोत : आपने 'घ' का जवाब "नहीं", किस आधार पर दिया ?

श्री अध्यक्ष : जांच के आधार पर दिया।

श्री बेनाराम गहलोत : पंचायत द्वारा टैक्स वसूल करने से पहले थानेदार को इत्तला दी थी उसमें यह भी कहा था कि मारपीट का अन्देशा है ?

श्री रामकिशोर व्यास : टैक्स वसूली के लिये गवर्नमेन्ट की मन्जूरी नहीं ली थी इसलिये टैक्स लेना इल्लीगल था !

श्री अध्यक्ष : रावराजा श्री सरदारसिंह।

ग्राम पंचायत नगर के सरपंच द्वारा किराये पर लिये गये डेरे व छोलदारी

६१५. रावराजा श्री सरदारसिंह (उणियारा) : क्या पंचायत मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :—

(१) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत नगर, तहसील देवली, जिला टोंक के सरपंच ने मेला मांडकला में सन् १९५९ में डेरे, छोलदारी नवाब साहब टोंक के यहां से किराये पर लिये थे ?

(२) अगर हां, तो कितने किराये पर ?

(३) क्या यह सही है कि किराये के नाम पर सरपंच, नगर पंचायत ने पंचायत कोष से तारीख १३-११-५९ को अधिक रकम वसूल करके प्राइवेट सेक्रेटरी, नवाब साहब, टोंक के पास कम रकम जमा कराई ?

(४) अगर हां, तो कितनी रकम निकाली और कितनी जमा कराई ?

पंचायत मंत्री (श्री हरिभाऊ उपाध्याय) : (१,२) जी हां, सात रुपये प्रतिदिन के हिसाब से किराये पर ली गई।

(३) दिनांक १३-११-५९ से दिनांक २१-११-५९ तक के ६३ रुपये किराये के लेकर फर्राश को चुकाये और पंचायत ने रसीद प्राप्त की।

(४) ६३ रुपया ही निकाले और ६३ ही किराये के चुकाया गये।

रावराजा श्री सरदारसिंह : क्या ५९ का पंचायत नगर का ऑडिट हो चुका है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : यह जानकारी मेरे पास नहीं है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : फिर किस आधार पर कहा कि जितना वसूल किया उतना ही जमा करा दिया ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : जो जानकारी वहां से मिलती है उसी आधार पर कहते हैं; उसकी रसीद प्राप्त की है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : ऑडिट होता तो पता चलता कि कितनी रकम निकाली गई, बिना ऑडिट के यह कैसे पता चल सकता है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : ऑडिट होता है और ऑडिट रिपोर्ट भी आती है जब उसकी रसीदें हैं तो यह मान लेना चाहिये कि इतना पेमेन्ट किया गया।

रावराजा श्री सरदारसिंह : रुपया किसके पास जमा कराया गया ? नवाब साहब के सेक्रेटरी के ऑफिस से रसीद ली गई या और किसी से ली गई ?

(उत्तर नहीं दिया गया)

Page No.16

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, डॉ० बहादुरसिंह।

माध्यमिक शालाओं के ड्रॉइंग अध्यापकों की वेतन-श्रृंखला

६१६. **डॉ० बहादुरसिंह** (धौलपुर) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या यह सही है कि माध्यमिक-शाला के ड्राइंग अध्यापकों को वेतन के सम्बन्ध में दिनांक २६ अक्टूबर, १९५३ आज्ञा क्रमांक एफ. ११ (७) एफ. ११।५३ के आधार पर यह निश्चय किया गया था कि अध्यापक मैट्रिक या मिडल सम्बन्धित विषय का डिप्लोमायुक्तों को ट्रेन्ड-मैट्रिक की ग्रेड ७०।४।६०-ई.बी. ५।१२५ दिया जावे ?

(ख) यदि हां, तो क्या माध्यमिकशाला गड़ापुरा, धौलपुर के ड्राइंग अध्यापकों को यही वेतन दिया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(ग) क्या यह सही है कि उक्त माध्यमिकशाला के ड्राइंग अध्यापकों की नियुक्ति मत्स्य संघ में सर्विस रूल्स के अनुसार शिड्यूल एल. एल. २ की मिडल सेक्शन के पार्ट बी. के अनुसार ५०।३।८० के ग्रेड में की गई थी ?

(घ) क्या नवीन ग्रेड अन्य मिडिल स्कूलों के ड्राइंग अध्यापकों पर भी लागू है ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उप-मन्त्री, शिक्षा (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (क) जी नहीं, आज्ञा दिनांक २६-१०-५६ के अनुसार मैट्रिक व मिडल की योग्यता तथा ड्राइंग डिप्लोमा प्राप्त अध्यापकों को क्रमशः ट्रेन्ड मैट्रिक और ट्रेन्ड मिडिल के समकक्ष माना गया है। ट्रेन्ड मैट्रिक की वेतन श्रृंखला ७०।१२५ नहीं थी बल्कि ५०।१०० थी।

(ख) उपरोक्त कारणवश माध्यमिक-शाला गडापुरा (धौलपुर) के अध्यापकों को ७०।४।६०।५।१२५ की ग्रेड दिया जाना सम्भव नहीं था।

(ग) जी हां।

(घ) जी हां। १।७।५० से।

ग्राम बनेठा, तहसील उनियारा के बड़े जैन मन्दिर की श्वेताम्बरियों की प्रतिमा का खण्डन

६१७. **रावराजा श्री सरदारसिंह** (उनियारा) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि दिनांक १४-७-६० को ग्राम बनेठा, तहसील उनियारा के बड़े जैन मन्दिर में जो श्वेताम्बरियों की एक बड़ी प्रतिमा थी उसको वहां के श्री घासीलाल, भूतपूर्व सरपंच श्योबिलास, श्री चिरंजीलाल इत्यादि ने मिलकर छीनियों व हथोड़ों से खण्ड-खण्ड कर दिया ?

(२) अगर हां, तो क्या वहां पर हजारों की संख्या में श्वेताम्बरियों ने एकत्र होकर बलवे का एक गम्भीर रूप धारण कर लिया ?

Page No.17

(रावराजा श्री सरदारसिंह)

(३) पुलिस मौके पर कब पहुँची और उसने क्या कार्यवाही की ?

(४) उक्त प्रतिमा अब किस स्थिति में है व किसकी देखरेख में है ?

(५) प्रतिमा को खण्डित करने वाले व्यक्तियों के प्रति सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (१) जी नहीं ।

(२) जी नहीं । पुलिस को कोई सूचना नहीं आई ।

(३) पुलिस को कोई सूचना नहीं आई ।

(४) प्रतिमा दिगम्बरों के कब्जे में है ।

(५) प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

रावराजा श्री सरदारसिंह : आपने कहा पुलिस को सूचना नहीं थी, मैं कहता हूं श्वेताम्बरों की शिकायत थी । श्वेताम्बरों की मूर्ति को दिगम्बरों ने खण्डित कर दी थी छैनियों से । क्या पुलिस मौके पर थी ?

श्री रामकिशोर व्यास : मैंने निवेदन किया, इस मामले में पुलिस को कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई ?

रावराजा श्री सरदारसिंह : क्या यह सही है कि लोगों ने सरपंच को रिपोर्ट दी ? सरपंच ने एन्क्वायरी करके एस. डी. ओ. के ऑफिस में भेज दी ?

श्री रामकिशोर व्यास : सरपंच की बात पंचायत विभाग से पूछिये । पुलिस में तो नहीं है । आपकी जानकारी के लिये कहूं कि आपस की पार्टी का झगड़ा है । दिगम्बरों का कहना है मूर्ति उनकी है, श्वेताम्बरों का कहना है उनकी है ।

रावराजा श्री सरदारसिंह : क्या यह सही है कि पुलिस हैडकॉन्स्टेबल जांच करने मौके पर गया था ?

श्री रामकिशोर व्यास : थाने में तो रिपोर्ट ही नहीं है, मैंने कहा न ।

रावराजा श्री सरदारसिंह : मैं कहूं कि वह वहां गया था पर वहां अन्दर नहीं जाने दिया उसको ।

श्री अध्यक्ष : माननीय मन्त्री महोदय ने तो कहा है कि पुलिस को कोई शिकायत नहीं की गई इसलिये उन्होंने जांच नहीं की ।

रावराजा श्री सरदारसिंह : अध्यक्ष महोदय, बात यह है कि एस० डी०-ओ० ने पुलिस को इन्फोर्म किया सरपंच की रिपोर्ट आने पर कि तहकीकात करके नतीजे से आगाह करो । जब सरपंच को इतने पॉवर आप देते हैं तो सरपंच मौके का हाकिम है । इन्वेस्टिगेशन करके मामला बनाकर भेज देता है । पर आपने कहा कि पुलिस को इत्तला नहीं । अगर पुलिस को इस तरह से परवाह नहीं रहेगी तो सरपंच की क्या कद्र रहेगी ?

श्री रामकिशोर व्यास : सरपंच मौके का हाकिम है । इज्जत भी बहुत करते हैं ।

(श्री रामकिशोर व्यास)

उनकी यह जो इन्क्वायरी हुई है उसकी बात उनसे पूछें आप।

श्री लक्ष्मीचन्द (सांचोर) : मूर्ति का झगड़ा आपने कहा, वह किस आधार पर है ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, डॉ० चन्द्रकला।

इन्टर विज्ञान व प्री-युनिवर्सिटी परीक्षाओं का असन्तोषजनक परिणाम

६१८. डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) इस वर्ष (१९६०) विश्वविद्यालय की विभिन्न परीक्षाओं के परिणाम कब कब प्रकाशित हुए ?

(२) विश्वविद्यालय की इन्टर विज्ञान व प्री-युनिवर्सिटी का परीक्षाफल कितने प्रतिशत रहा ? ऐसी कौन कौन सी संस्थाएं हैं जहां पर एक भी छात्र उत्तीर्ण नहीं हुआ अथवा परीक्षा परिणाम २५ प्रतिशत से भी कम रहा ?

(३) क्या सरकार इस परीक्षा-फल को सुधारने की दिशा में कोई ठोस कदम उठावेगी ?

उप-मन्त्री, शिक्षा (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (१) विश्व विद्यालय की परीक्षाओं के परिणाम जिन जिन तारीखों को प्रकाशित हुए उनकी तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है। परीक्षा परिणाम विश्व विद्यालय की निश्चित तिथियों पर ही प्रकाशित हुए हैं। इस वास्ते असुविधा का प्रश्न ही नहीं उठता।

(२) इन्टर विज्ञान का परीक्षा फल इस वर्ष ३५ प्रतिशत रहा। प्री-युनिवर्सिटी आर्ट्स का ३६ प्रतिशत, साइन्स ३१.६ प्रतिशत, कॉमर्स ३३ प्रतिशत। केवल गवर्नमेन्ट कॉलेज, किशनगढ़ से प्री-युनिवर्सिटी परीक्षा में एक भी छात्र उत्तीर्ण नहीं हुआ। इस कॉलेज से १९ छात्र परीक्षा में बैठे थे। जिन शिक्षण संस्थाओं का परिणाम २५ प्रतिशत से कम रहा उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(३) इस निमित्त सरकार ने पहले ही एक कमेटी का निर्माण कर दिया है। जिसकी अन्तरिम रिपोर्ट भी प्राप्त हो गई है और उसे कार्यान्वित करने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को भेज दिया गया है।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिए)

डॉ० चन्द्रकला : यह सूची के अनुसार इन्जीनियर की परीक्षाओं के विभिन्न परिणामों की लिस्ट २९ जुलाई, ६० को हुई थी; जब कि परीक्षा फरवरी में ही हो गई थी। क्या यह देरी से प्रकाशित नहीं हुई लिस्ट ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : जी नहीं।

डॉ० चन्द्रकला : क्या यह सही है कि आगे की परीक्षाओं में एडमिशन चाहने वाले इस तरह इस कारण कई विद्यार्थी

Page No.19

(डॉ॰ चन्द्रकला)

दूसरी जगह डिप्लोमा और दूसरी शिक्षण संस्थाओं में नहीं जा सके ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : इन्जीनियर का एक कन्टीन्युइंग कोर्स होता है। फर्स्ट ईयर, सेकन्ड ईयर और उसी इन्स्टीट्यूशन में दाखिला पाते हैं और बाद में नौकरी में जाते हैं। तो इसलिये देरी से प्रकाशित होने से भी उनको एड्मिशन न मिलने जैसी कोई बात नहीं है। माननीय सदस्या को जानकारी नहीं है।

डॉ॰ चन्द्रकला : अध्यक्ष महोदय, मन्त्रीजी को जानकारी नहीं है। बी. ई. पास करके कई विद्यार्थी बैंगलोर तथा इन्स्टीट्यूशन्स में जाते हैं। आपको नहीं पता है, मुझे तो पता है और मुझे यह भी जानकारी है कि इस देरी से रिज़ल्ट आउट होने के कारण बहुत से लड़कों का एडमिशन रुका है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या आपने यह देखा कि यहां सुबोध इन्टर कॉलेज, जयपुर का रिज़ल्ट दो पर्सेन्ट है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : कौनसे पेज पर, पेज बताइये ? आप किसको रेफर कर रहे हैं ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह सुबोध कॉलेज, जयपुर का दो पर्सेन्ट रिज़ल्ट है या ज्यादा है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : जो स्थिति थी वह सदन के सामने मैंने अर्ज कर दी।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या सरकार को मालूम है कि उस सुबोध कॉलेज के विद्यार्थीगण और उनके अभिभावकों को यह शिकायत है कि उस कॉलेज के प्रधान आचार्य जो हैं वे जयपुर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं और इस तरह राजनीति में काफी व्यस्त रहते हैं और राजनीति में काफी व्यस्त रहने के कारण कॉलेज की व्यवस्था और पढ़ाई की तरफ पूरा ध्यान नहीं देते और इस कारण वहां का रिज़ल्ट काफी खराब रहता है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : काम करने के बाद वे काम क्या करते हैं, क्या नहीं इसका प्रश्न नहीं। वह अपनी ड्युटी देकर नियम का पालन करते हुए अपना अन्य काम करते हैं तो उनको इससे रोका नहीं जा सकता।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वे पढ़ाई तो कराते नहीं, चुनाव के लिए गलियों में चक्कर लगाते हैं। राजनीति में उलझे हुए रहते हैं कि कहीं उनकी राजनैतिक स्थिति कमजोर नहीं हो जाय।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : It is only 2%.

श्री पुरुषोतमलाल शर्मा (किशनगढ़): जिस कॉलेज में एक भी लड़का पास नहीं होता है उसका कारण क्या था किशनगढ़ में ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : इसमें कुछ तो नये विषय खोले थे इसलिए और फिर अध्यापक समय पर पहुँच नहीं सके, जिनको अपोइन्टमेंट दिया उनका दूसरी जगह अपोइन्टमेंट हो गया। फिर इसके बारे में

Page No.20

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई)

हमने जांच करवाई है जिसकी रिपोर्ट भी आ गई है जिसका उल्लेख मैंने अभी किया। आगे व्यवस्था कर दी जावेगी।

डॉ० चन्द्रकला : की जावेगी या कर दी गई है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : यह तो कन्टीन्युइंग प्रोसेस है।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' (अकलेरा-सु०) : इन अध्यापकों को समय पर नहीं भेजने के कारण पढ़ाई नहीं हो सकी इससे जिन छात्रों को नुकसान हुआ वह सरकार देने को तैयार है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : सरकार काफी खर्चा देती है।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : पर जिन बालकों का एक साल खराब हो गया, जो फैल हो गये और सरकार की गफलत के कारण हो गये कि जिसने समय पर मास्टर नहीं भेजे पढ़ाने के लिए तो उन विद्यार्थियों के इस नुकसान की भर पाई क्या सरकार करेगी ? कौन जिम्मेदार है इसके लिए ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री चन्दनमल वैद (सरदारशहर) : प्री-युनीवर्सिटी का रिज़ल्ट आम तौर पर इस साल पहले के सालों से खराब रहा है, क्या सरकार यह नहीं मानती ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : मैंने निवेदन कर दिया। अब आम तौर से खराब समझिये या अच्छा समझिये।

श्री चन्दनमल वैद : आम तौर पर खराब रहा है, क्या मैं यह पूछ रहा हूं ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : जितना सन्तोष होना चाहिये उस तरह का रिज़ल्ट नहीं रहा और इसीलिए तो सरकार ने एक कमेटी जांच करने को बैठाई थी।

श्री अध्यक्ष : मुरलीधर व्यास।

तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत नगर विकास योजना

६१६. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर सिटी) : क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

तृतीय पंचवर्षीय योजना में नगरों के विकास के लिए कितनी धन-राशि रखी गई है तथा किन किन नगरों के लिए क्या क्या योजनाएं सरकार के विचाराधीन हैं ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : तृतीय पंचवर्षीय योजना काल के अन्तर्गत नगरों के विकास के लिए एक योजना अर्बन कॉम्युनिटी डेवलपमेंट सरकार के विचाराधीन हैं। इस योजना पर एक करोड़ रुपये व्यय करने का प्रस्ताव है तथा तृतीय पंचवर्षीय योजना-काल के पांच वर्षों में समस्त नगरीय जनता, अर्बन पोपुलेशन इसका लाभ उठा पावेगी, ऐसी आशा है। विभिन्न नगरों में किये जाने वाले अन्य कार्यों का विवरण अभी निश्चित रूप से नहीं हुआ है।

श्री अध्यक्ष : श्री प्रभुलाल पुरोहित ।

लालसोट के थानेदार श्री हुकमचन्द द्वारा श्री मूलचन्द माहरिया की बहिन के साथ बलात्कार एवं चोरियों को प्रोत्साहन

६२०. **श्री प्रभुलाल पुरोहित** (लालसोट) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या यह सही है कि श्री हुकमचन्द, थानेदार लालसोट ने अपने गांव के निवासी श्री किसना मन्नु चौकीदार से साज करके लालसोट के इलाके में चोरियां करव ?

(ख) क्या यह सच है कि श्री किसना मन्नु के और थानेदार के मध्य पांच—छः महीने पूर्व चोरियों के बंटवारे में आपसी मतभेद हो गया और चोरियों का हिस्सा न देकर अपने गांव भाग गया ?

(ग) क्या यह सच है कि उपरोक्त चोरियों का हिस्सा न मिलने पर श्री किसना मन्नु चौकीदार के भानजी जंवाई श्री मूलचन्द चौकीदार ग्राम माहरिया, तहसील लालसोट को पकड़ मंगवा कर तीन दिन हवालात में बन्द रखा और कहा कि श्री किसना मन्नु को तुम जब तक न लाओगे तब तक तुमको नहीं छोड़ा जावेगा ?

(घ) क्या यह सही है कि श्री मूलचन्द माहरिया की बहिन अपने भाई को छुड़वाने थाना लालसोट आई जो खूबसूरत नौजवान थी उसे तीन दिन तक थाने में रखा और उसके साथ में बलात्कार किया ?

(ङ) क्या यह भी सच है कि उस स्त्री ने आई. जी. व एस. पी. के पास प्रार्थना-पत्र इस सम्बन्ध में भेजा था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

(च) क्या यह भी सच है कि अन्त में श्री किसना मन्नु के लड़के के आने पर २५०) रुपया लेकर श्री मूलचन्द व उसकी नौजवान बहिन का थानेदार श्री हुकमचन्द ने पीछा छोड़ा ?

(छ) क्या यह भी सही है कि अब भी श्री किसना मन्नु का लड़का थाने लालसोट में आता है और चोरियां कराता है और थानेदार उससे हिस्सा लेता है ?

(ज) क्या सरकार इसकी जांच कर ऐसे थानेदार को उचित सजा देगी ?

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (क) जी नहीं ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) जी नहीं । हालांकि श्री मूलचन्द माहरिया को अपराध संख्या ३४ के अन्तर्गत धारा ४५७, ३८० भा. दं. सं. के तहत थाना लालसोट में दिनांक २५—८—५६ को बन्दीकृत किया गया था तथा उसे दिनांक ७—६—५६ को धारा ४६७ भा. दं. सं. के अनुसार न्यायालय ने छोड़ा । इसके पूर्व उसे प्रकरण नम्बर ६ दिनांक १८—२—५८ धारा ४५७-३७० थाना लालसोट में दिनांक १७—१२—५८ को बन्दी बनाया गया और चालान कर दिया गया था ।

Page No.22

(श्री रामकिशोर व्यास)

(घ) जी नहीं। वह थाने में नहीं आई, न उसे बुलाया गया।

(ङ) जी नहीं। उसने ऐसी कोई दरख्वास्त नहीं दी किन्तु थानेदार द्वारा रिश्वत लेने की दरख्वास्त अवश्य दी थी जो गलत पाई गई।

(च) जी नहीं।

(छ) जी नहीं।

(ज) जी नहीं। क्योंकि इस मामले में जांच पहले हो चुकी है और स्टेशन हाउस ऑफिसर निरपराध साबित हुए हैं।

राजस्थान स्टेट होटल, जयपुर के सुपरिन्टेन्डेन्ट श्री हाइन्स

६२१. **श्री भैरोंसिंह** (श्री माधोपुर) : क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) राजस्थान स्टेट होटल, जयपुर के सुपरिन्टेन्डेन्ट श्री हाइन्स को राज्य–सेवा में रखे जाने की क्या एग्रीमेंट है? यदि कोई लिखित एग्रीमेंट है, तो कृपया उसकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(ख) क्या यह सही है कि श्री हाइन्स होटल के एक कमरे में रहते हैं और होटल की अन्य सुविधाओं का लाभ उठाते हैं? यदि हां, तो क्यों? एग्रीमेंट की किस धारा के अनुसार किस प्रकार से वे इन लाभों के अधिकारी हैं?

(ग) क्या यह सही है कि श्री हाइन्स व उनका परिवार स्टेट होटल में खाना खाते हैं और उसके कोई चार्जेज़ नहीं देते हैं? यदि हां, तो अब तक इस प्रकार की कुल कितनी बकाया श्री हाइन्स में होती है तथा उसकी वसूली की क्या कार्यवाही की जा रही है?

(घ) यदि इस प्रकार का उनका खाना एग्रीमेंट की शर्तों में आता है तो किस धारा के अन्तर्गत और किस प्रकार से?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास): (क) श्री हाइन्स को राज्य–सेवा में रखे जाने का कोई एग्रीमेंट नहीं है। इन्हें राज्य–सेवा की जिन शर्तों पर रीइन्स्टेट किया गया है उसकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है।

(ख) जी हां, क्योंकि सुपरिन्टेन्डेन्ट, राजस्थान स्टेट होटल के निवास हेतु उस समय होटल की सीमा में कोई अलग मकान उपलब्ध नहीं था और सुपरिन्टेन्डेन्ट के निवास हेतु जो नया मकान अब होटल की सीमा में ही बनवाया गया है वह भी उन्हें निवास हेतु उपलब्ध नहीं किया जा सकेगा कारण कि इस नये मकान में अब शासन द्वारा सर्किट हाउस खोले जाने का निर्णय लिया जा चुका है। नियुक्ति की परिवर्तित शर्तों के अनुसार श्री हाइन्स अन्य सुविधाएं; जैसे पानी, बिजली, कपड़ों की धुलाई एवं फर्नीचर आदि का लाभ बिना चार्जेज़ के उठाने के अधिकारी नहीं हैं। अतः इन सुविधाओं के चार्जेज़ जिसका लाभ श्री हाइन्स उठाते रहे हैं, इनसे वसूली किये जाने के लिए शासन कार्यवाही कर रहा है।

(ग) जी हां, अब तक के श्री हाइन्स व उसके परिवार के खाने की बकाया करीब ६,५५०) रु० होती है जिसकी अदायगी के-

(श्री दामोदरलाल व्यास)

लिए शासन द्वारा श्री हाइन्स को आदेश दे दिये गये हैं और आदेशों की प्रतिलिपि महालेखापाल, जयपुर को भी भेज दी गई है।

(घ) शासन द्वारा ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं किया गया है। यद्यपि इनकी री-इन्स्टेटमेंट की शर्तों की धारा परिच्छेद २ (२-३) के अन्तर्गत इन्हें १००) रु० माहवार प्रत्येक (केवल स्वयं तथा उनकी पत्नी) को तथा अन्य कुटुम्ब के मेम्बरों को खाने का पूरा खर्चा जमा करवाना था।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिए)

श्री भैरोंसिंह : क्या इस स्टेट होटल में रहने के लिए सरकार द्वारा अनुमति प्राप्त कर ली गई थी?

श्री दामोदरलाल व्यास : जी हां।

श्री भैरोंसिंह : कब प्राप्त की गई थी?

श्री दामोदरलाल व्यास : जब मकान उपलब्ध नहीं हुआ तब अनुमति प्राप्त कर ली गई थी।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि श्री हाइन्स में जो बकाया है वह एक महीने की न होकर सारे पीरियड की है, तो क्या सरकार यह बतायेगी कि समय पर इसका पेमेन्ट क्यों नहीं हुआ?

श्री दामोदरलाल व्यास : इसीलिए तो सरकार ने वसूली के लिए महालेखापाल को लिख दिया है कि वसूली कर लें।

श्री भैरोंसिंह : पर उन्होंने पेमेन्ट क्यों नहीं किया?

श्री दामोदरलाल व्यास : उन्होंने पेमेन्ट नहीं किया। वे सरकार को रिप्रेजेन्ट करते रहे कि उनको खाना फ्री मिलना चाहिए और सरकार ने उनका रिप्रेजेन्टेशन खारिज कर दिया और जो इकट्ठी रकम हो गई उसकी वसूली के लिए आदेश दे दिये हैं।

श्री भैरोंसिंह : जिस समय रिप्रेजेन्ट किया हुआ था उस समय सरकार की ओर से कोई स्टे ऑर्डर दिया गया था कि तब तक उनको खाना खाने की पर्मिशन दे दी जाये?

श्री दामोदरलाल व्यास : जी नहीं। ऐसा स्टे ऑर्डर नहीं दिया गया था; लेकिन खाने का उनको अधिकार था जैसा, मैंने अर्ज किया कि उनके एग्रीमेन्ट में ऐसी बातें थीं कि वे खुद और उनकी वाइफ १०० रुपये माहवार में स्टेट होटल में खाना खा सकते हैं।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि जब बकाया रकम एक्युम्युलेट हुई तो क्या नियम के विपरीत नहीं है कि जब तक वे बिल का भुगतान नहीं करेंगे तब तक स्टेट होटल में खाना नहीं खा सकते हैं और दूसरी सुविधायें भी प्राप्त नहीं कर सकेंगे?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने कहा कि नियमों के विपरीत इसलिए नहीं है कि जो उनके री-इन्स्टेटमेन्ट के ऑर्डर्स हैं उसमें यह है कि वह नॉर्मल रेट पर खाना खायें। उन्होंने अपना रिप्रेजेन्टेशन किया सरकार

(श्री दामोदरलाल व्यास)

को कि यह उनको माफ किया जाये, पर उनका रिप्रेजेन्टेशन खारिज हो गया और जो उनके ऊपर चढ़ी हुई रकम है उसकी वसूली की कार्यवाही कर रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह : मेरा सवाल यह है कि जब इतनी रकम एक्युम्युलेट हो गई तो वह क्यों हुई ? नियम ऐसा है कि मन्थली पेमेन्ट करना चाहिए या वीकली करना चाहिए या फोर्टनाइटली करना चाहिए जो भी नियम हों; लेकिन जब यह पेमेंट नहीं किया गया और यह रकम इकट्ठी होती रही तो क्या यह माना जाये कि रकम को एक्युम्युलेट होने का चान्स गवर्नमेंट ने दिया है और वह इसलिए दिया कि गवर्नमेंट के सामने रिप्रेजेन्टेशन आया हुआ था ?

श्री अध्यक्ष : वे परमानेन्ट बेसिस पर थे या कान्ट्रेक्ट बेसिस पर ?

श्री दामोदरलाल व्यास : He has been reinstated.

श्री अध्यक्ष : What is his status ?

श्री दामोदरलाल व्यास : He is Superintendent, Rajasthan State Hotel, Jaipur.

श्री अध्यक्ष : Is he a permanent Government servant ?

श्री दामोदरलाल व्यास : He has been reinstated. In accordance with the terms and conditions which were applicable to him in Bikaner on the same terms he has been re-instated here and he is enjoying all the rights and liabilities of a Government servant.

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि स्टेट होटल में रहने का खर्चा, इस प्रकार की तनख्वाह पाने वाले अधिकारियों को जो भी मकान किराया मिलना चाहिए उससे वह दुगुने से भी अधिक है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : वह बड़े कमरे में नहीं रहे हैं, छोटे में रहे हैं इसलिए उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि जो सुविधाएं उन्हें उनके एग्रीमेंट के अनुसार नहीं मिलनी चाहिए थीं,—रहने की, धोबी की ऐसी सुविधायें अनुचित रूप से वहां के कर्मचारियों से उन्होंने प्राप्त कीं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : ऐसी जानकारी नहीं है। उनकी वसूली के लिए आदेश हो गये हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

घंटाघर पुलिस स्टेशन, अजमेर

६२२. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : (जौहरी बाजार, जयपुर) क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सही है कि घंटाघर पुलिस स्टेशन, अजमेर की कुछ अवांछनीय कार्यवाहियों के सिलसिले में भ्रष्टाचार निरोधक विभाग के विशेष आई० जी० पी० ने जांच की है ? यदि हां, तो जांच का क्या परिणाम रहा ?

Page No.25

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

(ख) क्या यह सही है कि उन्होंने अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत कर दी है ? यदि हां, तो उस विषय में क्या निर्णय लिया गया और उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? उक्त रिपोर्ट की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (क) जी हां, जांच रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है।

(ख) जी हां, निर्णय सरकार के विचाराधीन है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न जो रखा गया था यह क्लाक टॉवर पुलिस स्टेशन, अजमेर के लिए हाउस में लाया गया था। मैं समझता हूं कि इन्क्वायरी की क्या रिपोर्ट रही, उसकी कॉपी तो सदन के सामने रखी जा सकती है। जो एक्शन सरकार को लेना हो वह तो ले ले लेकिन इन्क्वायरी की रिपोर्ट क्या है, सदन को इसकी जानकारी दी जा सकती है मैंने वहां के अकाउन्ट्स के बारे में जो कॉपी सदन में पेश की जिसके ऊपर विशेष आई० जी०-पी० ने जांच की और उसकी रिपोर्ट सरकार को दी है और वह रिपोर्ट क्या है, यह जानने का अधिकार सदन को है।

श्री रामकिशोर व्यास : जब तक पूरी तरह एग्ज़ामिन नहीं हो जाये तब तक कैसे दे सकते हैं ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : एग्ज़ामिन तो आप एक्शन के लिए कर सकते हैं लेकिन इन्क्वायरी की रिपोर्ट क्या आई है, उसके बारे में क्या कह रहे हैं, यह तो जानकारी सदन को दे सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट, श्री मोहरसिंह।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, यह अजीब सी बात है, सदन को रिपोर्ट की जानकारी नहीं दी जाती है....

श्री अध्यक्ष : वह तो फाइनल एक्शन लेंगे वही तो बतायेंगे कि उस रिपोर्ट से कितना एग्री करते हैं और क्या एक्शन लेना चाहेंगे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : फाइनल एक्शन लेने की तो दूसरी बात है। रिपोर्ट क्या है, यह तो सदन को जानकारी मिलनी चाहिए।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : Diary was placed on the Table of the House and therefore the report should also be placed here.

श्री अध्यक्ष : That does not mean that every report of departmental level should be placed here. He will inform...

श्री पी० के० चौधरी : The diary was placed here on the Table of the House then the report thereon must come...

श्री अध्यक्ष : That is what I say, on a final decision, the Hon'ble Minister will inform this House.

(श्री अध्यक्ष)

प्रश्न संख्या ६२३

श्री मोहरसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री भैरोंसिंह।

राजस्थान सशस्त्र पुलिस के सिपाही श्री सन्नूसिंह की मृत्यु

६२४. **श्री भैरोंसिंह** (श्रीमाधोपुर): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या यह सही है कि गंगानगर जिले में राजस्थान सशस्त्र पुलिस के एक सिपाही श्री सन्नूसिंह की प्यास के कारण मृत्यु हो गई?

(ख) क्या यह सही है कि इस सिपाही की लाश जंगल में बुरी तरह क्षत-विक्षत की हुई मिली? यदि हां, तो क्या लाश का पोस्टमॉर्टम नहीं कराया गया? यदि हां, तो क्यों? यदि कराया गया, तो पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(ग) क्या यह सही है कि यह सवार सरकारी ड्यूटी पर था? यदि हां, तो इस अकाल मृत्यु के कारण इसके परिवार के लोगों को क्या क्या सुविधाएं प्रदान की गईं और कब कब?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास): (क) जी हां, वहां रेगिस्तान में रास्ता भूल जाने और साथ का पानी समाप्त हो जाने पर लू लग कर मर गया। किन्तु उसका नाम श्री सन्नूसिंह नहीं श्री सल्लूसिंह है।

(ख) लाश जंगल में मिली थी और सड़ने लग गई थी। किन्तु क्षत-विक्षत नहीं थी। लाश का पोस्टमॉर्टम करवाया गया था जिसकी सदन की मेज पर रखता हूं।

(ग) जी हां, वह डाक बांटने सिवानी पोस्ट से घरसाना जा रहा था। बटालियन फंड से उसकी वृद्ध माता को २००) रु० की सहायता दी जा चुकी है, राजस्थान बेनेवोलेंट फंड से सहायता देने का प्रश्न विचाराधीन है तथा एक्स्ट्रा ऑर्डिनेरी फेमिली पेन्शन का केस भी कमान्डेन्ट आर० ए० सी० बटालियन तैयार कर रहे हैं।

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिए)

श्री अध्यक्ष: श्री मोहब्बतसिंह।

राज्य के सर्वोत्तम अध्यापक को राज्यपाल का पारितोषिक

६२५. **श्री मोहब्बतसिंह** (सिरोही): Will the Minister for Education be pleased to state:—

(a) Which Government High School sending more than hundred candidates for the last High School Examination of the Board of Secondary Education gave the highest results both in quality and quantity in the State?

(b) Does the Government contemplate to appreciate the services of the staff and the Head of the concer-

(श्री मोहब्बतसिंह)

ned Institution with a view to encourage other institutions and their staff ?

(c) Does the Government consider such cases for recommendation for the President's award to the best teacher of the State ?

उप-मंत्री, शिक्षा (श्री पूनमचन्द बिश्नोई): 1. Among the Government High Schools sending more than 100 students for the last High School Examination, the result of High School, Sumerpur was the highest i. e. 73%.

2. Yes, Sir; while considering for promotion to higher grade, the class and school result is also one of the factors, considered for promotion.

3. According to instructions received from the Government of India, Ministry of Education, the main consideration to guide the selection of candidates for National Award are as follows and as such only, for one of the basis of results the recommendations for National Award cannot be made :—

1. Teachers' reputation in local community.

2. Teachers' academic efficiency and a desire for its improvement.

3. Teachers' genuine interest and love for children.

4. Teachers' share in social life and activities.

श्री अध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ।

पुलिस हिरासत, निम्बाहेड़ा में श्री मूलचन्द सुनार की हुई मृत्यु की जांच

६२६. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि निम्बाहेड़ा पुलिस हिरासत में हुई श्री मूलचन्द सुनार की मृत्यु की कोई जांच करवाई गई ? यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा ? उस जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : श्री मूलचन्द सुनार की मृत्यु के सम्बन्ध में पुलिस ने अनुसन्धान कर ५ अपराधी पुलिस कर्मचारियों का चालान किया और यह प्रकरण सत्र न्यायालय में विचाराधीन है । मामले का अन्तिम निर्णय नहीं हुआ है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जांच किसने की थी ?

श्री रामकिशोर व्यास : चालान हो गया, फिर क्या रह जाता है ?

श्री अध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा ।

(१२. मध्यान्ह)

Page No.28

पाली शहर में वितरित सोफ्ट कोक

६२७. श्री मूलचन्द डागा [पाली—डॉक्टर बहादुरसिंह (धौलपुर) द्वारा पूछा गया] : क्या नागरिक रसद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) पाली शहर में सोफ्ट कोक, प्रति मास कितना मंगाया जाता है और उसका वितरण किस प्रकार होता है ?

(२) क्या यह सत्य है कि पाली में कोयला जोधपुर शहर से मंहगा बिकता है ? यदि हां, तो क्यों ?

(३) पाली शहर में कोयला मंगाने का ठेकेदार कौन है और वह कितने अर्से से है ?

(४) क्या सरकार को विदित है कि पाली शहर के ठेकेदार का ठेका समाप्त हुए करीब ५—६ मास व्यतीत हो चुके हैं ? यदि हां, तो फिर नया ठेका किस आधार पर किसको कब तक दे दिया जायेगा ?

(५) क्या यह सत्य है कि पाली के हलवाइयों को जितने कोयले का कोटा मुकर्रर किया हुआ है उसका केवल पांचवां हिस्सा ही जुलाई, १६६० में दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(६) क्या सरकार हलवाइयों की तकलीफ को मिटाने के लिए कुछ उपाय सोच रही है ? यदि हां, तो क्या ?

नागरिक रसद मन्त्री (श्री रिखबचंद धारीवाल) : (१) पाली शहर के लिए कोई मुकर्रर शुदा कोटा नहीं है बल्कि पाली जिले के लिए एक वैगन माहवार निर्धारित है ।

(२) कोयले के भाव नियमानुसार मुकर्रर किये जाते हैं । पिछले दो कन्साइनमेंन्ट्स की दर रुपये २.७८ व रु० २.६२ नये पैसे प्रति मन मुकर्रर की गई थी । जोधपुर में भी कोयले की दरों में कोई विशेष फर्क नहीं है । केवल ट्रान्सपोर्ट चार्जेज़ के कारण ही कमी—बेसी रह सकती है ।

(३) पाली जिले के लिए कोयले के ठेकेदार गणेश शिवलाल माली है । वह दिनांक १—१०—५६ से है । यह सत्य नहीं है ।

(४) मौजूदा ठेकेदार को ठेका तीन साल तक का दिया गया है । अतः अभी नया ठेका देने का प्रश्न नहीं उठता है ।

(५) यह सत्य है कि पाली के हलवाइयों के मुकर्रर शुदा कोटा का पांचवां हिस्सा ही जुलाई, १६६० में दिया गया है । कोटा जिस वक्त मुकर्रर किया गया था उस वक्त कोयले का खर्चा जनरल पब्लिक में बहुत कम था व पाली शहर के अलावा दूसरी तहसीलों में भी खर्चा कम था । मगर अब जनरल पब्लिक ने कोयले को काम में लेना शुरू कर दिया है, इसलिए घर खर्च के लिये कोयला ज्यादा अलॉट किया जाता है और दिन—ब—दिन खर्चा बढ़ता जा रहा है और यही कारण है कि हलवाइयों को पहले के मुकर्रर कोटे की पूर्ति नहीं हो सकी । पूर्ति उसी ही सूरत में हो सकती है जब कि वर्तमान कोटा बढ़ाया जावे, यह विचाराधीन है ।

(६) अभी कोयले की कमी तथा वैगनों

(श्री रिखबचन्द धारीवाल)

के न मिलने से स्थिति के सुधार होने में समय लगने की सम्भावना है।

डॉ० बहादुरसिंह : सरकार कब तक अपने विचार पूर्ण कर लेगी इस सम्बन्ध में ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : विचार तो पूरा होगा, हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लिखा-पढ़ी करनी पड़ेगी, वह बराबर चलती रहती है, जैसे २ आवश्यकता होती है करते रहते हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री भीमसेन।

भूमिहीन मजदूरों की गणना

६२८. श्री भीमसेन (लूणकरणसर): क्या योजना एवं विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(क) क्या राजस्थान में कभी भूमिहीन मजदूरों की गणना करवाई है ? अगर हां, तो कब व किस एजेन्सी के द्वारा ?

(ख) कृपया जिलेवार भूमिहीन मजदूरों की संख्या बतलाई जावे।

(ग) सरकार भूमिहीन मजदूरों को रोजगार दिलाने का क्या प्रयत्न कर रही है ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : This question will be replied on my next turn, as this has now been transferred to my Deptment.

श्री भीमसेन : When ?

श्री दामोदरलाल व्यास : The Developmint Department has transferred this question to me now and I will reply to it on the next turn.

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : When will that next turn come ?

श्री दामोदरलाल व्यास : Whenever it comes.

जाखोड़ा जैन मन्दिर के व्यवस्थापक श्री उम्मेदमल की हत्या

६२६. श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(क) क्या यह सही है कि तहसील बाली में जैनियों के तीर्थ स्थान जाखोड़ा के जैन मन्दिर के व्यवस्थापक श्री उम्मेदमल की १ जून, १६६० को हत्या कर दी गई ?

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में पुलिस द्वारा अब तक क्या कार्यवाही हुई है ?

(ग) यह हत्या किस प्रकार से और किनके द्वारा की गई ?

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (क) जी हां।

(ख) दिनांक २-६-६० को ६ बजे सुबह श्री छुगनसिंह, निवासी जाखोड़ा की लिखित इत्तला पर मुकदमा प्रथम सूचना एफ. आई. आर. नं० १६, दिनांक २-६-६० के अन्तर्गत धारा ३०२ भारतीय दंड संहिता के आधीन थाना सुमेरपुर में दर्ज हुआ और सर्किल इन्सपेक्टर, सुमेरपुर के आधीन थानेदार सुमेरपुर ने इसका अनुसन्धान शुरू किया।

Page No.30

(श्री रामकिशोर व्यास)

अधीक्षक, आरक्षी, पाली व सहायक अधीक्षक, आरक्षी, पाली भी मौके पर गये और अब इसका अनुसन्धान अपराध शाखा के एक अनुभवी थानेदार द्वारा किया जा रहा है। अभी तक कातिल का पता नहीं चल सका है।

(ग) हत्या मृतक के मुंह में डाट लगा, गला घोट कर की गई किन्तु किसने की, इसका अभी तक पता नहीं लग सका है।

श्री अध्यक्ष : कुमारी शन्नोदेवी।

बीकानेर डिविजन के अध्यापकों की डेथ-कम-रिटायरमेण्ट ग्रेच्युटी का भुगतान

६३०. कुमारी शन्नोदेवी शर्मा (सुजानगढ़) : क्या शिक्षा मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :-

(१) सन् १६५३ में सरकारी नौकरी में रहते हुए जिनकी मृत्यु हो गई ऐसे कितने अध्यापकों का बीकानेर डिविजन में डेथ-कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी का अभी तक भुगतान नहीं किया गया है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(२) विभाग द्वारा उपरोक्त भुगतान उनके उत्तराधिकारियों को चुकाने के लिये क्या क्या कदम कब कब उठाये गये ?

उप-मन्त्री, शिक्षा (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (१) सन् १६५३ में बीकानेर जिले में ऐसा कोई अध्यापक नहीं रहा जिसकी मृत्यु सन् १६५३ में राजकीय सेवाकाल में हुई।

(क) केवल एक ही व्यक्ति स्वर्गीय श्री सरजूप्रसाद, सहायक अध्यापक, राजकीय उच्च विद्यालय, राजलदेसर का ऐसा केस है, जिसे डेथ-कम रिटायरमेण्ट ग्रेच्युटी का अभी तक भुगतान नहीं हुआ।

(२) इस मामले में महालेखापाल, राजस्थान, जयपुर ने कुछ आवश्यक प्रपत्र एवं सूचनायें मांगी हैं जो कि अध्यापक के उत्तराधिकारियों से प्राप्त कर ली हैं। निरीक्षक, शिक्षणालय, चुरू को आवश्यक सूचना शीघ्र भेजने के लिए लिखागया है। सूचना प्राप्त होते ही अध्यापक के मामले को शीघ्र तैयार कर दिया जावेगा।

श्री अध्यक्ष : डॉ० चन्द्रकला।

श्री मुन्नालाल चौधरी, प्रधान, पंचायत समिति, मौजमाबाद के विरुद्ध आरोप

६३१. डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) क्या मौजमाबाद पंचायत समिति के प्रधान श्री मुन्नालाल चौधरी पर अनियमितता तथा पक्षपात के अनेक आरोप हैं ? यदि हां, तो क्या क्या ?

(२) क्या विभाग की ओर से इन आरोपों की जांच की गई और वे सब झूठे पाये गये ?

पंचायत मन्त्री (श्री हरिभाऊ उपाध्याय) : (१) जी हां। आरोप निम्नलिखित हैं :-

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

(१) श्री मुन्नालाल स्वयं ने पंचायत समिति, मौजमाबाद के प्रधान की हैसियत से दिनांक २३–२–६० को स्थायी समिति के चुनाव में सभापतित्व करते समय श्री जोगराज जो कि बीमारी के कारण वहां उपस्थित न था, के मताधिकार का प्रयोग किया।

(२) श्री मुन्नालाल ने अध्यापकों के स्थानान्तरण बिना पंचायत समिति की बैठक में प्रस्ताव पास कराए किए तथा पाठशाला छोड़ कर अन्य स्थान पर बुलवाई।

(३) श्री मुन्नालाल ने उन व्यक्तियों की नियुक्ति अध्यापकों के पद पर बिना प्रस्ताव पंचायत समिति में पास कराये ही की जिन्हें विकास अधिकारी ने चुनाव में अयोग्य ठहराया था।

(२) जी नहीं। प्राथमिक जांच में आरोप सही पाये गये और उसी के आधार पर श्री मुन्नालाल को आरोप–पत्र दिया गया है।

(३) जी नहीं।

(४) प्रश्न ही नहीं उठता।

डॉ० चन्द्रकला : यह जांच किसने की थी ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : यह जांच तहसीलदार ने की थी और कलेक्टर ने उसका समर्थन किया था।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह।

राजस्थान ओरियन्टल रिसर्च इन्स्टीट्यूट, जोधपुर में नियुक्तियां

६३२. **श्री भैरोंसिंह** (श्री माधोपुर) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(क) राजस्थान ओरियन्टल रिसर्च इन्स्टीट्यूट, जोधपुर में इस वर्ष कितनी और किन किन की और किस किस ग्रेड में कब कब नियुक्तियां हुई हैं ? कृपया इसकी तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(ख) इन नियुक्तियों में किन किन ने इस नियुक्ति से पूर्व कहां कहां नौकरी करना अपने आवेदन–पत्रों में दिखाया है ?

(ग) क्या ऐसे व्यक्तियों के डिस्चार्ज सर्टिफिकेट या करेक्टर सर्टिफिकेट देखे गये थे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(घ) क्या यह सही है कि इनमें कई व्यक्तियों ने आवेदन-पत्र में राज्य सेवा का अपना पूर्व इतिहास नहीं बताया ? यदि हां, तो किन किन ने और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

(ङ) क्या यह सही है कि इस सम्बन्ध की शिकायत रीगस की जनता द्वारा सरकार को की गई ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

उप–मन्त्री, शिक्षा (श्री पूनमचन्द बिश्नोई): (१) इस वर्ष १९६०–६१ में कोई नियुक्ति नहीं हुई।

(२) प्रश्न ही नहीं उठता।

Page No.32

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई)

(३) प्रश्न ही नहीं उठता।

(४) प्रश्न ही नहीं उठता।

(५) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि कुछ व्यक्तियों की नियुक्तियों के सम्बन्ध में रींगस की जनता ने शिकायत की थी ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : मैंने जबाब दिया कि इस साल में कोई नियुक्ति नहीं हुई है। पिछली नियुक्तियों के बारे में जानकारी करना है तो दूसरा प्रश्न पूछिए, otherwise I can be guilty of giving wrong information to the House.

श्री भैरोंसिंह : दूसरा प्रश्न क्या पूछूं, यह तो इसी में कवर हो जाता है। मैं पूछ रहा हूं कि क्या रींगस के लोगों ने इस प्रकार की शिकायत की है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : Hon'ble member can put another question.

श्री अध्यक्ष : श्री किशनाराम।

तहसील सुजानगढ़ के एक किसान की आग में जलाकर की गई हत्या

६३३. श्री किशनाराम (रतनगढ़) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(क) क्या यह सही है कि चुरू जिले में तहसील सुजानगढ़ के एक किसान की कुछ आदमियों द्वारा पिछले दिनों में आग में जला कर हत्या कर दी गई थी ?

(ख) इस हत्या की तफतीश किस किस पुलिस ऑफिसर द्वारा कराई गई ?

(ग) क्या सरकार के ध्यान में है कि वहां की जनता इस हत्या की जांच वर्तमान एस० पी०, चुरू द्वारा ही करवाना चाहती है ? यदि हां, तो क्या सरकार वर्तमान एस० पी०, चुरू को जांच कराने का आदेश देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (क) जी हां, श्री भानाराम, निवासी कोलासर ने ऐसी सूचना थाना भीमसर में ता० २२-६-६० को दी थी ।

(ख) प्रारम्भ में अनुसन्धान एस. आई. श्री खुशालदान, थाना भीमसर ने डी० वाई० एस० पी०, हल्के की निगरानी में की व बाद में सी० आई०, रतनगढ़, श्री बालचन्द ने की और अब इस केस का अनुसन्धान सी० आई० श्री अमृतसिंह द्वारा एस० पी०, चुरू स्वयं की निगरानी में करवायेंगे। इन तफतीश करनेवाले अधिकारियों की रिपोर्ट सदन की मेज पर रखना जन हित में नहीं है।

(ग) ऐसी कोई दरख्वास्त इस विभाग के पास नहीं आई, किन्तु मुस्तगीस मुकदमा ने एस० पी० से प्रार्थना की थी कि वह सी० आई० श्री बालचन्द की तफतीश से सन्तुष्ट नहीं है, अत: इसकी तफतीश किसी दूसरे निष्पक्ष ऑफिसर से कराई जावे। अत: इस मुकदमे की जांच के लिए नए सर्किल इन्स्पेक्टर, रतनगढ़ श्री अमृतसिंह से दुबारा मुकदमे की तफतीश एस० पी० बखुद अपनी निगरानी में करावेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह ।

एस० एस० जैन सुबोध कॉलेज, जयपुर को प्राप्त सरकारी सहायता अनुदान

६३४. श्री **भैरोंसिंह** (श्रीमाधोपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(क) एस० एस० जैन सुबोध कॉलेज, जयपुर को कितनी ग्रान्ट-इन-एड मिलती है ? पिछले तीन वर्षों में कितनी २ एड मिली है ?

(ख) क्या यह सही कि इस संस्था के १९५९-६० के सेशन में प्री-युनिवर्सिटी क्लासेज़ का एक सेक्शन प्रारम्भ किया गया था ?

(ग) क्या यह सही है कि मार्च, सन् १९६० में सरकार से उपरोक्त प्री-युनिवर्सिटी क्लास के लिए लगभग १८,०००) रुपये ग्रान्ट-इन-एड के प्राप्त किये ?

(घ) क्या यह सही है कि इन रुपयों का उपयोग इस कार्य में न किया जाकर फर्जी व गलत कागजात बना कर इसका व्यय दिखाया गया ?

(ङ) क्या यह सही है कि उक्त कॉलेज के लेक्चरार श्री नन्दलाल जैन ने इस सम्बन्ध की शिकायत सचिव एवं संचालक, शिक्षा विभाग को की तथा फर्जी कागजात जब्त कराने का आश्वासन दिया ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई ?

उप-मन्त्री, शिक्षा (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (क) एस० एस० जैन सुबोध कॉलेज, जयपुर को तीन वर्षों में निम्नलिखित सहायता मिली है:-

सन् १९५७-५८ में २७,०७९ रुपये,

सन् १९५८-५९ में ३२,८२४ रुपये,

सन् १९५९-६० में ३५,६१९ रुपये।

(ख) जी हां, इस संस्था में सन् १९५९-६० के सत्र में पूर्व विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम प्रारम्भ किया गया था ।

(ग) जी हां, उपरोक्त कक्षा के वास्ते मार्च ६० में इस संस्था ने १८,५००) रु० ग्रान्ट-इन-एड के रूप में प्राप्त किये ।

(घ) जी नहीं।

(ङ) जी हां, जांच जारी है।

श्री **सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या यह सही है कि सम्बन्धित मद में खर्चा होने के बाद और गवर्नमेंट के ऑडिटर्स द्वारा ऑडिट होने के बाद उस सम्बन्ध की रकम राज्य सरकार द्वारा दी जाती है ?

श्री **पूनमचन्द बिश्नोई** : उसमें युटिलाइजेशन सर्टिफिकेट देना पड़ता है उनको-जिस काम के लिए पैसा मांगा गया था वह उसमें लगाया या नहीं । यह सर्टिफिकेट हासिल हुआ है, प्रोपर युटिलाइजेशन सर्टिफिकेट और उसके पश्चात् एक शिकायत पेश हुई जिसकी जांच की जा रही है ।

श्री **सतीशचन्द्र अग्रवाल** : क्या माननीय मंत्रीजी बतायेंगे कि यह प्रोपर

Page No.34

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

युटिलाइजेशन सर्टिफिकेट कब पेश किया गया था और यह ग्रान्ट कब दी गई ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : यह मार्च, १९६० में है और इसकी दो महीने की मयाद बढ़ाई गई थी, मनी युटिलाइज़ करने की। मेरे ख्याल से इसी पीरियड के दर्मियान में युटिलाइजेशन सर्टिफिकेट आया है और उसकी जांच हो रही है। अभी तो दो ही महीने हुए हैं।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि जब तक युटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता उस समय तक ग्रान्ट-इन-एड नहीं दी जाती है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : उनको मनी तो मार्च में दे दी थी और उसके बाद में यूटिलाइज़ करने के लिए समय था जून तक का। उन्होंने युटिलाइजेशन सर्टिफिकेट पेश कर दिया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह सही है कि जिस समय युटिलाइजेशन सर्टिफिकेट दिया जाय उसमें जो एक्चुअल खर्चा हो चुका है वही उसमें दिया जाय ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : जी हां, जितना उन्होंने काम करवाया है, जितना खर्चा हुआ है उसके एक्चुअल्स उसमें आने चाहिए।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह सही है कि १९५९-६० का जो युटिलाइजेशन सर्टिफिकेट पेश किया जाय तो उसमें मार्च, १९६० के पहले के खर्च आने चाहिए उसके बाद के नहीं ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : मैंने आपको बताया कि उनको मनी युटिलाइज़ करने का टाइम एक्सटेंड किया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जब ५९-६० का युटिलाइजेशन सर्टिफिकेट दिया जाता है तो उस युटिलाइजेशन सर्टिफिकेट में मार्च, १९६० तक जो खर्च हुए हों उन्हीं का इन्द्राज किया जा सकता है और उसके बाद का नहीं।

श्री अध्यक्ष : समय एक्सटेन्ड कर दिया बताते हैं।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : What is the meaning of Utilisation Certificate ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मार्च ६० से सार्टिफिकेट पेश कर दिया तो मार्च ६० तक का युटिलाइजेशन सार्टीफिकेट पेश कर दिया गया है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : फण्ड्स युटिलाइज़ होने के बाद में पेश करते हैं युटिलाइजेशन सार्टफिकेट।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह रूल्स में है कि हिसाब जो ग्रान्ट-इन-एड का है वह गवर्नमेंट के ऑडिटर्स आडिट कर लेते हैं उसके बाद ही भेज सकते हैं ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : यह अलग अलग जैसी जैसी ग्रान्ट-इन-एड होती है उसके आधार पर है। क्लास वगैरह खोलने

Page No.35

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई)

के लिए उसको अपग्रेड किया था, उन्होंने काम किया था। असल में उसका एक्जीक्युशन कितना हुआ, कितना काम पहले हुआ और कितना काम बाद में हुआ, यह मुझे पता नहीं है। लेकिन यह लाजिमी नहीं है कि सब काम होने के बाद में पैसा दिया जाय।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इस सम्बन्ध में जो शिकायत आई उसकी जांच कौन कर रहे हैं ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : डिप्टी डाइरेक्टर आफ एज्युकेशन।

श्री अध्यक्ष : श्री मोहब्बतसिंह।

सिरोही जिले के कातिल मुल्जिम

६३५. श्री मोहब्बतसिंह (सिरोही) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या सरकार के ध्यान में है कि सिरोही जिले में पिछले दो वर्षों में जितने कत्ल के केस हुए उनमें अधिकांश मुकदमों में मुल्जिम अदालत द्वारा बरी हो गये ?

(ख) क्या सरकार के ध्यान में यह भी है कि पुलिस कर्मचारियों एवं पैरोकारों की मुल्जिमों के वकीलों से भ्रष्टाचारी की सांठ-गांठ के कारण कत्ल के मुल्जिम बरी होते जा रहे हैं ?

(ग) क्या यह सच है कि मोहब्बतसिंह एम० एल० ए० ने पुलिस सुपरिटेन्डेन्ट को उक्त भ्रम से सूचित किया उसके बाद भी इस दिशा में नतीजा बुरा ही रहा ?

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (क) जी नहीं। १ जनवरी, १९५८ से लगा कर ३१–१२–५९ तक १८ हत्या के मामले चालान हुए जिनमें आधे (९) में सजा हुई।

(ख) जी नहीं। जिन ९ मामलों में अभियुक्त बरी हुए हैं उनमें साक्षियों को न्यायालय ने विश्वसनीय नहीं माना। इसमें पुलिस कर्मचारियों की कोई अनियमितता नहीं है।

(ग) क्योंकि बरी होने का कारण साक्षियों का अविश्वसनीय साक्ष्य ही था तथा उनकी संख्या भी अधिक नहीं, अतः बुरे नतीजे का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

श्री मोहब्बतसिंह : क्या यह सही है कि इन मुकदमों में लेकुना पुलिस के द्वारा रखा गया था ?

श्री रामकिशोर व्यास : ऐसी बात नहीं है। २४ केसेज रिपोर्ट हुए, जिनमें से २० का चालान हुआ और १८ फैसल हुए, जिनमें से ९ को सजा हुई है।

श्री मोहब्बतसिंह : क्या यह सही है कि पी० पी० ने इस बात को माना है कि लेकुना पुलिस द्वारा रखा गया था ?

श्री रामकिशोर व्यास : कोई इन्डिविजुअल केस आपके दिमाग में होगा। वह नोटिस में लायें तो बतला सकता हूं।

Page No.36

जिंक स्मेल्टर प्लॉन्ट, उदयपुर

६३६. श्री सोहनलाल भटनागर [सलुम्बर–श्री देवीलाल (सराड़ा) द्वारा पूछा गया]: क्या खनिज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या उदयपुर के पास जिंक स्मेल्टर प्लान्ट लगाने का निर्णय हो चुका है ?

(ख) यदि हां, तो इस योजना में कुल कितनी रकम खर्च होगी और इसका कार्य कब से प्रारम्भ होगा ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (क) जी हां।

(ख) सम्पूर्ण योजना में लगभग ६.५ करोड़ खर्च होने की आशा है। इस योजना का कार्य इसी वर्ष नवम्बर, दिसम्बर तक आरम्भ होने की सम्भावना है।

श्री अध्यक्ष : श्री पी० के० चौधरी।

शासकीय कॉलेजों में विज्ञान एवं कला के विषयों को पढ़ाने पर व्यय

६३७. श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : Will the Education Minister be pleased to state:-

What is the amount of expenditure incurred by the State Government during the last three years on the teaching of Science and Arts subjects in the Government Colleges ?

उप मंत्री, शिक्षा(श्री पूनमचन्द बिश्नोई): Rs. 1,69,25,252/—

श्री पी० के० चौधरी : I asked figures for Science and Arts separately.

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : We cannot say by reading your qeustion that you wanted separtely.

श्री पी० के० चौधरी : It can be very well interpreted that way if you want to give...

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : That we cannot...

श्री पी० के० चौधरी : I have mentioned that I wanted two figures separately.

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : The question is :

"What is the amount of expenditure incurred by the State Government during the last three years on the teaching of Science and Arts subjcts in the Government Colleges ?"

So the question dees not require separate figures. It was for Science and Arts.

श्री पी० के० चौधरी : This question is very explicit.

श्री अध्यक्ष : Next Question please.

बापू छात्रावास, झुन्झुनूं

६३८. श्री रामनारायण वर्मा (पीपल्दा-

(श्री रामनारायण वर्मा)

सु०) : क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे :-

(१) क्या यह सही है कि झुन्झुनू के बापू छात्रवास में फर्नीचर बनवाने के लिए सरकार की ओर से १,०००) रु० की धन राशि दी गई थी ?

(२) क्या यह सही है कि यह धन इस कार्य में नहीं लगाया गया है व इसकी शिकायत सरकार को भी की गई थी ?

(३) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में जांच की गई हो तो उसका क्या परिणाम रहा ?

समाज कल्याण मंत्री (श्री रिखबचन्द धारीवाल) : (१) जी हां। किन्तु यह धन राशि फर्नीचर व बर्तन आदि खरीदने हेतु दी गई थी।

(२) शिकायत की गई थी।

(३) जांच कराई गई ! इस सहायता से छात्रावास में फर्नीचर, बर्तन व लड़कों के पानी पीने आदि की सामग्री खारीदना ही पाया गया ।

वैद्य श्री भगवानसहाय, सरपंच, ग्राम पंचायत, मानपुरा मांचड़ी की रंगे हाथों गिरफ्तारी

६३६. श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(क) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत मानपुरा माचैड़ी के सरपंच वैद्य श्री भगवानसहाय दिनांक २३. ८. ५९ को १०) रु० की रिश्वत लेते हुए भ्रष्टाचार निरोधक विभाग के डीवाई० एस० पी० श्री हरेकृष्ण शर्मा द्वारा रंगे हाथों गिरफ्तार किये गये ?

(ख) यदि हां, तो अब तक इस मामले में क्या कार्यवाही हुई है ?

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (क) जी हां !

(ख) ज़िलाधीश एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर ने जांच की तथा आरोप प्रमाणित नहीं हुए। अस्तु न्यायालय को इसकी अन्तिम रिपोर्ट (फाइनल रिपोर्ट) भेज दी गई।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : डी वाई० एस० पी० ने खुद ने पकड़ा था तो चालान क्यों नहीं किया गया ?

श्री रामकिशोर व्यास : डी० एम० ने एन्क्वायरी करने का कहा कि प्रूफ नहीं है और लिख कर भेज दिया और पुलिस ने आवश्यकता नहीं समझी कि चालान किया जाय।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : सुनाई नहीं दिया।

श्री रामकिशोर व्यास : डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने एन्क्वायरी की ! उन्होंने कहा कि प्रूफ नहीं है। इसलिए पुलिस ने छोड़ दिया।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : डीवाई० एस० पी० ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया है

Page No.38

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

तो चालान करने से पहले डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को एन्क्वायरी करने की आवश्यकता क्यों महसूस हुई ?

श्री रामकिशोर व्यास : मुल्जिम ने शिकायत की थी कि उस पर झूठा आरोप लगा कर चालान किया जाता है । उस शिकायत की तहकीकात डी० एम० ने की थी और तहकीकात करने के बाद डी० एम० ने कहा कि सुबूत नहीं था ।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : क्या यह सही है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने पुलिस के नाम आदेश दिया था कि जब तक उसके आदेश न हों तब तक चालान नहीं किया जाय ?

श्री रामकिशोर व्यास : डी० एम० ने कहा था कि एन्क्वायरी में सुबूत नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह : जब कि आगे ही यह मामला पुलिस के हाथ में था और जब कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एन्क्वायरी कर रहे थे तो पुलिस ने चालान क्यों नहीं किया ?

श्री रामकिशोर व्यास : डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने एन्क्वायरी करके एक आदेश दे दिया तो how could Police challan it ?

श्री भैरोंसिंह : पुलिस को इस बात की सूचना कैसे मिली कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एन्क्वायरी कर रहे हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : मुल्जिम खुद बताते हैं ।

श्री भैरोंसिंह : क्या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास पुलिस ने मुकदमा दिया है जिस व्यक्ति को रंगे हाथों गिरफ्तार किया उसके खिलाफ ?

श्री रामकिशोर व्यास : पुलिस ने मुकदमा दिया नहीं था । उन्होंने शहादत वगैरह दी है ।

श्री भैरोंसिंह : जिन्होंने पकड़ा उसके बयान नहीं लेकर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से अपनी रिपोर्ट लिखा दी तो क्या यह सही है कि इसके पीछे एक कारण है ? क्योंकि सरकार उसका चालान नहीं कराना चाहती थी इसलिए उसका चालान करने की पर्मिशन नहीं दी गई ?

श्री रामकिशोर व्यास : चालान करने का सवाल पैदा नहीं होता है ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि एन्टी-करप्शन डिपार्टमेंट ने सरकार से इस बात की अनुमति मांगी थी कि इसका चालान करने की अनुमति दी जाय ?

श्री रामकिशोर व्यास : वह स्टेज ही कहां से आती है जब कि डी० एम० का आदेश आ गया ?

श्री भैरोंसिंह : आदेश कहा, आप अनुमति का बताइये ?

श्री अध्यक्ष : क्या केस रजिस्टर किया गया था ?

श्री रामकिशोर व्यास : जी हां ।

Page No.39

श्री अध्यक्ष : उसका इन्वेस्टीगेशन किया गया ?

श्री रामकिशोर व्यास : जी हां। इन्वेस्टीगेशन हुआ। डी० एम० के पास एक कम्प्लेन्ट आई थी कि उन पर यह झूठा आरोप है।

श्री अध्यक्ष : एन्क्वायरी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अन्दर करके पुलिस ने फाइनल रिपोर्ट डी० एम० को दे दी ?

श्री रामकिशोर व्यास : पुलिस ने एन्क्वायरी नहीं की पहले ही डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का आदेश आगया था।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि डी० एम० एन्क्वायरी नहीं कर सकता है उस मामले में जिस मामले में पुलिस इन्वेस्टीगेशन कर रही है ? फिर डी० एम० ने कैसे एन्क्वायरी की ?

श्री रामकिशोर व्यास : डी० एम० एन्क्वायरी कर सकता है शिकायत पर।

श्री भैरोंसिंह : क्या माना जाय कि डी० एम० ने जो यह नतीजा निकाला कि वह मामला गलत है तो उस गलत गिरफ्तार करने वाले डीवाई० एस० पी० के खिलाफ सरकार ने कोई एक्शन लिया ?

श्री रामकिशोर व्यास : क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अन्दर वह एन्क्वायरी कर सकता है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह समझा जाय कि गलत इन्फॉर्मेशन देकर एन्टी-करप्शन डिपार्टमेंट ने उनको गलत रूप से गिरफ्तार कराया था उनके खिलाफ एक्शन लिया गया?

श्री रामकिशोर व्यास : यह एक्शन का सवाल नहीं है। फैक्टर मैंने आपके सामने रखे हैं।

श्री भैरोंसिंह : डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने जांच की है तो यह किस मामले में कहा कि मामला गलत है और सुबूत नहीं हैं ? यह पुलिस का काम था एन्क्वायरी करने का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहां से आ गये यह कहने के लिए कि सुबूत नहीं हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जाकर उसने शिकायत की थी कि पंच और पुलिस ने कॉल्यूज़न कर रखा है और उसको हैरान करना चाहते हैं। इसलिए आप बचाइये इस हैरेसमेंट से।

श्री भैरोंसिंह : तो इसका मतलब यह है कि जिस व्यक्ति ने इस प्रकार की शिकायत की है उस शिकायत को एक तरफ से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने सही माना है और उनका यह नतीजा रहा है कि उस आदमी को परेशान करना चाहते हैं और हैरेस करना चाहते हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : पुलिस ने हैरेस्मेंट नहीं किया है, मगर उसके खिलाफ जुर्म बनता नहीं है क्योंकि सुबूत नहीं है।

श्री अध्यक्ष : श्री रामनारायण वर्मा।

श्री भैरोंसिंह : यह बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उन्होंने माना है कि पुलिस की

(श्री भैरोंसिंह)

कोई गलती नहीं है, पुलिस का कोई हैरेसमेंट नहीं है तो फिर क्या उस ऑफेन्स का प्रूफ नहीं है।

श्री रामकिशोर व्यास : उनके खिलाफ ऑफेन्स प्रूफ नहीं हुआ, इस बात का उल्लेख किया है।

श्री भैरोंसिंह : क्या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट काम्पीटेन्ट थे कि जिस मामले में पुलिस ऑफिसर इन्डिपेन्डेन्ट एन्क्वायरी कर रहा है उस स्थिति में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एन्क्वायरी करके यह लिखे कि सुबूत नहीं है ?

श्री रामकिशोर व्यास : वे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पॉवर्स हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : वह जुडिशियल इन्क्वायरी करने के हैं, इस बात की इन्क्वायरी करने के नहीं हैं।

श्री भैरोंसिंह : इस इन्क्वायरी के संबंध में डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया था और चार्ज बनाया था....

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह बड़ा इम्पोर्टेन्ट मैटर है। यह राजस्थान में पहला नमूना है कि पुलिस एक आदमी को रंगे हाथों गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद चालान की इजाजत मांगती है तो चालान की इजाजत नहीं देते हैं और वह एक आदमी अपनी पार्टी का होने के नाते डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जाता है तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से लिखवा देते हैं, कि मामले में सबूत नहीं है। तो यह अन्याय क्यों करते हैं ? अगर आप यह चाहते हैं कि आपकी पार्टी के लोग रिश्वत खाते रहें तो आप एक कानून बना दें। इस प्रकार की रिश्वत खाने पर क्यों पकड़े जायं और क्यों एन्टी करप्शन डिपार्टमेंट पर यह खर्च लगाते हैं ?

रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा) : यह हमेशा ही होता है।

हाई स्कूल्स एवं हायर सेकन्डरी स्कूल्स के प्रधानाध्यापकों के चयन-आधार

६४०. श्री मूलचन्द डागा [पाली—डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) द्वारा पूछा गया] : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) इस वर्ष हाई स्कूल्स व हायर सेकन्डरी स्कूल्स के मुख्याध्यापकों के चुनाव में क्या क्राइटेरिया रखा गया ?

(ख) क्या इस चुनाव के खिलाफ शिक्षकों ने अपने रिप्रेजेन्टेशन पेश किये हैं ? यदि हां, तो सरकार ने उन पर आज तक क्या कदम उठाया है ?

उप-मन्त्री, शिक्षा (श्री पूनमचन्द बिश्नोई): (क) इस वर्ष हाई स्कूल्स और हायर सेकन्डरी स्कूल्स के मुख्य अध्यापकों के चुनाव अभी तक नहीं हुए हैं। अतः क्राइटेरिया रखने का प्रश्न नहीं उठता।

Page No.41

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई)

(ख) जब चुनाव ही नहीं हुआ है तो रिप्रेजेन्टेशन करने का प्रश्न नहीं उठता।

डॉ० बहादुरसिंह : चुनाव नहीं होने का क्या कारण है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : पब्लिक सर्विस कमीशन को रिक्वीज़िशन भेज दी गई है लेकिन उन्होंने अभी तक चयन नहीं किया है।

श्री अध्यक्ष : समय काफी हो गया है। इसलिए इन प्रश्नों को यहीं छोड़ कर शोर्ट नोटिस क्वेश्चन्स को पहले ले लेते हैं।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर): अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न बहुत दिनों से पोस्टपोन होता चला आ रहा है, इसलिए उसको पहले ले लिया जाय।

श्री अध्यक्ष : समय नहीं है, इसलिये शोर्ट नोटिस क्वेश्चन्स को पहले प्रिफरेन्स देंगे।

(शेष प्रश्नोत्तरों के लिए कृपया परिशिष्ट ५ देखिये)

अल्प-काल सूचना प्रश्नोत्तर

जयपुर में समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जातियों हेतु आदर्श बस्तियों का निर्माण

१. **श्री भैरोंसिंह** (श्री माधोपुर) : क्या समाज कल्याण मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:--

(क) जयपुर में नागर-विकास मंडल के क्षेत्र में समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जातियों के हेतु कितनी आदर्श बस्तियों का निर्माण कराया गया है ? इन आदर्श बस्तियों के नाम, बसाने की तिथि और उनमें बसने वालों के नामों की सूची मय बसने की तिथियों आदि के दर्शाते हुए सूची सदन में प्रस्तुत की जाय।

(ख) इन आदर्श बस्तियों में बसनेवाले किन २ व्यक्तियों ने और कौन २ सी तिथि को आदर्श गृह निर्माण के हेतु इस विभाग द्वारा दी जानेवाली सहायता के लिए प्रार्थना-पत्र दिये ? इन प्रार्थना-पत्रों पर किन व्यक्तियों ने सिफारिशें लिखीं और क्या वे विभागीय जांच द्वारा सत्य पाई गई ?

(ग) क्या यह सत्य है कि ३० मार्च, १९६० को बजाजनगर, जयपुर के ६ व्यक्तियों के प्रार्थना-पत्र मय सिफारिश के संचालक, समाज कल्याण विभाग को दिये गये और क्या इन व्यक्तियों को बिना किसी विभागीय जांच के और नियमों के विरुद्ध सहायता देने की मंजूरी दी गई ?

(घ) क्या यह सत्य है कि इन ६ व्यक्तियों को सहायता प्रदान करने के विरोध में कई स्थानीय संस्थाओं द्वारा अधिकारियों को विरोध-पत्र दिये गये ? क्या विभाग द्वारा उन पत्रों में लिखे गये एतराजों की जांच कराई गई और क्या वे सत्य पाये गये ? संस्थाओं द्वारा भेजे गये पत्रों की प्रतिलिपियां जांच रिपोर्ट की प्रतिलिपि और ६ व्यक्तियों के प्रार्थना-पत्रों पर प्राप्त सिफारिशी-पत्रों की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(श्री भैरोंसिंह)

(ङ) क्या इन ६ धनी एवं एक परिवार के व्यक्तियों को जो सहायतार्थ धन नियमों के विरुद्ध दिया गया है उसको सरकार वापिस लेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

समाज कल्याण मन्त्री (श्री रिखबचन्द धारीवाल) : (क) दो बस्तियों का निर्माण कराया गया । इन बस्तियों के नाम, बसाने की तारीख, बसनेवालों के नाम एवं बसने की तिथियां बताते हुए सूची 'अ' सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(ख) इन बस्तियों में बसनेवालों ने जिन जिन तिथियों को विभाग को आवेदन–पत्र दिये उसकी सूची 'ब' सदन की मेज पर रख दी गई है । इन प्रार्थना–पत्रों पर सहायक संचालक ने जांच व सिफारिश की ।

(ग) जी नहीं । ३०-३-६० को ६ व्यक्तियों के कोई भी आवेदन–पत्र मय सिफारिश के इस विभाग को नहीं मिले । अतः जांच आदि का प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(कृपया परिशिष्ट ६ देखिये)

श्री लादूराम सुलाणिया (दूदू–सु०) : क्या यह सही है कि समाज कल्याण विभाग डाइरेक्टर ने जो एक पत्र लिखा है पत्र संख्या ४४ एस० ए० ।१३। एन० जी । १५६–२८३६० दिनांक २३–६–६० उसमें लिखा है कि जवाब वगैरह के सम्बन्ध में जो कुछ कहना है दिनाक २७.६.६० को ऑफिस में आकर अवगत करावो । यदि निश्चित समय पर नहीं आवोगे तो आपकी अनुपस्थिति में निश्चित किया जायगा । उनके प्रार्थनापत्र कौनसी तारीख को आये थे ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : इस बारे में दूसरा सवाल पूछेंगे तब जवाब दूंगा कि प्रार्थनापत्र कौनसी तारीख को आये थे । आपने पूछा था कि क्या ३०.३.६० को प्रार्थनापत्र आये थे, उसके उत्तर में मैंने कहा कि नहीं आये ।

श्री भैरोंसिंह : जिन आवेदन–पत्रों के सम्बन्ध में आपने जानकारी के लिए नोटिस दिया है उनके बारे में क्या एक्शन लिया है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : इसके बारे में दूसरा सवाल पूछिये ।

श्री भैरोंसिंह : यह दूसरा सवाल ही पूछ रहा हूं । आपने कहा कि प्रार्थनापत्र आये हैं....

श्री रिखबचन्द धारीवाल : इस सवाल में पूछा गया है कि क्या ३०.३.६० को ६ व्यक्तियों के प्रार्थनापत्र आये थे, उसके उत्तर में मैंने कहा कि नहीं आये ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह माना जाय कि जो प्रार्थनापत्र आये हैं उनमें ३० मार्च, १९६० लिखा हुआ नहीं है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : आपने ३० मार्च, १९६० को प्रार्थनापत्र आने की बात कही है . उसके उत्तर में मैंने कहा कि नहीं आये ।

श्री भैरोंसिंह : ३० मार्च, १९६० के पत्र ३० मार्च को नहीं पहुँच कर ३१ को पहुँचे होंगे या १ तारीख को पहुँचे होंगे, उसकी आड़ में आप कह रहे हैं कि ३० मार्च को नहीं आये ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या किन्हीं ६ आदमियों की एप्लीकेशन्स आई हैं जिनके बारे में जानकारी देने को आप टेक्निकल ग्राउन्ड पर एवोइड करने की कोशिश कर रहे हैं ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : इसमें एवोइड करने का सवाल नहीं है, किस किस की एप्लीकेशन हैं, कब आई है, जब तक यह नहीं बतायेंगे तब तक मैं किस किस कागज को देख कर बताऊंगा, सैकड़ों एप्लीकेशन्स आती हैं । जब तक आप स्पेसिफिकली नहीं बताते तब तक कुछ कहना कठिन है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जयपुर नगर के पास बसने वाली इस प्रकार की बस्तियों को समाज कल्याण विभाग द्वारा जो सहायता दी गई, क्या यह सही है कि ऐसी सहायता म्युनिसिपैलिटी की मार्फत दी गई ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : आपने जिसके बारे में सूचना मांगी थी वह समाज कल्याण विभाग द्वारा दी गई है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वह डाइरेक्टली विभाग द्वारा दी गई या थ्रू म्युनिसिपल बोर्ड दी गई ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : इसकी जानकारी मेरे पास नहीं है ।

श्री लादूराम सुलाणिया : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न साफ है । मैंने (ग) भाग में पूछा है कि क्या यह सत्य है कि ३० मार्च, ६० को बजाज नगर के ६ व्यक्तियों के प्रार्थनापत्र मय सिफारिश के संचालक, समाज कल्याण विभाग को दिये गये हैं ?

श्री अध्यक्ष : इसके बारे में वे तीन, चार बार उत्तर दे चुके हैं ।

श्री लादूराम सुलाणिया : इसके बारे में उन्होंने गलत उत्तर दिया है ।

श्री अध्यक्ष : इसमें बहस का सवाल नहीं है । आपने सवाल पूछा उसका उन्होंने उत्तर दिया ।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी): इसमें थोड़ा मतभेद है । तारीख ३० मार्च थी, सिफारिश करके भेजा गया । अब ३० मार्च को सिफारिश होकर उनके पास कब पहुंची, यह दूसरी बात है ।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : ३० मार्च, ६० की कोई दरख्वास्त नहीं आई ।

श्री लादूराम सुलाणिया :३० मार्च को दरख्वास्त आई है, उसी दिन मंजूर की गई है, उसी दिन रुपये बैंक से ड्रॉ किये गये हैं । सन् ५४ से जिनकी दरख्वास्तें चल रही थीं उनको मिलना चाहिये था लेकिन आज की आज जो दरख्वास्त आई उसको मंजूर करके रुपये दिये गये । समाज कल्याण विभाग द्वारा जांच की गई है, मुझे बुलाया है, इस सम्बन्ध में लैटर है मेरे पास....

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ! ऑर्डर !! आप भाषण दे रहे हैं या प्रश्न पूछ रहे हैं, निश्चित बात कहिये !

श्री लादूराम सुलाणिया : आपका कहना है कि ३० मार्च की कोई दरख्वास्त नहीं आई....

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री (आमेर–सु०) : ये जो कह रहे हैं वह गलत बात है, बहुत समय से दरख्वास्तें चल रही थीं....

श्री अध्यक्ष : प्रश्न आपसे नहीं पूछा जा रहा है, मन्त्रीजी से पूछा जा रहा है ।

श्री लादूराम सुलाणिया : क्या इस बात की जांच की जायगी ?

श्री अध्यक्ष : किस बात की जांच की जायगी ?

श्री लादूराम सुलाणिया : गलत पेमेन्ट किया है उसकी ?

श्री अध्यक्ष : कोई गलत पेमेन्ट होना स्वीकार नहीं किया गया है ।

(विराम)

नेक्स्ट क्वेश्चन ।

समाज कल्याण विभाग में पद-वृद्धियां व नियुक्तियां

२. **डॉ० बहादुरसिंह** (धौलपुर) : Will the Minister for Social welfare be pleased to state:-

1. Is it a fact that certain promotions and new appointments are being made in the Social Welfare Department ?

2. Is it a fact that promotions to the posts of Assistant Director, Probation Officers and Social Welfare Officers are hurried through without deciding due claims or representations of certain Officers of the Department ?

3. Is it a fact that certainl recently appointed persons are being promoted without taking into consideration much senior employees of the Department ?

4. Is it a fact that discrimination was made while calling persons for interview for the posts ?

समाज कल्याण मन्त्री (श्री रिखबचन्द धारीवाल) : (1) Yes, it is a fact that certain promotions and appointments are being made in the Social Welfare Department.

(2) It is not a fact that promotions are being hurried through without deciding due claims or representations of certain Officers of the Department.

(3) It is also not a fact that certain recently appointed persons are being promoted without taking into consideration the claims of senior employees of the Department.

(श्री रिखबचन्द धारीवाल)

(4) It is not a fact that discrimination was made while calling the persons for interview for the posts.

डॉ० बहादुरसिंह : क्या यह सत्य है कि श्री प्यारेलाल पुरोहित जो कभी जूनियर थे उनको बहुतों से सीनियर किया है ?

श्री अध्यक्ष : No individual case should be brought in here.

डॉ० बहादुरसिंह : क्या सीनियोरिटी की लिस्ट है उसके अनुसार प्रोमोशन्स दिये गये हैं ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैंने निवेदन किया कि कमेटी के पास है, हमारे पास रिपोर्ट नहीं आई है कि उन्होंने क्या किया, क्या नहीं किया।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : क्या यह सत्य है कि इस विभाग में प्रोमोशन्स के सम्बन्ध में नियम नहीं बने हुए हैं ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : जनरल प्रोमोशन रूल्स हैं, इस विभाग के अलग रूल्स नहीं हैं।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि अलग अलग विभागों के अलग अलग रूल्स बने हुए हैं और यहां नहीं बने हैं ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : जनरल प्रोमोशन रूल्स के अनुसार कार्यवाही होगी।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह समझा जाय कि जनरल प्रोमोशन रूल्स के अनुसार जो सीनियेरिटी लिस्ट असिस्टेन्ट डाइरेक्टर्स और सोशियल वेलफेयर ऑफिसर्स की बननी चाहिए, वह बनी हुई है ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : There is only one rule for promotion and that is seniority-cum-merit. That applies to all cases.

श्री भैरोंसिंह : वह आप बता देंगे, आपसे ज्यादा काबिल हैं।

श्री अध्यक्ष : सीनियेरिटी रूल्स होते हैं, उनके प्रोसीजर होते हैं।

डॉ० बहादुरसिंह : क्या यह सत्य है कि ऐसे व्यक्ति को, जो राजस्थान के बाहर रहता है, इन्टर्व्यू के करीब दो हफ्ते बाद टेलीग्राम देकर डिपार्टमेंट द्वारा बुलाया गया ?

श्री अध्यक्ष : डॉ० चन्द्रकला।

डॉ० बहादुरसिंह : एक ऐसे व्यक्ति को, जो बाहर रहता है, दो हफ्ता बाद डिपार्टमेंट ने टेलीग्राम देकर इन्टर्व्यू के लिए बुलाया ?

श्री अध्यक्ष : आप प्रोमोशन की बात कर रहे हैं या रिक्रूटमेंट की ?

डॉ० बहादुरसिंह : मैं अपोंइन्टमेंट की....

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : Is it a fact...

श्री अध्यक्ष : Order please ! Dr. Bahadur Singh.

डॉ० बहादुरसिंह : मैं अपॉइन्टमेंट की बात कर रहा हूं ।

श्री पी० के० चौधरी : Is it a fact that besides departmental candidates you considered outsiders also for this post ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : Yes.

डॉ० बहादुरसिंह : क्या दो हफ्ता बाद आपने उनको टेलीग्राम दिया बुलाने के लिए ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : It is not to my knowledge.

श्री अध्यक्ष : डॉ० चन्द्रकला ।

श्री पी० के० चौधरी : The departmental candidates who were available, were they not qualified for promotion to this post ?

श्री अध्यक्ष : डॉ० चन्द्रकला ।

श्री पी० के० चौधरी : No, Sir, why they are considering outsiders ?

श्री अध्यक्ष : We cannot talk this in the House. You can ask what are the requirements for the post.

श्री पी० के० चौधरी : The reply was given that seniority-cum-merit is considered for promotion. Now he says that besides...

श्री भैरोंसिंह : एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा....

श्री पी० के० चौधरी : Now he says that besides departmental candidates, outsiders were also considered.

श्री रिखबचन्द धारीवाल : For the information of the Hon'ble member, I may inform him that we have reserved certain posts for promotion and certain for direct recruitment.

श्री पी० के० चौधरी : What is the percentage of these two categories ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : That I cannot say off-hand.

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि जनसेवा आयोग ने सोशल वैलफेयर डिपार्टमेंट की नियुक्ति और प्रोमोशन की आलोचना करते हुए, सरकारी विभाग के इस सम्बन्ध में नियम नहीं बने हुए हैं, इस सम्बन्ध में लिखा है ? क्या सरकार का कर्त्तव्य नहीं है कि जनसेवा आयोग की बात मान कर डिपार्टमेंट को नियम बनाने के आदेश दे ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : रिपोर्ट आपकी नॉलेज में है, उसके लिए सवाल पूछने का क्या मतलब है ?

श्री भैरोंसिंह : रिपोर्ट तो नॉलेज में है, सवाल पूछने का मतलब यह है कि बिना नियम बनाये प्रोमोशन कर रहे हैं । जन-

Page No.47

(श्री भैरोंसिंह)

सेवा आयोग भी नियम बनाने की बात कह रहा है ।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : That is within our powers and we can certainly appoint.

श्री भैरोंसिंह : पॉवर कहां ? जनरल सर्विस रूल्स के अन्दर पावर बनी हुई है, कि सारे प्रोमोशन्स नियम के अनुसार किये जायं । आपके यहां रूल्स बने हुए नहीं हैं ।

डॉ० बहादुरसिंह : क्या यह सही है कि एक सज्जन ऐसे हैं, जिनको डिसमिस करने के लिए ऑर्डर दे दिया गया और उसके बाद उनकी दुबारा नियुक्ति करने के ऑर्डर दे दिये गये ?

श्री अध्यक्ष : डॉ० चन्द्रकला ।

जयपुर शहर में राजामल के तालाब में हरिजन बस्ती का निर्माण

डॉ० चन्द्रकला : अध्यक्ष महोदय, मेरा यह प्रश्न पूछा हुआ मान लिया जाय ।

श्री अध्यक्ष : स्वायत्त शासन मंत्री ।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(क) क्या जयपुर शहर में राजामल के तालाब में हरिजन बस्ती के निर्माण हेतु भूमि अलॉट की गई है ? यदि हां, तो कितने परिवारों को और उसके निर्माण कार्य में ढ़िलाई के क्या कारण हैं ?

(ख) उक्त भूमि को अलॉट किये कितना समय हुआ तथा कौनसी तारीख में राज्य सरकार के किन मंत्री महोदय ने उक्त बस्ती का शिलान्यास किया ?

(ग) क्या समाज कल्याण विभाग द्वारा उक्त बस्ती के निर्माण कार्य के लिये सहायतार्थ धन–राशि दी गई है ? यदि हां, तो उसका क्या उपयोग हुआ और यदि नहीं, तो क्यों ?

(घ) क्या सरकार के समक्ष इस बस्ती के लिये अन्य कोई योजना विचाराधीन है और उस योजना को कब क्रियान्वित करने का विचार है, तथा योजना क्या है ?

(ङ) क्या जिन लोगों को प्लॉट अलॉट किये हैं उनकी लिस्ट नगरपालिका व समाज कल्याण विभाग तथा जयपुर मेहतर मज़दूर संघ के मध्य इस बस्ती के बारे में हुये पत्र-व्यवहार की प्रतिलिपि के साथ सदन की मेज पर रखने का कष्ट करेंगे ?

(च) क्या उक्त बस्ती के बारे में गत दिनों कोई ५०,००० के घोटाले सम्बन्धी समाचार किसी समाचार पत्र में छपा है ? यदि हां, तो घोटाले के क्या कारण हैं ?

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री सम्पतराम) : (क) जी हां, ८० हरिजन परिवारों को जिनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है । उसके निर्माण कार्य में ढिलाई इस वजह से है कि भारत सरकार द्वारा धनराशि को ही मद्देनजर रखते हुए रिवाइज्ड स्कीम बनाई जा रही है । भारत सरकार की योजना आने तक हरिजन बस्ती की योजना स्थगित कर दी गई है ।

(श्री सम्पतराम)

(ख) उक्त भूमि को अलॉट किये करीब १६ माह हो गये। दिनांक १८-२-५६ को राज्य सरकार के वित्त मन्त्री श्री हरिभाऊ उपाध्याय द्वारा उक्त बस्ती का शिलान्यास किया गया था।

(ग) जी हां, ५२,५००) रु०। इसका उपयोग नहीं हो सका, क्योंकि भारत सरकार द्वारा इस योजना के लिये २६,४०० रु० की धनराशि स्वीकार हो चुकी है, अतः समाज कल्याण विभाग द्वारा जो धनराशि मिली उसको स्थगित करना पड़ा।

(घ) जी नहीं। प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) लिस्ट व पत्र-व्यवहार की प्रति सदन की मेज पर रखवा दी गई है।

(च) घोटाला सम्बन्धी समाचार 'राष्ट्र-दूत' समाचार पत्र दिनांक २६-५-६० में छपा है। यह बिल्कुल निराधार है।

(कृपया परिशिष्ट ७ देखिए)

डॉ० चन्द्रकला : अध्यक्ष महोदय, भाग पांच में बतलाया गया है, लिस्ट व पत्र-व्यवहार की प्रति सदन की मेज पर रखवा दी गई है, लेकिन वह मुझे नहीं मिली, क्या वह दिला दी जायगी ?

मेरा प्रश्न यह है कि जब उन लोगों को प्लॉट अलॉट कर दिये गये, समाज कल्याण विभाग से धनराशि मंजूर कर दी गई, तो रिवाइज्ड योजना की बात कैसे पैदा हुई ?

श्री सम्पतराम : इस प्रश्न का जवाब थोड़े दिन पहले इस सदन में दिया गया है। कुछ अमॉउन्ट सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट द्वारा दिया गया था और कुछ गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया द्वारा दिया गया था। उन दोनों को मिला कर कॉमन स्कीम बनाई गई थी, जिसके बारे में कहा गया कि यह स्लम क्लियरेन्स स्कीम है। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया द्वारा दी गई धनराशि के साथ सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट द्वारा दी गई धनराशि को नहीं मिलाना चाहिए।

डॉ० चन्द्रकला : जब सारी राजामल तालाब की स्कीम बन गई थी, क्या उस समय ये सारी बातें ध्यान में नहीं थीं कि भारत सरकार की रकम मिलेगी वह कब तक मिल जायगी ? क्या बात हो गई ?

श्री सम्पतराम : जी हां, हमारा क्लेम ज्यादा था, यह उम्मेद नहीं थी कि भारत सरकार कितना रुपया देगी। इसलिए सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने रुपया सेंक्शन किया।

डॉ० चन्द्रकला : इस स्कीम को बने हुए १६ महीने हो चुके हैं, क्या इस बीच कोई कार्यवाही करके सरकार किसी नतीजे पर पहुँची है ?

श्री सम्पतराम : जी हां, रिवाइज्ड स्कीम बन कर जा रही है। मैं मानता हूं, इसमें डिले हुई है, लेकिन अब खास तौर से देखा जायगा कि जितनी डिले हो चुकी है उसके बाद आगे नहीं हो।

डॉ० चन्द्रकला : क्या दूसरी रिवाइज्ड स्कीम फाइनल हो चुकी है ?

Page No.49

श्री सम्पतराम : जी, मैंने कहा कि फाइनल नहीं हुई। स्कीम बना कर, फाइनल करके, टेन्डर कॉल करके, मंजूर करके कन्स्ट्रक्शन वर्क शुरू होगा।

डॉ० चन्द्रकला : भारत सरकार की सेंक्शन की वजह से डिले हुई, वह तो खत्म हुई....

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा) : प्रश्न संख्या ३१६

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : प्रश्न संख्या ५०६.......

श्री अध्यक्ष : जी, कई प्रश्न बाकी हैं, समयाभाव के कारण........

श्री लादूराम सुलाणिया (दूदू-सु०) : अध्यक्ष महोदय, २८० प्रश्न दुबारा, तिबारा आया है, इसका उत्तर देना चाहिए।

श्री माणकचन्द कोठारी (जायल) : अध्यक्ष महोदय, मेरा शोर्ट नोटिस क्वेश्चन है।

श्री अध्यक्ष : समय काफी हो चुका है, दूसरे विधेयक भी हैं। १२.३० तक क्वेश्चन चले हैं।

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : अध्यक्ष महोदय, अगर इतने इम्पोर्टेन्ट मैटर्स हैं, तो अच्छा तो यह हो कि सदन की कार्यवाही परसों तक के लिए और चले। कई शोर्ट नोटिस क्वेश्चन्स हैं, कई एडजोर्नमेंट मोशन्स हैं, कई कॉलिंग अटेन्शन नोटिसेज़ हैं, कई महत्वपूर्ण मसले रह जाते हैं, टू अवर्स डिस्कशन भी हैं, इसलिए मैं समझता हूं कि जब तक इन इम्पोर्टेन्ट मैटर्स पर डिस्कशन न हो जाय, इनको डिस्पोज़ ऑफ नहीं किया जाय, सदन को आज स्थगित करना उचित नहीं होगा।

रावराजा श्री सरदारसिंह : अध्यक्ष महोदय, ३१६ का जवाब दे दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

(१२. ३६ म० प०)

राजकीय बालिका उच्चतर बहुद्देशीय पाठशाला, ब्यावर में ली जाने वाली फीस सम्बन्धी आवश्यक जन-हित के मामले सम्बन्धी सूचना

मेजर श्री फतहसिंह (भीम) : On a point of order, Sir, I had given notice of my desire to raise discussion on a matter of urgent public importance, namely, the realisation of activities fees in the Government Girls' Multipurpose H. S. School, Beawar at enhanced rates....

श्री लादूराम सुलाणिया (दूदू-सु०) : २८० का जवाब हो जाय।

मेजर श्री फतहसिंह :...contrary to all orders of the Government issued from time to time. What has happened to it, Sir?

श्री अध्यक्ष : उस पर कई दफा बहस हो चुकी है, माननीय सदस्य खुद जानते हैं।

मेजर श्री फतहसिंह : Sir, the Government has not rectified the mistake. This point is being agitated for the 6th time today. It was agitated on 4th. September, 1959, 8th. December, 1959, 11th. December, 1959 and, 15th. December, 1959. Again during the Budget session this year, even the Education Minister admitted that there was disparity in the rates of fees which were being realised in this school and similar other institutions in Rajasthan and he gave an assurance to this House and promised that he would look into this matter. But he has not looked into it so far. The Education Minister, the Deputy Education Minister, Education Secretary and the Director of Education are all sleeping over it. So I want your intervention into this. I want that this House should take this thing very seriously.

श्री अध्यक्ष : What we are concerned with is that ample opportunity should be provided to the Hon'ble members to put forward and ventilate their grievances on matters of public importance and we have done it on more than one occasions, as the Hon'ble member himself admits. As regards the action which the Education Minister promised, I am sure he will look into it.

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : I also gave a Short Notice Question regarding supply of milk powder in Rajasthan. Government has been black-listed and that milk powder is not coming in Rajasthan now.

श्री अध्यक्ष : We have taken up only those questions on Short Notice in which the Government has agreed to reply and in which they thought that they would be able to reply at short notice.

श्री श्रीभानसिंह : If the Government is not prepared to reply on such matters, it should have been placed in the long list today...

मेजर श्री फतेहसिंह : I crave for your indulgence, Sir, and ask one question to the Hon'ble Deputy Education Minister. Will he let me know whether activity fees from students of this school are recovered at the old rates ? I say that they are not being recovered at the old rates, but at the new rates which are excessive and unauthorized.

उप-मन्त्री, शिक्षा (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : I have no notice of this and I cannot say off-hand, because it is a matter of interpretation whether old rates or new rates shall apply.

मेजर श्री फतेहसिंह : They have taken one year and still not come to a decision? What they have done about it ? If they are so weak, if the Education Minister and Deputy

Page No.51

(मेजर श्री फतहसिंह)

Education Minister have no guts and courage to rectify the mistake let them make room for others.

श्री अध्यक्ष : The Hon'ble Member should not use such language which is not in consonance with the dignity of the House and their dignity. The matter has been agitated in the House and the Government is looking into it, I am sure. But this is certainly not the way in which we can have the things decided.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : Under these circumstances the Deputy Minister cannot say that he cannot reply off-hand.

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : अध्यक्ष महोदय, इस पर कई बार चर्चा हो चुकी है, मगर....

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज़ ! ऑर्डर !!

कृपया आप अपना स्थान ग्रहण करें।

अनुपस्थिति के लिये अनुमति

सभा की कार्यवाही प्रारम्भ होने से पूर्व मैं सदस्यों को सूचित करता हूं कि निम्नलिखित सदस्यों ने विधान सभा की बैठकों से उस समय के लिये जो कि उनके नाम के आगे निर्देशित है, अनुपस्थित रहने की आज्ञा के लिये प्रार्थना की है:—

श्री बी. एन. जोशी : दिनांक १०-६-६० से सत्र के अन्त तक।

श्री मोतीलाल : दिनांक २२-८-६० से १२-६-६० तक।

क्या सदन की यह अनुमति है कि उन्हें अनुपस्थित रहने के लिये आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

राष्ट्रपति एवं राज्यपाल से अनुमति प्राप्त विधेयकों की सदन की मेज पर प्रस्तुति

श्री अध्यक्ष : Statement of Bills to be laid.

सचिव, विधान सभा (श्री अनोपसिंह): मैं गत सत्र एवं इस सत्र में पारित उन विधेयकों का विवरण जिन पर राष्ट्रपति महोदय अथवा राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, सदन की मेज पर रखता हूँ :-

(१) राष्ट्रपति महोदय से अनुमति प्राप्त विधेयक :

The Rajasthan Panchayat (Amendment) Bill, 1960.

(२) राज्यपाल महोदय से अनुमति प्राप्त विधेयक :

1. The Rajasthan Sales Tax (Second Amendment) Bill, 1960.

Page No.52

(श्री अनोपसिंह)

2. The Rajasthan Land Revenue (Amendment) Bill, 1960.

श्री श्रीभानसिंह द्वारा राजस्थान कृषि उत्पादन हाट विधेयक, १९६० की प्रवर समिति से त्यागपत्र एवं डॉ० चन्द्रकला की नियुक्ति

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि श्री श्रीभानसिंह ने राजस्थान एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट्स बिल, १९६० पर बनाई गई प्रवर समिति की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया है।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : What is the reason, Sir ? Why the Hon'ble member has resigned from this ?

श्री अध्यक्ष : That is not necessary to disclose.

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट्स बिल, १९६० की प्रवर समिति से श्री श्रीभानसिंह के त्याग पत्र देने से जो सदस्य का स्थान रिक्त हुआ है उसकी पूर्ति के लिये मैं प्रस्ताव करता हूं कि डॉ० चन्द्रकला की नियुक्ति की जाए।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट्स बिल, १९६० की प्रवर समिति से श्री श्रीभानसिंह ने त्यागपत्र दिया है उसके रिक्त स्थान पर डॉ० चन्द्रकला को सदस्या बनाया जाए ?

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकार हुआ।

(विराम)

श्री रामकरणसिंह ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर ध्यान दिलाना

श्री रामकरणसिंह (कोटपुतली) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम १३१ के अन्तर्गत निम्नलिखित विषय पर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करता हूं तथा यह भी निवेदन करता हूं कि राजस्व मंत्री महोदय इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :

"तहसील कोटपुतली में वर्षा से हुई क्षति एवं तत्सम्बन्धी राहत कार्य।"

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, जहां तक कोटपुतली तहसील का प्रश्न है इस वर्षा से वहां के मकानों को नुकसान पहुँचा। इसके लिये जो जानकारी वहां से हासिल की है, कलेक्टर और अन्य अधिकारियों की मार्फत या उनके स्टाफ की मार्फत वह मैं सदन की जानकारी के लिये पेश करूंगा। मई से ३० अगस्त के दर्मियान में करीब १०.३८ सेन्ट वर्षा हुई और उससे कच्चे मकानों को खास-तौर से कुछ नुकसान हुआ। बहुत सारे मकानों को क्षति पहुँची उसमें कुछ पक्के मकान भी हैं। जहां जहाँ क्षति ज्यादा हुई वहां का निरीक्षण वहां के अधिकारियों ने और तहसीलदार आदि ने किया। कलेक्टर

(श्री दामोदरलाल व्यास)

महोदय ने खुद ने इस सम्बन्ध में जांच की और बरसात से भरे हुए बहुत सारे घरों को देखा है और तहसीलदार या विकास अधिकारी और पटवारी आदि सब ने जाकर जानकारी की है और उनका कहना है कि कच्चे मकानों को नुकसान पहुंचा है लेकिन उनके कहने और तहसीलदार व विकास अधिकारी से बातचीत करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचे कि मामला इतना गम्भीर नहीं है कि जिससे सरकार द्वारा स्टेप्स लिये जावें। जो साधारण स्टेप्स इस सम्बन्ध में पंचायत समिति और दूसरे अधिकारी ले सकते हैं, लिये गये। तहसीलदार को हिदायत की गई है कि जिनके कच्चे मकान थे उनको लकड़ी आदि की सुविधा दी जाए। उनके लिये टीनों की व्यवस्था के लिये आदेश दिये गये। राज्य सरकार के पास रिपोर्ट आने पर कलेक्टर को लिख दिया कि जहां जहां रिलीफ देने की आवश्यकता हो और सरकार को स्पेशल रिलीफ देने की आवश्यकता हो कार्यवाही करें।

श्री रामकरणसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं केवल यह जानकारी चाहूँगा कि तहसीलदार ने टोटल आंकड़े दिये वे बता दें।

श्री दामोदरलाल व्यास : तहसीलदार की रिपोर्ट मेरे पास नहीं है।

श्री रामकरणसिंह : मेरे पास जो जानकारी है और उसके आधार पर जो तहसीलदार ने लिस्ट ली है उसमें ७ लाख के आंकड़े हैं जिसमें ६० पक्के मकान और ५ हजार के करीब कच्चे मकानों को नुकसान पहुँचा है और उनकी सारी फसलें नष्ट हो गई हैं। मैं काफी गांवों में गया हूं। मैंने उनकी दशा को देखा है। उनके पास एक भी कच्चा घर रहने को नहीं बचा है। वे लोग घरों के बाहर पड़े हैं। पिछली बार वर्षा आई उससे जो अनाज उनके पास था और बाहर पड़ा था वह पानी से भीग कर नष्ट हो गया और पशुओं के लिये चारा था वह भी नष्ट हो गया। अगर उनको किसी प्रकार से राहत नहीं दी जावेगी तो उनकी हालत बहुत खराब हो जावेगी।

श्री दामोदरलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, जहां तक मेरी सूचना है फसलों को कोई नुकसान नहीं हुआ। कच्चे मकानों को जैसा मैं खुद भी कहता हूं कि कई मकानों को नुकसान हुआ। इसके लिये कलेक्टर को कहा कि इसकी जांच करें और उनको राहत पहुंचाए। पंचायत समितियें इस सम्बन्ध में अपना काम कर रही हैं। उन्होंने उनको राहत दी है। लकड़ी के लिये कह दिया है कि सवाई चक से उनको लकड़ी दे दी जावे। टीन के लिये भी आदेश दे दिये गये हैं। इसके अलावा माननीय सदस्य यह समझते हैं कि उनको इमिडियेटली स्टेट लेवल पर सहायता मिलनी चाहिये तो उनकी इच्छा के अनुसार मैं जरूर कोशिश करूंगा।

राजस्थान विक्रय कर (तृतीय संशोधन) विधेयक, १९६० (विचारार्थ एवं पारित)

श्री अध्यक्ष : विक्रय कर (तृतीय संशोधन) विधेयक।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

राजस्थान सेल्स टैक्स (थर्ड अमेंडमेंट) बिल, १९६० को विचारार्थ लिया जाय।

श्री अध्यक्ष : Motion moved.

(विराम)

प्रश्न यह है कि राजस्थान सेल्स टैक्स (थर्ड अमेंडमेंट) बिल, १९६० को विचारार्थ लिया जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

(विराम)

श्री पी० के० चौधरी; क्लॉज़ेज़ २ और ३ में अमेंडमेंट्स हैं।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : अध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ेज दो, तीन, चार, पांच व ६ में हैं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, ये सब अमेंडमेंट्स एक साथ ले लिये जावें तो अच्छा रहेगा।

श्री पी० के० चौधरी : अध्यक्ष महोदय, इसके ऑब्जेक्ट्स एण्ड रीज़न्स में कहा गया है कि ट्रेड है उसमें इन्डिपेन्डेन्ट ऑथोरिटी की डिमान्ड से, गवर्नमेंट ने उस ऑथोरिटी की डिमान्ड को मान कर यह किया कि एक बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को रिविज़न्स, सेल्स टैक्स एक्ट के अन्तर्गत सुनने का अधिकार दिया है बजाय कमीशनर, एक्साइज एण्ड टैक्सेशन के। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास पहले ही एडमिनिस्ट्रेटिव, जुडिशियल वर्क काफी है और उसके डिस्पोज़ल में देर होती है। इसलिये इसके लिये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नेसेसरी नहीं माना जा सकता। इस बारे में फाइनेन्स इन्क्वायरी कमेटी की भी distinct सिफारिश है कि सेल्स टैक्स के लिये इन्डिपेन्डेन्ट ट्रिब्यूनल कायम किया जावे और इसकी अपीलें इन ट्रिब्यूनल के पास जावें। अपीलें डिपार्टमेंटल ऑथोरिटीज़ के पास जाती हैं। इस सिलसिले में रेवेन्यू बोर्ड का जिक्र किया। स्वायत्त शासन बॉडीज़ के पास एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है और इसके अलावा दूसरा वर्क भी है, उनके एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क को अलग कर दीजिये। रिलीफ और रीहेबिलिटेशन के डाइरेक्टर का नाम दे रहे हैं। फाइनेन्स इन्क्वायरी कमेटी की रिपोर्ट के पेज २३७ पर दिया हुआ है :

"It is suggested that a similar Tribunal should be set up in Rajasthan to exercise :-

(a) the appellate and revisional powers of the Board of Revenue in respect of 'judicial matters'

....

(b) the functions of the 'appellate authority' under Section 13, Rajasthan Sales Tax Act, and other unctions of like character,

....

The expenditure on the additional posts to be created for setting up the Appellate Tribunal would be more than offset by the abolition of the

(श्री पी० के० चौधरी)

posts mentioned below which would become superfluous as a result of the re-constitution of the Board of Revenue on the lines indicated earlier :—

1. Two Members, Board of Revenue.

2. Commissioner for Excise & Taxation.

3. Director of Devasthans and Dharampuras.

4. Director of (Famine) Relief."

यानी कमिश्नर ऑफ एक्साइज़ एण्ड टैक्सेशन है उनकी पोस्ट एबोलिश करने के लिए फाइनेन्शियल इन्क्वायरी कमेटी ने सिफारिश की है। डाइरेक्टर, रिलीफ रीहेबिलिटेशन है उनकी पोस्ट को भी और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के दो मेम्बर्स कम करने के लिए फाइनेन्स इन्क्वायरी कमेटी ने सिफारिश की थी और उनके स्थान पर एक इन्डिपेन्डेन्ट स्टेटस का ट्रिब्यूनल सैट-अप करने का जिक्र किया था। कमेटी ने यह लिखा था कि व्यवसाइयों की मांग पर यह किया जा रहा है। खुद की अपॉइन्ट की हुई कमेटी थी यह, जिसको एक फाइनेन्स के मामलों में एक्सपर्ट कमेटी माना जाता है और जब इस एक्सपर्ट कमेटी ने यह रिकमन्डेशन की तो फिर ये बातें पीस मील में क्यों की जाती हैं? एक इन्डिपेन्डेन्ट ट्रिब्यूनल जैसा कि सजेस्ट किया था कमेटी ने, क्यों नहीं अपील सुनने के लिए बना दिया जाता है? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के दो मेम्बर्स को उसमें कम किया है, बाकी सेल्स टैक्स कमिश्नर की पोस्ट है वह अबोलिश होनी चाहिये। जब इन्डिपेन्डेन्ट कैपेसिटी की एक बॉडी को ट्रिब्यूनल बना दिया जाता है तो सेल्स टैक्स कमिश्नर की पोस्ट की आवश्यकता नहीं रहती है। इसलिए वह बोर्ड बना देना चाहिये जैसा कि फाइनेन्स इन्क्वायरी कमेटी ने रिकमन्ड किया। डाइरेक्टर, रिलीफ रीहेबिलिटेशन, की पोस्ट को कम करके, सेल्स टैक्स कमिश्नर की पोस्ट को कम करके और रेवेन्यू बोर्ड के दो मेम्बर्स कम करके मेरा यह सुझाव है, "to constitute a Tribunal of two officers with judicial experience with Chairman of the Board of Revenue as Chairman." इससे जैसा आपने कहा कि व्यापारियों की मांग है वह पूरी होगी और फाइनेन्स इन्क्वायरी कमेटी की जो सिफारिश है उसका भी उसमें समावेश हो जावेगा। एक्साइज़ एण्ड टैक्सेशन कमिश्नर की पोस्ट एबोलिश होने से और रेवेन्यू बोर्ड के दो मेम्बर्स कम करने से, रीहेबिलिटेशन, डाइरेक्टर की पोस्ट कम होने से और एक इन्डिपेन्डेन्ट ट्रिब्यूनल बना देने से वे अपीलें उनकी सुन सकेंगे। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि मैंने जो यह अमेंडमेंट पेश किया है उसको माननीय मंत्री स्वीकार करेंगे।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़) : अध्यक्ष महोदय, यह जो प्रस्ताव रखा है श्री पी० के० चौधरी ने उसका मैं विरोध करता हूं। उनका यह कहना है कि जैसे अपीलेट कोर्ट के पॉवर्स रेवेन्यू बोर्ड को होने चाहिये वैसे ही एक इन्डिपेन्डेन्ट ट्रिब्यूनल बना दिया जावे। लेकिन आज एक तरफ तो हम खर्चा कम करना चाहते हैं और दूसरी तरफ

(श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा)

इस प्रकार के ट्रिब्यूनल सेट करके हम खर्चे को बढ़ाना चाहते हैं। रेवेन्यू बोर्ड का एक सदस्य जुडिशियल एक्सपीरियेन्स का होना चाहिये, तो जब रेवेन्यू बोर्ड के चेयरमैन को इसमें मेम्बर रखते हैं तो यह मंशा पूरी हो जाती है। नये तरह से ट्रिब्यूनल सेट-अप करके तो उल्टा खर्चा बढ़ाते हैं। रेवेन्यू बोर्ड ही जुडिशियल बॉडी है। कमिश्नर्स-आयुक्त जितने भी हैं वे तो फिर भी कुछ गवर्नमेन्ट से लगाव रखते हैं, लेकिन जब रेवेन्यू बोर्ड को ये अधिकार दे रहे हैं तो यह ठीक है और रेवेन्यू बोर्ड को ही ये पॉवर्स देना उपयुक्त होगा क्योंकि अलग ट्रिब्यूनल बनायेंगे तो अधिक खर्चा बढ़ेगा। इसलिए रेवेन्यू बोर्ड को वही पॉवर्स दिये जाने चाहिये।

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो संशोधन प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन करता हूं। अध्यक्ष महोदय, वैसे तो जो यह संशोधन विधेयक सरकार की ओर से प्रस्तुत किया गया है उसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये थी लेकिन जिस प्रकार की आज की परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों के अनुसार हमें यह निर्णय लेना पड़ेगा कि जो कार्य हम इस प्रकार के संशोधन विधेयकों द्वारा पूरा करवाना चाहते हैं वह कार्य आसानी से पूरा हो सकेगा या नहीं और काम पूरा हो सकेगा यही नहीं बल्कि लोगों को सस्ता न्याय भी मिल सकेगा या नहीं. यह दृष्टिकोण भी उसमें होना चाहिये। फाइ-नेन्शियल एन्क्वायरी कमेटी, जिसने राज्य सरकार को कई प्रकार के सुझाव दिये हैं उन सुझावों के अन्दर कई ऐसे सुझाव भी दिये गये हैं जहां राज्य सरकार के कई विभागों में कुछ विभागीय अधिकारियों की, कुछ अन्य कर्मचारियों की कमी करने का सुझाव था। अब किशनगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने जो कहा है कि ट्रिब्यूनल का सुझाव दिया वह इस दृष्टि से अनुपयुक्त है कि इससे राज्य सरकार का खर्चा बढ़ेगा, मैं समझता हूं जहां न्याय देने का दृष्टिकोण, सस्ता न्याय देने का दृष्टिकोण है वहां पर खर्चे से बचने का प्रश्न उतना महत्वपूर्ण नहीं है। यह बात सही है और मैं समझता हूं कि इसमें किसी का मतभेद नहीं हो सकता कि रेवेन्यू बोर्ड के कुछ अलग फंक्शन्स हैं। रेवेन्यू बोर्ड रेवेन्यू के माने में एक एक्सपर्ट बॉडी है, इस प्रकार की हमारी सब की मान्यता है और उसी मान्यता के कारण रेवेन्यू बोर्ड के सामने रेवेन्यू के केसेज़ जाते हैं और उन पर निर्णय होता है और जिस प्रकार से निर्णय होते हैं लोग अपने आपको तसल्ली की स्थिति में लाकर खड़े करते हैं। अब आप उस रेवेन्यू बोर्ड को अधिकार देते हैं सेल्स टैक्स के सम्बन्ध में, सेल्स टैक्स के मामलों की अपीलें भी रेवेन्यू बोर्ड के सामने प्रस्तुत की जायं। तो मैं ऐसा समझता हूं कि यह तरीका उचित नहीं होगा और इसलिए उचित नहीं होगा कि जहां न्याय की व्यवस्था है उस व्यवस्था के आधार पर देश की जो न्याय व्यवस्था है उसको सामने रख कर लॉ कमीशन ने इन सारी बातों पर विचार किया और जहां इन विचारों के साथ हाईकोर्ट के इन्टीग्रेशन का सवाल आया-हाई कोर्ट्स एक हों, लॉ कमीशन की विचारधारा प्रस्तुत है वहां इस बात पर विशेष जोर दिया कि हाई कोर्ट कम होने के कारण, कुछ जजेज़ को स्पेशल नॉलेज में नहीं होने के कारण स्थिति में सुधार ला सकें

(श्री भैरोंसिंह)

और एक्सपर्ट होने के नाते उन विषयों पर ऑथोरिटी से न्याय दे सकें। यहां यह रहा है कि रेवेन्यू बोर्ड रेवेन्यू में ऑथोरिटी है। लॉ कमीशन ने स्वीकार किया है कि हाई कोर्ट की अलग अलग बैंचेज़ होती हैं उनके जजेज़ को कुछ स्पेशल नॉलेज उन प्रस्तावों की हो। और ऑथोराइज्ड वर्शन हो, यह बात सही है कि हाई कोर्ट जजेज़ का निर्णय मान्य है और उसको मान्य रखा गया है लेकिन उसके सम्बन्ध में कुछ लीगल एक्सपर्ट्स की ओपिनियन है, उनकी लीगल ओपिनियन हो, उसकी व्यवस्था की है। अब रेवेन्यू बोर्ड को अधिकार देना चाहते हैं कि वह सेल्स टैक्स की अपीलों को सुने। कोई आज जाकर देखे कि राजस्थान में कितनी अपीलें सेल्स टैक्स की चल रही हैं। कमिश्नर के दफ्तर में जाकर देखें कि ढेरों एप्लीकेशन्स सेल्स टैक्स के मामलों की सुनवाई के लिए पड़ी हुई हैं जिनमें सुनवाई नहीं हो सकी है। सवाल यह है कि उनके लिए एक इन्डिपेन्डेन्ट ट्रिब्युनल का निर्माण करें, एक ऑथोरिटी मुकर्रर करें, जिसके पास ये सारे केसेज़ चले जावें।

१. म० प०

लेकिन अब हम इस ऑथोरिटी के काम को रेवेन्यू बोर्ड को देना चाहते हैं। इसका कारण यह है कि कमिश्नर महोदय के पास कागजों का इतना ढेर लगा हुआ है कि वह ढेर उनसे खत्म नहीं होगा। वैसी हालत में हम यह कार्य रेवेन्यू बोर्ड को देने जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, रेवेन्यू बोर्ड के पास लैन्ड रेवेन्यू एक्ट के मामले, टीनेन्सी एक्ट के केसेज़ इतने हैं कि जितने भी सदस्य इस बोर्ड के हैं वे इन केसेज़ के सम्बन्ध में पूरा समय नहीं दे सकते। इसी से हम देखते हैं कि लोगों को अपने मुकदमों की तारीख किसी को ६ महीने, किसी को आठ महीने, किसी को सात महीने बाद की मिलती है। आज रेवेन्यू बोर्ड कार्य के भार से इतना दबा हुआ है कि वह जल्दी न्याय प्रदान नहीं कर सकता। उस आधार पर अगर हम सेल्स टैक्स की अपील सुनने का अधिकार उनको दे देते हैं तो इसका मतलब यह है कि सेल्स टैक्स की एप्लीकेशन्स वर्षों तक पड़ी हुई रहेंगी और कोई सस्ता न्याय और शीघ्र न्याय नहीं मिल सकेगा। मैं समझता हूँ इस प्रकार के ट्रिब्यूनल की स्थापना से खर्च आता है तो कोई बात नहीं है, इसको जनता सहर्ष स्वीकार करेगी। इससे यह तो हो जायगा कि लोगों को सस्ता और शीघ्र न्याय मिल जायगा। इस पर आप ज्यादा खर्च भी कर देते हैं तो जनता इसकी आलोचना नहीं करेगी। जनता की आलोचना तो तब होती है जब कि आप सुविधा देने के नाम पर उनको ज्यादा असुविधा पैदा कर देते हैं और खर्च भी ज्यादा करवाते हैं। उस प्रकार के खर्चे की आलोचना की जाती है। राजस्थान के इस सिरे से लेकर उस सिरे तक आप इस बारे में कहें कि हम रेवेन्यू बोर्ड को यह अधिकार न देकर इन्डिपेन्डेन्ट ट्रिब्यूनल मुकर्रर करना चाहते हैं; इससे राज्य सरकार को काफी खर्चा वहन करना पड़ेगा तो कोई भी इस खर्चे के खिलाफ आवाज उठाने वाला नहीं होगा। वे सोचेंगे कि यह तो हमारे हित के लिये हो रहा है। आप यदि खर्च कम ही करना चाहते हैं तो मैं आपको ऐसे कई विभाग बता सकता हूं जहां कोई काम नहीं उनमें आप कमी कर सकते हैं। आपके यहां जो

Page No.58

(श्री भैरोंसिंह)

खरीद-फरोख्त होती है उस पर आप निगाह रख कर काफी रुपया बचा सकते हैं। लेकिन खर्चे की आड़ में आप यह चाहते हैं कि अलग ट्रिब्यूनल की स्थापना न हो, इस दलील में कोई वजन नहीं है। अध्यक्ष महोदय, लॉ कमीशन ने भी यह स्वीकार किया है कि हमें स्पेशलाइज्ड जजेज़ को तैयार करने के लिये इन्डिपेन्डेन्ट ट्रिब्यूनल की व्यवस्था करनी चाहिये। फाइनेन्स एन्क्वायरी कमेटी ने भी इस बात की सिफारिश की है कि इस प्रकार के मामलों में इन्डिपेन्डेन्ट ट्रिब्यूनल निर्णय ले, उस प्रकार के अधिकार रेवेन्यू बोर्ड को न दिये जायं। इस सुझाव में बद-किस्मती से यह सुझाव है कि उस इन्डिपेन्डेन्ट ट्रिब्यूनल का चेयरमैन रेवेन्यू बोर्ड के चेयरमैन को बनाया जाय, इस प्रकार का मेरा सुझाव नहीं है। वैसी स्थिति में मैं इसका समर्थन कैसे करूं ? लेकिन इसके साथ साथ मैं इन्डिपेन्डेन्ट ट्रिब्यूनल का होना आवश्यक मानता हूं, लेकिन चेयरमैन, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू हो, इसका मैं समर्थक नहीं हूं और इसकी आवश्यकता भी नहीं है। एक्सपर्ट जुडिशियल आदमियों का यह ट्रिब्यूनल होना चाहिये। ताकि जल्दी और सस्ता न्याय दे सके।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान सेल्स टैक्स बिल, १९६० के सम्बन्ध में जो संशोधन फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने रखा है मैं उसका समर्थन करता हूं। यह जो संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ है उससे यह बात तो स्पष्ट है कि सरकार यह महसूस करने लगी है कि कमिश्नर्स को जो अपील सुनने की पॉवर्स दे रखी हैं वह ठीक नहीं है इसलिये वहां से हटा कर यह अधिकार रेवेन्यू बोर्ड को दे देना चाहते हैं। जहां तक हटाने का सवाल है वह तो ठीक है, इसमें सरकार का दृष्टिकोण सही है, क्योंकि जहां तक कमिश्नर्स के पद का सवाल है इसको कम करके खर्चे में कमी की जा सकती है। कमिश्नर्स के पास वैसे काम हो सकते हैं लेकिन जहां हम सेल्स टैक्स सम्बन्धी अपील सुनने के पॉवर्स उनसे हटा कर लेना चाहते हैं, इस हद तक तो मैं इससे सहमत हूं लेकिन यह रेवेन्यू बोर्ड को दिये जायं, इसका मैं विरोध करती हूं। विरोध इस आधार पर करती हूं कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास इतने सारे काम हैं कि उसको सेल्स टैक्स जैसे महत्वपूर्ण काम को देना ठीक नहीं है। वैसे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का स्थान एक जगह पर है, राज्य के बीच में स्थित है पर वह जगह जगह जाकर अपने केसेज को सुनता है। लेकिन सेल्स टैक्स के मामले इतने व्यापक हैं कि इनका संबंध सभी जगहों से है। उसके लिये हम इस प्रकार की स्वतन्त्र बॉडी का गठन कर देते हैं तो हर तरीके से यह अच्छा होगा। इस संशोधन को पेश करने को आवश्यकता और उद्देश्य यह है कि सरकार महसूस करती है कि जिस काम को कमिश्नर के पास अच्छी तरह से होता हुआ न देख कर वह बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को देने जा रही है और जिस कठिनाई को अनुभव करके वह देने जा रही है वही कठिनाई बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को देने पर भी आयेगी। जिस उद्देश्य को लेकर हम यह करना चाहते हैं उस उद्देश्य की प्राप्ति होने वाली नहीं है। वैसे तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के सदस्य या चेयरमैन होते हैं वे न्याय प्रशासन के अनुभवी होते हैं, लेकिन उनके अलावा इसी प्रकार के दो आदमियों की अलग से कमेटी

(डॉ० चन्द्रकला)

हो जो सेल्स टैक्स की अपील सुन सके तो वह ज्यादा अच्छा रहेगा, उससे अच्छी तरह से काम चल सकेगा । आज यह हम कह नहीं सकते कि इस तरह के मामले बहुत थोड़े हैं । राजस्थान में इस प्रकार के मामले बहुत से हैं । अगर हम उनके सुनने की व्यवस्था एक जगह ही रखते हैं तो उससे न्याय सस्ता और सुलभ और शीघ्र नहीं मिल पायगा और वह न्याय खर्चीला भी होगा । हमें चाहिये कि खर्चे की परवाह न करते हुए जितना जल्दी सुलभ और सस्ता न्याय जनता को मिल सके, इस प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिये । अगर ये अधिकार कमिश्नर से हटा कर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास कर देते हैं तो न्याय सुलभ और जल्दी नहीं मिल सकेगा ।

रेवेन्यू के मामले वैसे भी लम्बे चलते हैं अगर सेल्स टैक्स के मामले भी उतने लम्बे चलने लगेंगे तो इसमें ज्यादा उलझन पैदा होने वाली है । इसलिये माननीय सदस्य ने जो प्रस्ताव रखा है उसका मैं समर्थन करती हूं । बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अधिकार में जो यह आप देना चाहते हैं उसके विरोध में मैं नहीं हूं, लेकिन मैं यह चाहती हूं कि सेल्स टैक्स के मामलों में जल्दी और सुलभ न्याय मिल सके । यह बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को देने से नहीं हो सकेगा इसके लिये स्वतन्त्र बोडी बनेगी तभी यह न्याय सस्ता और शीघ्र मिल सकेगा । इसलिये मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करती हूं ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वास्थ्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, जो अमेन्डमेंट फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने मूव किया है इस सम्बन्ध में सबसे बड़ी आपत्ति यह है कि माननीय सदस्य ने जो प्रोपोज़ किया है उसके अनुसार बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के चेयरमैन और दो अन्य एक्सपीरियेन्स्ड व्यक्तियों का एक इन्डिपेन्डेन्ट ट्रिब्यूनल बैठा दिया जाय जो सारे सेल्स टैक्स की अपीलों को सुना करे, मेरा इसमें निवेदन यह है कि इस समय डिपार्टमेंट के कमिश्नर इन अपीलों को सुनते हैं । अब उसके लिये डिमान्ड इस बात की है कि इन्डिपेन्डेन्ट बॉडी हो जो इस प्रकार की अपीलों को सुन सके । फाइनेन्स एन्क्वायरी कमीशन का भी हवाला माननीय सदस्य ने दिया । फाइनेन्स एन्क्वायरी कमीशन की यह राय है कि इस प्रकार के अधिकार डिपार्टमेंट के पास नहीं होने चाहिये । इसके लिये इन्डिपेन्डेन्ट ऑफिस होना चाहिये । मैं उस रिकमन्डेशन की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा :

"At present assessments and orders made by the Sales Tax Officers are appealable to higher departmental authorities. This in no doubt a normal arrangement,. but in the administration of fiscal laws it is desirable that the assessee should have an opportunity of applying to an independent tribunal to which no suspicion of departmental bias could be attributed. In several States such tribunals have been set up as part of the sales tax machinery. This may be done in Rajasthan also."

मैं अर्ज करूंगा, यह फाइनेन्स एन्क्वायरी कमीशन की रिपोर्ट है । उसकी रिकमन्डेशन है कि यह डिपार्टमेन्टल बायस न हो इसलिये

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

सेपरेट ट्रिब्यूनल होना चाहिये, और स्टेटस में हो चुका है और राजस्थान में भी होना चाहिये, और स्टेट्स में भी रेवेन्यू बोर्ड को इस प्रकार के पॉवर्स दिये गये हैं। डिपार्टमेंटल कमिश्नर पर रेवेन्यू बोर्ड को इन्चार्ज बनाने जा रहे हैं।

इसलिये जो कुछ हमने प्रोविज़ो रखा है वह बिल्कुल फाइनेन्शियल कमीशन के अनुसार है।

दूसरे, यह जो अभी प्रोपोज़ किया गया है कि रेवेन्यू बोर्ड का चेयरमैन होना चाहिये, यदि इसको मानते हैं तो हमारे डिपार्टमेंट के अनुभव के आधार पर इन तीन आदमियों के पास हर टाइम काम होगा या नहीं, इस अनुभव के आधार पर मैं अर्ज करूंगा कि यह बात उचित नहीं होगी, इसलिये जो अमेंडमेंट रखा गया है वह उचित नहीं है।

और फिर हमारे इस प्रस्ताव को फाइनेन्स कमीशन ने माना है इसलिये स्वीकार कर लेना चाहिये।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : निर्णय में देरी नहीं होगी, इसकी क्या गारन्टी है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मेम्बर्स और बढ़ाये जा सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड दो, तीन, चार, पांच और छः में श्री पी० के० चौधरी ने जो संशोधन प्रस्तुत किये हैं उनको स्वीकार किया जावे ?

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गये।

(विराम)

प्रश्न यह है कि खण्ड दो, तीन, चार, पांच और छः विधेयक के अंग बनें ?

(स्वीकृत)

खण्ड दो, तीन, चार, पांच और छः विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये।

(विराम)

क्लॉज़ १, प्रिएम्बल इत्यादि।

(विराम)

प्रश्न यह है कि खण्ड १, प्रिएम्बल इत्यादि विधेयक का अंग बने ?

(स्वीकृत)

खण्ड १, प्रिएम्बल इत्यादि विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वास्थ्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान सेल्स टैक्स (थर्ड अमेन्डमेन्ट) बिल, १९६० को पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान सेल्स टैक्स (थर्ड अमेंडमेंट) बिल, १९६० को पारित किया जाय ?

(स्वीकृत)

(श्री अध्यक्ष)

विधेयक पारित किया गया।

राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण (तेरहवां संशोधन) विधेयक, १९६०

(विचारार्थ एवं पारित)

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वास्थ्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान लैण्ड रिफॉर्म्स एण्ड रिज़म्प्शन ऑफ जागीर्स (तेरहवां संशोधन) विधेयक, १९६० को विचारार्थ लिया जावे।

श्री अध्यक्ष : Motion moved. Shri P. K. Chowdhry.

(अनुपस्थित)

प्रश्न यह कि राजस्थान लैंड रिफॉर्म्स एण्ड रिज़म्प्शन ऑफ जागीर्स (तेरहवां संशोधन) विधेयक, १९६० को विचारार्थ लिया जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वास्थ्य मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि इस बिल को पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह कि राजस्थान लैंड रिफार्म्स एण्ड रिजम्प्शन ऑफ जागीर्स (तेरहवां संशोधन) विधेयक, १९६० को पारित किया जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

जयपुर नगरपालिका प्रशासन (अस्थायी प्रावधान) विधेयक, १९६०

(विचारार्थ एवं पारित)

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वास्थ्य मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि जयपुर नगरपालिका प्रशासन (अस्थायी प्रावधान) विधेयक, १९६० को विचारार्थ लिया जाय।

श्री अध्यक्ष : Motion moved. Dr. Chandra Kala.

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके सम्बन्ध में मेरा एक संशोधन प्रस्ताव इस प्रकार है कि विधेयक को एक प्रवर समिति को सौंप दिया जावे जो अपना प्रतिवेदन आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह में प्रस्तुत करे।

अध्यक्ष महोदय, वैसे देखने में यह विधेयक बहुत छोटा सा है और इसके द्वारा केवल कुछ बातों की मांग सरकार ने की है, लेकिन इसके पीछे जो भावना दिखाई पड़ती है उस भावना के अन्दर, उसके आधार पर मुझे ऐसा लगता है कि सरकार ने सही तथ्य को इस सदन के सामने न रख कर उसको भ्रम में डालने का प्रयत्न किया है।

यह हम सब जानते हैं कि दो साल पहले जयपुर नगपालिका भंग हुई। किन्हीं मांगों को लेकर जयपुर नगरपालिका के

(डॉ० चन्द्रकला)

अध्यक्ष और उनके साथी सदस्यों ने त्याग-पत्र दे दिया था। माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसी स्थिति में हमारी सरकार यदि थोड़ी दूरदर्शी होती तो उन त्यागपत्रों को स्वीकार नहीं करती और उसको पहले से ही यह जान-कारी हो जानी चाहिये थी कि आगे जाकर निश्चित अवधि में सरकार चुनाव नहीं करा पावेगी और बहुत बाद तक वह इसमें अस-मर्थ रहने वाली है। उसके वश का रोग नहीं होगा जल्दी से जल्दी कानून के अन्तर्गत दूसरी निर्वाचित नगरपालिका का निर्माण करना और यह सोचकर ही त्यागपत्रों को स्वीकार करना था। आखिर जयपुर शहर राजस्थान का बहुत बड़ा शहर है। यह हमारी राजधानी है। यहां की सारी व्यवस्था का सवाल था। लेकिन हमारी सरकार ने उस समय उस सहृदयता का परिचय नहीं दिया जिसकी अपेक्षा की जाती थी।

बच्चा जैसे किसी अधिकार को जाते हुए देख कर रोता है तो मां-बाप उसका अधिकार ले नहीं लेते हैं पर किसी तरह भुलावा देना चाहते हैं या किसी तरह फुस-लाते हैं। पर हमारी सरकार ने नगरपालिका के अध्यक्ष और सदस्यों ने जो त्यागपत्र दिये उनके प्रति इस तरह का सहृदयता का परिचय न देकर सत्ता का उपयोग किया। इससे किसी को विरोध नहीं हो सकता था। एक प्रशासक की नियुक्ति हुई, काम उसने संभाला। अब मेरा यह कहना है कि जब प्रशासक का कार्य-काल पूरा हो गया तब इस विधेयक को क्यों नहीं सदन में लाया गया ? क्यों नहीं उसी वक्त, अगर सदन सैशन में नहीं था तो अध्यादेश जारी करके अवधि बढ़ाई गई ?

आज जैसा कि इसके उद्देश्य एवं कारणों में बताया गया है यह अवधि १४-७-५६ को समाप्त हो गई। अध्यक्ष महोदय, जो अवधि १४-७-५६ को समाप्त होती है उसको बढ़ाने के लिए, कानून का प्रावधान पाने के लिए सदन में विचार आज होता है, पूरे एक साल और दो महीने के बाद। एक साल और दो महीने तक सरकार को कोई कार्यवाही करने की नहीं सूझी। हमारे स्वायत्त शासन के मन्त्री महो-दय कानून जानते हैं। नहीं जानते हों तो कानून का बहुत बड़ा विभाग सलाह के लिए उनके पास मौजूद है। ऐसी स्थिति में मुझे आश्चर्य होता है जब जयपुर शहर की म्युनिसिपैलिटी, जो उनकी नाक के नीचे है, राज्य की राजधानी है, जिसमें वे बराबर रहते हैं, वहां वे जल्दी कार्यवाही नहीं कर सकते और उस जगह का यह हाल उन्होंने कर रखा है तो दूसरी जगह की स्वायत्त शासन संस्थाओं का तो न मालूम क्या हाल होगा ? उनका तो भगवान् ही मालिक होगा।

आज सरकार यह भी मांग करती है कि जो समय प्रशासक के लिए मांगा जा रहा है उसका प्रावधान उस समय से लागू हो जिस समय से उसका अपोइन्टमेंट किया गया है। क्या इसके लिए मन्त्री महोदय कोई कारण सदन को बता सकते हैं या सदन का समाधान कर सकते हैं कि वे उस समय क्यों नहीं चेते ? आज कानून बनवा कर उसे पहले से लागू करवाना चाहते हैं। इसके पहले क्यों नहीं प्रावधान रखा और....

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : No Quorum, Sir.

(गण-पूरक घंटी)

Page No.63

डॉ० चन्द्रकला : प्रशासक और प्रशासक के बाद दूसरे प्रशासक की नियुक्ति पर नियुक्ति होती गई, तब भी सरकार को यह नहीं सूझी । उसे तब सूझी जब कई मामले हाई कोर्ट में गये और जितनी कार्यवाहियां उसने कीं वे अवैध करार दी जाने लगीं।

जहां तक सरकार को कानूनी अधिकार देने का सवाल है, ठीक है; देंगे क्योंकि हमें सरकार के हाथ किसी क़दर कमजोर नहीं करने हैं, पर हमारी सरकार को भी सोचने की आवश्यकता है कि आखिर इस तरह कैसे यह सब कुछ चलता है । अच्छा होता कि सरकार, हमारे मन्त्री महोदय ईमानदारी के साथ जानकारी देते कि क्यों नहीं या कब तक नया चुनाव वह कराना चाहते हैं। इसमें सरकार द्वारा यह बताया गया है कि जयपुर शहर की नगरपालिका प्रशासन का कार्यकाल अभी तक प्रशासक सम्भाले हुए हैं क्योंकि एक न एक कारणवश नई कौंसिल का गठन किया जाना सम्भव नहीं हो सका है । यहां एक न एक कारण कहना, इस तरह की सरकार की भाषा नहीं होनी चाहिये । सरकार को स्पष्ट बताना चाहिये कि क्या वे कारण थे जिनके कारण ऐसी व्यवस्था नहीं हो सकी. क्या ऐसी दिक्कतें थीं जिनकी वजह से चुनाव नहीं हो सके और न सरकार आज इस स्थिति में है कि बता सके कि कब तक वे चुनाव होने वाले हैं । आखिर यह कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी । जिस समय नये स्वायत्त शासन मन्त्री ने इस विभाग को सम्भाला था उस समय जयपुर के नागरिकों को बहुत आशा बनी थी कि जल्दी चुनाव हो जावेंगे । पर यहां तो लंका में सब ३६ ही बात है । आज भी वही स्थिति बनी हुई है कि जयपुर नगरपालिका का कोई भी सोचने–सम्भालने वाला नहीं है और फिर इसमें यह भी प्रावधान नहीं है कि दूसरा प्रशासक नियुक्त हुआ है वह कब तक रहेगा । इस विधेयक से वह स्थिति और भी साफ हो जाती है और सरकार की नीयत बिल्कुल साफ मालूम हो जाती है कि सरकार की नीयत चुनावों के मामले में साफ नहीं है क्योंकि इस विधेयक में यह मांगा गया है कि जब तक प्रशासक चाहिए तब तक रहेगा, उसकी सारी कार्यवाही इसी तरह रहेगी । जो नगरपालिका का नया एक्ट लागू हुआ है उसके अनुसार सरकार बंधी हुई है उसकी अमुक अवधि के अन्तर्गत नगरपालिका का चुनाव करा ही देना पड़ता है । तो इस विधेयक के द्वारा सरकार ने बांध दिया है कि उसमें कुछ भी प्रावधान होते हुए इसके अनुसार सरकार को विशेषाधिकार जयपुर की नगरपालिका के लिए मिलना चाहिए । लेकिन उन अधिकारों का उपयोग कैसे हो इन अधिकारों को प्राप्त करने के लिए सरकार अपनी बाध्यता किस तरह से सिद्ध करती है ? जयपुर नगरपालिका का आज किस तरह से सवाल अटका हुआ है ? समझ में नहीं आता कि सरकार सीधे उसको अपने हाथ में रखती है और नगरपालिका के कामों के लिए जनता कितनी परेशान होती है। नगरपालिका की स्थिति दिनों दिन खराब होती जा रही है । समझ में नहीं आता कि सरकार को केवल जयपुर नगरपालिका को अपने हाथ में रखने से क्या लाभ है ? आखिर यह तो जनतंत्र का जमाना है, सबको समान अवसर हैं तो यह अवसर जयपुर नगरपालिका को क्यों नहीं मिलते ? तो जहां तक इस छोटे से विधेयक को एक छोटे से प्रावधान के द्वारा कानूनी शकल दे दी जायेगी और प्रशासक

(डॉ० चन्द्रकला)

जब तक रहेगा तब तक रहेगा उसको कानूनी मान्यता मिल जायेगी, यह तो ठीक है लेकिन इसके साथ ही साथ सरकार का जो रुख नगरपालिका के प्रति है वह अवश्य ही प्रशंसनीय नहीं कहा जा सकता। इसलिए प्रशासक के कार्यों और उसके अन्तर्गत जयपुर शहर की जो स्थिति है उसकी आलोचना मैं यहां नहीं करना चाहती हूं लेकिन मैं यह अवश्य ही कहना चाहती हूं कि हमारी सरकार ने जो जयपुर की नगरपालिका के लिए किया है उससे न केवल यहां जयपुर की जनता में आशंका पैदा होती है बल्कि प्रान्त की दूसरी नगरपालिकाओं के नागरिकों के मन में आशंका पैदा होती है और उस आशंका को दूर करने के लिए हमारी सरकार को प्रयत्न करना चाहिए और यह सरकार का कर्तव्य है। इसलिए जहां तक इस विधेयक का सवाल है उसके बारे में मैं जानती हूं कि मेरे इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया जायेगा लेकिन इसके साथ ही साथ सरकार को जरूर कहना चाहती हूं कि उसका जो जयपुर नगरपालिका के प्रति दृष्टिकोण है वह अवश्य ही विचारणीय है। साथ ही, नगरपालिका स्वयं सोचती है कि हमारी सरकार का जो रवैया है उसको अवश्य बदलना चाहिए और जल्दी से जल्दी नगरपालिका का गठन करना चाहिए। इतना कह कर मैं अपना प्रस्ताव सदन के सम्मुख प्रस्तुत करती हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री पी० के० चौधरी।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : अध्यक्ष महोदय, यह जो बिल हमारे सामने है वैसे तो यह बहुत मामूली बिल है कि एक म्युनिसिपैलिटी के एडमिनिस्ट्रेटर का टाइम एक्सटेण्ड कर दिया जाये लेकिन यह बिल जिस कन्टेक्स्ट में है और विशेषकर राजधानी की म्युनिसिपैलिटी जो करीब दो साल से सुपरसीडेड है, उस म्युनिसिपैलिटी का एडमिनिस्ट्रेटर रखने का जब सवाल आता है तो एक तरफ तो हम डीसेन्ट्रलाइजेशन की बात करते हैं और स्वायत्त शासन को हम विलेज लेवल तक ले जाना चाहते हैं और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इस बिल के जरिये एड्मिनिस्ट्रेटर का पीरियड इन्डेफिनिट टाइम के लिए बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात, अध्यक्ष महोदय, इस बिल के जरिये जिस म्युनिसिपैलिटी के एडमिनिस्ट्रेटर का टाइम एक्सटेन्ड करने जा रहे हैं उस म्युनिसिपैलिटी के मेम्बर्स ने किसी एक विशेष परिस्थिति में रेज़िग्नेशन दिया था। उस परिस्थिति के साथ चाहे माननीय मन्त्री महोदय की सहानुभूति है या नहीं है और किसी तरह से सहानुभूति रह भी सकती है इसकी डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता हूं लेकिन इस बात को मैं जरूर महसूस करता हूँ कि राजस्थान की राजधानी में स्वायत्त सरकार न रहे, यह किसी भी गवर्नमेंट के लिए या किसी भी शासन के लिए ठीक नहीं होता है। मैं समझता हूँ कि जयपुर में जो परिस्थिति हुई थी उससे काफी विकट स्थिति जयपुर से बड़ी नगरपालिका में हुई थी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान बम्बई कॉर्पोरेशन की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। वहां पर संयुक्त महाराष्ट्र का झगड़ा हुआ था। उस समय यहां पर तो कुछ भी नहीं हुआ था, यहां पर हाईकोर्ट के मामले को लेकर इतनी विकट परिस्थिति नहीं हुई

(श्री पी० के० चौधरी)

थी जैसी विकट परिस्थिति बम्बई में हुई थी। बॉम्बे में जो कॉर्पोरेशन था वह पूरा का पूरा संयुक्त महाराष्ट्र समिति के कब्जे में हो गया था और कॉर्पोरेशन का जो चेयरमैन था वह भी संयुक्त महाराष्ट्र समिति का हुआ था। उन्होंने, सरकार के निर्णय के खिलाफ सारे कॉर्पोरेशन ने प्रस्ताव भी पास किया था लेकिन उस परिस्थिति में भी बॉम्बे कॉर्पोरेशन को सुपरसीड नहीं किया गया था; कारण कि वह डेमोक्रेसी का नमूना है कि बॉम्बे गवर्नमेन्ट ने डेमोक्रेटिक प्रिन्सिपल्स को निभाने के लिए उनके कैपीटल में जो कॉर्पोरेशन थी, जिसकी आबादी यहां से १० से १५ टाइम्स ज्यादा है उसको भी अपने व्यूज इन्डिपेन्डेन्टली एक्सप्रेस करने का अधिकार दिया था। जनता की राय के साथ साथ जनता जैसा चाहती थी उस प्रकार की अपनी राय देने का, किसी विशेष इश्यू पर संयुक्त महाराष्ट्र का इश्यू था, यहां का इश्यू तो कुछ अलग था लेकिन दोनों एक प्रकार के ही इश्यू थे वह कोई व्यक्तिगत तो था नहीं और न हीं सरकार के विरुद्ध था पर उसको भी सरकार ने सुपरसीड नहीं किया। वहां पर इतनी विकट परिस्थिति होते हुए भी बॉम्बे में संयुक्त महाराष्ट्र समिति का कॉर्पोरेशन चला और सरकार ने, बॉम्बे गवर्नमेन्ट ने, उसको सुपरसीड करने की कोशिश नहीं की। मैं समझता हूँ कि बॉम्बे गवर्नमेन्ट ने एक प्रकार से डेमोक्रेटिक गवर्नमेन्ट के माफिक काम किया और यहां पर हमने उसका एकदम उल्टा किया है। जो पॉपुलर फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का तरीका था उसको खत्म कर दिया गया और यहां पर चुना हुआ म्युनिसिपल बोर्ड नहीं बनने देना चाहते हैं। मैं कहता हूं कि यह हमेशा डेमोक्रेसी के लिए खतरा होता है। जो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है, उसके जो कॉन्स्टीटुएन्ट्स हैं, उसको कॉन्सटीट्यूशनल वे से उनकी राय जाहिर करने का मौका मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलता है तो उसका विकट रूप होता है या अन्कॉन्स्टीट्यूशनल वे डेमोक्रेसी में जब आता है जब कि हम इस प्रकार के आर्डीनेन्स के जरिये या डेमोक्रेटिक इन्स्टीट्यूशन्स जो हैं उनको हम बराबर फंक्शन्स नहीं करने देते हैं और तभी लोग गुमराह होते हैं और जो जनतांत्रिक तरीका है उसको छोड़ कर दूसरे प्रकार की जो हरकतें हैं उनको लोग अपनाते हैं। यह हम मान कर चलें कि यदि हमने यहां पर एडमिनिस्ट्रेटर कायम रखा तो उससे लोगों की भावनायें नहीं सुधरेंगी। इससे यह सोचना कि इससे लोगों की भावनाओं में फर्क पड़ जायेगा या लोग दब जायेंगे; इस प्रकार का ख्याल करना अनुचित है। इस प्रकार के ख्याल से लोगों का दिल बदल सकता है, बल्कि जो उनका फ्री एक्सप्रेशन का अधिकार है उसका उनको मौका मिलना चाहिए। जिस तरह से नागरिक चाहें उस तरह से उनको एडमिनिस्ट्रेशन प्राप्त करने का मौका मिलना चाहिए। यह डेमोक्रेसी का तकाजा है कि यहां के नागरिकों को अपने मन पसन्द का रिप्रेज़ेन्टेटिव बैठा कर उसके अनुसार एडमिनिस्ट्रेशन करने दिया जाये। उनकी म्युनिसिपैलिटी का कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चला सके, इसके कारण नहीं किया गया, लेकिन जो उनका पर्टिक्यूलर व्यू है, सरकार का एक विशेष काम जो है वह उनको पसन्द नहीं था, जिसकी तरफ म्युनिसिपैलिटी के कौंसलर अपना विरोध प्रकट करना चाहते

(श्री पी० के० चौधरी)

ये और इसीलिए उन्होंने इस्तीफा दिया और जिसकी वजह से ये सारी बातें हुईं । मैं समझता हूं कि जितने दिनों तक इस प्रकार का एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेट का राज कायम रहेगा उतने ही दिनों तक जयपुर के नागरिक जो हैं और जो उनकी भावना है उनमें उनको इस प्रकार का खेद रहेगा, उनको एक प्रकार का रिजेन्टमेंट रहेगा । डेमोक्रेसी को पनपाने के लिए, डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स को तरजीह देने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए हमारी कोशिश यह होनी चाहिए कि उनको कम से कम रिजेन्टमेंट हो और उसे वे एक्सप्रेस कर दें । जैसे स्टीम होता है, जो रेल्वे का इंजिन है उसके अन्दर एक सेफ्टी वॉल भी रहता है । जब उसमें ज्यादा प्रेशर हो जाता है तो उस सेफ्टी वॉल से स्टीम बाहर निकाल दिया जाता है । तो डेमोक्रेसी के जमाने में लोगों का अपना सेफ्टी वॉल है वह इन रिप्रेजेंटेटिव्ज के जरिए ही अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस करते हैं और यह उनका कॉन्स्टीट्यूशनल एक्शन है और उस एक्शन से वह अपना रिज़ेंटमेंट जाहिर करते हैं । आज उनकी म्युनिसिपल कौंसिल बनने नहीं देते अपने रिप्रेज़ेंटेटिव्ज की, तो उनकी भावना जो है उनका रिज़ेन्टमेंट जो है वह सप्रेस्ड है, वह दबा हुआ है, खत्म नहीं हो सकता है। अगर उनके रिप्रेज़ेंटेटिव्ज की कौंसिल बन जाती है तो और जगह की तरह वे भी एक प्रस्ताव ही पास कर सकते हैं कि हमको फलां चीज यहां नहीं वहां चाहिए । ज्यादा से ज्यादा वे और कर ही क्या सकते हैं ? म्युनिसिपल कौंसिल में वह जाकर प्रस्ताव पास करेंगे कि हाई कोर्ट जयपुर में होना चाहिए इसके आगे वे और कुछ कर नहीं सकते । फिर भी हम कौंसिल बनने नहीं देते; इस बिनाह पर कि एक दफा इस्तीफा दे दिया या यहां की सरकार का किसी विशेष बात पर विरोध किया । फिर उन्होंने जो विरोध किया वह भी तो कॉन्स्टीट्यूशनल तरीके से ही विरोध किया, उन्होंने कोई नागरिकों के एडमिनिस्ट्रेशन को फैल नहीं किया या ऐसी कोई गड़बड़ या अव्यवस्था नहीं फैलाई, इस प्रकार की कोई बात तो हुई नहीं थी । जो म्युनिसिपल कौंसिलर्स थे उन्होंने किसी पर्टिक्यूलर इश्यू पर इस्तीफा दिया था । उसके बाद ठीक तो यह रहता कि आप भी डेमोक्रेटिक स्टेप लेते ! उसके तुरन्त बाद वहां पर दूसरा इलेक्शन होता, उससे मालूम पड़ता कि जो पहला जनमत था, जो पहले वाले जनमत को रिप्रेज़ेंट करते थे वे जनमत को रिप्रेज़ेंट करते थे या नये चुने हुए नुमायन्दे जनता को रिप्रेज़ेंट करते हैं । लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जो चैलेंज उन्होंने किया था, जो चैलेंज उन्होंने फैंका, सरकार ने उस चैलेंज को नहीं उठाया, बल्कि उसको खुद को चैलेंज करना चाहिए था कि आप पब्लिक के नुमायन्दे नहीं हैं, हम जिस काम को करना चाहते हैं उसको जनता भी चाहती है और यह जब नये नुमायन्दे चुन कर आये तो उससे ही स्पष्ट हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया । अगर इस तरह से किया जाता तो सबसे बढ़िया काम रहता ।

दूसरी बात, मैं ऐसा समझता हूँ अध्यक्ष महोदय, कि दो साल हो गये, उसके बाद आपने १९५८ में म्युनिसिपैलिटी को सुपरसीड किया और अब ६० चल रहा है । दो-तीन साल का समय होने जा रहा है ! मैं समझता हूँ कि पब्लिक के दिलों में ठेस न पहुंची हो, ऐसा नहीं हो सकता । इस इश्यू के पहले

(श्री पी० के० चौधरी)

वे जिस प्रकार सोचते थे उसमें परिवर्तन हो गया हो, यह हो सकता है, आपके लिए दिलों में परिवर्तन आया हो यह भी हो सकता है; तो आपको उनको मौका देना चाहिए ।

दूसरी एक बात, मैंने इस बिल को सिलेक्ट कमेटी में भेजने के लिए जो प्रस्ताव रखा है वह यह है कि इस बिल में ऐसा प्रावधान है:

"...until a new Municipal Council for the city of Jaipur is duly constituted in accordance with the New Act."

(१.३५ म. प.)

(श्री निरंजननाथ आचार्य, उपाध्यक्ष, पदासीन)

इस बिल के द्वारा सदन से एक ब्लैंक चैक की मांग की गई है । जुलाई १६५६ में सुपरसेशन लैप्स हो जाता है । उसके लिए पिछले एक साल का एक्सटेंशन ही नहीं मांगा जा रहा है आगे के लिए जब कि म्युनिसिपल कौंसिल बने या टिल ए न्यू कौंसिल इज़ इलेक्टेड । न्यू कौंसिल में तो दो-तीन साल का समय भी हो सकता है, तब तक के लिए भी एक्सटेंशन दे दो, तो इस प्रकार का एक ब्लैंक चैक सदन से मांगा जा रहा है कि यह ब्लैंक चैक दे दो । मैं समझता हूं कि ब्लैंक चैक इस प्रकार से सदन से मांगा जाना उचित नहीं है । कम से कम एक तारीख मुकर्रर कर दी जाती कि फलां तारीख तक का एक्सटेंशन दे दो । एक बात यह भी है, आपके सुपरसेशन के टाइम के एक्सपायर होने के बाद और जब आपने इसको सुपरसीड किया उसके बाद भी कई सैशन्स हुए । ५८ का बजट सैशन हुआ, ५६ का बजट सैशन हुआ उसके बाद ५६ का अगस्त–सितम्बर का एक सैशन हुआ, फिर ६० का बजट सैशन हुआ । इतना टाइम निकल गया, तीन, चार सैशन्स हो गये लेकिन आप सदन के सामने नहीं आते और अब बैक डेट से एक ब्लैंक चैक सदन से मांगते हैं । यह ब्लैंक चैक भी दिया जा सकता है लेकिन कम से कम इतना इत्मिनान तो देना चाहिए, इतना तो डेफिनिट करना चाहिए कि फलां तारीख तक का एक्सटेंशन चाहते हैं, अगले दो महीने के लिए, तीन महीने के लिए एक्सटेंशन चाहिए, लेकिन यह कि जब मर्जी हो तब तक के लिए एक्सटेंशन दे दो तो उसके बाद तो सदन के किसी मेम्बर को यह हक नहीं होगा कि वह सरकार से कह सके कि एडमिनिस्ट्रेटर क्यों कायम कर रखा है, इसलिए यह बात भी ठीक नहीं है ।

दूसरी बात, उपाध्यक्ष महोदय, हमको बहुत बुरी लगी एडमिनिस्ट्रेटर का अपॉइन्टमेंट भी सदन से कराया जा रहा है । जो पहले एडमिनिस्ट्रेटर पशुपतिनाथ कौल और जो दूसरे एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनके अपॉइन्टमेंट की स्वीकृति भी सदन से चाही जा रही है । मैं समझता हूं कि सदन तो म्युनिसिपैलिटी के सुपरसेशन का जो पीरियड है उसके एक्सटेंशन पर स्वीकृति दे सकता है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर के अपोइन्टमेंट की अप्रूवल सदन से चाहना तो एक एक्ज़ीक्यूटिव जोब सरकार का है । आपने जो एक विशेष व्यक्ति को एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइन्ट किया, आज सदन से उसकी अप्रूवल चाहते हैं, उस व्यक्ति का अपॉइन्टमेंट सदन के नाम से हो तो मैं समझता हूं कि अनुचित रहेगा ।

(श्री पी० के० चौधरी

आज तक किसी भी लेजिस्लेचर के इतिहास में किसी व्यक्ति के नाम से अपॉइन्टमेंट लेजिस्लेचर द्वारा नहीं किया गया है। कोई भी लेजिस्लेशन किसी व्यक्ति के नाम से नहीं आया है; किसी भी स्टेचुटरी बुक में यह नहीं है कि किसी का अपोइन्टमेंट लेजिस्लेचर से हुआ हो। उपाध्यक्ष महोदय, जो इसके वर्डिंग्स हैं वे इस प्रकार हैं :—

"Shri Pashupati Nath Kaul shall be deemed to have been duly appointed as such Administrator during the period commencing on the 15th. day of July, 1959, and to have lawfully exercised the powers and performed the functions of the said Council during the period of his appointment in accordance with law."

यह उसका अपोइन्टमेंट था जिसका अप्रूवल सदन से करवाया जा रहा है। उसके बाद है:

"Shri Himmta Singh shall be deemed to have been duly appointed as such Administrator and to have so exercised the powers and performed the functions of the said Council as from the 18th. day of July, 1960, the commencement of this Act and is hereby appointed as such Administrator to exercise the said powers and perform the said functions from the date of such commencement till the time that he continues to hold such appointment, and..."

उपाध्यक्ष महोदय, सदन की तरफ से अपोइन्टमेंट का ऑर्डर दिया जाता हो, मेरे ख्याल से, सदन की तरफ से किसी विशेष व्यक्ति का अपोइन्टमेंट ऑर्डर आज तक इस प्रकार से इश्यु नहीं हुआ है। सदन तो लेजिस्लेशन पास करता है और उस लेजिस्लेशन के अगेंस्ट अपॉइन्टमेंट करने का का काम सरकार का है। सदन से सरकार को कौंसिल को सुपरसीड करने का अधिकार दिया जा सकता है, जो सुपर्सेशन कर दिया है बैक डेट से उसको वेलीडेट किया जा सकता है, लेकिन किसी को अपॉइन्टमेंट देना, व्यक्ति विशेष का अपॉइन्टमेंट करना किसी भी स्टेचुटरी बुक में नहीं मिल सकता है। इसमें लिखा है।Mr. So and so is hereby appointed as an Administrator...

इस प्रकार किसी लेजिस्लेशन में आज तक शायद ही किसी व्यक्ति के अपोइन्टमेंट का कोई कानून पास किया हो। यह बात बहुत खटकने वाली है, इसलिए मेरा निवेदन है कि इसको सिलेक्ट कमेटी में दे दिया जाय। वहां पर इस पर विचार करके कि सरकार के पूर्व एक्शन को वेलिडेट कर दें, सरकार जो इन्डेफिनिट पीरियड के लिए एक्सटेंशन चाहती है तो उसके लिए भी पीरियड फिक्स कर दें, ये सारी बातें सिलेक्ट कमेटी में सोची जा सकती हैं और उसमें डेफिनिट पीरियड, डेफिनिट डेट दे सकते हैं, इसलिए इसको सिलेक्ट कमेटी में भेज देना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं अपना प्रस्ताव पेश करता हूं।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन के सम्मुख जब कि सदन अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो रहा है, इसके पूर्व जयपुर नगरपालिका का जो शासन इस समय चल रहा है उस शासन व्यवस्था को शासक के आधीन ही फिर से रखा जाय और उसके अतिरिक्त

(श्री मुरलीधर व्यास)

अब तक जो कुछ भी कार्यवाहियां उन्होंने की हैं उनको भी मान्यता प्रदान की जाय, इस सम्बन्ध में एक विधेयक विचारार्थ है।

मैं समझता हूं कि जो यहां कुछ सम्माननीय सदस्यों की यह राय है कि इसको सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द किया जाय, यह बात बड़ी आश्चर्यजनक है और उन परिस्थितियों के बीच जबकि मालूम है कि कल से सदन अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो रहा है उसके पहले इसको सिलेक्ट कमेटी को सौंप दिया जाय और इस बात को रहने दिया जाय, तो मैं समझता हूं कि यह ठीक नहीं है। सवाल तो यह है कि जो ठीक बात है, जो विधेयक है, इसकी जो खामियां हैं उन खामियों को कितनी जल्दी किस प्रकार से दूर कर सकते हैं, जिससे कि जनतन्त्र की रक्षा हो सके।

नगरपालिका, खास करके जयपुर की नगरपालिका के लोगों ने कब त्याग-पत्र दिया ? आज कितना लम्बा समय हुआ, इस बात पर हमें थोड़ा सा सोचना चाहिए ! कानून तो यह है कि ३ साल तक नगरपालिका के अधिकारी काम कर सकते हैं और यहां सवाल यह आता है कि २ साल तक कर चुके। कौन ? चुने हुए लोग नहीं। सरकार के प्रतिनिधि वहां पर काम कर चुके, जनता के चुने हुए नुमायन्दे नहीं। वे दो साल काम कर चुके और एक साल और बढ़ा दें। कोई समय नहीं। न मालूम चुनाव की बात हो। हो सकता है कि बात भी नहीं हो। कोई इसका समय नहीं है। इस प्रकार का यह विधेयक है। यदि उन लोगों के ज़रिये कि जो सरकार अपने आपको जनतन्त्र की हामी कहे और कहे कि इस मुल्क में जनतन्त्र को कामयाब करना चाहते हैं और जनतन्त्र की कामयाबी के लिए वह सरकार जो कि हिन्दुस्तान में विकेन्द्रीकरण के नाम पर सारी दुनिया में सब का अगुआ होने का दावा करती है और इस बात का ढोल पीटती है कि हमने सबसे पहला कदम उठाया है जो कि जनतन्त्र की रक्षा की एक शक्ति है, सबसे अच्छा माना जाता है और वही सरकार एक ओर तो उन गांवों के लिए अपने गांव का काम मिल कर वहां के चुने हुए नुमायन्दे करें और उसके लिए उनको अधिकार देते हैं, ऐसे अधिकार देते हैं कि जिससे वह अपने आप में एक स्वशासित हो जाय, और दूसरी ओर एक शहर में और वह शहर भी छोटा नहीं, राजस्थान का सबसे बड़ा शहर है और राजस्थान को राजधानी है। उपाध्यक्ष महोदय, सबसे ज्यादा जहां पढ़े लिखे लोग हैं और उस स्थान पर जहां कि चुनाव बहुत जल्दी होना चाहिए, जनता के नुमायन्दों के जरिये सारा काम होना चाहिए वहां पर उस काम को बिल्कुल ही ड्रॉप करके चुनाव नहीं कराकर लम्बे समय से इस चीज को टालते हुए आकर उसके बाद में इस प्रकार का विधेयक रखे और चुनाव की बात नहीं करे, और चुनाव के प्रश्न को टाले, तो मैं समझता हूं कि चाहे वह सरकार हिन्दुस्तान में अपने आप इस तरह से डेमोक्रेसी या लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण का ढोल पीटे, तो मैं खुले रूप में कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार की जो नीति राजस्थान सरकार की है वह लोकतंत्र की हत्या करने वाली साबित हो सकती है, लोकतंत्र के विकास की नहीं हो सकती है। इस सवाल को राजस्थान सरकार को नहीं बल्कि

(श्री मुरलीधर व्यास)

सारे उन लोगों को जो कि जनतंत्र के हामी हैं, जो यह चाहते हैं कि मुल्क में अपना नाम बढ़ा कर जनतंत्र की रक्षा करें, आज उनको सोचना पड़ेगा कि राजस्थान सरकार इस विधेयक के जरिये किस स्थान पर जा रही है। आज आश्चर्य है और आश्चर्य यह है कि जिन लोगों ने और खास करके इस जयपुर के उन लोगों ने जिन्होंने उस समय जबकि जयपुर के अंदर यहां की जनता हाईकोर्ट की मांग पर आन्दोलन कर रही थी और जनतांत्रिक तरीके से, क्योंकि उन्होंने ठीक समझा कि हमारी यह मांग जायज है, और उसके लिए उन्होंने त्यागपत्र दे दिया वह त्यागपत्र एक ऊंचे आदर्श को लेकर था। वह आदर्श यह था कि सरकार जनतंत्र की जो आवाज है उसकी अवहेलना कर रही है और उस अवहेलना के खिलाफ सारी नगरपालिका के सदस्यों ने त्यागपत्र दिया। तो एक बात है जो कि सरकार ने उस समय नहीं मानी, लेकिन त्यागपत्र देने के बाद कम से कम सरकार को यह ख्याल रखना चाहिए कि किसलिए त्यागपत्र दिया था। क्या उनके कार्यकाल में कोई गड़बड़ी थी? क्या वे उसके लिए योग्य नहीं थे? क्या उनके समय में किसी प्रकार से काम में कोई खामी थी? कोई ऐसी बात नहीं थी। परन्तु एक समय का तकाजा था। उन्होंने त्यागपत्र दिया। अब त्यागपत्र देने के बाद, ठीक बात है कि आन्दोलन चला, समाप्त हुआ, उसके बाद में सरकार का पहला फर्ज यह होना चाहिए था कि ठीक बात है कि ऐसी परिस्थिति के अन्दर जयपुर की नगरपालिका का जो बोर्ड था वह भंग हुआ इसलिए उसका चुनाव जल्दी से जल्दी फिर करा लेना चाहिए। परन्तु उसके लिए कोई कदम नहीं उठाये गये हैं। उसके लिए बिल्कुल चुप रह गये। इतना चुप रह गये कि यहां के लोगों ने, यहां की राजनैतिक पार्टियों ने कई बार सरकार को इस प्रकार के आवेदन-पत्र दिये, आन्दोलन किया, प्रस्ताव पास करके भेजे कि आप जल्दी से जल्दी जनता के चुने हुए नुमायन्दे रखें और चुनाव करायें, पर सरकार ने उस पर कोई ख्याल नहीं किया और आज मैं कहना चाहता हूं कि अगर सरकार वाकई में लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण को महत्व देना चाहती है और उस महत्व के साथ साथ अगर वह महसूस करती है तो शीघ्र ही इसके चुनाव कराए। जैसा कि आज एक प्रश्न में मंत्री महोदय ने बताया था कि हमने नगरों के विकास और लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण के लिए दूसरी पंचवर्षीय योजना के लिए एक करोड़ रुपये रखे हैं और वह योजना किस प्रकार से होगी कि जनता के नुमायन्दे योजना बनाकर देंगे और उसके बाद में विचार होगा, और उसके बाद में योजना बनेगी। जो विकास का सवाल है और जहां विकास का सवाल है, जहां करोड़ों रुपये खर्च करना चाहते हैं वहां नगरपालिका के चुनाव ही नहीं करायें, जनता के नुमायन्दे ही नहीं रखें, तो योजना क्या बनायेंगे? किस प्रकार से अपनी योजनाओं को कामयाब कर सकते हैं? ऐसा एक उदाहरण नहीं है। आपको राजस्थान में अनेकों उदाहरण मिल सकते हैं। आज राजस्थान सरकार का, जहां तक नगरपालिकाओं का सवाल है हर मामले में यह तरीका है कि कहां चुनाव कराये जायं और कहां पर नहीं कराये जायं, कौनसा स्थान हमारे लिए ठीक होगा? यहां चुनाव करायेंगे तो कांग्रेस का

(श्री मुरलीधर व्यास)

बहुमत होगा या नहीं ? अगर हमारा बहुमत नहीं होता है तो चुनाव नहीं करायेंगे। यह सब गलत है। मैं यहां तक कहूं कि ऐसे भी स्थान हैं कि जहां चुनाव हो चुके हैं और जनता के चुने हुए नुमायन्दे हैं, वहां पर क्योंकि आपका बहुमत नहीं है, आपके पक्ष के आदमी नहीं हैं, आप उस स्थान पर जो बाकायदा कानूनी चुनी हुई म्युनिसिपैलिटी है उसको काम नहीं करने देते हैं। ऐसे अनेकों एरिया आपको मिल सकते हैं जहां एक पक्ष दूसरे पक्ष के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव पास कर देते हैं और अविश्वास प्रस्ताव के जरिये उसको हटाया जाय, परन्तु क्योंकि आपके पक्ष में वह नहीं हैं तो कानूनी अड़चन ऐसी पैदा कर दी जाती है। उन लोगों ने अविश्वास के प्रस्ताव पास करके उनको हटाया लेकिन दूसरे लोगों को काम करने के लिए नहीं आने दिया जाता है। कुचामन का आज ही एक प्रश्न थां कि वहां के लोगों ने मिल कर बाकायदा प्रस्ताव पास करके फैसला करके दिया कि नगरपालिका के प्रेसीडेन्ट को हटाया जाय और अविश्वास का प्रस्ताव पास हुआ, सर्वसम्मति से पास हुआ। आज उसको दो महीने हो गये, लेकिन तारीफ यह है कि कानून के अन्तर्गत उसको काम करने का अधिकार नहीं है। ज्योंही प्रस्ताव पास हो जाय उस जगह पर नहीं बैठ सकता। लेकिन आज भी वह बैठा हुआ काम कर रहा है। दूसरी ओर जिन लोगों ने अविश्वास का प्रस्ताव पास किया और जिन लोगों ने इस प्रकार सरकार को सूचना दे दी तो सरकार का सबसे पहला काम यह था कि उस जगह पर उसको काम नहीं करने दे। परन्तु आज तक वह नहीं होता है। ये घटनाएं इसलिए बताना चाहता हूँ कि जिस समय विधान सभा का अधिवेशन होता है तो बाहर गांव के और नगरपालिका के लोग यहां पर पहुंचते हैं और ऐसी चीज़ हो गई, यह देखें कि बाकायदा हटा दिया है, फिर भी अभी तक चार्ज नहीं दिया ; बहुत से ऐसे उदाहरण हैं। ठीक बात है कि नगरपालिकाओं के मामले आज हाई लेवल पर तय होते हैं कि अवधि बढ़ा दें या नहीं बढ़ायें। आखिर यह क्या है ? अगर जनतन्त्र में इस प्रकार से काम चलता है तो मैं समझता हूं कि चाहे कुछ भी हो, जैसा कि फुलेरा से आनेवाले माननीय सदस्य ने बम्बई प्रान्त का उदाहरण दिया, महाराष्ट्र समिति का उदाहरण दिया, दूसरे प्रान्त इस प्रकार से डेमोक्रेसी के बारे में सोचते हैं तो आपका लक्ष्य किस प्रकार का है ? आपका सोचने का तरीका किस प्रकार का है ? इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं और खास तौर पर राजस्थान सरकार पर आक्षेप लगाता हुआ कि आज जो राजस्थान सरकार का नगरपालिका के मामले में सोचने का तरीका है वह पक्षपातविहीन होना चाहिये लेकिन वैसा न होकर पक्षपातपूर्ण है। इसे दूर करना चाहिये ताकि जनतंत्र के प्रति मुल्क में जो आस्था है वह बढ़ सके और जनतांत्रिक परम्परा को वापिस स्थापित कर सकें। इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि यह जो स्थिति है राजस्थान में उस पर विचार करना जरूरी है।

अब जहां तक यहां की स्थिति का सवाल है, आप यह सोचते हैं कि, ठीक बात है, एडमिनिस्ट्रेटर या जो प्रशासक नियुक्त करें उसका काम अच्छा होगा। यदि आपके दिमाग में यह बात है तो मैं खास करके

(श्री मुरलीधर व्यास)

जयपुर म्युनिसिपैलिटी की स्थिति के बारे में कहना चाहता हूं कि पहले आपने ३ महीनों के लिये प्रशासक नियुक्त किया, फिर उसका कार्यकाल बढ़ाया, उसके बाद फिर बढ़ाया और अब आप इस स्थिति में आये कि इस कानून के जरिये अनिश्चित काल के लिये प्रशासक नियुक्त करना चाहते हैं और उन्होंने जो कुछ काम किया, चाहे वह गलत हो या सही हो उस पर सर्टिफिकेट लगाना चाहते है सदन की ओर से । मैं कहना चाहता हूं कि जहां तक जयपुर नगर-पालिका के काम का सवाल है, इसमें कई गैरकानूनी काम हुए हैं । एक छोटासा काम प्रश्न के रूप में हमारे सामने आया और वह यह कि यहां की नगरपालिका का काम प्रशासक के हाथ में जाने के बाद जो ठेला चलाते हैं उन लोगों पर ७२ रु० का टैक्स लगाया और आप कहते हैं कि हम उसको मंजूर कर लें । हम कहते हैं कि जयपुर में एक आदमी जो ठेला चलाता है उस पर ७२ रुपया प्रतिवर्ष का टैक्स क्यों लगाया जब कि पास के इलाके उदयपुर में ३) रु० हैं, जोधपुर में ३ रु० हैं, बीकानेर में १२ रुपये हैं तो यहां पर आप ७२) रु० क्यों लगाते हैं ? और उस पर भी आप कहते हैं कि मोहर लगा दो तो हम कहते हैं जनतंत्र का खून किया गया है । आपके अधिकारी को इतना टैक्स लगाने का अधिकार नहीं है । टैक्स लगाने का अधिकार उन लोगों का था जो जनतांत्रिक ढंग से चुनिन्दा होकर आते । उनके बजाय यदि आपका प्रशासक इस प्रकार का टैक्स लगाता है और आप कहें कि उसने ठीक किया है लेकिन हम उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते क्योंकि उसने गलत काम किया है । उसकी इस गलती को भी आप मान्यता प्रदान कराना चाहते हैं ?

आज इस प्रकार की अनेक घटनाएं हैं । मैं कहता हूँ कि प्रशासक-काल में आज जिस प्रकार की स्थिति रही है, नुकसान उठाना पड़ा है वैसा पहले कभी नहीं हुआ था ! हरिजनों की हड़ताल पहले कभी नहीं हुई थी लेकिन प्रशासक काल में १६ दिनों तक हरिजनों की हड़ताल रही, शहर में गन्दगी–गन्दगी का सामना लोगों को करना पड़ा, किस समय ? प्रशासक के समय में । यदि चुने हुए नुमायन्दों के समय में इस प्रकार की घटना हो जाय तो बात अलग है लेकिन प्रशासक के समय में ऐसी घटना होना उचित नहीं है । जहां पर चुने हुए नुमायन्दे होते हैं तो उनके सामने सफाई, पानी, बिजली आदि का सवाल होता है । वे लोग लोगों के बीच में गलियों में घूम कर देख सकते हैं कि वहां क्या हो रहा है लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर इस प्रकार का काम नहीं कर सकता । इसका काम विकेन्द्रित होना चाहिये, जल्दी होना चाहिये । हर आदमी का लोगों से सम्बन्ध होता है । कहां बिजली की शिकायत है, कहां पानी की शिकायत है और कहां सफाई नहीं है, इसका उनको पता रहता है और वे यह भी जानते हैं कि इन कठिनाइयों को किस प्रकार से दूर किया जा सकता है । यदि एक सदस्य होगा एक मुहल्ले का तो उसको मालूम होगा कि कहां कूड़े का ढेर पड़ा है, कहां गन्दगी है, उसको दूर करने का वे उसी समय प्रयत्न करते हैं, उनकी जिम्मेदारी होती है । लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर की कौनसी जिम्मेदारी होती है, वह कौनसा मुहल्ले में जाता है ? इसलिये

(श्री मुरलीधर व्यास)

मैं कहता हूं कि नगरपालिका के चुने हुए सदस्य होने चाहिये। मेरे पास इस प्रकार की गन्दगी के फोटो हैं। जयपुर की हरिजन बस्ती में मैं गया था। उस समय जब एक नाले में एक बच्चा गिर गया था....

श्री उपाध्यक्ष : Let us have it on the Table of the House so that it may be a decoration in the file.

श्री मुरलीधर व्यास : गन्दगी का प्रश्न है। एडमिनिस्ट्रेटर के कार्यकाल में........

श्री उपाध्यक्ष : फोटो में गंदगी कैसे दिखायेंगे ?

श्री मुरलीधर व्यास : नगरपालिका के चुने हुए नुमायन्दे होते तो इस प्रकार की गन्दगी नहीं होती। सरकार यदि इस प्रकार का ख्याल नहीं करे तो सोचना पड़ेगा। मैं वहां पर गया था और मैंने वहां का चित्र देखा था कि किस प्रकार की गन्दगी जयपुर में है। यहां पर बाहर से लोग आकर देखते हैं। सड़कों पर घूमते हैं तब तक तो मालूम होता है कि सुन्दर शहर है; लेकिन जब गलियों में जाते हैं तो मालूम पड़ता है कि जितना बाहर से सुन्दर है उतना ही भीतर से गंदा है....

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : काम क्या है अन्दर जाने का ?

श्री मुरलीधर व्यास : वहां रहते तो जाना पड़ता है, हम लोग ही नहीं जावेंगे तो कौन जायगा ?....

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़): वहां जाकर सफाई करनी चाहिये।

श्री मुरलीधर व्यास : जहां तक सफाई का सवाल है, मुझे एतराज नहीं है, लेकिन यह प्रश्न एक व्यक्ति का नहीं है। आपने भी देखा होगा १६ दिन तक हड़ताल हुई, लेकिन सफाई आप नहीं कर सके, उनको करनी पड़ी। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि संविधान के विरुद्ध काम होता जाता है। टैक्स लगाने का काम प्रशासक के शासन काल में हुआ है। जब संविधान में प्रावधान है कि ठेकेदारी प्रथा का विरोध कर सकते हैं; आपके यहां प्रशासक काल में सफाई का काम भी ठेकेदारी प्रथा से हुआ; ठेकेदारी इस प्रकार से कि एक मोहल्ले में पहले १० आदमी काम करते थे और मान लीजिये उन पर ३००) रु० माहवार खर्च होते थे वहां पर आपने एक ठेकेदार को बैठाया जिसको आप ६००) रु० देते हैं इसलिये कि वह मनमाने ढंग से काम करे। संविधान के अन्दर इस प्रकार का परिवर्तन किया जा रहा है जिसके अनुसार ठेकेदारी प्रथा को सिद्धान्त के विरुद्ध माना जा रहा है। आज जब कि कांस्टिट्यूशन में इस प्रकार का परिवर्तन किया जा रहा है कि ठेकेदारी प्रथा को समाप्त किया जाय वहां आपने ठेकेदारी की नई प्रथा कायम की है जो समाजवादी सिद्धान्त के विरुद्ध है। लेबर डिस्प्यूट एक्ट में सरकार परिवर्तन लाना चाहती है सिर्फ ठेकेदारी प्रथा को हटाने के लिये, तो आप जब अपने यहां यह प्रथा शुरू करते हैं और आदमियों का शोषण आपके जरिये होता है, ठेकेदार एजेन्ट बनते हैं और हरिजनों का शोषण करते हैं, इस

(श्री मुरलीधर व्यास)

प्रकार की प्रथा आपके प्रशासनिक कार्यकाल में चलती है जो सिद्धान्त के बिल्कुल खिलाफ है। हम बिल्कुल उसको ठीक नहीं समझते। यह आपने किसलिये चालू की?

जनता के नुमायन्दे जब नगरपालिका में नहीं हैं तो जीप गाड़ियों में जो पेट्रोल खर्च होता है उसकी कोई लोग-बुक नहीं रखी जाय तो कौन पूछता है, जो कुछ करना चाहें वही हो जाता है क्योंकि एकतंत्र हो जाता है, कौन पूछने वाला है। लेकिन यदि जनता के नुमायन्दे इस स्थान पर होते तो पूछते कि इतना खर्चा क्यों हुआ? इस प्रकार की सारी बातें पूछी जातीं। लेकिन जहां एक-तन्त्र हो वहां मनमानी होने लगती है और धन का दुरुपयोग होने लगता है। मैं उदाहरण नहीं देना चाहता लेकिन कहना चाहता हूं कि बुरी बात होती है। आज के शासन काल में हमने इस चीज को मान्य किया है तो हमको ऐसा विधेयक नहीं लाना था। यदि लाते तो ऐसा लाते कि इतने दिन तक जो कुछ चला, सरकार की ओर से चला, अब यह ले आते कि ३ महीने या ६ महीने बाद की चुनाव की तारीख नियुक्त की है तब तक के लिये प्रशासक रखने के अधिकार दें, तो यह ठीक बात होती और पुरानी गलतियों को यहां पर दोहराने की जरूरत नहीं पड़ती और हम यह समझते कि मंत्रीजी ने इतना समय ठीक मांगा है :

२. म० प०

और इतना समय दे देना चाहिए; कम से कम समय तो निश्चित हो जाय। समय आप निश्चित करते नहीं, आगे के लिये नियुक्ति करवा ली और इस प्रकार मंजूरी ले ली, तो मैं समझता हूँ कि आप अपने आप में तो जनतंत्र की हत्या करते हैं ही उसके साथ साथ हम लोगों के हाथ से भी करवाना चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि इस मामले के अन्तर्गत जहां तक आज का सवाल है मैं इस चीज को मानने वाला तो हूं ही, पर इसके साथ यह भी कहना चाहता हूं और खुले रूप में कहना चाहता हूं—सदन में कहना चाहता हूं, मंत्री महोदय सुन लें, आपका इस प्रकार का जो बिल है, वह सिर्फ इसलिए पास करवाना चाहते हैं कि जयपुर नगरपालिका के चुनाव के अन्दर आपकी कांग्रेस पार्टी कामयाब नहीं हो सकती। इसलिए लम्बे समय के लिए जब तक आम चुनाव नहीं हों तब तक नगरपालिका के चुनाव नहीं करवायेंगे और इस पर आप कानूनी मोहर लगवाना चाहते हैं। यह आपकी मन्शा है और जब समय आयेगा तब मैं आपको बताऊंगा कि यह मन्शा आप पूरी करते हैं या नहीं। जो लोग, चाहे वे किसी पक्ष के हों, यह मानते हों कि यह मन्शा बुरी है; कोई जीते—कोई हारे, इसमें कौनसी बात है, उसमें कोई पक्ष जीत जाय, परन्तु इस प्रकार की भावना से जो कार्य किया जाता है वह ठीक नहीं है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन यह आपस में चर्चा हुई। मंत्री महोदय परस्पर चर्चा कुछ लोगों से करते हैं, नगरपालिका के चुनाव करा दें तो अपना दल जीतेगा या नहीं? इस प्रकार की बात जब सुनते हैं तो आश्चर्य होता है। इसलिए मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि स्वायत्त शासन संस्थाओं में जो गड़बड़ी होती रही

(श्री मुरलीधर व्यास)

है, यह गड़बड़ी समाप्त होनी चाहिए। आपका इस पद पर स्थानान्तरण हो गया, लेकिन यह गड़बड़ी दूर नहीं होती है, तो दुःख होता है। मैं समझता हूं कि यह जनतंत्र में रहनेवाले नागरिकों के जीवन-मरण का सवाल है, उनके हकों का सवाल है। मंत्री महोदय बदल जायं और हालत वही की वही रहे, कार्यवाहियों में कुछ परिवर्तन न हो तो लोगों को आश्चर्य होता है और वे सोचते हैं कि उनके अधिकारों की रक्षा कौन करेगा। इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से प्रार्थना करना चाहता हूं कि यह सवाल एक बड़े महत्व का सवाल है, इस पर किसी हालत में मजाक के दृष्टिकोण से या व्यक्तिगत आधार पर विचार नहीं होना चाहिए, किसी पक्ष की बात इसमें नहीं है, मैंने पक्ष के दृष्टिकोण से बात कह दी है, मैं उसको भी विथ्ड्रा करता हूं और इस तरह की बात को ठीक नहीं समझता। यह एक अहम सवाल है और हरएक नागरिक के बुनियादी हक का सवाल है, देश के विकास का सवाल है! इसके साथ जो लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण है, राजस्थान ने अग्रणी होकर विकेन्द्रीकरण राजस्थान में किया। इसलिए मैं समझता हूं कि इस मामले में अगर आप पीछे हो जायेंगे तो लोगों की आस्था न तो विकेन्द्रीकरण पर होगी और न किसी चीज पर होगी। इन लफ्जों के साथ मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप इस पर विचार करेंगे और इस बिल को पारित करने से पहले कहेंगे कि इतने समय के लिए इस बिल को पारित करना चाहते हैं, तो मैं समझूंगा कि आपने लोकतन्त्र की रक्षा की। अगर ऐसा नहीं करते, तो इन परिस्थितियों में, जब कि आपका बहुमत है, आपने इसे पास करवा लिया, लेकिन सदन के सारे सदस्य जनतन्त्र के हामी हैं, उनको सोचना चाहिए कि इस प्रकार की कार्यवाही करना जनतन्त्र के प्रति अन्याय है और आगे इस प्रकार की परिस्थिति आयेगी कि जनता इसका विरोध करेगी और ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जायंगी कि उनका मुकाबला करना कठिन हो जायगा। मैं आपको किसी प्रकर चैलेंज नहीं करता हूँ, पर यह कहना चाहता हूं कि आपको इस मामले के अन्तर्गत बिल्कुल स्पष्ट तरीके से कहना चाहिए कि इतने समय के लिए बिल पारित करना चाहते हैं और इसके बाद चुनाव हो जायेंगे।....

श्री उपाध्यक्ष : Hon'ble member will look to the impatience of Hon'ble Rao Raja Sardar Singh.

श्री मुरलीधर व्यास : मैं जल्दी कर रहा था।

श्री उपाध्यक्ष : He has asserted his right by standing so many times.

श्री मुरलीधर व्यास : इसलिए मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि आज तक जो परम्परा चली है उसमें आप परिवर्तन लाएंगे और यह बता देंगे कि इन परम्पराओं को आप ठीक नहीं समझते हैं। जो आज मौका आया है इस मौके पर आप यह भावना दिखा सकते हैं, इसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय....

Page No.76

श्री उपाध्यक्ष : रावराजा श्री सरदारसिंह।

रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मेरी ओर ध्यान दिया और बोलने का मौका दिया है। उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर म्युनिसिपैलिटी....

श्री उपाध्यक्ष : आप टोंक म्युनिसिपैलिटी पर बोल रहे थे।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : उनियारा पर बोलना चाहिए।

रावराजा श्री सरदारसिंह : इसमें प्रोविज़न किया है म्युनिसिपैलिटी के एडमिनिस्ट्रेटर की मयाद बढ़ाने का और उनके जो कारनामे किये हुए हैं, उनको वेलीडेशन देने का प्रोविज़न माननीय मंत्रीजी ला रहे हैं। इसके लिए मुझे दो शब्द अर्ज करने हैं। उपाध्यक्ष महोदय, यह आपको बार बार एडमिनिस्ट्रेटर अपोइन्ट करने का मर्ज कहां से लग गया ? जहां देखिये, वहां पर एडमिनिस्ट्रेटर अपोइन्ट कर दिया, जब कि नगरपालिका के काम में, वहां की व्यवस्था में कोई गड़बड़ी नहीं है और जो जनता के चुने नुमाइन्दे आये हैं, वे अच्छा काम करते हैं....

डॉ० बहादुरसिंह : यह 'एडमिनिस्ट्रेटर का मर्ज' है, यह किस पोथी का है ?

रावराजा श्री सरदारसिंह : मर्ज इस बात का है....

एक माननीय सदस्य : जयपुर में रहने से लग गया।

रावराजा श्री सरदारसिंह : कुर्सी का मर्ज है....

श्री उपाध्यक्ष : एडमिनिस्ट्रेटर का मर्ज नहीं है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, लोकल सेल्फ मिनिस्टर ने मिस्टर कौल को पहले एडमिनिस्ट्रेटर अपोइन्ट किया, वह १४-७-५७ को अपॉइन्ट किया गया। इसके बाद में नया एक्ट बना, वह १७-१०-५६ को चालू हुआ यानी १३ महीने तो पहले एडमिनिस्ट्रेटर ने काम किया और उसके बाद अब तक किया, उस पीरियड में जो उचित और अनुचित काम किये उनको वेलीडेशन देते हैं। और आइन्दा, अभी जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उसके लिए अनिश्चित् काल के लिए मयाद बढ़ा रहे हैं, यह बड़े ताज्जुब की बात है। क्या आपकी नीयत साफ है ? यह जयपुर म्युनिसिपैलिटी के साथ ही नहीं, जहां जहां एडमिनिस्ट्रेटर हैं वहां आप चुनाव क्यों नहीं करा रहे हैं....

श्री सम्पतराम (स्वायत्त शासन मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य नहीं समझते हैं कि....

श्री उपाध्यक्ष : नीयत नहीं, नीति कहा है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : मैं समझ रहा हूं, आप अनिश्चित् काल के लिए एडमिनिस्ट्रेटर रखना चाहते हैं : टिल दी चुनाव नहीं हों। लेकिन आप चुनाव कब करायेंगे ? चुनाव कराते नहीं हैं, माननीय उपाध्यक्ष....

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्नोत्तर काल नहीं है। भाषण प्रारम्भ रखें।

रावराजा श्री सरदारसिंह : मैं निवेदन करूं कि मेरे क्षेत्र में देवली म्युनिसिपैलिटी है। वहां १६५६ से एडमिनिस्ट्रेटर अपोइन्टेड है, लेकिन आज तक चुनाव नहीं कराये। पब्लिक ने बहुत आन्दोलन किया। इसी तरह उनियारा के अन्दर आज एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर है। वह एडमिनिस्ट्रेटर रहता है पांच मील की दूरी पर, वह तहसीलदार है। उसको न तहसीलदार के काम से फुर्सत है, वह....

श्री उपाध्यक्ष : यह तो आप विषयान्तर हो रहे हैं। जयपुर म्युनिसिपैलिटी का मसला है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर म्युनिसिपैलिटी के एडमिनिस्ट्रेटर की मयाद बढ़ा रहे हैं, लेकिन जैसे छाया खंड होते हैं, उनकी छाया पड़ती है, इसी तरह इसकी छाया दूसरी जगह असर करती है। इसलिए मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता था। मैं आपसे निवेदन करूं कि आप दुनिया में तो ढिंढोरा पीटते हो कि हम सब सत्ता प्रजा को देना चाहते हैं, सब सत्ता प्रजा को सौंपना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि वह तो आप कहने के लिए कहते हैं, लेकिन उल्टे आप सत्ता लेना चाहते हैं....

डॉ० बहादुरसिंह : सत्ता तो दे दी, आप से लेकर दे दी।

रावराजा श्री सरदारसिंह : मैं समझता हूं कि माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह १६६२ तक या उसके बाद चुनाव हो जायं तो हो जायं, नहीं तो जब तक तीसरे जनरल इलेक्शन नहीं होंगे तब तक आप चुनाव नहीं करायेंगे। आखिर बात क्या है? आप चुनाव क्यों नहीं कराते हैं?

श्री उपाध्यक्ष : आप इसका स्पष्टीकरण कर दीजिये, भाषण बन्द हो जायगा।

रावराजा श्री सरदारसिंह : कोई रीज़न भी नहीं है कि इस कारण से एडमिनिस्ट्रेटर की मयाद बढ़ाना चाहते हैं। क्या कारण है, वह तो बताना चाहिए कि ये कारण हैं, इस वास्ते चुनाव कराना नहीं चाहते हैं....

श्री सम्पतराम : अन्नदाता, कारण बताया है, लेकिन आपने समझा नहीं।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़) : 'अन्नदाता' कहां से आ गया?

श्री उपाध्यक्ष : पुराना याद आ गया है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : आप देखिये, आप मयाद बढ़ाना चाहते हो, तो क्यों बढ़ाना चाहते हो? एडमिनिस्ट्रेटर के समय की क्या क्या चीजें आपके सामने आ रही हैं? इसके साथ जो प्रजातन्त्र के अन्दर आप सत्ता प्रजा को सौंपना चाहते हो वह सत्ता प्रजा से ले रहे हो। मैं समझता हूं...

डॉ० बहादुरसिंह : सत्ता तो आपसे लेकर विकेन्द्रित कर दी।

रावराजा श्री सरदारसिंह : केन्द्रीयकरण कर रहे हैं, विकेन्द्रीकरण नहीं है। विकेन्द्रीकरण होता तो आप एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर नहीं करते, और न

(रावराज श्री सरदारसिंह)

इतना टाइम बढ़ाते । इसलिए मैं निवेदन करूं, माननीय अध्यक्ष ने कई दफा आपको कहा, आप कम से कम इसके लिए समय निश्चत कर दीजिये, छः महीने, एक साल, दो साल, कभी तो आप चुनाव कराइये! पर आप चुनाव नहीं करा रहे हैं । मैं समझता हूँ इस प्रकार आप प्रजातंत्र का गला घोंट रहे हैं, बल्कि उसकी हत्या कर रहे हैं। आप भी यहां पर चुन कर आये हैं । इसके अलावा जो आपकी कान्स्टीट्यूएन्सी में नगरपालिकाएं हैं, वहां चुनाव हो रहे हैं, वहां आपके आदमी आ रहे हैं । लेकिन जहां देखते हैं कि आपके आदमी नहीं आयेंगे, वहां आप एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर कर देते हैं, जो आपके हुक्म का पालन करता है, वह 'जो हुक्म, जो हुक्म', कहता है । जो हुक्म आप उसको देंगे, वह काम करेगा । अगर प्रजा के चुने हुए व्यक्ति आवेंगे तो वे आपके हुकम की परवाह नहीं करेंगे । आप जो यह कह कर बराबर इसकी मयाद बढ़ाते जा रहे हैं, यह ठीक नहीं है और दरअसल में यह प्रजातन्त्र की हत्या कर रहे हैं । इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि इस मयाद को ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहिये ।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी (डीग) : उपाध्यक्ष महोदय, जो यह जयपुर नगरपालिका विधेयक यहां पर प्रस्तुत है और इस पर जो संशोधन प्रस्तुत किया है उसका मैं समर्थन करता हूं और वह समर्थन केवल इस आधार पर नहीं कि जयपुर एक सुन्दर नगर है या राजस्थान की राजधानी है और वहां पर प्रशासक न होकर निर्वाचित सदस्य ही हों बल्कि यह एक सिद्धान्त के आधार पर मैं अपनी इस बात को रख रहा हूं कि आज के युग में जबकि हमारे देश का ढांचा जनतान्त्रिक हो चुका है और जनतान्त्रिक ही नहीं जहां गणतन्त्र की स्थापना हो चुकी है वहां हम केवल कुछ साधारण आधारों को लेकर जनतन्त्र की जो एक विरोधी प्रणाली है उसका हम आश्रय लें, यह उचित नहीं। मैं यह मानता हूं कि यह नगरपालिका का कानून है उसमें एक ओर जहां निर्वाचित सदस्यों का प्रावधान रखा गया है वहां कुछ विशेष परिस्थितियों में उसको भंग करके उसके स्थान पर प्रशासक या कोई अधिकारी रखने का भी प्रावधान किया गया है । लेकिन जहां इस प्रकार की चुनी हुई संस्थाओं को ठीक करने और उसके स्थान पर सरकार द्वारा मनोनीत व्यक्ति रखने का है वहां कुछ कारण दिये गये हैं और उन कारणों में कुछ इस प्रकार की ग्रोस इर्रेगुलेरिटी या कोई भ्रष्टाचार या कोई और खराबी जो इस प्रकार की कोटि में आती है उसके अन्दर सरकार को अधिकार है कि वह वहां पर उस चुनी हुई संस्था को भंग करके मनोनीत व्यक्ति नियुक्त करे। लेकिन जयपुर नगरपालिका का विशेष रूप से जहां तक ताल्लुक है, हममें से हर एक सदस्य और राजस्थान और हिन्दुस्तान की सभी पब्लिक जानती है कि यहां की नगरपालिका को गवर्नमेंट ने क्यों भंग किया। गवर्नमेंट ने कोई उन कारणों की वजह से उसको भंग नहीं किया जिनके आधार पर कोई प्रन्तीय सरकार उनको भंग कर सकती है; बल्कि यहां के चुने हुए व नामजद व्यक्तियों ने अपनी आत्मा की आवाज पर अपने अधिकारों का अपहरण होते देख कर उन्होंने यही उचित समझा कि हम जनता की कद्र करते हैं और जो कुछ भी कार्यवाही उस

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

समय सरकार की ओर से हो रही थी उसकी ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहते थे कि वह कम से कम यहां के जन-प्रतिनिधियों की दृष्टि से उचित नहीं है। मेरा यह भी विश्वास है कि केवल जयपुर से चुने हुए व्यक्ति जिनको हम नगर पिता या जनता के प्रतिनिधि कहें उनकी ही भावना यह है या जयपुर के चार लाख व्यक्तियों की यह भावना है। मैं समझता हूँ और आज भी हमारा विश्वास है कि यह भावना जयपुर या अजमेर डिविजन की नहीं, बल्कि राजस्थान की पब्लिक की भावना थी कि हाई कोर्ट ब्रांच जो जयपुर से हटाई जा रही है वह अधिकांश जनता के हित में नहीं है। इसके लिए उन्होंने अपने विरोध स्वरूप ही त्यागपत्र दिया। तो ऐसी परिस्थिति में सरकार और जनतन्त्रीय सरकार का यह कर्त्तव्य था कि यहां तो जैसा कि इस संशोधन को प्रस्तुत करते समय प्रस्तुत करनेवाले महोदय ने कहा भी था कि जनतान्त्रिक तरीका यह था कि यह बात देते बना कि आपका यह विरोध जनता की भावना के प्रतिकूल है। जनता यह चाहती है कि यह हाई कोर्ट की ब्रांच जोधपुर न जाए और अगर जनता यह चाहती कि यह जोधपुर जाय तो आप उनको फिर मौका देते कि जिस आधार पर आपने त्यागपत्र दिया है फिर से चुनाव लड़ते तीन महीने या ६ महीनों का उनको अवसर देते कि वे इस आधार पर चुनाव लड़ें कि जयपुर में हाई कोर्ट की ब्रांच हो या जोधपुर में हो। अगर वे जयपुर में भारी बहुमत से चुन कर आते और जयपुर की जनता उनको भारी बहुमत से चुन कर भेजती तो यह एक सुन्दर जनतन्त्र का तरीका होता, लेकिन ऐसा नहीं करके सरकार ने प्रशासक को रखा और उसको भी अनियमित रूप से रखा और बिना उसकी स्वीकृति लिये हुए रखा और फिर उसके लिये अनिश्चित काल के लिये अवधि बढ़ाने की मांग करना, यह सैद्धान्तिक रूप से उचित नहीं है।

मैं यह समझता हूं कि यह स्थिति अब से हम १२ या १५ वर्ष पहले देखा करते थे। अंग्रेजी शासन के या राजा-महाराजाओं के जमाने में आम तौर से ऐसे अवसर आया करते थे जब कि स्वायत्त संस्थाओं में अधिकांश बहुमत जनता के उन प्रतिनिधियों का होता था जो तत्कालीन सरकार के आलोचक हुआ करते थे और जब कभी वे यह समझते थे कि उनका विरोध अधिक बढ़ता जा रहा है या उनके शासन पर अब कुछ असर होनेवाला है तो वे खास तौर से कलेक्टर या कोई दूसरा अधिकारी वहां पर रख देते थे। उस समय तो वह उस समय के शासन की दृष्टि से उचित कहा जा सकता था, क्योंकि वहां पर विदेशी हुकूमत थी; एकतन्त्रीय शासन था और शासक जनता की आवाज को सुनते नहीं थे; कुछ लोगों का शासन था। लेकिन आज के युग में हमने जनतन्त्र को अपनाया है और गणतन्त्र को हमने शासन का नमूना मान लिया है। अब भी हम केवल ऐसे ही कारणों को लेकर, जहां पब्लिक के अधिकारों का प्रश्न आता है, हो सकता है कि वे मेरे हाथ में हों और पब्लिक के–दूसरों के हाथ में न हो, इसमें मतभेद हो सकता है किसी के लिये कोई चीज हितकर होती है तो किसी के लिये अहितकर हो सकती है। इस दृष्टि से मैं समझता हूं कि ऐसी भावना से जिन लोगों ने

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

अपने त्यागपत्र दिये हैं वे यह चाहते हैं कि यह उनका अधिकार था और वे उसे अपना अधिकार मानते हैं कि जो कुछ भी सरकार उस समय कार्यवाही कर रही है, जैसा कि मैंने बताया वह जनता की भावना के प्रतिकूल है और जनता की भावना के लिये वे अपना इस्तीफा देते हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि शासन में इतनी अव्यवस्था पैदा हो गई या कोई भ्रष्टाचार फैल गया या कोई दूसरी दिक्कत पैदा हो गई जिसके फलस्वरूप आप कोई प्रशासक नियुक्त करें और उसे लम्बे अर्से तक रखें तो यह उचित नहीं है। मैं समझता हूं कि माननीय मन्त्री महोदय भी शायद इस बात को कहना उचित नहीं समझेंगे कि हम इस कारण से मयाद बढ़ा रहे हैं कि यहां के शासन में ऐसी अव्यवस्था पैदा हो गई जो दूर नहीं हो पाई है। हम यह नहीं समझते कि एक प्रशासक के बाद दूसरा और उसके बाद तीसरा प्रशासक नियुक्त किया जाय। और यह विधेयक इसलिये लाया गया है कि एक एक प्रशासक की अवधि पूरी हो जाती है और जिसको बिना स्वीकृति के रखा गया और फिर दूसरे को रखा और फिर तीसरे के लिये स्वीकृति लें और आज भी पूरा समय आप मुकर्रर नहीं करते हैं कि इतने समय के लिये प्रशासक रहेगा। हमारे देश में जिस समय विदेशियों की हुकूमत थी उस समय विदेशी भी यही कहा करते थे कि हम देश को स्वराज्य देंगे। वे कहा करते थे कि पहले आप इसके योग्य तो हों। महात्मा गांधी यह कहा करते थे कि आप स्वराज्य कब देंगे, कोई निश्चित समय मुकर्रर होना चाहिये। हम सुनते सुनते हैरान हो गये हैं कि स्वराज्य हम तुमको देंगे। हम उनको यही कहा करते थे कि कोई निश्चित समय होना चाहिये। हम कहा करते थे और आज भी हम उसी भावना को लेकर कहते हैं कि हमारी स्थितियों के अनुकूल यह नहीं पड़ता है, इसलिये मैं समझता हूँ कि आज कम से कम जिस हैसियत से भी मैं हूं, मैं कह सकता हूं कि हम लोग जनतन्त्र के पूर्ण पक्षपाती रहेंगे। हमको अपने देश को यदि जीवित रखना है, देश के गौरव को बढ़ाना है, चाहे वह हमारे लिए छोटे-मोटे अवसरों पर हितकर न हो, या हो सकता हो, लेकिन एक जो जनतन्त्रीय तरीका है उसको नहीं छोड़ेंगे; इसलिए जहां तक यहां की म्युनिसिपैलिटी का मामला है, यहां पर प्रशासक की नियुक्ति के स्थान पर जनतन्त्रीय चुनी हुई संस्था को ही सत्ता सौंपेंगे, माननीय मंत्री महोदय इसको स्वीकार करेंगे। जैसा मैंने पहले कहा यह हमारी सुविधा या असुविधा का प्रश्न नहीं है लेकिन यह प्रश्न है उन सिद्धान्तों का जिनका हम आज तक पालन करते रहे हैं। इन शब्दों के साथ मैं अपना आसन ग्रहण करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : रावल श्री नरेन्द्रसिंह।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह (दूदू) : उपाध्यक्ष महोदय, इस समय जो मंत्री महोदय ने यह सवाल उपस्थित किया है कि एडमिनिस्ट्रेटर की मयाद बढ़ाई जाय, इसके लिए मैं यह निवेदन करूंगा कि ऐसे मौके पर इस चीज़ की कतई मंशा जयपुर की जनता की नहीं है और कम से कम विकेन्द्रीकरण की जो आज दुहाई दी जाती है, जयपुर नगर की जनता की और सारे प्रान्त की जनता की यह इच्छा नहीं हो सकती कि यह किया जाय। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मैं हर एक मामलोंमे जहां तक होता है संयत ही सोचता

(रावल श्री नरेन्द्रसिंह)

हूं, संयत बोलता हूं और संयत कार्य करने के लिए भी अग्रसर होता हूं; लेकिन इसके लिए मुझे यह कहना पड़ेगा कि ऐसे मामलों में यह मामला केवल बहुमत से पास होने का नहीं है। यहां पर उधर बैठे हुए माननीय सदस्यों ने भी इसी विचारधारा को लेकर कहा है। तो इस पर आप दुबारा विचार करेंगे। मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि आप फिर से इस पर विचार करें और इसकी मयाद को आगे नहीं बढ़ायें।

जयपुर में खास परिस्थिति में यह प्रश्न उपस्थित हुआ था और उसके वास्ते यहां के उस समय प्रत्येक विचारधारा के जो यहां के माननीय नागरिक हैं उन्होंने इसका प्रबल विरोध किया था और विरोध स्वरूप ही केवल नगरपालिका भंग नहीं हुई किन्तु खुद उन्होंने, उनके प्रतिनिधियों ने अपने स्तीफे दिये थे। उस बात से प्रेरित होकर यह उनके द्वारा किया गया था ! तो मेरा यह निवेदन है कि मैं इस सिद्धान्त के कतई खिलाफ हूँ कि नगरपालिका में एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया जाय और इसके लिए आगे मयाद बढ़ाने पर यहां पर विचार किया जाय। जयपुर का नागरिक होने के नाते ही नहीं, राजस्थान, प्रत्युत भारतवर्ष का नागरिक होने के नाते मुझे कहना पड़ेगा कि राजस्थान जिस परिस्थिति में है, जिस प्रकार अग्रसर होने जा रहा है, जब प्रजा के वास्ते प्रश्न उपस्थित हुआ था तो मैं समझता हूं कि उस समय लोगों को प्रबल जोश था, वे हिल रहे थे और उत्तेजनापूर्ण वह सवाल रहा था और उस दृष्टि से उनके प्रतिनिधियों ने इस्तीफा पेश किया था। मेरे ख्याल से चंगेजखां, हलाकू, हेरात के कत्ल और जसवन्तराव होल्कर ने बराबर उस वक्त के उज्जैन को लूटा व उजाड़ा और महाराजा ईश्वरीसिंहजी के स्वर्गवास पर जो उस समय जयपुर की हालत थी उस समय प्रतिकार के लिए सब कुछ किया गया, उस समय जैसी ही परिस्थितियां यहां पैदा हो रही थीं तो उस स्थिति को सम्हालने के लिए थोड़े काल के लिए नगरपालिका में एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर करने का सवाल रहता तो थोड़ी विचारणीय बात रहती। १९५७ के अगस्त में जब यह प्रश्न आया था तो उस मयाद को फिर बढ़ाना उचित नहीं है और एक एडमिनिस्ट्रेटर के बाद दूसरा एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त करने का सरकार का यह विधान है मैं इस परिपाटी के बिल्कुल खिलाफ हूं और निवेदन करूंगा कि इस प्रकार से एडमिनिस्ट्रेटर के समय को बढ़ा देने का प्रश्न जहां हो तो वह किसी एक डिक्टेटर या डिक्टेटरशिप या डिक्टेटर तरीके से प्रबन्ध करने जैसा है और वह आज के समय के अनुकूल महत्व की चीज़ नहीं है। मैं यह नहीं कहता कि गत एडमिनिस्ट्रेटर ने अपने काल में कुछ त्रुटि की। यहां पर व्यक्तिगत प्रश्न का सवाल नहीं है। लेकिन यहां पर सवाल प्रजा की विचारधारा का है और आज बीसवीं सेन्चुअरी का आधा समय बीत चुका है, पचास वर्षों से गड़ी हुई लाशें हैं वे भी फड़कती हैं। जब यह प्रश्न आता है कि एडमिनिस्ट्रेटर को थोपने का सवाल है तो क्यों नहीं उन राजाओं को, जिन्होंने अपनी खुशी से अपने राज्य छोड़े थे, लोग चाहे किस तरह से कहें....

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : वह समय अब नहीं आ सकता।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : यह तो पोस्टे-रिटी ही कहेगी। निकट भविष्य में ही आवेगा।

श्री चन्दनमल वैद (सरदारशहर) : आपकी और हमारी जिन्दगी में तो नहीं आवेगा।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : मेरी जिन्दगी में ही आवेगा, आपकी जिन्दगी तो अभी बहुत चलेगी।

तो एडमिनिस्ट्रेशन का अधिकार उनको दे दिया जाय और शायद लोग उनसे ज्यादा खुश हों....

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़): म्युनिसिपैलिटी की सफाई की बात उनसे कराते हैं।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : किसी के कहने से यह प्रश्न नहीं होता।

श्री तेजमल बापना (बनेड़ा) : क्या आपस में बात हो रही है ?

श्री उपाध्यक्ष : That is for me to look.

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : जिस समय ब्रूटस ने तख्त पर ज्युलियस सीज़र के छुरा भौंका था और एक पैर उसकी छाती पर रख कर रोम की जनता को कहा था कि यह नालायक था; लोग यह राग अलापने लगे, लेकिन एन्टोनियो के कहने पर जनता में दूसरी भावना बदल गयी। हिस्ट्री बराबर रिपीट करती है, चीज़ बराबर रहती ।

तो मैं माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि ऐसे मामलों में जयपुर जैसे नगर में जो आज राजस्थान की राजधानी है जिसकी नगरपालिका का चुनाव का सवाल है इसमें जो आप गलत परम्परा डालते जा रहे हैं इसके लिये मेरा निवेदन है कि आप इस रास्ते और आगे मत बढ़िये वर्ना आप जो इस प्रकार से इन प्रजातन्त्रीय संस्थाओं के अन्दर मनमानी करते जा रहे हैं, जो ऑर्डिनेन्सेज़ वर्तमान में गवर्नमेंट के ओर्नामेन्ट्स के रूप में हैं वे ही आगे चलकर कफन में अन्तिम कीलों का काम देंगे। इसलिये आपको इस प्रकार करते हुए चार दफा विचार करना चाहिये।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : मान-नीय उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर नगरपालिका प्रशासन विधेयक, १६६० के बारे में जो प्रस्ताव आया है कि यह सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द किया जाय, मैं इसका विरोध करता हूं। विरोध करने का कारण मैं यह समझता हूं कि यह विधेयक इतना छोटा है कि इस पर सिलेक्ट कमेटी कोई विचार नहीं कर सकती। अब प्रश्न यह रहता है कि इस विधेयक का समर्थन किया जाय या विरोध ? जहां तक इस बिल का प्रश्न है मैं इसका समर्थन करता हूं। यह प्रश्न केवल जयपुर के लिये ही नहीं, सारे राजस्थान के निवासी-पौने दो करोड़ लोगों के लिये है। यहां सारे राजस्थान की जनता की गाढ़ी कमाई से आप जिस जयपुर शहर की सजावट कर रहे हैं उस जयपुर शहर की गलियों को और यहां के रास्तों को आप देखेंगे कि जो रुपया इस सजावट में हम खर्च कर रहे हैं वह एक तरह से बर्बाद कर रहे हैं। आज इस विधेयक द्वारा हम प्रशासक की अवधि को बढ़ा रहे हैं। यह क्यों कर रहे हैं ? इसके पीछे भी एक

(डॉ० बहादुरसिंह)

इतिहास है। जब हाईकोर्ट का यहां आन्दोलन चला था उस समय अपनी बात मनवाने के लिए सरकार पर जोर डाला गया। कोई यदि उस आन्दोलन में भाग लेता है तो उसके सामने अपनी बातें मनवाने के वैधानिक तरीके होते हैं; उनसे वे मना सकते थे। उस वक्त जो चुनी हुई नगरपालिका थी उसके सभी सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया। तब राज्य सरकार के सामने एक प्रश्न आया कि नगरपालिका का प्रबन्ध कैसे किया जाय? उस पर राज्य सरकार ने एक प्रशासक की नियुक्ति की। प्रशासक की नियुक्ति करने के बाद जयपुर शहर की आबादी को बढ़ते हुए देखकर उस समय इसका निर्वाचन करना एक प्रकार से असंभव सा हो गया। आज वार्डों की मत-दाता सूचियां तैयार हैं, लेकिन वार्डों में भी मतभेद है। पिछले दिनों भी इस बारे में चर्चा हुई थी कई। माननीय सदस्यों ने इस बारे में अपने अपने एतराजात रखे थे। एक तरफ तो यह चीज है कि जिस शहर की आबादी पहले तीन लाख के करीब थी आज करीब ६ लाख से ऊपर हो गई है और बराबर यहां की आबादी बढ़ती जा रही है; इसका एकमात्र कारण जयपुर को राजधानी बनाना था। यहां पर बढ़ते हुए सरकारी ऑफिसेज़ और बढ़ती हुई आलीशान बिल्डिंगें और बढ़ती हुई जनता की आबादी, ये ही मुख्य कारण हैं, इसके चुनाव में इतनी देरी होने के। दूसरा कारण यह भी था जैसा कि माननीय सदस्य ने आक्षेप लगाया कि सरकार की जो पार्टी है वह शायद निर्वाचन में जीत न सके। मैं इस बात को गलत मानता हूँ और यह साफ तौर से कह देना चाहता हूं कि जयपुर नगरपालिका के कभी भी चुनाव हों यहां नगरपालिका में कांग्रेस ही पूर्णतया बहुमत में आयेगी....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : आज ही, चैलेन्ज है, मन्जूर करिये।

डॉ० बहादुरसिंह : विधान सभा में आज ही आप देख लीजिये इसी तरह का रेश्यो म्युनिसिपैलिटी में भी हो सकता है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह तो केवल मक्खन लगाने का सवाल है।

डॉ० बहादुरसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे सामने सवाल था, हमने सत्ता के विकेन्द्रीकरण की बात कही। उस पर हम क्या मुकर गये? इसमें तो सत्ता का विकेन्द्रीकरण का प्रश्न नहीं है। सत्ता के विकेन्द्रीकरण का हमने वायदा किया था हम वह पूरा कर चुके। आज भी हम यही कहते हैं कि यदि हम इसमें मनमानी करना चाहते तो यह प्रश्न कभी भी सदन के सामने नहीं आता। विधान सभा में कोई भी कानून बनता है तो उसके अन्तर्गत हम सब कार्यवाही करते हैं....

श्री चन्दनमल वैद (सरदारशहर) : उपाध्यक्ष महोदय, कोरम नहीं है....

श्री उपाध्यक्ष : आप आरम्भ रखिये मैं कोरम की व्यवस्था करता हूं।

डॉ० बहादुरसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, जब एक वैधानिक स्थिति पैदा हो गई उस वैधानिक स्थिति को दूर करने के लिये सदन

(डॉ० बहादुरसिंह)

के समक्ष यह प्रस्ताव आया है। मैं समझता हूं जबकि सदन के समक्ष प्रस्ताव रख दिया गया है नगरपालिका में प्रशासक की व्यवस्था हो और उसके समय की अवधि को बढ़ाया जाय, इस पर यह कहना कि ऐसी स्थिति में यहां का निर्वाचन होना असंभव है लेकिन कुछ मनचले लोग ऐसे भी हैं जो यह सोचते हैं कि अगर चुनाव हो गया तो वे तो आने वाले नहीं हैं लेकिन किसी तरह से कांग्रेस को भी न आने दिया जाय उसको असफल करने की कोशिश करेंगे ताकि कांग्रेस की बदनामी हो और चुनाव टल जायं। उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर नगर के निवासियों के लिये पिछले दिनों जब केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री करमारकर यहां आये थे वे यहां के लोगों के लिये आशीर्वाद देकर गये थे "परमात्मा जयपुर के निवासियों को सद्बुद्धि दे ताकि वे अपनी सफाई रख सकें"। उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक जयपुर में आबाद हुए बाहर के लोगों का सवाल है, उन्होंने तो बाहर कॉलोनीज़ में अपने अपने मकान बनाये हैं लेकिन जहां गन्दी है वह है जयपुर नगर की पुरानी की गलियां। आज हम देखते हैं, यहां निवासी यह नहीं चाहते कि उनका घर उनका पड़ोस साफ रहे...

रावल श्री नरेन्द्रसिंह (दूदू) : धौलपुर औरभरतपुर से तो बहुत अच्छी हैं।

श्री चन्दनमल वैद : यहां के लोगों की सेहत भी वहां से अच्छी है।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़) : इसका प्रमाण दोनों के शरीर हैं।

डॉ० बहादुरसिंह : अब रहा सवाल राजनैतिक दांव पेच का। उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक सरकार का ताल्लुक है वह जयपुर नगरपालिका के चुनाव कतई टालने के लिये तैयार नहीं है। सरकार चाहती है कि जितना जल्दी चुनाव हो, किया जाय। सरकार अपनी तरफ से कभी भी केऑस पैदा करना नहीं चाहती। लेकिन वह चाहती है जयपुर नगर के अन्दर प्रशासन द्वारा इस प्रकार का वातावरण पैदा कर दिया जाय ताकि जो तत्व यह उम्मीद लगाये बैठे हैं कि किसी भी प्रकार से चुनाव का ऐलान हो जाय, हम अपनी कारगुजारियां शुरू कर दें और चुनाव न होने दें। लेकिन सरकार इस बात के लिये कटिबद्ध है, वह वैधानिक शासन यहां कायम करना चाहती है और वैधानिक शासन के लिये ही सरकार ने इस कार्य को चालू रखने के लिये एक प्रशासक की नियुक्ति की है। जो व्यक्ति राजस्थान सर्विस का होते हुए डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर पर रखा जाना चाहिये था उसको म्युनिसिपैलिटी का एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया। वह इस दृष्टिकोण से रखा है वह; इस बात को सोच कर चलेगा कि नगर में जो भी म्युनिसिपैलिटी के कार्य हैं उनको वह अपने हाथ में ले और नगर का प्रशासन ठीक प्रकार से चला सके। सरकार दृढ़ प्रतिज्ञ है कि जहां तक नागरिक अधिकारों का सवाल है वह कभी भी उनको अपने अधिकारों से बहुत समय तक वंचित रखना नहीं चाहती। आज हमारे देश के अन्दर जुडिशियरी एक स्वतन्त्र बॉडी है। कहीं उसमें यह चैलेन्ज न हो जाय इसलिये उन्होंने यह लाजिमी समझा कि इसको विधेयक के रूप में यहां लाया जाय और इसे स्वीकार किया जाय। विधान सभा द्वारा

(डॉ० बहादुरसिंह)

अगर हम इस कानून को पास नहीं करेंगे तो प्रशासक की नियुक्ति से जो वैधानिक स्थिति में परिवर्तन आया है उसको हम सही करार नहीं दे सकेंगे। इस ही को ख्याल में रखते हुए यह सदन में विधेयक आया है। सदन का विरोधी दल चाहता है कि इस प्रकार का बिल यहां न लाया जाय और इस बारे में वैधानिक आपत्ति हो जाय ताकि जो महत्वपूर्ण सेवा प्रशासक द्वारा इस नगर की हो रही है वह न होने पावे....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : केवल कहने मात्र से सेवा नहीं होती है।

डॉ० बहादुरसिंह : जयपुर शहर के नागरिकों की अगर वास्तव में वे सेवा करना चाहते हैं तो उनको किसी प्रकार से भी इस बिल के लिये एतराज करने की आवश्यकता नहीं। ईमानदारी से अगर वे सेवा करना चाहते हैं तो इस प्रजातान्त्रिक विधेयक को उनका समर्थन मिलना चाहिये ताकि नगरपालिका के चुनाव बहुत जल्दी और सुगमता से यहां सम्पन्न हो सकें। इसी में जयपुर के नगरवासियों का हित है और माननीय सदस्य का भी हित है। इसलिये मैं आशा करता हूं कि इस विधेयक को स्वीकार किया जायगा और जो प्रस्ताव सलेक्ट कमेटी का आया है उसका विरोध होगा।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष, जयपुर में एडमिनिस्ट्रेटर की मयाद जो कुछ बढ़ रही है इस बढ़ी हुई मयाद को और बढ़ाया जावे और इसकी स्वीकृति विधान सभा के सदस्यों से ली जावे, इस आशय से यह विधेयक सदन में लाया गया है। मुझे यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसी बात राजस्थान विधान सभा में लाई कैसे जा रही है। हमने अभी एक कानून पास किया नगरपालिका के लिये और अभी हमारे सामने इस तरह का बिल आ रहा है जो उसकी धाराओं के सर्वथा प्रतिकूल है। मैं तो कह सकता हूँ कि जब हमने उस नगरपालिका के कानून को यहां पास किया तो इसको यहां लाना ही नहीं चाहिये था। जो भी माननीय सदस्य इसे सलेक्ट कमेटी में भेजना चाहते हैं मैं उनका भी मकसद नहीं समझ पाता कि वे चाहते क्या हैं? जो एक कानून हम यहां पर पास करना चाहते हैं वह पहले के एक्ट सेलमेल ही नहीं खाता है। हमने अपने नगरपालिका के कानून में यह प्रावधान रखा था कि किसी भी नगरपालिका का छः महीने में चुनाव करा दिया जावेगा और उस कानून को पास हुए आज ११ महीने हो गये। आज ग्यारह महीने के बाद भी उस नये कानून के अन्तर्गत अगर चुनाव नहीं कराये जाते हैं तो मैं सरकार पर यह आरोप लगा सकता हूं कि उसकी नीयत में कोई गन्दगी है। वह प्रजातंत्र का गला घोंटना चाहती है और इसलिये मैं यह मांग करूंगा कि हमारे लोकल सैल्फ मिनिस्टर साहब इसमें अपने पद का दुरुपयोग कर रहे है, अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर रहे हैं। उन्हें इस पद पर रहने का अधिकार नहीं है, जनता के अधिकारों को जो कानून संरक्षण देता है उसका जब पालन नहीं किया जाता, उस कानून के अनुसार जो मिनिस्टर चलना नहीं चाहता तो आज के इस युग के अन्दर उस मंत्री को उस स्थान पर रहने का अधिकार दिया जाना

(श्री दयाकृष्ण विजय)

जनतंत्र के नाम पर एक कलंक की बात है। और इस कारण से मैं इस विधेयक को विचारार्थ लिये जाने के अवसर पर यह मांग करूंगा कि इसे वे वापिस ले लें। मैं यह भी कहूंगा कि हम विधान सभा के सदस्यों को जागना चाहिये। जब तक हमारे विधान सभा के सदस्य सहन करते रहेंगे, नीची गर्दन करके प्रजातंत्र का गला इन मंत्री महोदय द्वारा घोंटा जाता हुआ देखते रहेंगे और हम आवाज नहीं उठावेंगे तो आज के ये मंत्री, आज का यह सत्तारूढ़ दल या सत्ता को चलाने वाले ये व्यक्ति निरंकुश हो जावेंगे।

प्रजातंत्र में मैं यह मानता हूं, विरोधी दल की आवश्यकता है। पर दुर्भाग्य इस बात का जरूर है कि विरोधी दल उस तरह सशक्त नहीं है जैसा होना चाहिये और यही कारण है कि आज यह मनमानी करने का बिल हमारे सत्तारूढ़ दल को यहां रखने की हिम्मत पड़ रही है। पर मैं कहूंगा कि विधान सभा में बैठने वाले प्रत्येक सदस्य को खुले मस्तिष्क से सोचना चाहिये, मस्तिष्क के सभी आवरणों को हटा कर सोचना चाहिये कि आज जनतंत्र किस तरह पनप सकता है और आज के समय की क्या मांग और क्या पुकार है। आज इस तरह की मनमानी से इस जनतंत्र का गला किस तरह घोंटा जा रहा है और ऐसे समय में हमें किस तरह के कदम उठाने चाहिये। जब हम लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण का नाम लेकर सारे हिन्दुस्तान में ही नहीं, दुनिया भर में धूम मचाना चाह रहे हैं और धूम मचा रहे हैं कि यह राजस्थान है। अकेला एक प्रान्त, भारत भर में; जिसने अपने प्रान्त के अन्दर लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण करके जनता के हाथ तक सत्ता पहुँचाई है। पर उन बाहर से देखने वालों को इस बात का पता नहीं है कि इस राजस्थान की चार दिवारी के अन्दर किस प्रकार से प्रजातंत्र का गला घोंटा जा रहा है।

हमारी राजस्थान की राजधानी, जयपुर की नगरपालिका के सदस्यों ने जिस एक बहुत बड़े नैतिक काम के लिये इस्तीफे दिये थे वह दुर्भाग्य है; शर्म की बात है कि हमारी राजस्थान की सरकार ने उतने ही बड़े अनैतिक कार्य करते हुए उस बड़े इस्तीफे को मन्जूर कर लिया! अभी मेरे से पहले बोलनेवाले माननीय सदस्य ने बम्बई सरकार का उदाहरण दिया। मैं तो कहूंगा कि इनको बम्बई सरकार की नैतिकता को देखना चाहिये कि उसने स्पष्ट रूप से संयुक्त महाराष्ट्र महासमिति द्वारा दिये गये सभी सदन के सदस्यों के इस्तीफे मन्जूर नहीं किये; बल्कि उनको आगाह किया कि ऐसे प्रश्न पर इस्तीफे नहीं स्वीकार किये जाते; आप काम करिये। पर एक ओर प्रजातंत्र का ढिंढोरा पीटते हैं और दूसरी ओर प्रजातंत्र की गर्दन दबाते हैं, उसकी पीठ में छुरा भोंकते हैं, यह किसी प्रकार से सहन नहीं किया जा सकता।

मुझे यह देख कर आश्चर्य और होता है कि जो सत्तारूढ़ दल है वह तो ऐसे कार्य करता ही है पर उस दल के अन्य सदस्यों की भी मनोवृत्ति ऐसी ही है जो समर्थन करते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया गया है वह ठीक है; और जो जनता के नुमायन्दों को हटाकर प्रशासक नियुक्त किया उस प्रशासक के शासन को वे वैधानिक शासन कहते हैं और फिर जनतंत्र के नाम पर

Page No.87

(श्री दयाकृष्ण विजय)

कहने का ढोंग भी करते हैं कि सेवा करने का लोगों को जनता को अवसर दिया जाय। यह कथनी और करनी में उनके कैसा अंतर है ? यह सबसे बड़ी शर्म की बात है जो इस प्रकार एडमिनिस्ट्रेटर के शासन को सेवा का अवसर कहते हैं। यदि हिन्दुस्तान के संविधान से प्रजातंत्र का नाम ही हटा दिया जावे और कह दिया जावे कि तानाशाही रख दी जाती है और वह तानाशाही रखना सेवा का अवसर देना होगा तो उस ही दशा में इस प्रकार के प्रवचन इस दल की ओर से शोभा दे सकते हैं। पर हमने स्वीकार किया है कि देश में हम प्रजातंत्र को अपने खून और पसीने से सींचेंगे। जहां हम विकेन्द्रित शासन को लाने की बात करते हों, उस समय इस प्रकार के कदम लेकर इस प्रकार का विधेयक पास कराने की बात करना किसी भी प्रकार से सराहनीय नहीं कहा जा सकता ! दुर्भाग्य यह है कि जब ५८ में माननीय सदस्यों ने इस्तीफे दिये उस समय से लेकर आज तक दो साल हो गये पर हमारी सरकार चुनाव नहीं करा सकी। इतनी अकर्मण्यता सत्ता चलानेवाले आदमियों में नहीं होनी चाहिये। जनता भी इस अर्से में सोती रही। कोई भी प्रजातन्त्र इस बात की साक्षी नहीं दे सकता, इस पर मोहर नहीं लगा सकता कि जहां जनता सोती रहे और शासन निरंकुश होकर मनमाने रूप से मनमानी करता रहे। मैं यह कहूँगा कि अगर आप प्रजातन्त्र को शांति से चलाना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि प्रजातन्त्र में किसी प्रकार अमन में खलल न पैदा हो विरोधी दल किसी प्रकार से अहिंसात्मक कार्यों को हिंसात्मक कार्यों में बदलने को मजबूर न हो तो वैधानिक कदमों के द्वारा उनके द्वारा पास किये प्रस्तावों को, उनके द्वारा सभाएं करके की गई मांगों को, सरकार को आदर देना चाहिये, उन वैधानिक रास्तों का आदर करना चाहिये। पर देखने को आज यह मिलता है कि जयपुर की चौपड़ पर कितनी ही सभाएं हों, कितने ही प्रस्ताव पास कर दिये जावें, कितनी ही मांग कर ली जावे कि हमें स्वायत्त शासन दिया जावे, जनता के चुने हुए नुमाइन्दों के हाथ में शासन दिया जावे पर हमारी सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। उसकी तो आदत पड़ी हुई है। यह हाल इस प्रान्त का ही नहीं है, सभी जगह उसका यही हाल है। आन्ध्र प्रदेश वह तब बनाती है जब रामुलू की मृत्यु हो जाती है। ये तब तक नहीं मानते जब तक कोई इनको खून न चढ़ा दे, इस कांग्रेस की सरकार को कोई खून से न नहला दे तब तक कोई काम करने की सूझती नहीं।

श्री सम्पतराम (स्वायत्त शासन मंत्री): मैं स्पष्ट कर दूं। सदन के माननीय सदस्य यह समझे बैठे हैं कि हम इस बिल के जरिये से अनिश्चित काल तक के लिये जयपुर नगर की नगरपालिका के प्रशासन को प्रशासक के अन्डर में रखना चाहते हैं। यह सरकार की मंशा कतई नहीं है। अगर इस पोइन्ट को मान कर डिस्कशन किया जाता है तो मैं निवेदन करूंगा कि सरकार की मंशा को ठीक तरह से समझा नहीं गया। सरकार की यह कतई मंशा नहीं कि हम अनिश्चित काल तक के लिये यहां की नगरपालिका को चलाना चाहते हैं। वह तो बीच का थोड़ा वेक्यूम रह गया था जिसको रेगुलेट करने के लिये यह बिल लाया गया है। हां, अगर इस

(श्री सम्पतराम)

जानकारी के बाद भी पब्लिक स्पीच देने की मंशा हो तो मुझे कुछ कहना नहीं है। पर एक्चुअल जो पोज़ीशन है वह मैंने सदन को निवेदन कर दी है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : इसमें लिखा है :

"until a new municipal council for the city of Jaipur is constituted in accordance with the provisions of the new Act."

श्री सम्पतराम : I would explain that.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप डेट फिक्स नहीं कर रहे हैं।

श्री दयाकृष्ण विजय : मैं मानता हूँ, जल्दी ही सरकार यहां का चुनाव कराना चाहती है। लिस्टें भी तैयार हो रही हैं। पहले कहते थे अक्टूबर में करावेंगे, ऐसे समाचार निकले थे अखबारों में। मैंने पढ़ा भी था। पर अब अक्टूबर की बात नजर नहीं आती। फिर समय बढ़ जावेगा। इसलिये कहता हूं कि हमेशा इस तरह की बातों को टाला गया। जब तक वैधानिक रीति से लोग कहते रहे तब तक आपकी नीयत टालते रहने की रही। हमेशा इस प्रकार का कदम उठाया गया है। टोडारायसिंह की याद है। उस मामले में हाई कोर्ट ने एक बहुत करारा चपत सरकार के गाल पर मारा है। आपने चुनाव हो जाने के बाद भी नये मेम्बरों को प्रबन्ध नहीं देकर वहां पुराने मेम्बरों की नगरपालिका की मयाद को बढ़ा दिया। आखिर यह डेमोक्रेसी है, प्रजातन्त्र है या मखौल बना रखा है आपने? आप इस कदर शासन चलाना चाहते हैं यह कहां का प्रजातन्त्र का तरीका है?

श्री सम्पतराम : माननीय सदस्य को मालूम होना चाहिये कि एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइन्ट करने की पॉवर भी इसी विधान सभा ने दी थी और जिसकी कुछ खास वजुहात होती हैं उसी, के लिये ऐसा एक्शन लिया जाता है।

श्री दयाकृष्ण विजय : और इसी सदन ने, इसी विधान सभा ने यह भी पास किया है कि छः महीने के अन्दर अन्दर चुनाव करा दिया जावे। अक्टूबर, ५६ में नया एक्ट म्युनिसिपल कौंसिल का पास हो गया और इसके बाद ११ महीने बीत जाते हैं जब कि इसमें लिखा है कि छः महीने में चुनाव करा दिये जावें। यह भी विधान सभा ने ही पास किया है। फिर छः महीने में नहीं कराने का आपके पास क्या कारण है? आज ग्यारह महीने निकल जाते हैं और चुनाव नहीं होते हैं, इसका क्या कारण है? स्पष्ट करिये जरा। मैं इसी को बताना चाह रहा था कि आज हमारी सरकार चाहती है कि जनता तो सोई हुई है तो इस सोई हुई जनता पर निरंकुश शासन करते रहें। जब तक विरोधी दल थोड़ा तोड़फोड़ का काम न करे, थोड़ा बहुत खून पसीना न बह जावे, जनता की मांग को यह कांग्रेसी सरकार नहीं मानने वाली है, यह इसकी परम्परा रही है।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : तोड़-फोड़ के लिये जनता ने काफी कानून बना रखे हैं।

श्री दयाकृष्ण विजय : आपके प्रिवेन्टिव कानून, मैं मानता हूँ, काफी हैं जो जनता का गला दबाने में समर्थ हैं। सही माने में जब प्रजातन्त्र की आवाज उठाई जाती है उसको जेल में बन्द कर दिया जावे। जो जनता अपने अधिकार मांगती है उससे कहा जावे कि आप यहां पर अशान्ति पैदा करना चाहते हैं, अव्यवस्था पैदा करना चाहते हैं। आप अशान्ति और अव्यवस्था के नाम पर अपना निरंकुश शासन चलाते रहे, इसे कोई भी जनतन्त्र नहीं कह सकता। यह जनतन्त्र का मखौल है।

आज आप देखिये कोटा के अन्दर म्युनिसिपैलिटी का चुनाव हुआ और कांग्रेस के लोग जनसंघ के छोटे छोटे कार्यकर्त्ताओं से हार गए और उन्होंने जाकर हाईकोर्ट में रिट पिटीशन किया और मुझे खुशी है कि हाईकोर्ट ने उस रिट को रिजेक्ट कर दिया। रिट पिटीशन को तो हाईकोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कोटा के चुनावों को साल भर निकल गया और इस तरह की नीति केवल शासन चलानेवाले लोगों की ही नहीं है बल्कि दल के सारे लोगों की ऐसी प्रवृत्ति है कि जब जब भी विरोधी दल के लोग जीतते हैं उनको शासन नहीं करने दिया जाये। यही हाल टोडारायसिंह में हो रहा है, यही हाल कोटा में हुआ है और यही उदाहरण है जयपुर की नगरपालिका का। मयाद जो जयपुर नगरपालिका की १४-७-५६ को खत्म हो जाती थी उसको एक्सटेन्ड करने या मयाद निकलने के बाद आप बिल लाते हैं तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब हमारे कानून में यह है कि सुपरसेशन के बाद ६ महीने में चुनाव हो जाने चाहिए, हमारे कोटा का तो यही कानून है आपके यहां का पता नहीं, और अगर दुबारा फिर आवश्यकता समझी जाये तो ६ महीने की मयाद और बढ़ाई जा सकती है। इस तरह से साल भर तक की मयाद बढ़ाई जा सकती है; जब कि इस अवसर का उपभोग सरकार ने कर लिया तो फिर मेरी समझ में नहीं आता कि फिर कौन सा प्रजातान्त्रिक तरीका होता है कि साल भर की मयाद बढ़ा दी गई, उसके बाद साल भर की और मयाद उसके आगे बढ़ा दी और इस प्रकार दो साल बीत गए? आज दो साल म्युनिसिपैलिटी के चुनावों को हो जाते हैं। सरकार की यह नीति रहती है कि कहीं विरोधी दल के लोगों के पास राजधानी की गद्दी न चली जाये। हाईकोर्ट के सिलसिले में जिस तरह से विरोधी दल ने आन्दोलन चलाया और जनता का रोष जिस तरह से जाग्रत हुआ और वह ४५ दिन तक हड़ताल चलती है, दुकानें बन्द करके लोग नुकसान उठाते हैं तो यह स्वाभाविक था कि जनता की राय विरोधी दलों के लोगों के साथ जाये। दो–दो साल तक जनता को जनतांत्रिक शासन नहीं दिया जाये यह किसी प्रकार से भी सहन नहीं हो सकता। मैं यह मानकर चलता हूं कि यह बिल बिल्कुल अप्रजातांत्रिक है और प्रजातंत्र की जड़ में कुठाराघात करनेवाला है और हमने जो म्युनिसिपल एक्ट पास कर रखा है उसके नियमों के विरूद्ध है। मैं सच कहता हूं कि मैंने जब इसको पढ़ा तो मेरा सिर बिल्कुल भिन्ना गया और सोचा कि इसको फाड़ कर फैंक दूं। मैं मानता हूँ कि आपका बहुमत है, आप इसको पास करवा लेंगे लेकिन हम लोगों को भी आवाज उठाने का अधिकार है। आज मानें या न मानें

Page No.90

(श्री दयाकृष्ण विजय)

लेकिन हम दिखा देना चाहते हैं कि जनता की आवाज को अधिक दिनों तक दबाया नहीं जा सकता। जब जब जनता की आवाज दबती है तब तब निश्चित रूप से क्रान्ति आती है। अब आप समझ लीजिए कि परिवर्तन अवश्यम्भावी है और परिवर्तन आकर रहेगा। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि आप कम से कम इस प्रकार के अनडेमोक्रेटिक कानूनों पर मोहर विधान सभा की न लगवाइये। या तो यह संशोधन मैं मूव कर देता हूं और अगर उचित समझें तो माननीय मन्त्री महोदय स्वयं मूव कर दें कि जयपुर नगरपालिका के चुनाव इस तारीख तक हम करा देंगे। एक निश्चित तारीख का उल्लेख इस विधेयक में होना चाहिए। सदन को विश्वास दिलायें कि हम तीन—चार महीने में नगरपालिका के चुनाव करा देंगे और अगर निश्चित तिथि इसके लिए दी जाती है तो इस पर विचार किया जा सकता है। अगर कोई समय नहीं दिया जाता है तो सरकार का कोई भी माननीय सदस्य विश्वास नहीं कर सकते। माननीय मन्त्री महोदय कहते हैं कि जो थोड़ा सा वेक्यूम रह गया था उसको करने के लिए मयाद बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन दो साल तक एक काम को पूरा नहीं कर सके और अब दो—तीन महीने के लिए पूरा हो जायेगा तो आपको देखना चाहिए कि आपका पूरा सेक्रेटेरियट पड़ा है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का इतना बड़ा डिपार्टमेंट है वह किस मर्ज की दवा है? सारा समय बीतता जाता है और अब विधान सभा के लोगों से मोहर लगवा लेते हैं। तीन साल तक तो देखते रहते हैं, दो—दो, तीन साल तक तो याद नहीं आता है और आज २ महीने में इतनी बातें याद आ गई। यह सारे अप्रजातांत्रिक तरीके हैं और मैं इन्हीं के आधार पर कहूँगा कि इस बिल को वापिस लिया जाना चाहिए और इसको माननीय सदस्य किसी प्रकार भी पास नहीं करवायें।

श्री उपाध्यक्ष : I don't know why Shri Purushottamji felt shy, otherwise he would have availed his chance.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर म्युनिसिपैलिटी एडमिनिस्ट्रेशन (टेम्पोरेरी प्रोविज़न्स) बिल, १९६० सदन के सामने विचारार्थ प्रस्तुत हुआ है। इस बिल को एक प्रवर समिति के सुपुर्द किये जाने का प्रस्ताव सदन के सामने प्रस्तुत किया गया है और उस प्रस्ताव के सिलसिले में इस विधेयक पर सदन के अनेक माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किये हैं। उपाध्यक्ष महोदय, सदन के जिन माननीय सदस्यों ने इस सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट किये, जहां तक मैं समझ सका हूँ सिवाय एक माननीय सदस्य के जो शायद धौलपुर की तरफ से आये हैं....

श्री उपाध्यक्ष : 'शायद' क्या, निश्चित रूप से।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : लगभग सभी ने इस विधेयक का विरोध किया है। उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक धौलपुर से आने वाले माननीय सदस्य के तर्कों का सवाल है उनके प्रश्न का उत्तर है। मैं समझता हूं कि जो कुछ बातें वे कह रहे थे

Page No.91

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

शायद अपने दिल से नहीं कह रहे थे और जहां तक हाईकोर्ट की बैंच के रहने का सवाल है, चाहे दूसरा इलाका हो या धौलपुर हो; वह भी इसके पक्ष में थे। उपाध्यक्ष महोदय, मैं उस प्रश्न में अभी नहीं आना चाहता और उस पर सदन का समय नहीं लेना चाहता, लेकिन जो मसला सदन के सामने इस समय विचारार्थ प्रस्तुत हुआ है वह यह है कि जयपुर नगरपालिका जो एक चुनी हुई नगरपालिका थी जिस समय सन् ५८ में ५ जुलाई से लेकर १७ सितम्बर तक विशेष रूप से जयपुर से हाईकोर्ट की बैंच उठाने के विरोध में आन्दोलन हुआ उस समय अपना विरोध प्रकट करने के लिए जयपुर नगरपालिका के निर्वाचित सदस्यों ने अपना त्यागपत्र प्रस्तुत किया और वह त्यागपत्र प्रस्तुत करने के कारण राजस्थान की सरकार ने जयपुर की नगरपालिका को सुपरसीड किया और सुपरसीड करने के बाद एक प्रशासक की नियुक्ति की। प्रशासक की नियुक्ति, नगरपालिका का सुपरसेशन; ये दोनों राजस्थान के राजपत्र में, जो १५ जुलाई का है, उसमें प्रकाशित हुआ है और उस सम्बन्ध में मैं सदन का अधिक समय नहीं लेना चाहता, लेकिन यह जो आज्ञा राजस्थान की सरकार ने १५ जुलाई, १९५८ को राजस्थान के राजपत्र में प्रकाशित की उसमें यह लिखा हुआ था, उपाध्यक्ष महोदय, कि जयपुर की नगरपालिका किन कारणों से सुपरसीड की जा रही है, जयपुर की नगरपालिका कितने समय के लिए सुपरसीड की जायेगी, कौन इसका एडमिनिस्ट्रेटर होगा। मैं छोटा सा उदाहरण आपकी अनुमति से सदन के सामने रखना चाहूंगा। यह १ जुलाई, ५८ का गजट है; इसमें लिखा है :

"Rajasthan Gazette Extraordinary dated 15th. July, 1958.

Local Self Government Department
Notification

Jaipur, July 15,1958

No. D. 6691/F. 1 (c) (9) L. S G./A/54-Whereas the President Municipal Council, Jaipur has resigned his office and as such resignation has been accepted by the State Government;

And whereas 40 out of 44 members of the said Council have also submitted their notices of resignation in writing;

And whereas in the circumstances mentioned above, the State Government is of opinion that the said Municipal Council of the City Jaipur is not competent to perform duties imposed on it by and under the City of Jaipur Municipal Act, 1943;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred on it by Section 248 of the said Act the State Government is hereby pleased-

(i) to declare the said Municipal Council of the City of Jaipur to be incompetent to perform the duties imposed on it by and under the said Act.

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

(ii) to supersede the said Municipal Council of the City of Jaipur with immediate effect for a period of one year or till the said Council is reconstituted, whichever is earlier, and

(iii) to appoint Shri P. N. Kaul as Administrator, Municipal Council, Jaipur, with immediate effect to exercise and perform all powers and duties of the said Municipal Council during the period of its supersession.

By Order of the Governor
B. Singh
Secretary to the Government.

उपाध्यक्ष महोदय, यह आज्ञा जारी की गई १५ जुलाई १६५८, को। इस आज्ञा में इस बात की ओर संकेत किया गया कि चूंकि जयपुर नगरपालिका के अध्यक्ष महोदय ने इस्तीफा दे दिया है और वह राज्य सरकार ने स्वीकार कर लिया है; नगरपालिका के जो ४४ सदस्य हैं उनमें से ४० सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया है या नहीं, इस्तीफे का नोटिस दिया है, उन्होंने इस्तीफा देने का इंटेन्शन जाहिर किया है, उसके बारे में आगे क्या हुआ; यह इस आज्ञा में कुछ नहीं लिखा है और केवल यह लिख दिया कि ऐसी परिस्थितियों में जयपुर नगरपालिका कार्य नहीं कर सकती, जयपुर नगरपालिका का कार्य सुचारू रूप से नहीं हो सकता और इसलिए राजस्थान सरकार राजस्थान म्युनिसिपल एक्ट की धारा २४८ के तहत जयपुर म्युनिसिपैलिटी को भंग करती है और उसके स्थान पर श्री पशुपतिनाथ कौल को एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर करती है। उसके लिए जो कार्यकाल मुकर्रर किया वह एक साल की अवधि का था या उससे पूर्व चुनाव हो जायं तो चुनाव होने तक। उपाध्यक्ष महोदय, जिस समय यह आज्ञा प्रसारित की गई तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज इस आज्ञा को जारी करने के बाद १४ जुलाई, १६५६ तक तो एडमिनिस्ट्रेटर कार्य करते रहे और उसके बाद जो उन्होंने कार्य किया उसके लिए प्रस्तुत विधेयक सदन के सामने आया है। राज्य सरकार ने उसमें लिखा है कि १४ जुलाई १६५६, तक एडमिनिस्ट्रेटर महोदय कार्य करते रहे, १४ जुलाई, १६५६ तक वे काम कर सकते थे और १४ जुलाई, १६५६ के बाद शायद जयपुर म्युनिसिपल एक्ट खत्म हो गया। १७ अक्टूबर, १६५६ को नया म्युनिसिपल एक्ट फोर्स में आ गया और जिसके जरिए कोई भी आज्ञा राजस्थान सरकार इस तरह की जारी नहीं कर सकती थी, राजस्थान सरकार के अधिकार में नहीं रह गया था जिससे एडमिनिस्ट्रेटर का पीरियड बढ़ाया जा सके, जयपुर म्युनिसिपैलिटी के सुपरसेशन को बढ़ाया जा सके। परिणाम में, उपाध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान सरकार के सामने यह सवाल उठ खड़ा हुआ और सवाल भी बड़ा पेचीदा हो गया। इस पेचीदे मामले को लेकर अदालतों में दावे दायर किए गए, कुछ नोटिस दिए गए, समाचार पत्रों में भी समाचार प्रकाशित हुए कि जयपुर नगरपालिका के प्रशासक महोदय आज बिना अधिकारों के काम कर रहे हैं, जयपुर नगरपालिका के सुपरसेशन का पीरियड समाप्त हो गया है। राजस्थान सरकार

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

को भी जब इस प्रकार की जानकारी मिली, इस प्रकार के समाचार मिले और उन्हें इस प्रकार की आवश्यकता महसूस हुई और उन्होंने इस प्रकार के विधेयक को प्रस्तुत किया है और इस विधेयक के द्वारा आज सदन से छाप लगवाना चाहते हैं कि १४ जुलाई, १९५९ के बाद यानी १५ जुलाई, १९५९ से लेकर जो जयपुर नगरपालिका के एडमिनिस्ट्रेटर के पद पर श्री कौल ने काम किया है उनके इस कार्य को जायज़ करार दिया जाय, उन्होंने जितने भी काम किए उन्हें जायज करार दे दिया जाय। जयपुर नगरपालिका के सुपरसेशन का जो पीरियड १४ जुलाई, १९५९ को समाप्त हो गया उसको आगे के लिए एक्सटेंड कर दिया जाय, इन सब बातों के लिए आज सदन के अन्दर यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है।

इस प्रकार का जो विधेयक आज सदन में प्रस्तुत हुआ है, उसके सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहूंगा उपाध्यक्ष महोदय, कि आज यह आखिरी दिन विधान सभा की बैठक का है, आज विधान सभा एडजोर्न होने जा रही है। मैं समझता हूं कि शायद मन्त्री महोदय ने यह सोचा कि जिन्दगी के आखिरी दिन में कोई आदमी जब मरता है तो मरने के समय सिवाय राम नाम के कोई दूसरी बात नहीं करता है उसी तरह आज जब कि विधान सभा एडजोर्न हो रही है, सब लोग अपने २ घर जाने में लगे हुए हैं, आज अंतिम दिन है तो मन्त्री महोदय राम नाम लेने लगे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, जिस कानून को आज उन्होंने पेश किया है, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि क्या वे पहले नहीं रख सकते थे जो उन्होंने आखिरी दिन सदन के सामने रखा? मैं समझता हूं उपाध्यक्ष महोदय, कि राजस्थान की विधान सभा तो क्या, मेरी जानकारी में हिन्दुस्तान के किसी भी लेजिस्लेचर के इतिहास में इस प्रकार का कोई विधेयक प्रस्तुत नहीं हुआ जिसमें किसी व्यक्ति, किसी अफसर की नियुक्ति, उसके अपोइन्टमेंट के बारे में, उसके टर्म ऑफ रेफरेंस के बारे में, उसके एक्सटेन्शन के बारे में विधान सभा में इस प्रकार का विधेयक पेश किया गया हो। उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि मंत्री बनने के बाद और मंत्री पद पर प्रमोशन होने के बाद सदन में किसी बिल को पॉयलेट करने का यह इनका पहला अवसर है। मन्त्री पद पर नियुक्त होने के बाद और प्रमोशन होने के बाद विधान सभा में बिल पायलेट करने का इन्हें पहला मौका मिला है, लेकिन मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मंत्री बनने के बाद जो बिल के पायलेट करने का इन्हें मौका मिल रहा है तो इन्हें सदन में एक सुखद सूचना देनी चाहिए थी, उनको यह अवसर मिला था कि वे एक सुन्दर और सुखद विधेयक यहां प्रस्तुत करते। लेकिन मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उन्होंने जो पहला कानून सदन के अन्दर पेश किया वह काला कानून है....

श्री हरिप्रसाद यादव (वल्लभनगर–सु०) : ऐसे काम तो नहीं किए हैं....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं तो इनके काले कानून की निन्दा कर रहा हूं।

श्री हरिप्रसाद यादव : आराम दिलाया है, स्पीड बढ़ गई थी।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं निवेदन कर रहा था कि इस प्रकार के कानून विधान सभा में पेश करने का और बिल को पायलेट करने का जो काम उन्होंने किया, वो उनसे सबसे पहला—श्रीगणेश हुआ तो मैं तो यह कहूँगा कि अच्छा नहीं हुआ। जब उनका प्रमोशन हुआ था तो हमें खुशी हुई थी और मैं चाहता था कि आंध्र की तरह राजस्थान का मुख्य मंत्री भी शिड्यूल्ड कास्ट का हो लेकिन मेरी सब आशाएं धुलिधूसरित हो गई हैं। अब इस प्रकार की आशा करना, इस प्रकार की कामना व्यर्थ है....

श्री उपाध्यक्ष : Let us be relevant to the question.

श्री चन्दनमल बैद (सरदारशहर) : आपका तो नम्बर आने वाला नहीं है।

एक माननीय सदस्य : अगर नम्बर आया तो केबिनेट में तो जरूर रहेंगे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि जहां तक इस कानून का ताल्लुक है यह कानून का कोई अच्छा पहलू नहीं है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि पहले कानून के तहत, जयपुर म्युनिसिपैलिटी के लिए जिस प्रकार की आज्ञा जारी की गई थी वह आज्ञा जारी करने की आवश्यकता नहीं थी। जिन लोगों ने त्याग-पत्र दिए थे और त्याग-पत्र देने के कारण इस प्रकार की परिस्थिति पैदा हुई थी क्या मैं माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा कि जिससे उन्हें इस प्रकार की आज्ञा जारी करनी पड़ी ? ऐसी कौनसी परिस्थितियां पैदा हो गई थी कि जिनकी वजह से ऐसी कार्यवाही करनी पड़ी ? जयपुर म्युनिसिपल एक्ट में लिखा हुआ है कि यदि केजुअल वेकेन्सीज़ हों तो दुबारा चुनाव कराए जा सकते हैं। मैं यह पूछना चाहूंगा कि ऐसी कौनसी परिस्थिति पैदा हो गई थी कि जिसकी वजह से इस एक्ट के तहत दुबारा चुनाव नहीं कराए जा सकते थे। जयपुर म्युनिसिपल एक्ट की धारा १७ और २० के अन्दर यह लिखा हुआ है कि इस प्रकार की केजुअल वेकेन्सीज़ हों तो दुबारा चुनाव कराए जायं। मैं नहीं समझता कि दुबारा चुनाव कराने में क्या दिक्कत थी ? उपाध्यक्ष महोदय, लेकिन चुनाव कराए नहीं गए। जिन परिस्थितियों में जयपुर म्युनिसिपैलिटी भंग हुई थी, जिन परिस्थितियों में जयपुर नगरपालिका को सुपरसीड किया गया था वे परिस्थितियां ऐसी नहीं थीं जिन परिस्थितियों के लिए कोई यह कह सके कि मिस्कंडक्ट हुआ था, कोई यह कह सके कि पॉवर्स का मिस्यूज़ किया हो। मैं समझता हूं कि नगरपालिका के जितने सदस्य थे उनमें मैं ही एक सदस्य नहीं था, जनसंघ ही नहीं था, कांग्रेस पार्टी का उसमें बहुमत था, कांग्रेस का ही उसमें चेअरमैन था। मैं समझता हूं कि ऐसी परिस्थितियों में यदि चालीस सदस्य निकलते हैं, चालीस सदस्य इस्तीफा देते हैं तो वह जनता की एक मांग के समर्थन में दिया गया था, जनता की वह मांग वाजिब मांग थी जिसके समर्थन में उन्होंने इस्तीफा दिया था तो फिर आपके सामने ऐसी कौन सी परिस्थितियां थीं, ऐसे कौन से रीज़न्स थे जिनके कारण सरकार को यह आज्ञा जारी करनी आवश्यक हो गया ? ऐसे कौन से कारण थे जिनके लिए वे कह सकें कि इन कारणों की वजह से इस प्रकार की आज्ञा जारी करनी पड़ी। माननीय सदस्यों का

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

ध्यान में उन सारी बातों की ओर दिलाना चाहता हूं, मैं माननीय मंत्रीजी को कानून के मामले में नहीं ले जाना चाहता, कानून तो वे जानते भी नहीं हैं, कानून की रूलिंग्स या हाई कोर्ट्स के डिसीज़न्स यहां सुना कर मैं अधिक समय सदन का नहीं लेना चाहता, मैं जानता हूँ कि मंत्री महोदय कानून को समझते नहीं हैं और अगर वे समझते हों तो मेरे पास से देख सकते हैं जो हाई कोर्ट के डिसीज़न हैं उनको। हाई कोर्ट ने डिसीज़न दिया है कि इन परिस्थितियों में बोर्ड को सुपरसीड नहीं किया जा सकता, उसको डिज़ोल्व नहीं कर सकते। मैं समझता हूं कि सुपरसेशन के बारे में राजस्थान सरकार ने जो एक्सप्लेनेशन दिया है वह सेटिस्फेक्ट्री नहीं है, जो कारण इसमें दिए गए हैं वे पर्याप्त कारण नहीं हैं सुपरसीड करने के लिए। अगर माननीय मंत्री महोदय इसको देखना चाहें तो देख सकते हैं, लेकिन उन जजमेंट्स को सुना कर मैं सदन का समय नहीं लेना चाहता। मैं उनकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि १९५३ के ए० आई० आर० के पेज ७३ में राजस्थान हाई कोर्ट का जजमेंट है जो कि जस्टिस बापना द्वारा दिया गया था, वे इसका मुलाहिजा कर सकते हैं। यह जजमेंट एक म्युनिसिपैलिटी के बारे में है जिसको किस तरह से सरकार ने आज्ञा जारी कर सुपरसीड कर दिया था, डिज़ोल्व कर दिया था, लेकिन उसके लिए जो रीज़न दिए थे उनके लिए कोर्ट ने कहा है कि वे रीज़न इस प्रकार के नहीं थे, इस प्रकार की परिस्थिति पैदा नहीं हुई थी, इस प्रकार के पैरेलल फैक्टस् वहां पर पैदा नहीं हुए थे कि राजस्थान सरकार को यह कार्यवाही करनी पड़ती! हाई कोर्ट ने इस जजमेंट से सरकार की आज्ञा निरस्त कर दी। इसी प्रकार यह जो आज्ञा जारी की गई है वह कानून के खिलाफ है और वे चाहें तो इसको देख सकते हैं; लेकिन मैं जानता हूं कि वे कानून को देखेंगे नहीं। उनके लिए कानून को देखने की जरुरत भी नहीं है, कानून की बातें उनकी समझ में भी नहीं आतीं और न वे समझने की कोशिश ही करते हैं और अगर वे चेष्टा करेंगे तो मैं उनको एक नहीं अनेकों डिसीज़न्स बता सकता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, लेकिन यहां पर मैं उनको लीगल डिसीज़न्स की ओर नहीं ले जाना चाहता मैं उनके सामने परिस्थिति पैदा करूंगा जिस पर वे गम्भीरता से विचार करें और मैं सदन के माननीय सदस्यों से भी निवेदन करूंगा कि वे भी इस पर गम्भीरता से विचार करें। हमने म्युनिसिपैलिटी को सुपरसीड कर दिया और म्युनिसिपैलिटी को सुपरसीड करने के बाद, जैसा मैंने निवेदन किया सदन के सामने कि कोई ऐसे कारण नहीं थे कि दुबारा चुनाव नहीं कराए जा सकते थे। एक बात जरूर थी कि अगर चुनाव कराए जाते तो कम से कम मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि जयपुर की जो ऑफिशियल कांग्रेस है वह भी चाहे जितना जोर लगा देती लेकिन जीत कर नहीं आ सकती थी। अभी माननीय सदस्य जो धौलपुर से आए हैं उन्होंने बड़े जोर से यहां पर कहा और कह गए जोश में कि कांग्रेस तो जीतेगी। मैं यहां फिर कहता हूं और दावे के साथ कहता हूं, मैं सारे राजस्थान की बात नहीं करता लेकिन जयपुर के लिये मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप किसी भी समय चुनाव करा लीजिये

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

कांग्रेस नहीं जीत सकती। जयपुर में चाहे आप आज चुनाव करा लें, कल चुनाव करा लें, शाम को चुनाव करा लें, परसों करा लें या दस–पन्द्रह दिन में चुनाव करा लें, आपकी जयपुर की ऑफिशियल कांग्रेस चाहे जितना जोर लगा ले, यदि कांग्रेस जीत जाय तो मैं सदन में नहीं बैठूंगा। आप दावा किस बात का करते हैं ? जयपुर में कांग्रेस पॉपुलर नहीं है। यहां पर इसके दो हिस्से हैं। जयपुर में ही क्या राजस्थान में है....

श्री चन्दनमल वैद (सरदारशहर) : (अश्रव्य)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : लेकिन जहां तक जयपुर का ताल्लुक है, उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर की अनऑफिशियल कांग्रेस का ताल्लुक है उसके बारे में मैं नहीं कहता, वह विरोध में है, लेकिन जहां तक ऑफिशियल कांग्रेस का ताल्लुक है उसकी हालत आज अच्छी नहीं है। उसके अध्यक्ष के बारे में आज सुबह ही एक प्रश्न आया था....

श्री उपाध्यक्ष : We will speak to the question. I hope, the Hon'ble member will not go beyond the scope of the Bill.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं निवेदन कर रहा था उपाध्यक्ष महोदय, कि बात यह है कि फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने कुछ ऐसी बातें कह दीं कि उनका जवाब देना जरूरी हो गया ....

श्री उपाध्यक्ष : ऐसी बात कही गई तो उसका ऐसा जवाब देना उपयुक्त नहीं होता।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : तो वैसी बात का दे दूंगा, साहब !

(३.०१ म. प.)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि जयपुर म्युनिसिपैलिटी के सुपरसेशन के बाद एडमिनिस्ट्रेटर का कार्यकाल आया, और एडमिनिस्ट्रेटर के कार्यकाल के बाद सन् ५६ की १५ जुलाई के पहले तक एडमिनिस्ट्रेटर महोदय काम करते रहे। यहां जयपुर में कई बार इस बात की मांग की गई, इस विधान सभा में प्रश्नों के द्वारा, विधान सभा में डिबेटस में इस बात की मांग की गई, अभी इस सत्र में सदन में अनेकों माननीय सदस्यों ने जोरदार शब्दों में इस बात की मांग की कि जयपुर में ही नहीं; राजस्थान की कई नगरपालिकाओं में जिनमें एडमिनिस्ट्रेटर्स काम कर रहे हैं, जिन नगरपालिकाओं का कार्य–काल गलत रूप से बढ़ा दिया है उन नगरपालिकाओं में चुनाव हो जाने चाहिए थे; राजस्थान सरकार को तुरन्त चुनाव करा देना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, अफसोस इस बात का होता है कि जो विधेयक सदन के सामने प्रस्तुत किया गया है, इस विधेयक में जो व्यवस्था चाही गई इस प्रकार के कार्यकाल को बढ़ाने के संबंध में, तो कुछ ऐसा लगता है, वह इस बात का प्रतीक है, यद्यपि माननीय मन्त्री महोदय ने कहा था कि सरकार की कोई मन्शा नहीं कि अनिश्चित काल तक एडमिनिस्ट्रेटर को रखना चाहती है, यदि आप अनिश्चित काल तक एडमिनिस्ट्रेटर नहीं रखना चाहते हैं, यदि

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

आपके दिमाग में कोई तारीख है, यदि आपके दिमाग में जयपुर में चुनाव कराने की कोई तारीख है, यदि आपके दिमाग में जयपुर म्युनिसिपैलिटी के एडमिनिस्ट्रेटर के ऑफिस की जिन्दगी है, तो आप इस कानून में लिख देते, लेकिन इस कानून में यह लिख देते हैं कि until a new municipal council for the City of Jaipur is constituted. जब तक चुनाव नगरपालिका का नहीं होता है, विधिवत् रूप से जब तक नगरपालिका नहीं बनती है तब तक के लिए आप चाहते हैं कि इस विधान सभा से जयपुर नगर-पालिका के प्रशासक के एपोइन्टमेंट के बारे में मोहर लगवा दें। आप चाहते है कि जब तक के लिए जयपुर म्युनिसिपैलिटी के सुपरसेशन के आॅर्डर में एक्सटेन्शन ग्रान्ट कर दी जाय। आपने निश्चित तारीख नहीं निकाली है। आप तारीख बता नहीं सकते। आप कह नहीं सकते। यदि सरकार का मन साफ है, उसकी तबियत साफ थी तो सरकार कह सकती थी कि दिसम्बर तक चुनाव करायेंगे। इस कानून में लिख सकती थी फरवरी, मार्च तक के पीरियड का एक्सटेन्शन चाहिए, सुपरसेशन के पीरियड का एक्सटे-न्शन दिसम्बर, १९६० के बाद का नहीं चाहते हैं। दिसम्बर, १९६० तक चुनाव करा देंगे। आप कॉमिटमेन्ट नहीं करना चाहते हैं। कानून में नहीं लिखना चाहते हैं तो इस बात से आपकी मन्शा साफ जाहिर है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि राज-स्थान सरकार की साफ मन्शा है कि जयपुर नगरपालिका के चुनाव कराये नहीं जायं और अनिश्चित काल के लिए एडमिनि-स्ट्रेटर के एक्सटेन्शन के बारे में मोहर लगा ली जाय। राजस्थान म्युनिसिपल एक्ट, और राजस्थान सरकार की १४, १५ जुलाई, १९५८ को जारी की गई विज्ञप्ति के अनुसार, उपाध्यक्ष महोदय, जो म्युनिसिपैलिटी का कानून राजस्थान विधान सभा में पिछले साल बनाया था वह १७ अक्तूबर, १९५९ से राजस्थान में लागू हुआ। उसकी धारा २९५ है, उस धारा २९५ में सुपरसेशन के बारे में लिखा है। राजस्थान विधान सभा ने जो कानून पास किया है उसमें सुपरसेशन का पीरियड ६ महीने का रखा है। मैं समझता हूं कि नये कानून के हिसाब से ६ महीने समाप्त हो गये, और जयपुर म्युनिसिपल एक्ट के हिसाब से और राजस्थान सरकार के आदेश और कानून के हिसाब से समय समाप्त हो गया। नये कानून के हिसाब से समय समाप्त हो गया, लेकिन जयपुर म्युनिसिपैलिटी के चुनाव आज राजस्थान सरकार कराना नहीं चाहती और, उपाध्यक्ष महोदय, जब कभी भी सदन में इस बारे में बातें कही जाती हैं, एडमिनिस्ट्रेटर के अपोइन्टमेंट के बारे में मंत्री महोदय परिचित हैं, एडमिनिस्ट्रेटर के बारे में हमें कटु अनु-भव है, उसके लिए मेरे कहने की आवश्यकता नहीं है, मैं समझता हूं कि यह मांग इस ओर से उठाई जाती हो, ऐसी बात नहीं है लेकिन सदन के कई माननीय सदस्यों ने एडमिनिस्ट्रेटर की व्यवस्था को हटा कर चुनाव कराने के बारे में जो जोरदार मांग रखी है, वह मोटे रूप से मौलिक सिद्धान्त पर आधा-रित है। जहां तक हमने डेमोक्रेसी का ढांचा अपनाया है, आज जो हम सारे देश को लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के आधार पर चलाना चाहते हैं म्युनिसिपल एरिया में,

Page No.98

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

पंचायत क्षेत्र में, पंचायत के इलाकों में, नॉन म्युनिसिपल एरियाज़ में पंचायतें बना दी हैं। हमने पंचायत समितियों का निर्माण किया है, जिला परिषदें बना दी हैं। डेमोक्रेटिक डीसेन्ट्रलाइज़शन के नाम पर सारी पोलिटिकल पॉवर्स को डीसेन्ट्रलाइज़ किया है। जहां एक ओर हमारा यह कदम है वहां दूसरी ओर राजस्थान के और नगर नहीं राजधानी की राजस्थान और सब से बड़े नगर जयपुर के अन्दर मैं समझता हूं कि आज जिस प्रकार का नियन्त्रण है वह डेमोक्रटिक डीसेन्ट्रलाइज़ेशन के नाम पर, राजस्थान सरकार के लोकतन्त्र के नाम पर कलंक और काला धब्बा है। इसलिए मैं समझता हूं कि जहां एक ओर हम इतनी डेमोक्रेसी की बात करते हैं, डेमोक्रेटिक डीसेन्ट्रेलाइज़ेशन के पीछे लोगों के हाथों में हुकूमत देने की बात करते हैं; लोगों के हाथों में राजनैतिक सत्ता देने की बात करते हैं, लोग अपना इन्तजाम, अपना प्रशासन स्वयं चलायें, आप एडमिनिस्ट्रेटर्स के मिनिस्टर नहीं हैं, आप लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के मिनिस्टर हैं। आप मिनिस्टर फॉर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहलाते हैं। आप मिनिस्टर फॉर एडमिनिस्ट्रेटर्स नहीं कहलाते हैं। इसलिए मैं समझता हूं, लोकल सैल्फ का मतलब है कि लोगों के हाथों में वहां की व्यवस्था के अधिकार हों, और उपाध्यक्ष महोदय, विशेष रूप से मैं समझता हूं कि किसी का अच्छा कार्यकाल भी होता है, अच्छा प्रशासन रहता है, लोग उसकी तरीफ करते हैं और कभी लोग इस बात को बर्दाश्त कर सकते हैं कि चलो थोड़ा रिलीफ मिलेगा, कोई बात नहीं। जो कुछ हो गया है हो गया हम मोहर लगाते हैं, लेकिन आगे नहीं होना चाहिए, लेकिन सवाल यह खड़ा होता है, मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि जयपुर म्युनिसिपैलिटी के एडमिनिस्ट्रेटर जिनके कार्यकाल को बढ़ाने की बात है, उनके एपॉइन्टमेंट पर विधान सभा की मोहर लगवाना चाहते हैं, उनके कार्यकाल के सारे कार्यों से बड़ा संतोष है, क्या आप कह सकते हैं कि उनके कार्यकाल में जयपुर में जो घोटाले हुए ? मैं समझता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, कि हमने खुली छूट दे दी एक आदमी को। हमने जयपुर म्युनिसिपैलिटी को उसको सौंप दिया, जैसा चाहे खाये, पिये, चरे, उसी तरह से हमने जयपुर म्युनिसिपैलिटी में उनको खुली छूट दे दी। आपने जब बैठाया तो आप किस आदमी का एक्सटेन्शन चाहते हैं ? आप किसी भले आदमी का नहीं चाहते हैं। जो उनका परसोनल है उसके बारे में ज्यादा नहीं कहना चाहता हूँ। किस आदमी का एक्स्टेन्शन चाहते हैं आप ? आपने म्युनिसिपैलिटी को सुपरसीड कब किया ? उपाध्यक्ष महोदय, १५ जुलाई, १९५८ का जयपुर म्युनिसिपैलिटी खत्म हुई और एडमिनिस्ट्रेटर महोदय श्री पी० एन० कौल तशरीफ लाये। तशरीफ लाते ही क्या-क्या किया ? क्या किया म्युनिसिपैलिटी में एक साल या डेढ़ साल के पीरियड में ? उन सारी बातों को आज सदन में दोहराने का समय नहीं है। उनके कार्यकाल में जयपुर में गन्दगी बढ़ी है। प्रशासक के कार्यकाल में जयपुर में अनेकों समस्याएं बढ़ी हैं। हरिजनों की हड़तालें हुई हैं। शहर बिजली और पानी के लिए रोता है। आज जयपुर की

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

केलेमिटीज़ के बारे में किसी भी बस्ती में चले जायं, किसी भी एक कोने से दूसरे कोने में चले जायं, मैं एकाध क्षेत्र की बात नहीं कहता। हवामहल का क्षेत्र होने के कारण, मंत्री महोदय का क्षेत्र होने के कारण टेलीफोन से कुछ काम हो गया है। मैं विशेष रूप से अपने क्षेत्र का उदाहरण दे सकता हूं। आदर्शनगर, बापूनगर, घाट दरवाजा कहीं भी जाकर चक्कर लगा आयें, ५ साल पहले जो सारी कॉलोनीज़ की हालत थी इन बस्तियों की हालत ज्यादा बदतर हो गई है। वहां पर लोगों को पीने का पानी नहीं मिलता है। कई नलों की टूटियां गायब हैं। लट्टू फ्यूज़ हो गये हैं, सड़कें टूट गई हैं, वहां पर सफाई की व्यवस्था कोई नहीं है। यह कुछ मुद्दे मैंने सदन के सामने रखे हैं।

आखिर, एडमिनिस्ट्रेटर महोदय ने, उपाध्यक्ष महोदय, जुलाई १९५८ से चार्ज लिया ड्रेनेज की व्यवस्था को नहीं सम्हाला, सफाई का इन्तजाम नहीं किया। जयपुर में भंगियों की हड़ताल हुई, जयपुर में प्रकाश की व्यवस्था नहीं है, पीने का पानी मिल जाय, इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। जहां पर सड़कें टूट गई हैं वहां वह ठीक नहीं हुई हैं। जहां पर कच्ची गलियां हैं वे पक्की बन जायं, सारे फ्लश सिस्टम के लेट्रिन्स हो जायं, इस सम्बन्ध में नगरपालिका के एडमिनिस्ट्रेटर को कोई चिन्ता नहीं है। उन्होंने क्या किया कि १५ जुलाई, १९५८ में जब अपोइन्टमेंट हुआ उसको तीन महीने का समय नहीं हुआ कि जयपुर म्युनिसिपैलिटी में जो रेल की पटरियां थीं, लोहे की रेल्स थीं, लगभग ढाई हजार रेल्स थीं उनको एडमिनिस्ट्रेटर महोदय बिना ऑक्शन किये, बिना नीलाम किये कानून के खिलाफ ले गये। दो-चार सौ वे स्वयं ले गये, दो-चार सौ रेवेन्यू ऑफिसर और दूसरे ऑफिसर व स्टाफ के लोग ले गये। इस तरह से ये ढाई हजार रेल्स ये लोग आठ आना फुट के हिसाब से ले गये। अगर मंत्री महोदय जांच करेंगे तो उनको मालूम होगा कि इन रेल्स की कीमत बाजार में ३ रु० फुट है। इस तरह से लगभग ७,००० रु० का नुकसान म्युनिसिपैलिटी को एडमिनिस्ट्रेटर महोदय ने दिया।

इसके अलावा जो ठेका या कॉन्ट्रेक्ट हुआ उसको एडमिनिस्ट्रेटर महोदय ने और दूसरे कर्मचारियों ने पार्टी बना कर किया, जब कि वे स्वयं एडमिनिस्ट्रेटर थे। यह एक बहुत ही गंभीर बात है। हमारे यहां म्युनिसिपल एक्ट है उसकी एक धारा है, उसमें लिखा है, उपाध्यक्ष महोदय, सेक्शन ५८ में एक बात आई है, उसमें यह लिखा है :

"(i) Any person who has directly or indirectly by himself or his partner or otherwise any share or interest in any contract with, by, or on behalf of the Municipal Board, or in any employment with, under by or on behalf of the Municipal Board other than as a municipal officer or servant shall be disqualified for being an officer or servant of the Municipal Board.

(2) Any municipal officer or servant who shall acquire directly by himself or his partner, any share or interest in any such contract or

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

employment as aforesaid shall cease to be a municipal officer or servant and his office shall become vacant."

मैं उपाध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करना चाहूंगा कि धारा ५८ के अनुसार अगस्त या सितम्बर के महीने में जब कि इस प्रकार से म्युनिसिपल प्रोपर्टी के कांट्रेक्ट के बारे में एडमिनिस्ट्रेटर ने और वहां के कर्मचारियों ने कांट्रेक्ट किया, खरीददारी, की उस सम्बन्ध में धारा ५८ की उप धारा (२) के अंतर्गत वे डिस्क्वालिफाई हो गये। उनका कार्यकाल मन्त्री महोदय १५ जुलाई, १९५९ तक बढ़ाना चाहते हैं, पर उनका कार्यकाल तो सितम्बर ५८ में ही खत्म हो गया इस कानून के कारण ही। यदि विधान सभा में इसको बायज़ करना है तो आप लाइये कानून उस समय से अगस्त, ५८ तक के कार्य काल के लिये क्योंकि उनका कार्यकाल तो अगस्त ५८ में ही समाप्त हो गया। मन्त्रीजी शायद कहेंगे ये बातें तो वैसे ही कही जाती हैं, इनका आरोप ठीक नहीं है, मैं बताना चाहूंगा, समय ज्यादा न लेकर इसके लिये इस समय कन्सोलडेशन के स्टेज पर विचार रखते समय इन मन्त्रीजी के समक्ष अब अपनी बात रखता हूं। लेकिन ऑडिट रिपोर्ट है, यह वही रिपोर्ट है जो मेरे प्रश्न के सम्बन्ध में आपने सप्लाई की है। इसका उपयोग मैं आज करने जा रहा हूं। इसके पेज ९१ पर मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं क्योंकि यह एक बहुत ही गंभीर मामला है। इसमें लिखा है: .

"The scrutiny of the Register maintained for old and obsolete articles of the Health Section Stores revealed that old iron rails were sold to the Administrator as well as the other employees of the Council for their private use @ 50 N. P. per ft.i.e. the rate fixed previously in this behalf for which the concerning orders or file was not produced to audit. The details of rails sold are as under:-

Date of Issue	Name	Quantity in fts.
11. 9. 58	Shri Satramdas Overseer	30
22. 9. 58	—do—	18
19. 11. 58	Shri P. N. Kaul Administrator	224
2. 12. 58	-do-	250"

इसमें डेट दी है और इसमें सन् ५८ में सब डेट्स दी हैं। श्री पी० एन० कौल २२४ रेलस ले गये, कोई २०० ले गये इस प्रकार से २,५०० रेलस थीं जिनको ८ आना फुट के हिसाब से ले गये। ऑडिट ने आगे लिखा है, सदन उसको देख कर आश्चर्य चकित होगा :

"As a matter of fact the material ought to have been auctioned to ascertain the reasonable price. But this procedure has completely neglacted and the rates fixed arbitrarily. Thus undue benefit was extended to the employees as well as the Administrator himself availed of the same. In view of the Section 58 of the City of Jaipur Municipal Act, 1943 the Administrator as well as the employees of the Council should have not

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

been the party to the contract with the Council and as such the basic provisions of the Act have been contravened by them. It is, therefore, observed that the necessary independent technical valuation about the reasonable price of the said rails should be got done and necessary recoveries in this behalf, ifany, should be effected from the persons concerned. Besides it may also be pointed out that in view of the provisions of Section 58 of the city of Jaipur Municipal Act, 1943 the Administrator and other employees who have directly availed of the benefit of such contract has as a matter of fact disqualified themselves from being an officer or servant of the Council in the strict sense of the provisions of the Act."

अब आप बताइये, यह आपकी ऑडिट रिपोर्ट है। या तो आप इसको कुए में फैंकिये और कह दीजिये कि ऑडिटर्स ने यह बेकार ही इस प्रकार की रिपोर्ट दी है, वैस्ट पेपर बास्केट में फैंक दी जाय। यदि आपकी नजर में इसकी कोई कीमत है तो मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि जो हवाला इसमें दिया है सेक्शन ५८ की तहत एडमिनिस्ट्रेटर श्री पी. एन. कौल ने नाजायज फायदा उठाया है इसलिये वह डिस्क्वालिफाइड है। his office shauld deemed to have been vacated अब अक्टूबर में जिसका कार्यकाल समाप्त हो गया आपकी ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर, फिर आप कैसे कहते हैं कि जुलाई, १९५९ तक उसका कार्यकाल बढ़ाया जाय ?

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहता हूं कि मंत्रीजी को खुद को पता है उनकी इन्टिग्रिटी के बारे में। किस प्रकार से उन्होंने चैक से पेमेन्ट किया है, किस प्रकार से मालूम होने पर वापिस जमा कराया है, इन सब का मंत्रीजी को पता है। किसी के यहां आग लगती है तो उस आग को बुझाने के लिये फायर ब्रिगेड जल्दी नहीं पहुंचती है, लेकिन फायर ब्रिगेड का उपयोग होता है जयपुर में होली खेलने के लिये क्योंकि वे एडमिनिस्ट्रेटर हैं इसलिये उनको कौन कह सकता है। क्योंकि बड़े बड़े अधिकारियों के यहां फायर ब्रिगेड जाती है छिड़काव करने के लिये। ये सारी बातें ऑडिट रिपोर्ट में लिखी हैं। मैं सदन का ध्यान सारे केसेज़ की ओर नहीं ले जाना चाहता। इसमें एक बात नहीं है, सारी ऑडिट रिपोर्ट का एक एक पन्ना एडमिनिस्ट्रेटर के बारे में रंगा हुआ है, जो कहती है कि श्री पी. एन. कौल होल्ली इन इर्रेगुलेरिटीज के लिये रेस्पोन्सिबल हैं। उन्होंने फाइनेन्सेज़ का ध्यान नहीं रखा, अपॉइन्टमेन्ट्स के मामले में भी वे इर्रेगुलर हैं। एक एरियर बिल था ३,२६२ रु० ६१ नये पैसे का उसके बारे में उन्होंने ऑब्ज़र्वेशन किया है कि इतना रेम्युनरेशन नहीं ले सकते, जो लिया है वह वापिस लिया जाय। इस प्रकार का एक यही केस नहीं, कई तरह से पैसे ले लिये, खुद के नाम से ले लिये, एडमिनिस्ट्रेटर के नाम से ले लिये, दूसरों के नाम से ले लिये और उन पर ऑडिट ऑब्जेक्शन्स हुए।

इसी तरह से एक घटना उनके कार्यकाल की ओर बताऊंगा जिससे पता चलेगा कि आखिर उनका काल कैसा रहा है। उनका कार्यकाल सुन्दर नहीं रहा, यह मैं

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

कह सकता हूं। एक कोर्ट में केस चला। म्युनिसिपल मजिस्ट्रेट के यहां केस चला। श्रीमान्‌जी का फेवराइट आदमी था उसको लिख दिया कि जिसके खिलाफ कंप्लेन्ट है वह मर गई है। फाइल पर यह लिख दिया, "that the municipal prosecutor reports that the person against whom proceedings are going on, she is dead..."

लिख गये कि वह औरत मर गई है, केस खत्म कर दिया, फाइल कर दिया। यह केस उस बिल्डिंग के बारे में था जो आज भी स्टेशन जानेवाली सड़क पर खासाकोठी के मोड़ के चौराहे पर अशोक होटल के नाम से है। वह जमीन ६,०००) रु० में बेच दी गई जिसकी कीमत सवा लाख रुपये थी। वह केस खत्म कर दिया गया और आज तक ऑक्शन नहीं हुआ; वे श्रीमतीजी आज भी जिन्दा हैं, होटल में रहती हैं, मरी नहीं हैं, लेकिन कोर्ट ने वह केस खत्म कर दिया; बिल्डिंग के बारे में। पहले तो ऑर्डर देते हैं कि तोड़ दी जाय क्योंकि बिना इजाजत के बनाली है; फिर १०,००० रुपये लेकर केस कंपाउन्ड कर दिया जाता है। इसी तरह से एक क्रिमिनल केस जयपुर के सैशन्स कोर्ट में चल रहा था जिसमें चन्द एक्यूज्ड की ट्रायल हो रही थी, हमारी म्युनिसिपैलिटी के दफ्तर से एक्यूज्ड के बारे में डेथ सर्टिफिकेट ले गये कि ये आदमी तो मर गये और उन आदमियों ने नगरपालिका से सर्टिफिकेट लाकर पेश कर दिये और कोर्ट में कहा कि ये मुलज़िम मर गये, अब केस का सवाल क्या है। कोर्ट ने भी कहा, मुलज़िम मर गये, इसलिए केस खत्म कर दिया जाय। उसके बाद मुलज़िम मूछों पर ताव देकर डोलते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर पी. एन. कौल जिन्दाबाद। ऐसे नये एडमिनिस्ट्रेटर के लिए आप विधान सभा की मोहर लगवाना चाहते हैं, मंत्री महोदय?

मैं समझता हूं आपने विधेयक प्रस्तुत करने की इजाजत जिस दिन चाही और दस्तखत किये, पहली बार मिनिस्टर की हैसियत से कलम घुमाई, उस दिन आप अपने दिल पर हाथ रख कर सोचते कि जयपुर के नागरिकों के साथ आप कुठाराघात कर रहे हैं या नहीं? एडमिनिस्ट्रेटर का कार्यकाल अनिश्चित् समय तक रहे, इस पर आप विधान सभा की मोहर लगवाना चाहते हैं। आप दें, अपॉइन्टमेंट दें, एडमिनिस्ट्रेटर को, लेकिन मैं समझता हूं, उपाध्यक्ष महोदय,....

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

राजस्थान के हमारे स्वायत्त शासन मंत्री जो कुछ बातें मैंने उनके सम्बन्ध में प्रस्तुत की हैं, जो कुछ म्युनिसिपैलिटी के एडमिनिस्ट्रेटर के सम्बन्ध में प्रस्तुत की हैं, उनकी जांच करेंगे। यह बात हो सकती है कि उनकी दो–चार बातों से वे खुश हो सकते हैं। मैं समझता हूँ दो–चार बातों से खुश होने की जरूरत नहीं है, सड़कें चौड़ी करा दीं, सड़कों की तोड़ फोड़ करा दीं, इधर उधर की कुछ डेवलपमेंट की स्कीम्स बन रही है, इससे संतोष नहीं हो सकता। एडमिनिस्ट्रेटर के पीरियड में जयपुर नगर का डेवलपमेंट म्युनिसिपैलिटी पॉइन्ट ऑफ व्यू से नहीं हुआ है, बल्कि जयपुर नगरपालिका का एडमिनिस्ट्रेटर रिटायर्ड हुआ है, करप्शन

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

आया है म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन में नीचे से ऊपर तक, इस बात की गवाही या सबूत देने की मंत्री महोदय को जरूरत नहीं है, वे स्वयं जानते हैं। मैं लूज़ एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, किसी गवर्नमेंट ऑफिसर के बारे में कहना पसन्द नहीं करता, लेकिन जो जनता की आवाज होती है उसको विधान सभा के सामने रखने के लिए मजबूर होना पड़ता है। जयपुर के लोग कहते हैं, जयपुर की नगरपालिका के एडमिनिस्ट्रेटर के बारे में, क्या क्या बातें हैं, आधा सेर मिश्री मावा पेश कर दो और हुक्म करवा लो। ऐसा जहां एडमिनिस्ट्रेटर हो, उस एडमिनिस्ट्रेशन की क्या हालत हो सकती है ? मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा, इस कन्सीडरेशन की स्टेज पर निवेदन करूंगा कि आप फिर विचार कर लें, यह विचार कर लें कि इन परिस्थितियों में विधान सभा की मोहर लगवाना, लगवाने की आशा करना क्या जरूरी है ?

(घंटी)

इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, विशेष कर उन परिस्थितियों में, जिन परिस्थितियों में इनका कार्यकाल निश्चित नहीं किया गया है, कब आगे चुनाव करेंगे, यह निश्चित् नहीं है, मैं समझता हूं इस पर मोहर लगाना उचित नहीं है। आज मंत्री महोदय दावे के साथ, विश्वास के साथ नहीं कह सकते कि जयपुर नगरपालिका के चुनाव कब तक हो जायेंगे। इसलिए अब मैं उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि यदि किसी प्रकार इस विधेयक को वापिस लेने में असमर्थ हों या अधिकार नहीं दिया गया हो, तो कम से कम इतना कह सकते हैं, जयपुर इलेक्शन के बारे में इस सदन में कॉमिटमेंट कर सकते हैं कि हम दो महीने में, तीन महीने में जवाब दे देंगे, चुनाव करा देंगे। यह कह दिया गया, साहब वार्ड्स का पब्लिकेशन कर दिया। वार्ड्स का पब्लिकेशन कर दिया, लेकिन इलेक्टोरल रोल नहीं बने हैं और जब तक इलेक्टोरल रोल नहीं बनेंगे, तब तक आगे की कार्यवाही नहीं हो सकती। कहते हैं कि रिटर्निंग ऑफिसर अपॉइन्ट कर दिया, रिटर्निंग ऑफिसर छः महीने पहले अपॉइन्ट कर दिया, काम उसके पास कुछ है नहीं—You have put the cart before the horse. मैं निवेदन करूंगा कि कहने के लिए आप कह सकते हैं, लेकिन जो सदन में भावनायें इस विधेयक को विचारार्थ लिये जाते समय प्रस्तुत की गईं, उनको देखते हुए मैं निवेदन करूंगा कि यह विधेयक आया है, आया है तो कोई बात नहीं। आज आपने प्रस्तुत कर दिया, इसमें थोड़ा विलम्ब हो जाय तो कोई बात नहीं, देर आयद दुरुस्त आयद, अब भी आप कॉमिटमेंट कर सकते हैं, सुबह का भूला शाम को घर आ जाये तो भूला नहीं कहा जाता to error is human but to persist an error is inhuman. मैं निवेदन करूंगा कि गलती हो गई, तो हो गई, नासमझी के कारण, ठीक ढंग से प्रोविजन समझ में नहीं आये, सारी बातों का ज्ञान नहीं था, इसलिए विधेयक पेश कर दिया। इस सदन के अन्दर जो विचार प्रगट किये गये हैं उनको सामने रखते हुए यह अच्छा होगा कि इस विधेयक को वापिस ले लें और जो बातें मैंने कही हैं, उनका जवाब आप अपने जवाब में देंगे और

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

म्युनिसिपैलिटी के शीघ्रातिशीघ्र चुनाव करा देंगे, इसकी जानकारी सदन को सरकार दे देगी, इन शब्दों के साथ, उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर म्युनिसिपैलिटी एडमिनिस्ट्रेशन (टेम्पोरेरी प्रोविजन्स) बिल, १९६० हमारे सामने पेश हुआ है और उसको सिलेक्ट कमेटी में भेजने का प्रस्ताव हमारे सम्मुख आया है। मैं उसका विरोध करता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बात निश्चित है कि हमने जनतांत्रिक तरीका अपनाया है और जनतांत्रिक तरीके से राज्य का शासन चल रहा है और सारे राजस्थान में ही नहीं बल्कि भारतवर्ष में जनतांत्रिक तरीके से शासन चल रहा है। यह कहा गया कि यह बिल जनतांत्रिक प्रणाली का गला घोटनेवाला है, मैं कह सकता हूं कि यह बात उपयुक्त नहीं हो सकती। यह भी कहा जाय कि कांग्रेस हारने वाली है, इसलिए जयपुर म्युनिसिपैलिटी के चुनाव नहीं हो रहे हैं या नहीं कराये गये हैं, मैं यह उपयुक्त नहीं समझता हूं। यदि यह बात होती कि जयपुर में जब चुनी हुई म्युनिसिपैलिटी थी तब उसमें जनसंघ या रामराज्य परिषद् का बहुमत होता या उनका चेयरमैन होता, तो यह बात मानी जा सकती थी कि विरोधी दल वहां बैठा हुआ था इसलिए उसको हटा दिया गया और अब क्योंकि विरोधी दल चुनाव में जीत कर बहुमत में आयेगा, इसलिए चुनाव नहीं कराये जा रहे हैं....

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : बहुत सी जगह बहुमत है।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : यह सदन को पता है कि नगरपालिका में बहुमत में कांग्रेस पहले थी, बहुमत कांग्रेस का था और बहुमत ने इस्तीफा दे दिया, विरोधी दल ने इस्तीफा नहीं दिया, बाद में उनके साथ बात रखने के लिए इस्तीफा दे दिया....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : रामकिशोरजी से पूछ लीजिये।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : मैं निश्चित् तौर पर कह सकता हूं कि जयपुर नगरपालिका के चुनाव में कांग्रेस जीतेगी और अवश्य जीतेगी।

(विराम)

इसके अलावा यह कहा गया कि यह बिल है, इसमें जिस एडमिनिस्ट्रेटर के लिए कहा गया है, उसका पीरियड १९५९ में खत्म हो गया। मिस्टर कौल के लिए कहा गया कि इनके समय में कई इरेंगुलेरिटीज़ हुईं। उनके लिए कहा जाता है, तो मैं निवेदन करूंगा कि अब उनके बजाय हिम्मतसिंह को अपॉइन्ट कर दिया गया है। अब मान लीजिये कि ऑडिट ने हिसाब चैक किया और उसमें बहुत सी गलतियां मानी हैं, तो उनके लिए एक्शन लिया जायगा; लेकिन यह बात नहीं हो सकती कि यह बिल

Page No.105

(श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा)

ही पेश नहीं किया जाय, यह बिल इस बात

(विराम)

के लिए है कि जो प्रशासन ने, यानि एड-मिनिस्ट्रेशन ने जो गलती की यानि समय बढ़ाने की मंजूरी विधान सभा से नहीं ली, वह अब ली जा रही है और आगे जब तक म्युनिसिपैलिटी के चुनाव नहीं हों, तब तक के लिए बिल पारित किया जा रहा है। यह कहा गया कि मिस्टर कौल के समय में इर्रेगुलेरिटीज़ हुई, इसलिए अब मिस्टर कौल के मोहर लगा रहे हैं। कौल साहब के मोहर लगानी नहीं है, न यह बिल उसके लिए है, इसलिए आगे के लिए फलाने साहब के लिए मोहर लगाई जा रही है....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप मोहर लगा दीजिये कौल साहब के।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : माननीय सदस्य ने जैसा कहा कि जनतंत्र का गला घोंटा जा रहा है, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि राजस्थान सरकार ने जनतांत्रिक तरीका अपनाया है और सारे प्रदेशों ने जन-तांत्रिक तरीका अपनाया है बल्कि हमारे प्रदेश में तो यह तरीका गांव गांव में अपनाया जा रहा है। जब राजस्थान ने यह तरीका अपनाया है तो उसे राजस्थान सरकार और कांग्रेस पार्टी कदापि नहीं भूल सकती। इसलिए यह कहना कि जनतंत्र का गला घोंटा जा रहा है, यह माननीय सदस्य का प्रोपेगेन्डा मात्र हो सकता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि....

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : ये कांग्रेस का प्रोपेगेन्डा कर रहे हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : यह उसका उदाहरण है।

श्री पुरुषोतमलाल शर्मा : कांग्रेस का बहुमत म्युनिसिपैलिटी में था, उसका स्टेट गवर्नमेंट ने सुपरसेशन किया, वह सरकार ने जान-बूझ कर ऐसा नहीं किया, बल्कि म्युनि-सिपैलिटी के सारे सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया। वह इस्तीफा किस कारण से दिया? वह इस्तीफा सरकार के नगरपालिका सम्बन्धी कार्यों की वजह से नहीं दिया, बल्कि इस वजह से दिया कि जो राजस्थान सरकार और अजमेर सरकार दोनों ने मिल कर एक आयोग नियुक्त किया था उसके फैसले की राजस्थान सरकार ने तामील करने की कोशिश की और उस तामील की अवहेलना करने के बारे में जयपुर वालों ने आन्दोलन उठाया था। उसके सम्बन्ध में म्युनिसिपैलिटी के सदस्यों ने भी इस्तीफा दिया। मैं समझता हूं कि जो जनतांत्रिक तरीका था वह म्युनिसि-पैलिटी के सदस्यों ने या जयपुर के लोगों ने नहीं अपनाया, बल्कि ऐसा तरीका अपनाया जो जनतांत्रिक नहीं है–तोड़–फोड़ की गई। जयपुर की उस वक्त की हालत देखी जाती तो यह कह सकते थे कि अराजकता है।

श्री मुरलीधर व्यास : त्यागपत्र देना जनतांत्रिक नहीं है ?

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर ! ऑर्डर !!

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : आप सुनते जाइये। जनतांत्रिक तरीका यह नहीं

(श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा)

कि बिजली के खम्भे उखाड़ दिये जायं, लोगों के साथ मार-पीट की जाय, लोगों को मार दिया जाय। जनतांत्रिक तरीका यह था कि वे लिखा-पढ़ी करते, प्रस्ताव पास करते, जिला बोर्ड, बार एसोसियेशन प्रस्ताव पास करतीं। लेकिन बिना उद्देश्य के त्यागपत्र दिया गया और जिस उद्देश्य से, जिस मकसद से त्यागपत्र दिया गया, वह उद्देश्य और मकसद दिमाग से जब तक पूरा नहीं हटता तब तक स्टेट गवर्नमेंट के लिए चुनाव कराना कदापि उचित नहीं है...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : हाई कोर्ट चली गई, आप इसके पक्ष में हैं?

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर! आर्डर!!

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : मेरे पक्ष या विपक्ष में होने की बात नहीं है। जब दोनों सरकारों ने मिल कर एक आयोग मुकर्रर कर दिया, उसने जो फैसला कर दिया, वह राज्य सरकार को मान्य होना चाहिए और जनता को भी मानना चाहिए। इसलिये कि कोई समय ऐसा भी था जब अलग स्टेट में अलग हाई कोर्ट थे मगर जब हमने एक हाई कोर्ट बनाया तो क्या उससे बांसवाड़ा के रहने वालों को तकलीफ नहीं हुई या उस वक्त के राज्यों के दूसरे लोगों को तकलीफ नहीं हुई? सब राज्यों के लोगों को तकलीफ हो सकती है लेकिन हमने जिस स्थान पर हाई कोर्ट रखने का उद्देश्य बनाया बना दिया। मैं यह कहूंगा कि जिस उद्देश्य से नगरपालिका के सदस्यों ने इस्तीफे दिये वह उद्देश्य ही ठीक नहीं था। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि जब तक लोगों के दिमाग से वह बात साफ नहीं हो जावे, निकल न जावे तब तक चुनाव कराना बिल्कुल अनुपयुक्त है और इससे कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि आज भी जयपुर वालों के दिमाग में यह है कि हाई कोर्ट जोधपुर में न रह कर जयपुर में रहे। इस बात को लेकर वे चुनाव लड़ने की बात करते हैं। जब तक उनके दिमाग बिल्कुल साफ न हो जावें तब तक चुनाव निष्पक्ष नहीं हो सकते। अब जल्दी से जल्दी यानी दो-चार महीनों की और बात है, आप चुनावों में खड़े होकर देख लेंगे कि कांग्रेस पहले भी जीती है और फिर भी जीतेगी, इसमें कोई सन्देह नहीं है। इसलिये मैं यह कहूँगा कि जो यह प्रस्ताव आया है वह सरासर गलत है।

श्री उपाध्यक्ष : The Hon'ble Minister will please make a reply.

श्री सम्पतराम (स्वायत्त शासन मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, आज जो यह एमेन्डिंग लेजिस्लेशन लाया गया है इसके बारे में माननीय सदस्यों ने अपने अपने विचार प्रकट किये और पिछला जो बिल है उसकी धाराओं की मंशा को समझ कर अपनी अपनी दृष्टि से प्रशिक्षण किया। कुछ माननीय सदस्यों को विधान सभा के बाहर बोलने की संभावना नहीं होती थी तो उन्होंने अपने कई माननीय मित्रों को विधान सभा में बैठे हुए देख कर भाषण भी दिये। खैर, मैं उस भाषा और उनके भावों का प्रयोग भी नहीं करना चाहता जो माननीय सदस्यों ने किये हैं। यह ठीक बात है और इसको हम इन्कार नहीं कर सकते और न करना चाहिये, हमने एक, दो, तीन गबट नोटिफिकेशन्स किये

(श्री सम्पतराम)

और उसके द्वारा हमने माना है कि एडमिनिस्ट्रेटर के पीरियड को एक्सटेन्ड नहीं किया गया तो इसमें कानूनी इर्रेगुलेरिटी रह जाएगी। इसलिए उस इर्रेगुलेरिटी को किसी न किसी तरह से दूर किया जावे और इसलिये कानूनी व्यवस्था है कि कोई भी सरकार या आदमी द्वारा अगर कोई कानूनी इर्रेगुलेरिटी रह जाए तो उसको ठीक नहीं करना तो ठीक नहीं होता। यहां एडमिनिस्ट्रेटर के थोड़े से समय के लिये पीरियड को बढ़ाना है। जैसा कि बहुत से माननीय सदस्यों ने बताया कि जिस समय बोर्ड को सस्पेन्ड किया था उसके लिये बहुत सी प्रजातन्त्र की दलीलें बताई और इधर उधर से थोड़ा पकड़ने की कोशिश की लेकिन इस सारे बैक ग्राउन्ड को सामने रखते हुए मैं यह कहूँगा कि अगर कोई माननीय सदस्य विधान सभा का सदस्य नहीं रहना चाहता तो उसको विधान सभा के सदस्य रहने के लिये कोई भी मजबूर नहीं कर सकता। वे त्यागपत्र देकर जा सकते हैं और कानून उसके लिये उनको रोक नहीं सकता।

आन्दोलन हुआ और प्रजातन्त्र में आन्दोलन होते हैं। कुछ सही भी हुआ करते हैं और गलत आन्दोलन और सही आन्दोलन की कसौटी हर आदमी की विचारधारा पर निर्भर रहती हैं। यह उनका क्षेत्र है। आन्दोलन के दौरान में उसकी आलोचना की गई। मैं ऐसी हलत में पूछना चाहता हूं सदन से और खास तौर से माननीय सदस्यों से जिन्होंने पार्टी का नाम लिया और कहा कि उनका भार उन पर है और सारे प्रजातन्त्र का भार भी उन पर हो तो कोई भी सरकार चाहे किसी पार्टी की सरकार हो अपने उत्तरदायित्व को निभाएगी। कहा यह जाता है कि लाठी चार्ज हुए। जनता पर बड़े जुल्म हुए। मैं यह कहूँगा कि उस समय बाहर के इस प्रकार के तत्व यहां पर आये थे जिन्होंने यहां के लोगों के दिमाग को खराब किया। सरकार का दिमाग गंदा था या नहीं, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता मगर यह अवश्य कहूँगा कि कुछ लोगों के दिमाग गंदे थे। कुछ लोगों ने यहाँ के लोगों को भुलावे में डाला। जब कोई भी सरकार चुनाव कराती है तो उसका प्रथम कर्त्तव्य यह हो जाता है कि पहले अमन–चैन कायम करे ताकि यहां के नागरिक अपने संतुलित दिमाग से सही फैसला कर सकें। किसी प्रकार की गलतफहमी में चुनाव हो जाए उससे कोई मतलब हल नहीं हो सकता। एक वर्ष का पीरियड बढ़ाया उसके बाद नॉर्मल कन्डीशन्स को रेस्टोर करना सामयिक था। उसके बाद यह विधानसभा के सामने आया। यह एक्ट है उसमें काफी समय लग गया था। सबका ध्यान ऐसा था कि सारे म्युनिसिपल एक्ट्स हैं उनको हटा कर एक कानून हमारे यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिये दे सकें। वह हमने बनाया था। इस दौरान में क्या होगया कि भुल से १५ जुलाई से लेकर १७ अक्टूबर का पीरियड किसी तरह से एक्सटेन्ड होना रह गया और एक्सटेन्ड नहीं हुआ। यह पीरियड ओल्ड एक्ट की तहत में बढाना चाहिये था। अगर नया एक्ट आने से बढ़ता तो गलती होती है। इसलिये इसको यहां पर लाना जरूरी है। एडमिनिस्ट्रेटर की व्यवस्था कितनी सफाई की व्यवस्था हुई है। हो सकता कि जितना फायदा होना चाहिये नहीं हो सका हो लेकिन सफाई और लाइटों की व्यवस्था

(श्री सम्पतराम)

हुई है। बहुत से ड्रेनेज बने। क्या उनको यह मंशा है कि सारे के सारे काम हो जाए और म्युनिसिपैलिटी में एक दम से चैन्ज आ जाए ? मैंने पहले ही कहा है कि जो गलती हुई है, उसको ठीक कराना है

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : इसको इतनी देरी से क्यों लाया गया ?

श्री संपतराम : मैंने आपके भाषण को सुना है और मैं उतने जोश से नहीं बोलूंगा जितने जोश से आप बोले हैं।

मैंने माना है कि मिस्टेक हुई है। कोई भी कानून बनता है उसमें गलती होती है। हमने लैन्ड रिफोर्म एक्ट पास किया। कहीं कहीं ऐसे समाज के आन्दोलन हुए, लोगों के समझने में फर्क होता है वह भी एक कारण है, कहीं कहीं ओवर साइट से या समझ में नहीं आने से गलती होती है तो उसके लिये अमेन्डमेंट करते हैं। कोई मिस्टेक नोइंगली या विलिंगली नहीं होती है और जब कोई मिस्टेक नजर आती है तो कानून में संशोधन करते हैं। इसमें किसी प्रकार की हमको हिचकिचाहट नहीं है इस गलती को स्वीकार करने में कि जिस प्रकार की भावना व्यक्त की गई वह ठीक नहीं है।

यह कहा जाता है कि एक साल चुनाव नहीं किये। किसी भी कानून के जरिये कितने दिनों से चुनाव हों इसको समझाने के पहले उसमें जो धाराएं हैं उनको समझाने की बहुत जरूरत होती है। माननीय सदस्य इस बात से इन्कार नहीं कर सकते कि जिस प्रकार पहले नोमिनेशन होता था अब नये कानून में हमने कहा है कि रिज़र्वेशन होगा। इसके अलावा कुछ जानकारी करनी बहुत जरूरी थी कि कितने शिड्ल्डयु कास्ट की पोपुलेशन है। जहां तक पोपुलेशन का पता न हो, यह नहीं कह सकते कि कितनी सीटें होनी चाहिये। अत: इसके लिये प्रयत्न किये गये। आपको मालूम ही होगा कि जितनी म्युनिसिपैलिटीज के पीरियड खत्म हो गये या होने वाले हैं उनके बारे में हमने सीटों की घोषणा की। बहुत से वार्डों के प्रोपोज़ल्स निकाले गये। ऑब्जेक्शन्स आये उनको स्क्रुटिनाइज़ किया। बहुत से ऑब्जेक्शन्स आते हैं तो उनको भी सुनना पड़ता है। इतने बड़े इलेक्शन में कोई गलती होती है। इस प्रकार सभी जगह जहां म्युनिसिपैलिटीज़ के समय खत्म हो गये उनके चुनाव की व्यवस्था की जाती है।

जयपुर में आप देखेंगे कि वार्ड के लिये पहले ही गजट में नोटिफिकेशन निकाला गया है। वार्ड बनने के बाद इलेक्शन होगा। इसलिये कोई भी माननीय सदस्य यह नहीं समझें कि हम अनिश्चित काल के लिये एडमिनिस्ट्रेटर की नियुक्ति की बात कहते हैं। इसके लिये यही था कि हो सकता है आपको अपना भाषण देना था या सुनाना था, वह आपने सुना दिया। कानून का संकेत मेरी तरफ किया गया। मैं आपकी नॉलेज को चैलेन्ज नहीं करता हूँ, वह तो स्पष्ट है। आप उस तरीके से चलें। मुझे बतायें। मैं आपका आभारी होऊंगा। मुझे सहयोग दें, उसके लिए मैं काम करने को तैयार रहूँगा। लेकिन जो छोटी २ बातें हैं, कहा गया कि चुनाव के लिए निश्चित तारीख दे दें। इतने बड़े शहर में हो सकता

(श्री सम्पतराम)

है कि निश्चित तारीख तक इलेक्शन न करवा सकें, तो दुबारा विधान सभा में आना पड़ेगा, समय भी खराब होगा और इस तरीके के भाषण भी सुनने पड़ेंगे जो जिम्मेदाराना तरीके से नहीं होते। मैं नहीं समझता कि दुबारा विधान सभा का समय खराब हो....

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर): On a point of Clarification, Sir, माफ करना मंत्री महोदय, आपने अभी कहा कि सदन में जो भाषण दिये गये हैं वे जिम्मेदाराना तरीके के नहीं हैं, यानी इसका मतलब यह हुआ कि जो माननीय सदस्यों ने यहां पर विधान सभा में बातें कही हैं वे गैर जिम्मेदाराना हैं ?

श्री सम्पतराम: वे तो आपने सुने हैं और यदि नहीं सुने हैं तो प्रोसिडिंग्स देख लें।

श्री भैरोंसिंह: यदि नहीं सुने हैं तब भी जो माननीय सदस्य यहां पर हाउस में बोलते हैं वे जिम्मेदारान तरीके से बोलते हैं।

श्री सम्पतराम: मैं सब के लिए नहीं कहता। यह कहा गया कि म्युनिसिपैलिटीज़ को सुपरसीड किया गया। गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से नहीं किया। आपने हैरानी की स्थिति पैदा की इस वजह से हुआ। जो कोई म्युनिसिपैलिटी ने गलत काम किये हैं तो उनका इस बिल से कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री भैरोंसिंह: क्या माननीय सदस्यों ने यहां पर गैर जिम्मेदाराना स्पीचें दी थीं ? क्या माननीय सदस्य इर्रेस्पोन्सिबिलिटी से बोलते हैं।

श्री सम्पतराम: रेस्पोन्सिबल तरीके से ही बोलते हैं, मैं यह मानता हूं। I withdraw my words...

श्री उपाध्यक्ष: Please proceed with the debate.

श्री सम्पतराम: यह जरूर मान लीजिये कि इलेवेन्ट थे।

तो जो भाषण हुए, म्युनिसिपैलिटीज़ को खत्म किया गया उनमें इस आधार को नहीं रखा गया कि किस म्युनिसिपैलिटी में किस संस्था के और आदमियों के व्यक्ति चुन कर आये, मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि गत, आठ नौ महीनों में जितनी म्युनिसिपैलिटीज़ का समय बढ़ाया, एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किये उनमें किसी पार्टी के उसूल को मैंने अपने सामने नहीं रखा। ६६ पर्सेन्ट नगरपालिकाओं का आम तौर पर समय बढ़ाया। इस तरीके से नहीं बढ़ाया है और इसीलिए मैं कहता हूं कि जिम्मेदारी के साथ यहां पर तथ्यों को नहीं कहा गया। आपसी झगड़ों से अथवा अन्य कारणों से उनको सुपरसीड किया....

श्री भैरोंसिंह: यह तो आप जिम्मेदारी के साथ बता दीजिये कि कितनी नगरपालिकाओं के चुनाव ड्यू थे और आपने नहीं कराये ?

श्री सम्पतराम: ६६ पर्सेन्ट का समय बढ़ाया।

• **श्री उपाध्यक्ष** : Please continue.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : चुनाव कराने की जिम्मेदारी आपने वहन नहीं की।

श्री उपाध्यक्ष : Please proceed on without being interrupted.

श्री सम्पतराम : वह मेरी जिम्मेदारी है। मैं आपके अच्छे सुझावों को मानूंगा और अपनी जिम्मेदारी भी मानूंगा।

मेरे कहने का मतलब यह है कि सारी की सारी बातें कही गई हैं, वे तथ्यों के आधार पर नहीं कही गईं, यदि माननीय सदस्यों को बुरा लगा हो तो माफी चाहूँगा। मैं भी बड़ी शान्ति से आपको सुन रहा था और माननीय सदस्य भी मुझे शान्ति से सुनें और उनको थोड़ा पेशेन्स रखना चाहिये और शान्ति से सुनना चाहिये।

हां, एक सेल और पर्चेज़ के बारे में संकेत किया। जयपुर एक्ट के मुताबिक म्युनिसिपल सर्विस में श्री पशुपतिनाथ कौल नहीं आते हैं। मैं उन डिटेल्स में नहीं जाना चाहता कि वे आते हैं या नहीं। यदि किसी ने कोई गलती की है और जैसा कि मैंने पहले विधान सभा में भी उत्तर दिया था कि मैं उसको एग्ज़ामिन कर रहा हूं और गल्ती पाई जाने पर बाकायदा नोटिस दिया जावेगा जिसने गल्ती की है उसके खिलाफ एक्शन भी लिया जाना होगा तो लिया जावेगा। उतावले होकर जो कुछ कहा गया, उसके लिए इतना ही कह सकता हूं कि उनको रिटायर कर दिया गया। उन्होंने जो एक्शन लिया और उसमें गल्ती रही या सही एक्शन लिया, इसकी जांच की जायगी और यदि गलत एक्शन लिया है तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जावेगा। उसके लिए चिन्तित होना नहीं चाहिये। आप और भी जो इन्फॉर्मेशन देंगे मैं उसको देखूंगा और जांच करने के बाद उस पर एक्शन लिया जावेगा।

म्युनिसिपल कानून के अन्तर्गत चाहे एडमिनिस्ट्रेटर हो या चुनी हुई म्युनिसिपैलिटी के प्रशासक हों, दोनों में कोई फर्क नहीं होता है। यदि टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर ने लगाया तो कोई अनधिकार बात नहीं थी। उनको राइट था, लगाना चाहिये था, सरकार से एप्रूवल ली गई और सरकार की एप्रूवल से लगाया गया। यह कहना, जैसा कि आम तौर पर बजट के मौके पर जो भाषण होते हैं उनमें कहा जाता है, आपका ख्याल है कि ७२) रु० ज्यादा हैं और उनको कम करना चाहिये। हम फीगर्स इकट्ठे कर रहे हैं। उसके बाद सोचेंगे कि कितना कर लिया जाना चाहिये या नहीं। अधिकार की बात थी जो जयपुर के एडमिनिस्ट्रेटर को भी अधिकार है और चुनी हुई म्युनिसिपैलिटी को भी। आमदनी बढ़ाना भी जरूरी है।

बाकी बातें सब कुछ कही, उनके लिए मुझे कुछ नहीं कहना है। ये थोड़ी सी बातें मैंने आपको कही हैं।

चुनावों के लिए कहना चाहता हूं। जोरदार भाषण यहां पर दिये गये इसलिए कमिट करने जा रहा हूं, यह बात नहीं। हमारी यह जिम्मेदारी है कि ऐसा कोई काम न करें कि जिससे इलेक्टेड म्युनिसिपैलिटी न आ सके और सरकार के आदमी चलते

(श्री सम्पतराम)

रहें । हिन्दुस्तान में सब जगह कम्युनिटी डेवलपमेंट स्कीम को हमने दिया, सब जगह म्युनिसिपैलिटियां होने वाली हैं, इलेक्टेड म्युनिसिपैलिटियां आवें वे करेंगी । थोड़े दिनों के लिए इलेक्शन न कराये, इसलिए जनतंत्र की हत्या हो गई, जनसंघ कोटा में जीत गया या हार गया दूसरी जगह यह प्रश्न नहीं है । जनतंत्र में खुला मैदान है आपके और हमारे लिये । एक जगह आपका माइक होगा और दूसरी जगह हमारा माइक होगा । १० महीनों का मेरा अनुभव है, म्युनिसिपैलिटी के चुनावों में कांग्रेसवाले भी खड़े किये जाते हैं और जनसंघवाले भी खड़े किये जाते हैं । कहीं जनसंघ के बहुमत की म्युनिसिपैलिटी है और कहीं कांग्रेसवालों की । लेकिन जनसंघ की म्युनिसिपैलिटीज़ को अधिक चार्ज शीटें मिली हैं....

श्री भैरोंसिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी से कहना चाहूंगा कि जनसंघ के सम्बन्ध में जितनी कड़ाई बरतना चाहें और बरती जायं, उतनी कड़ाई उनके प्रति वे बरतते हैं । लेकिन जितनी कड़ाई वे जनसंघ के साथ बरतते हैं उससे ५० प्रतिशत भी कम यदि कांग्रेस पार्टी की म्युनिसिपैलिटीज़ में और दूसरी जगह बरतें तो आज शासन और सत्ता की जो होड़ है वह समाप्त हो जायगी ।

श्री चन्दनमल वैद (सरदारशहर) : जनसंघ की है क्या ? एक–आध होगी ।

श्री भैरोंसिंह : सरदारशहर में हैडेक हो रहा है ।

श्री सम्पतराम : सरकार ने प्रयत्न किया है और आप भी मदद कीजिये । यह मामला काफी डिटेल्स में डिस्कस किये जाने का है ।

तो इसको जहां तक सिलेक्ट कमेटी को सौंपने का सवाल है मैं उस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर सकता क्योंकि हम इसको जल्दी से रेगुलराइज़ करना चाहते हैं और प्रवर समिति में भेजेंगे तो सरकार को इसके लिए ऑर्डिनेन्स इश्यू करना पड़ेगा । इसलिए माननीय सदस्यों को इसको पास करना चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष : डॉ० चन्द्रकला ।

(अनुपस्थित)

श्री पी० के० चौधरी ।

(अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि जयपुर नगरपालिका प्रशासन (अस्थायी प्रावधान) विधेयक, १९६० को प्रवर समिति में भेजने के प्रस्ताव को स्वीकार किया जाय ।

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव गिर गया ।

(विराम)

श्री सम्पतराम (स्वायत्त शासन मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि जयपुर नगरपालिका प्रशासन (अस्थायी प्रावधान) विधेयक, १९६० को विचारार्थ लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जयपुर नगरपालिका प्रशासन (अस्थायी प्रावधान) विधेयक, १९६० को विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

(४ म० प०)

श्री सम्पतराम (स्वायत्त शासन मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि जयपुर नगरपालिका प्रशासन (अस्थाई प्रावधान) विधेयक ,१९६० को पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय ...

श्री उपाध्यक्ष : Would it not be exhaustive at the same time...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या करूं अन्प्लेजेन्ट जॉब है, लेकिन मिनिस्टर साहब ने मजबूर कर दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर नगरपालिका प्रशासन विधेयक. १९६० को पारित किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव माननीय मंत्री महोदय ने रखा है उस सम्बन्ध में मुझे इतना ही निवेदन करना है कि जो इस बिल को प्रवर समिति में भेजने के लिये प्रस्ताव था उस पर बोलते हुए मैंने जो भी तथ्य इस सम्बन्ध में प्रस्तुत किये थे मैं समझता था कि उनका सन्तोषजनक उत्तर वे देंगे। यदि उनकी तरफ से सन्तोषजनक उत्तर मिल जाता तो मुझे इस सम्बन्ध में बोलने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा सख्त अफसोस है कि जो उत्तर दिया गया मैं उसे बड़े ध्यान से सुन रहा था, बिना किसी हस्तक्षेप के सुन रहा था यह फुलफ्लेज्ड मंत्री के नाते उनकी पहली स्पीच थी। और एक फुलफ्लेज्ड मिनिस्टर के नाते वे पहले पहल इस बिल को पॉयलेट कर रहे थे। मैं यह जानना चाहता था कि जो तथ्य और बातें मैंने प्रस्तुत कीं उनका कोई सन्तोषजनक उत्तर उनके द्वारा मिलता उनकी पहली स्पीच द्वारा वह प्रस्तुत होता। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, उन्होंने कुछ अजीब ढंग से ऐसी बातें कहीं और यह जाहिर करने की कोशिश की कि वे हमेशा से अपनी जिम्मेदारी की तरफ से सचेत रहते आये हैं। उन्होंने दूसरे बोलनेवालों पर गैरजिम्मेदारी से बात कहने का आरोप लगाया। इस सम्बन्ध में मैं अधिक न कहता हुआ उनसे यही निवेदन करना चाहूंगा कि उनकी जिम्मेदारी तो इस बात में थी कि वे जल्दी से जल्दी नगरपालिका का चुनाव करवाते। इस जिम्मेदारी को निभाने में आप असफल हुए हैं। उसकी अवधि बढ़ा देना, यह तो मिनिस्टर का काम नहीं यह तो एक मुन्शी भी कर सकता है। मिनिस्टर की जिम्मेदारी तो इसमें है कि जिन म्युनिसिपैलिटियों का चुनाव ड्यू है वह समय पर करा दिया जाय। कानून में जितनी अवधि

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

लिखी है उसके भीतर उसका चुनाव करा दिया जाय। उस जिम्मेदारी को निभाने में वे असफल हुये हैं। वे जरूर यह कहते हैं कि मैंने सख्ती से काम लिया है और सख्ती के साथ सब नगरपालिकाओं से काम ले रहा हूँ। कुछ इर्रेगुलेरिटीज़ के बारे में भी मैंने निवेदन किया। सीकर म्युनिसिपैलिटी का मामला उनके सामने है जिस प्रकार से गलत तरीके से ट्रेक्टर के मामले को दबाया जा रहा है....

श्री उपाध्यक्ष : I think, Mr. Satis Chandra, we are going astray from the subject.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : I am replying to...

श्री उपाध्यक्ष : It is no use replying to something, for some thing irrelevant that has occurred.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : If the Chair has given a ruling that it is irrelevant...

श्री उपाध्यक्ष : Something beyond the scope should not be replied to.

श्री सम्पतराम (स्वायत्त शासन मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, एक बात मैं स्पष्ट करना चाहूँगा। श्रीमाधोपुर से आनेवाले माननीय सदस्य ने ट्रेक्टर के बारे में कुछ कहा था। मैंने उसके बारे में इमिजियेटली लिखा, जितना जल्दी हो सकता था उसकी एन्क्वायरी के लिये मैंने लिखा। जितनी जल्दी मैं कर सकता था एन्क्वायरी कराने में, वह मैंने की, इसमें ढिलाई की बात नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : मेरा मन्त्री महोदय से निवेदन है कि सदन के बाहर कोई स्थिति पैदा हो, उसको यहां क्यों रखा जाय ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, यह बात ठीक है मंत्री महोदय कई बार चाहते हैं कि चुनाव हो जाय लेकिन ज्योंही आप इसके लिये कलम उठाते हैं, कलम को स्याही में डुबो लेते हैं लेकिन जब लिखने का समय आता है तो श्री रामकिशोरजी व्यास का टेलीफोन आ जाता है और वह रुक जाता है। मैं उनसे पूछता हूं, वे उनसे क्यों डरते हैं ? हम आपको समर्थन देते हैं, सदन आपको समर्थन देगा। नये केबिनेट मिनिस्टर बने हैं आपको निडर होकर कार्य करना चाहिये। आप यह मत सोचिये कि मुझे केबिनेट मिनिस्टर शायद न रखें। आप जरूर रहेंगे, आपका पीरियड एक्सटेन्ड हो सकता है....

श्री चन्दनमल वैद (सरदारशहर) : (अश्रव्य)।

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : मक्खनलालजी क्या कह रहे हैं।

श्री श्रीमानसिंह (बयाना) : The Hon'ble member has used 'Makkhan Lal' instead of the Hon'ble Chandanmalji. This word should be expunged.

श्री उपाध्यक्ष : There is a point of order. What is the word used and for whom ?

श्री श्रीभानसिंह : For the respectable member sitting behind.

श्री उपाध्यक्ष : The words have been used for him ; and nobody else ?

श्री भैरोंसिंह : The Hon'ble member, for whom the words have been used, does not object to it.

श्री उपाध्यक्ष : So there is less of seriousness in it.

श्री श्रीभानसिंह : Such words should not be used, even for an Hon'ble member who is on Treasury Benches in the House. The word must be expunged.

श्री उपाध्यक्ष : I do not think it is objectionable; 'Makkhan' means 'butter' and 'Lal' means 'red' Therefore Makkhan Lal, wouldmean 'Red butter.' There is nothing wrong in it.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इनको मक्खन के बारे में आपत्ति है, 'मल' के बारे में नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, यह बिल जो सदन के सामने प्रस्तुत हुआ है और जो जो विचार इस बारे में प्रगट किये गये हैं मैं यह मानता कि मंत्री महोदय बहुत कुछ करने की कोशिश करते हैं। मेरा उनसे निवेदन है कि वे इस मामले में सख्ती के साथ काम करें जैसा कि उन्होंने कई बार किया है। कई मामलों में उनके पास दबाव भी आये हैं। म्युनिसिपल कमिश्नर के ट्रान्सफर का सवाल था उनके बारे में तीन-तीन बार फैसले हुए। आखिर वे अपनी बात में सफल भी हुए। जहां तक जयपुर म्युनिसिपल इलेक्शन का सवाल है यह आपका क्षेत्र नहीं, लेकिन फिर भी समय पर इसका इलेक्शन आप करवा सकें, यह हम आपसे उम्मीद रखते हैं। आपने जैसा कि विश्वास दिलाया है और कहा है कि वे कदापि नहीं चाहते कि अनिश्चित काल के लिये जयपुर नगरपालिका का चुनाव रोका जाय। यद्यपि उपाध्यक्ष महोदय, इस कानून में इस प्रकार के शब्द जरूर प्रयुक्त हुए हैं फिर भी जैसा कि मंत्री महोदय ने अपनी इच्छा जाहिर की है उसके अनुसार वे इसके चुनावों के बारे में जल्दी करेंगे। इस सम्बन्ध में यह भी निवेदन करूंगा कि इस सम्बन्ध में सख्ती के साथ, दिल की मजबूती के साथ, केबिनेट में उनकी पोज़ीशन में अविश्वास न रखते हुए, जो उनको अधिकार दिये गये हैं उनका मजबूती के साथ उपयोग करके सदन में जो भावना व्यक्त की गई है उसका पालन करेंगे। यह उनकी शुरूआत की मिनिस्टरी है। यदि वे अपने कार्य को ठीक ढंग से और मजबूती के साथ करते रहेंगे तो उनको सदन का समर्थन मिलेगा और आन्ध्र ने जो एग्ज़ाम्पल सेट की है वह एग्ज़ाम्पल राजस्थान में भी हो सकती है।

श्री चन्दनमल वैद: मक्खन का डिब्बा उधर भी चला गया ?

श्री उपाध्यक्ष : That is adulterated.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मक्खन-मक्खन मेरे पास आ गया, मल-मल उधर रह गया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं यह

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

कहूंगा कि उन्होंने जो कमिटमेंट जयपुर म्युनिसिपल चुनावों के बारे में किया, उसका सख्ती के साथ पालन करेंगे और जो उत्तरदायित्व उनको सौंपा गया है वे उसमें किसी का लिहाज़ न करते हुए सख्ती के साथ उसका पालन करेंगे। अगर वे किसी प्रकार से भी अपने आपको इसमें कमजोर पाते हैं तो सदन का विरोधी दल आपके हाथ मजबूत करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस विधेयक के सम्बन्ध में अपने विचार रखता हुआ अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : Hon'ble Minister.

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : उपाध्यक्ष महोदय,....

श्री उपाध्यक्ष : We hope to adjourn with all happiness.

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, कुछ बातें जो माननीय मंत्री महोदय ने सदन में प्रस्तुत की थीं, जिनका क्लेरिफ़िकेशन करना मेरे लिये आवश्यक हो जाता है....

श्री चन्दनमल वैद (सरदारशहर) : No personal matter is involved.

श्री भैरोंसिंह : मैं इस बिल का विरोध कर रहा हूँ और विरोध इसलिये कर रहा हूं, बाकी की बातें तो जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने प्रस्तुत कर दी हैं, उनको मैं रिपीट करना नहीं चाहता लेकिन एक बात जो माननीय मंत्री महोदय ने सदन में प्रस्तुत की मैं उसको बिल्कुल सही नहीं मानता हूं। इसलिये चाहता हूं कि मंत्री महोदय ने जो कुछ इस सदन में कहा है अगर उनके पास एक भी प्रमाण है तो वे सदन में प्रस्तुत करें। मैं इस बारे में डिटेल्स में जाना नहीं चाहता लेकिन इतना अवश्य कहना चाहूंगा कि आपके पास इस बारे में जितने भी प्रमाण हों वे सदन में प्रस्तुत किये जायं कि उन्होंने जो अपने भाषण में यह बात कही कि कांग्रेस के सदस्यों की अपेक्षा जनसंघ के लोगों की ज्यादा शिकायतें आई हैं। मैं कहूं कि जो मैंने बातें कही हैं वे सत्य हैं और मैं प्रमाण से उनको सत्य साबित कर सकता हूं। मैं बताऊं क्या ? उनकी तैयारी है, क्योंकि वे उन कम्प्लेन्ट्स पर एक्शन ले सकें ? और मैं तो यह दावे के साथ कह सकता हूं कि राजस्थान में किसी भी जनसंघ के कार्यकर्त्ता के खिलाफ़ जो म्युनिसिपैलिटी का सदस्य हो किसी जगह की झूठी शिकायत करने की बात हो अथवा राजस्थान में किसी भी कार्यकर्त्ता के खिलाफ़ शिकायत हो तो मैं सदन को गलत जानकारी नहीं दे रहा हूं, वे यहां एक भी स्थान का नाम बता दें, एक भी कार्यकर्त्ता को बता दें ! अगर नहीं, तो मैं यह मानूंगा कि सदन को उन्होंने गलत जानकारी दी है और इसको लेकर मुझे यह कहना पड़ा है और मैं चाहूंगा कि अपना वक्तव्य देने से पहले वे सबसे पहले इसे क्लेरिफ़ाई करें।

श्री उपाध्यक्ष : मैं निवेदन करना चाहूंगा कि प्रश्न हमारे सामने विधेयक और विधेयक के सिद्धान्तों का है; अतः

(श्री उपाध्यक्ष)

प्रस्तुत विषय को मैं विधेयक से सम्बन्धित नहीं मानता हूं ।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : चार्ज लगाये हैं उनको क्लेरिफाई करें ।

श्री चन्दनमल वैद (सरदारशहर): दो तो मेम्बर्स है सारे ।

श्री भैरोंसिंह : दो से तो सब घबरा रहे हैं ।

श्री सम्पतराम (स्वायत्त शासन मंत्री): न तो पार्टी विशेष पर चार्ज लगाने का सवाल था, न कुछ और था । पर चूंकि ऐसे भाषण हो रहे हैं जिनको शान्ति से मैं सुन रहा था, मैंने तो यह कहा था और मैंने यह कभी नहीं कहा कि पर्टिक्युलर पार्टी के कार्यकर्त्ता ने प्रेशर डाला कि यह काम न करें । इसका मेरा कोई मतलब नहीं था ! मैंने तो यह कहा कि जहां काम करते हैं, चाहे जनसंघी हों चाहे कांग्रेसी हों सभी के खिलाफ शिकायतें आती रहती हैं । अधिकारियों के खिलाफ भी आती रहती हैं । इसलिये अच्छाई किसी की मोनोपोली नहीं है और इसके अलावा जयपुर से आनेवाले माननीय सदस्य ने कहा कि....

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी): इसी विषय पर कह रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : थोड़ा संक्षेप में कहकर बता दीजिये ।

श्री सम्पतराम : जहां तक म्युनिसिपैलिटी के चुनाव का सवाल है बाहर भी बातें हुई होंगी ; यह कहा होगा कि चुनाव जल्दी कराना चाहते हैं ! यह भी स्पष्ट शब्दों में कहता हूं कि जितना कायदे–कानून के मुताबिक जितनी जल्दी हो सकती है कराने की कोशिश करेंगे । पर जहां इधर उधर कमीबेश समय लग जावे तो बात दूसरी है । अन्यथा टालने की मंशा नहीं है कि पर्मानेन्टली एडमिनिस्ट्रेटर रखना चाहते हों । पहले भी इसका स्पष्टीकरण किया था । मेरी मंशा पहले भी स्पष्ट थी, पर इसके बाद भी माननीय सदस्यों ने माना नहीं । इसलिये मैंने कहने की जरूरत समझी थी ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जयपुर नगरपालिका प्रशासन (अस्थायी प्रावधान) विधेयक, १९६० को पारित किया जाय ?

(मतदान के पश्चात्)

'हां' पक्ष जीता ।

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : 'Noes' have it, Sir.

श्री उपाध्यक्ष : We wanted to have a few minutes at oura disposal, before we leave. However let us consume the whole time.

(मत विभाजन घंटी के पश्चात् पुनः)

प्रश्न यह है कि जयपुर नगरपालिका प्रशासन (अस्थायी प्रावधान) विधेयक, १९६० को पारित किया जाय ।

(स्वीकृत)

(श्री उपाध्यक्ष)

विधेयक पारित किया गया।

(विराम)

अब सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म० प० ४.१५ बजे अनिश्चित काल के लिये स्थगित हुई)

संक्षिप्त-विवरण

(शुक्रवार, १६ सितम्बर, १९६०)

	स्कम्भ		स्कम्भ
तारांकित प्रश्नों के शीर्षक	४५२४	माध्यमिक शालाओं के ड्रॉइंग अध्यापकों की वेतन शृंखला ।	
मोरेल बांध ।		ग्राम बनेठा, तहसील उनियारा के बड़े जैन मन्दिर की श्वेताम्बरियों की प्रतिमा का खंडन ।	
ग्राम धमाणा के रेगरों को हाथ बांध कर पेड़ों पर लटकाया जाना ।		इण्टर विज्ञान व प्री-युनिवर्सिटी परीक्षाओं का असन्तोषजनक परिणाम ।	
पोस्ट मेट्रिक्युलेशन छात्रवृत्ति ।		तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत नगर विकास योजना ।	
जयपुर प्रदर्शनी के टिकट ।		लालसोट के थानेदार श्री हुकमचन्द द्वारा श्री मूलचन्द माहरिया की बहिन के साथ बलात्कार एवं चोरियों को प्रोत्साहन ।	
विकास अधिकारी, ओसियां का अवकाश ।		राजस्थान स्टेट होटल, जयपुर के सुपरिन्टेन्डेन्ट श्री हाइन्स ।	
मानवाश्रम, दुर्गापुरा (जयपुर) ।		घंटाघर पुलिस स्टेशन, अजमेर ।	
थानेदार पुलिस, दानपुर द्वारा श्री मलिया की गिरफ्तारी ।		राजस्थान सशस्त्र पुलिस के सिपाही श्री सन्नूसिंह की मृत्यु ।	
विलीज़ जीप नं० आर० जे० एल० ३०७९ ।		राज्य के सर्वोत्तम अध्यापक को राष्ट्रपति का पारितोषिक ।	
श्री किशोरसिंह, अध्यापक, प्राइमरी स्कूल, गुड़ानाह ।		पुलिस हिरासत, निम्बाहेड़ा में	
ग्राम पंचायत कन्टालिया के सेक्रेटरी की पिटाई ।			
ग्राम पंचायत नगर के सरपंच द्वारा किराये पर लिये गये डेरे व छोलदारी ।			

Page No.119

स्कम्भ स्कम्भ

श्री मूलचन्द सुनार की हुई मृत्यु की जांच।

पाली शहर में वितरित सोफ्ट कोक।

भूमिहीन मजदूरों की गणना।

जालोड़ा जैन मन्दिर के व्यवस्थापक श्री उम्मेदमल की हत्या।

बीकानेर डिविजन के अध्यापकों की डेथ-कम-रिटायरमेण्ट ग्रेच्युटी का भुगतान।

श्री धुन्नालाल चौधरी, प्रधान, पंचायत समिति, मौजमाबाद के विरुद्ध आरोप।

राजस्थान ओरिएन्टल रिसर्च इन्स्टीट्यूट, जोधपुर में नियुक्तियां।

तहसील सुजानगढ़ के एक किसान की आग में जला कर की गई हत्या।

एस० एस० जैन सुबोध कॉलेज, जयपुर को प्राप्त सरकारी सहायता-अनुदान।

सिरोही जिले के कातिल-मुल्जिम।

जिंक स्मेल्टर प्लान्ट, उदयपुर।

राजकीय कॉलेजों में विज्ञान एवं कला के विषयों को पढ़ाने पर व्यय।

बापू छात्रावास, झुंझुनूं।

वैद्य श्री भगवानसहाय, सरपंच ग्राम पंचायत, मानपुरा माचैड़ी की रंगे हाथों गिरफ्तारी।

हाई स्कूल एवं हायर सेकण्डरी स्कूल्स के प्रधानाध्यापकों के चयन-आधार।

अल्प-काल सूचना प्रश्नोत्तर ४६०४

१. जयपुर में समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जातियों हेतु आदर्श बस्तियों का निर्माण।

२. समाज कल्याण विभाग में पद-वृद्धियां व नियुक्तियां।

३. जयपुर शहर में राजामल के तालाब में हरिजन बस्ती का निर्माण।

अनुपस्थिति के लिये अनुमति ४६२४

निम्नांकित सदस्यों को सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की गई :—

१. श्री बी. एन. जोशी—१०-९-६० से सत्र के अन्त तक।

२. श्री मोतीलाल चौधरी—२२-८-६० से १२-९-६० तक।

स्कम्भ

सदन की मेज पर रखा गया विवरण ४६२५

सचिव, विधान सभा ने सदन की मेज पर गत सत्र एवं इस सत्र में पारित उन विधेयकों का विवरण, जिन पर राष्ट्रपति महोदय अथवा राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, रखा। विधेयकों के नाम इस प्रकार हैं :—

राष्ट्रपति महोदय से अनुमति प्राप्त विधेयक :

The Rajasthan Panchayat (Amendment) Bill, 1960.

राज्यपाल महोदय से अनुमति प्राप्त विधेयक :

1. The Rajasthan Sales Tax (Second Amendment) Bill, 1960.
2. The Rajasthan Land Revenue (Amendment) Bill, 1960.

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर ध्यान दिलाना ४६२७

श्री रामकरणसिंह, सदस्य, विधान सभा ने प्रक्रिया तथा कार्य संचालन की नियमावली के नियम १३१ के अन्तर्गत तहसील ने कोटपुतली में वर्षा से हुई क्षति एवं तत्सम्बन्धी राहत कार्यों की ओर राजस्व मन्त्री का ध्यान आकर्षित किया। राजस्व मन्त्री इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया।

स्कम्भ

अध्यक्ष महोदय द्वारा घोषणा।

अध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि श्री श्रीमानसिंह ने राजस्थान कृषि उपज विपणि विधेयक, १९६० सम्बन्धी प्रवर समिति की सदस्यता से त्याग-पत्र दे दिया है।

तत्पश्चात् श्री नाथूराम मिर्धा, कृषि मन्त्री के प्रस्ताव पर डॉ० चन्द्रकला को उपरोक्त प्रवर समिति के रिक्त स्थान पर नियुक्त किया गया।

विधायी कार्य

विचारार्थ लिये गये विधेयक

१. राजस्थान बिक्री कर (तृतीय संशोधन) वियकधे १९६० ४६२६

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता, स्वास्थ्य मंत्री ने यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि उपरोक्त विधेयक को विचारार्थ लिया जाय जो सदन द्वारा स्वीकार किया गया।

तत्पश्चात् विधेयक खण्डशः विचार के पश्चात् सदन द्वारा

पारित भी किया गया।

२. राजस्थान लैण्ड रिफॉर्म्स एण्ड रिज़म्पशन ऑफ जागीर्स (तेरहवां संशोधन) विधेयक, १९६० ४६४४

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता, स्वास्थ्य मंत्री ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि उक्त विधेयक को विचारार्थ लिया जाय, जो सदन द्वारा स्वीकार किया गया।

तत्पश्चात् विधेयक सदन द्वारा पारित भी किया गया।

३. जयपुर नगरपालिका प्रशासन (अस्थाई प्रावधान) विधेयक, १९६० ४६४५

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता, स्वास्थ्य मन्त्री के इस प्रस्ताव पर कि उक्त विधेयक को विचारार्थ लिया जाय, डॉ० चन्द्रकला ने यह संशोधन प्रस्तुत किया कि विधेयक एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय जो अपना प्रतिवेदन आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह में प्रस्तुत करे।

इस पर हुए वाद-विवाद में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :—

१. श्री पी. के. चौधरी
२. श्री मुरलीधर व्यास
३. रावराजा श्री सरदारसिंह
४. श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी
५. रावल श्री नरेन्द्रसिंह
६. डॉ० बहादुरसिंह
७. श्री दयाकृष्ण विजय
८. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल
९. श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा

स्वायत्त शासन मन्त्री के उत्तर के पश्चात डॉ० चन्द्रकला द्वारा प्रस्तुत संशोधन प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ तथा विधेयक को विचारार्थ लिये जाने का प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

तत्पश्चात् श्री सम्पतराम, मन्त्री, स्वायत्त शासन विभाग ने विधेयक को पारित किये जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिस पर श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ने अपने विचार व्यक्त किये। इसके पश्चात् स्वायत्त शासन मन्त्री का

Page No.122

स्कम्भ

प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर विधेयक सदन द्वारा पारित किया गया।

स्कम्भ

सदन की बैठक ४ बज कर १५ मिनट पर अनिश्चित काल के लिये स्थगित की गई।

———

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ६०६ का उत्तर देखिये)

List of candidates who were awarded Scholarship in 1958-59

Sl. No.	Name of Student	Name of Institution where studying	Marks obtained	Amount
1.	Shri Ishaq Ali (Secondus)	Maharana Bhopal College, Udaipur.	379	50/-
2.	„ Suresh Chandra Asrani	Maharaja's College, Jaipur	370	50/-
3.	„ Bhusanlal Gulati	Raj Rishi College, Alwar	368	50/-
4.	„ Ashok Kumar Sapra	Government College, Bundi	367	50/-
5.	„ Daya Ram Kumhar	Government College, Sirohi	367	50/-
6.	„ Ghanshyam Lal Rathi	Jaswant College, Jodhpur	359	50/-
7.	Sushri Miss Harvendra Kaur Narula	S.N.G. Khalsa College, Ganganagar	356	50/-
8.	Shri Roopnarayan Gupta	Maharaja's College, Jaipur	356	50/-
9.	„ Lal Bhag Chandani	Government College, Ajmer	354	50/-

परिशिष्ट २

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ६१८ का उत्तर देखिये)

2nd. May, 1960.

1. M. S. (Pt. 1) General Surgery.

2. M. S. (Pt. II) „ „

3. „ „ (Pt. II) Ophthalmology.

4. M. Sc. (Med.) Physiology Branch.

5. M. D. (Med.) Pt. I.

6. M. D. (Med.) Pt. II.

3rd. May, 1960.

1. M. D. (Pathology) Pt. II.

2. M. Sc. (Gynaecology) Pt. II.

6th may, 1960.

1. M. S. (Gynaecology) Pt. I.

12th. May, 1960.

II. M. B. B. S.

19th. May, 1960.

1. I. M. B. B. S.

2. M. A. (Prev.) Sanskrit.

20th. May, 1960.

1. M. A. (Final) Sanskrit.

II. II B. E. (old).

24th May, 1960.

M. Sc. Previous 1. Zoology.

M. Sc. Previous 2. Geology.

M. Sc. Final 3. Geology.

M. Sc. Final 4. II Yr. T. D. C. (Commerce)

„ „ 5. II. B. V. Sc. & A. H.

„ „ 6. Final M. B. B. S.

„ „ 7. LL. M. (Pt. I)

26th. May, 1960.

M. Sc. (Prev.) Chemistry.

M. Sc. (Prev.) Botany.

I. St. B. E.

31st. May, 1960.

1. M. Sc. (Prev.) Mathematics.
2. „ (Prev.) Physics.
3. „ (Final) Physics.
4. II. Yr. T. D. C. (Science).
5. I. B. V. Sc. & A. H.
6. I. Pharm. (Pt. I).
7. B. Pharmacy (Pt. I) Old.
8. B. Pharmacy (Pt. I.) New.
9. B. Pharmacy (Pt. III).
10. Qualifying M. E. M. Sc. (Tech. Electronics (Pt. I).
11. „ „ „ (Pt. II).
12. Junior Diploma Course (Pt. I).

1st June, 1960.

1. M. A. (Final) Philosophy.
2. M. A. (Prev.) Geography.
3. I. Pharmacy (Pt. II)
4. B. Pharmacy (Pt. II).
5. III. B. V. Sc. & A. H.

2nd. June, 1960.

1. M. A. (Prev.) Maths.
2. M. A. (Prev.) Hindi.
3. M. Sc. (Final) Maths.

3rd. June, 1960.

1. M. A. (Final) Geography.
2. B. Sc. (Agr.) Pt. I).
3. M.Sc. (Final) Maths.
5. M. A. (Final) Maths.
4. M. A. (Prev.) History.
6. B. Sc. (Home Sc.) I Yr.
7. I Yr. T. D. C. (Science).

9th June, 1960.

1. M. A. (Final) Economics.
2. 1st. Yr. (T. D. C.) Arts.

10th. June, 1960.

1. M. Sc. (Final) Zoology and Botany excluding 18 candidates who offered Thesis)

11th. June, 1960.

1. M. A. (Final) History.
2. M. A. (Final) Hindi
3. Final B. V. Sc. & A. H. Examination.
4. M. Sc. (Final) Chemistry,

13th. June, 1960.

III. B. E. (New scheme).

14th. June, 1960.

M. A. (Prev.) English.

15th. June, 1960.

1. 1st. Year Three-year Degree Course (Commerce).

Page No.127

2. M. A. (Previous) Economics.

3. B. Com. (Previous).

17th. June, 1960.

1. M. A. (Prev.) Sociology.

2. M. A. (Final) Sociology.

3. M. A. (Final) Political Science.

4. M. A. (Prev.) Economics & Public Administration.

5. M. Com. (Prev. & Final).

18th. June, 1960.

1. Pre-University (Arts).

2. Pre-University (Science).

3. Pre-University (Commerce).

20th. June, 1960.

1. LL. B. (Final).

2. B. Ed.

21st. June, 1960.

1. M. A. (Prev.) Political Science.

2. III B. E. (Old).

22nd. June, 1960.

1. B. Sc.

23rd. June, 1960.

II B. E. (New).

24th. June, 1960.

LL. M. (Part II).

28th. June, 1960.

1. B. Com. (Final).

5th July, 1960.

1. B. A.

2. LL. B. (Prev.).

3. M. A. (Prev.) Social Work

7th. July, 1960.

Final B. E. (Civil Branch).

11th. July, 1960.

M. Ed.

29th. July, 1960.

Final B. E. (Mechanical Branch).

" " (Electrical Branch).

" " (Tele-Communication Branch).

Inter Science & Agriculture Examination	29.5.60
Inter Arts & Commerce Examination	12.6.60.
High School & Higher Secondary Examination.	18.6.60.

परिशिष्ट

List Conaring part 2 of the Question

1. Raj Rishi College, Alwar.
2. Dungar College, Bikaner.
3. Government College, Bundi.
4. Lohia College, Churu.
5. M. S. J. College, Bharatpur.
6. Government College, Bhilwara.
7. Government College, Banswara.
8. S. S. Jain Subodh Inter College, Jaipur.
9. Government College, Jhalawar.
10. Jaswant College, Jodhpur.
11. Government College, Kotah.
12. Government College, Ganganagar.
13. Government College, Sirohi.
14. Agarwal College, Jaipur.
15. R. Saharia College, Kaladera.
16. S. P. U. College, Falna.
17. Ghirawa College, Chirawa.
18. Government Inter College, Dausa.
19. Rajasthan Mahila Vidayalaya, Udaipur,

परिशिष्ट ३

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ६२१ का उत्तर देखिये)

GOVERNMENT OF RAJASTHAN.

(GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT 'A').

No. D. 21047 F.17 (a) (92) GA/A/ 56. Dated 24th. December, 1957.

In pursuance of the observations of the High Court of Rajasthan on the writ petition of Shri T.C. Hine, formerly Superintendent, Circuit House, Jaipur for his re-instatement. Shri T. C. Hine is reinstated from the date of his discharge i. e. from 27. 2. 1953 as Superintendent, Rajasthan State Hotel, Jaipur on the following terms and conditions:—

(1) He will get Rs. 700/— p. m. as basic pay plus usual dearness allowance from the date he takes over as Supdt., Rajasthan State Hotel, Jaipur.

(2) He will get Rs. 50/— p. m. as out-fit allowance already sanctioned to the Supdt., Rajasthan State Hotel, Jaipur.

(3) He will be entitled to leave and other benefits including medical benefits like the other Govt. servants of his status.

(4) The intervening period between the date of his discharge and reinstatement will be counted as qualifying service for the purposes of computing his pension and gratuity.

He will be given a token pay of Rs. 5/— p. m. from the date of his discharge till the date of his reinstatement.

He will be allowed further,

(1) Free quarter for him and his wife,

(2) Food from the Hotel for him and his wife on payment of Rs. 100/— per head per month.

(3) For other numbers of his family full monthly tariff rates for board and food will be charged.

This order has been issued subject to the condition that Shri Hine will not claim or get any other pay or allowance or any other amounts excepting as stated above for the period beginning from the date of his discharge and ending with his reinstatement to which Shri Hine has agreed.

Sd/—(G. K. Bhanot)
Deputy Secy. to Govt.

GOVERNMENT OF RAJASTHAN.

(GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT 'A')

ORDER

No. F. 17 (a) (92) GA/A/56. Dated the 29th. May, 1959.

In partial modification of this Department Order No. D. 21047/F. 17 (a) (92) GA/A/56, dated 24. 12. 57 regarding reinstatement of Shri T. C. Hine, on the post of Supdt., Rajasthan State Hotel, Jaipur, the Governor has been pleased to order that:—

(1) Shri T. C. Hine on reinstatement will get D. A. at 3/4th. of the normal rates since he has been allowed only free lodging and in addition some concession has been given in respect of boarding for himself and his wife.

(2) He will get the outfit allowance (to be treated as compensatory allowance) at the rate of Rs. 20/— P. M. only in terms of the Government Order issued subsequently vide this Department No. D. 7088/58 F. 17 (a) (129) GA/A/56, dated 13. 6. 58 and not Special pay of Rs. 30/—

By Order.

Sd/—G. K. Bhanot, I. A. S.,
Deputy Secretary to Government.

परिशिष्ट ४

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ६२४ का उत्तर देखिये)

MEDICAL & HEALTH DEPARTMENT, RAJASTHAN

POST-MORTEM REPORT

पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट

District—Ganganagar   Dated 5. 5. 1960.
जिला   तारीख

Body Brought by—Postmortem done on the spot at Gharsana P. A. C. post
नाम जिस्म लाने वाले का

Body identified by-Subedar Tota Singh.
नाम शनाख्त करनेवाले का

Name, sex and caste-Sallu Singh Constable No. 812, about 30yrs.
नाम, वर्ग, उम्र और जाति

Whence brought, village thana-After getting telephone call from Asstt. Supdt 4 P.A.C. Anupgarh reached for post-mortem.
कहां से लाया गांव थाना

DATE AND HOUR OF
तारीख और वक्त

Death मौत	Examination of body मुआयना जिस्म.	Despatch of matter to Chemical Examiner भेजने कैमीकल एग्ज़ामिनर	Appearance of symptoms of poison or disease जाहिर होना अलामात जहर या बीमारी
about 3 days.	5-5-60 9. 20 A. M.		

Symptoms observed before death

अलामात जो मौत से पहिले देखी गई

Information furnished by Police-Died of thirst and Starvation in closet.

इत्तला जो पुलिस ने दी

N. B.—The Medical Officer will observe the State of all the organs, and when he finds no disease or injury, he should write in the appropriate place the word "healthy."

नोट—मैडीकल अफसर को तमाम अंगों की हालत देखनी चाहिए। अगर उसे कोई बीमारी या चोट मालूम न हो तो सही जगह में लफ्ज "तन्दुरुस्त" देना चाहिये।

1 EXTERNAL APPEARANCE

Condition of subject—stout, emaited decomposed : Stort, rigor mortes disappearance from all over body. Peutrification started. Maggots present on body skin. Fingers and toes shrivelled up. Skin of supra pubic region and penis eaten up by maggots. Eyes eaten up by birds or animals. Blood in face from eyes.

2. Wounds—position, size, nature Nil

3. Bruises—position, size, nature Nil

4. Mark of ligature on neck, dissection. etc Nil

5. Condition of pupils. Could not be made out at eye Balls were eaten up.

II. CRANIUIM AND SPINAL CORD

Note—The spinal canal need not be examined unless any indication of disease or injury exist.

1. Scalp, skull and vertebrae	2. Membranes	3. Arain and spinal cord
Healthy	Congeested	Congested.

III. THORAX

1. Walls, Ribs and cartilages Healthy
2. Pleurae Healthy

3.	Larynx and tracheae	Healthy
4.	Right lung	Congested Peutrification started
5.	Left lung	Congested Peutrification started
6.	Pericardium	Healthy
7.	Heart	Right, aurcli and ventricle full with blood Left ventricle and auricle empty
8.	Large vessels	Pulmonary artries full with blood

IV. ARDOMEN

1.	Walls	on old wall meggote present peutrication started
2.	Peritoneum	Healthy
3.	Mouth, Pharynx and Esophague	Healthy
4.	Stomach and its contents	Distended with gas empty
5.	Small intestines and their contents	Distended with gas Empty
6.	Large intestides and their contents	Distended with gas empty
7.	Liver	Healthy
8.	Spleen	Healthy Congested
9.	Kidneys	Healthy
10.	Bladder	Healthy empty
11.	Organs of generation external and internal.	Healthy, Skin of penis eaten-up by meggots.

V. MUSCLES, BONES, JOINTS

1. Iujury 2. Discease or Deformity 3. Fracture 4. Dislocation

—Healthy—

REMARKS BY MEDICAL OFFICER

In my opinion the cause of death is Syncope because of heat Stroke

Sd/. L. N. Bansal.
5-5-60

Certified true Copy

Dule Singh

Note : The above report is illegible.

परिशिष्ट ५

(प्रश्न काल में न लिये जा सकने वाले उत्तर)

दिनांक १-६-६० का स्थगित प्रश्न

विकास खण्ड, सांगानेर द्वारा वितरित फलदार वृक्ष

२८०. श्री लादूराम सुलाणिया (दूदू-सु०) : क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(क) विकास खण्ड, सांगानेर में १६५६-६० में कितने फलदार वृक्षों का वितरण खण्ड द्वारा किया गया ?

(ख) किस किस किस्म के कितने कितने पौधे किस किस नर्सरी से किस किस दर पर किस किस तारीख को क्रय किये गये ?

(ग) वर्तमान में कितने पौधे जीवित हैं ?

(घ) इस वर्ष (गत सैशन के) सांगानेर विकास खण्ड में कितने बेर वर्डर्स ने कार्य किया तथा उन पर खण्ड का कुल कितना व्यय हुआ ?

(ङ) कितने पेड़ों पर किस किस ग्राम में कलम चढ़ाई गई ?

(च) कितने पेड़ों पर सफलता मिली और कहां कहां ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(क) विकास खण्ड द्वारा कोई वितरण नहीं किया गया। कुल ५५,००० फलदार पेड़ों का वृक्षारोपण करवाया गया। पेड़ पंचायतों एवं कृषकों द्वारा सीधे खरीदे गए।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) लगभग ३२,८५० पौधे।

(घ) ५६-६० में ६ बेर वर्डर्स ने काम किया था और उन पर १७० रु०, ३० नये पैसे खर्च हुए।

(ङ) कुल ४,२०४ पेड़ों पर कलमें चढ़ाई गईं। २,२०० श्योपुर, १,६२६ मोहनपुरा, तथा ३७८ कुन्दनपुरा ग्राम में।

(च) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

जो कलमें सफल हुई उनकी ग्राम वार सूची

श्योपुर	३०५
मोहनपुरा	२०३
कुन्दनपुरा	४३

दिनांक ६-६-१६६० का स्थगित प्रश्न

बांसवाड़े के लघु उद्योग

३४५. श्री भोगजी भाई (बांसवाड़ा) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) उद्योग विभाग बांसवाड़ा ने सन् ५८-५६ व ६० में छोटा उद्योग खोलने के लिये कितनी कितनी रकम सहायता व कर्ज के रूप में किन किन कम्पनियों व सहकारी समितियों तथा व्यक्तियों को दी ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(ख) उक्त वर्षों में छोटा उद्योग खोलने के लिये कितने प्रार्थना-पत्र पेश हुए व उनको प्राथमिकता किस तरह दी गई ?

उत्तर

(क) इस सूचना की तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है।

(ख) कोई नहीं। प्राथमिकता देने का प्रश्न नहीं उठता।

———

परिशिष्ट

AMOUNT OF LOAN ADVANCED FOR THE DEVELOPMENT OF SMALL SCALE INDUSTRIES DURING THE YEAR 1958-59 & 1959-60 IN THE BANSWARA DISTRICT.

YEAR 1958-59

S. No.	Name & address of the party.	Nature of Industry	Amount of loan advanced. Rs.
1.	M/s Nathulal S/o Kushalji Panchal, Kushalgarh.	Black smithy.	3,000/-
2.	„ Nazir Ali S/o Hadar Ali, Garhi.	Brick Making.	2,000/-
3.	„ Gopal S/o Dungarji, Mistri, Banswara.	Lathe Machine, welding etc.	2,000/-
4.	„ Shankar S/o Miti, Banswara.	Tools & Implements.	1,000/-
5.	„ Purshottam S/o Nathu Lohar, Garhi.	Black Smithy.	1,000/-
6.	„ Kanhiyalal S/o Mukandlal, Nima Mahan, Banswara.	Brick Making.	2,000/-
7.	„ Amir Mohd. S/o Nabe Bux, Lakhara, Banswara.	Lac Bangle	1,000/-
8.	„ Kastha Vastu Utpadak Sahkari Samiti, Kushalgarh.	Amlipada (Agriculture implement)	850/-
9.	„ Ali Mohd. S/o Yabiya Bhai, Partappur, Garhi.	Brick Making & Lime Mfg.	1,500/-
10.	„ Dhulji S/o Lachman, Kushalgarh.	Lac Bangle.	500/-

1	2	3	4
11.	M/s Heera S/o Sama Arthuna, Garhi.	Brick Making.	1,500/-
12.	,, Prem Chand S/o Nathuji Lohar, Banswara.	Black Smithy.	1,000/-
13.	,, Kakria S/o Mangla Mochi, Banswara.	Shoe Making.	500/-
14.	,, Champalal S/o Gangaram, Lakhera, Kushalgarh.	Lac Bangle.	2,000/-
15.	,, Ahmed S/o Ibrahimji, Lakhera Banswara.	—do—	1,000/-
16.	,, Nathu S/o Moti, Banswara.	Brick Making.	1,960/-
17.	,, Hanuman Pd. S/o Bhodhuram, Mistri, Banswara.	Furniture Ind.	1,500/-
18.	,, Tokri Utpadak S. S. Ltd., Garhi.	Basket Making.	200/-
19.	,, Deeta S/o Rama Bhil, Banswara.	Brick Making.	600/-
20.	,, Asharef S/o Rahim Bux, Lakhera.	Lack Ind.	600/-
21.	,, Charm Utpadak S. S. Ltd., Kushalgarh.	Leather Tanning.	1,440/-
22.	,, Bhimsar Charan Shodhan S. S. Ltd., Bhimsa. (C. D. Block).	—do—	1,000/-

1	2	3	4
23.	M/s Heeralal S/o Kalu Ram, Banswara.	Welding.	600/-
24.	„ Fida Husain S/o Ali Bhai, Banswara.	Black Smithy.	600/-
25.	„ Seewa S/o Ratan, Garhi.	Pope making.	400/-
26.	„ Kodar S/o Kalia Bhil, Garhi.	—do—	600/-
			Rs. 30,350/-
	YEAR 1959-60		
27.	M/s Charm Utpadak S. S. Ltd., Lakho.	Leather Tanning.	2,000/-
28.	„ Chokla Charm Utpadak S. S. Ltd., Chokla.	—do—	750/-
29.	„ Charm Utpadak S. S. Ltd., Athuna.	—do—	720/-
30.	„ Badi Sakha Charm Utpadak S. S. Ltd., Badi Sakha.	Leather Tanning.	2,000/-
31.	„ Lalu S/o Nathu, Banswara.	Carpentary.	530/-
32.	„ Punja S/o Kacharia, Khumar, Timadia Bada, Kushalgarh.	Brick Mfg.	500/-

1	2	3	4
33.	M/s Madhur S/o Bhaga, Rasoodi,	Black Smithy.	500/-
34.	,, Bashir Potfad S/o Kasamji, Bhungda.	Lac Bangle.	500/-
35.	,, Abdul Rahim S/o Sakarji, Bhungda.	—do—	500/-
			8000/-
		Grand Total Rs.	38,350/-

दिनांक ७-६-६० का स्थगित प्रश्न

जयपुर, जोधपुर, बीकानेर व बाड़मेर आदि शहरों में मई व जून के महीनों में होने वाले जल-कष्ट का निवारण

४६६. रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सही है कि राजस्थान में बड़े बड़े शहरों; जैसे जयपुर, जोधपुर, बीकानेर बाड़मेर इत्यादि में मई और जून में नलों में पानी की अत्याधिक कमी के कारण जनता को अधिक कष्ट और संकट रहता है ?

(ख) अगर हां, तो गत जून में कौन कौन से शहरों में जल संकट अधिक गंभीर रहा और उसके निवारणार्थ सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

(ग) क्या यह सही है कि जयपुर शहर में मई व जून में जल की कमी के कारण कई स्थानों पर लड़ाई-झगड़े हुए जिसमें एक पुलिस मैन घायल हुआ और बुढ़िया की जल न मिलने के कारण मृत्यु हो गयी ?

(घ) अगर हां, तो सरकार ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये क्या क़दम उठा रही है ?

उत्तर

(क) जी हां, कुछ हद तक जयपुर में और जोधपुर तथा बाड़मेर में गत मई व जून में पानी की कमी अनुभव हुई थी।

(ख) जयपुर, जोधपुर तथा बाड़मेर । जयपुर में कुछ क्षेत्रों में बोरिंग गाल कर तथा जोधपुर और बाड़मेर में नलों के द्वारा जल देने के अतिरिक्त पानी की टंकियों द्वारा भी जल वितरण किया गया।

(ग) सरकार को ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली।

(घ) नई पाइप लाइनें डाली जा रही हैं व नए पम्प और मंगाये जा रहे हैं, जिनसे ये कमियां दूर हो जावेगी।

दिनांक ६-६-६० का स्थगित प्रश्न

ग्राम धनारी, जिला सिरोही के स्कूल भवन को पूरा करवाना

४६७. श्री वीराराम (सिरोही-सु) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या जिला सिरोही के ग्राम धनारी के स्कूल भवन में वर्षा में पानी पड़ता है व बच्चों को बड़ी दिक्क़त होती है ?

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार स्कूल भवन को पूरा करवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(क) जी हां।

(ख) ऐसे सभी स्कूल भवनों को शीघ्रातिशीघ्र पूरा कराने की आवश्यक कार्यवाही की जारही है।

दिनांक १० सितम्बर, १९६० का स्थगित प्रश्न

पुलिस स्टेशन सरदारशहर में श्री रामजस शर्मा की पिटाई

५०९. श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर)--श्री भोगजी भाई, (बांसवाड़ा)--श्री मोहरसिंह (चुरू) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(१) क्या यह सत्य है कि दिनांक ६ अगस्त, १९६० को पुलिस स्टेशन, सरदारशहर के थानेदार तथा पुलिस के कुछ सिपाही बिना वर्दी पहिने ही श्री रामजस शर्मा, तार बाबू को डाकखाने में गिरफ्तार करने हेतु उस समय पहुँचे जब कि श्री रामजस ने अपने उच्चाधिकारियों से व्यक्तिगत ट्रंक काल बुक करवा रखा था तथा उन्हें उसी समय गिरफ्तार कर मोटर में डाल कर थाने में ले गये थे ?

(२) क्या यह सत्य है कि श्री रामजस शर्मा को थाने में ले जाकर स्वयं थानेदार तथा अन्य पुलिस कर्मचारियों ने थाने के दरवाजे बन्द कर चार घण्टों तक उनकी लगातार मार-पिटाई की, जिससे श्री रामजस शर्मा के चीखने की आवाज़ सुन कर सरदारशहर की काफी जनता पुलिस स्टेशन के सम्मुख एकत्रित हो गई ?

(३) क्या यह सही है कि जनता के आग्रह पर श्री रामजस शर्मा को छोड़ा गया तथा वह पुलिस थानेदार द्वारा अस्पताल भिजवाया गया ? यदि हां, तो श्री रामजस शर्मा कितने दिन अस्पताल में भर्ती रहे ?

(४) क्या यह सत्य है कि पुलिस थाने में हुई मारपीट के कारण श्री रामजस के शरीर पर ३०-३५ चोटें आई तथा ३ स्थानों की हड्डियें भी टूट गई ?

कृपया इस सम्बन्ध की मेडिकल रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें।

(५) क्या यह सत्य है कि पुलिस थाने की दीवारें तथा दरवाजा गत दिनों की अति वृष्टि से जर्जरित था, क्षति ग्रस्त हो गये तथा पुलिस स्टेशन पानी से भर गया था जिसके फलस्वरूप पुलिस थाने को १५-२० दिनों तक किसी दूसरे स्थान पर लगाया गया था ?

(६) क्या यह सत्य है कि सरदारशहर में पुलिस की इस ज्यादती के परिणाम स्वरूप आम हड़ताल हुई, व एक संघर्ष समिति का निर्माण किया गया तथा स्थानीय जनता ने जिला अधिकारियों को तार द्वारा सूचनाएं दीं ? यदि हां, तो कब, किन किन द्वारा तथा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ? कृपया तारों की प्रतिलिपियां सदन की मेज पर रखें।

(७) क्या यह सत्य है कि उक्त घटना की जिला अधिकारियों ने जांच की थी ? यदि हां, तो किस किस अधिकारी ने कब कब जांच की और उनकी जांच से इस काण्ड पर क्या प्रकाश पड़ा ? कृपया जांच रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें।

(८) क्या यह सत्य है कि श्री रामजस शर्मा से सहानुभूति रखनेवालों पर पुलिस झूठे मुकदमें बना रही है ?

(९) क्या यह भी सत्य है कि सरदारशहर की इस पुलिस घटना की जांच डी. आई.-जी. पुलिस, बीकानेर द्वारा दिनांक १३ अगस्त, १९६० को की गई थी ? यदि हां, तो जांच का क्या परिणाम रहा ? कृपया यह जांच रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें !

(१०) इस घटना में कौन कौन पुलिस अधिकारी तथा कर्मचारी दोषी पाये गये तथा उनके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

उत्तर

(१) दिनांक ६-८-६० को श्री रामजस को गिरफ्तार करने हेतु सरदारशहर के थानेदार तथा सिपाही बिना वर्दी पहिने हुए अवश्य गये थे और उन्हें गिरफ्तार कर मोटर में ले गये थे। जांच से पता लगा कि श्री रामजस ने अपने कुछ अधिकारियों से व्यक्तिगत ट्रंक कॉल बुक करा रखा था। गिरफ्तारी के समय पुलिस को इसका पता नहीं था।

(२) नगर के दो नागरिकों ने ऐसा अवश्य बयान दिया है कि उन्होंने श्री रामजस को पुलिस द्वारा थाने में मारपीट करते देखा और डॉक्टरी मुआयना तथा डॉक्टर की राय भी इसकी कुछ पुष्टि करती है। शहर में यह गलत अफवाह किसी के द्वारा फैलाई गई कि श्री रामजस की थाने में मृत्यु हो गई जिस पर लगभग डेढ़ हजार व्यक्ति थाने के सम्मुख एकत्रित हुये, न कि श्री रामजस की चीखें सुन कर।

(३) श्री रामजस को न तो जनता के आग्रह पर छोड़ा गया, न इसीलिए अस्पताल भिजवाया गया किन्तु थानेदार ने थाने पहुंचते ही डॉक्टर को थाने में ही बुला कर श्री रामजस का डॉक्टरी मुआयना करवाया और बाद में उसी रोज शाम को ६ बजे इन्हें अस्पताल में दाखिल करवाया गया, अस्पताल में वे दिनांक १३-८-६० तक रहे।

(४) उनके केवल ३० चोटें आना डॉक्टरी मुआयना में दर्ज है। दो का एक्सरे करवाया है जिनका नतीजा मेडिकल विभाग से अभी तक इस विभाग को प्राप्त नहीं हुआ है। चोटें गिरफ्तारी का विरोध तथा थानेदार को श्री रामजस द्वारा मारपीट करते वक्त बचाव के कारण आई हैं। दो, तीन चोटें कथित पुलिस की मारपिटाई से आना भी सम्भव है। इन्ज्युरी रिपोर्ट की नकल संलग्न है।

(५) थाने की लो लेवल के कारण बरसात से कम्पाउंड में करीब तीन फीट तक पानी भर गया था, अतः दिनांक ८-७-६० से २२-७-६० तक थाना अन्य जगह रखा गया किन्तु थाने की इमारत को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँची।

(६) जी हां, इस सम्बन्ध में चेयरमैन तथा सेक्रेट्री एक्शन कमेटी के द्वारा दिये गये तार आई. जी पी. और डी. आई. जी पी., ही. आई. डी. को प्राप्त हुये थे जिनकी प्रतिलिपि संलग्न है। इस विषय में जांच करवाई गई जिसके फलस्वरूप सब इन्सपेक्टर को मोअत्तिल कर दिया गया है तथा विभागीय जांच जारी है।

(७) इस घटना की प्राथमिक जांच ए. एस. पी., चुरू जो उस समय एस. पी. का कार्य कर रहे थे, ने की और उनकी जांच पूर्ण होने के पूर्व ही डी. आई. जी. पी., बीकानेर ने जांच प्रारम्भ की। डी. आई. जी. पी. की प्राथमिक जांच से सब-इन्सपेक्टर दोषी पाया गया। जांच की रिपोर्ट सदन की मेज पर रखना जन-हित में नहीं है।

(८) जी नहीं।

(९) जी हां। डी. आई. जी. पी. की प्राथमिक जांच से सब-इन्सपेक्टर दोषी पाया गया; अतः उसे निलम्बित किया गया और विभागीय जांच जारी है। जांच की रिपोर्ट सदन की मेज पर रखना जन-हित में नहीं है।

(१०) प्राथमिक जांच से सब-इन्सपेक्टर ही दोषी पाया गया अतः उसे मोअत्तिल कर दिया गया और विभागीय जांच जारी है।

परिशिष्ट

Medical & Health Department, Rajasthan R. J. P. No 175-7-38-15,000 F. Injury Report Form,

Examined at 14.45 by Dr. Vaisrampayan, at 19.30 by Dr. U. K. Vyas MOYC PHCSRUR

Injury report on-Shri Ram Das Sharma S/o Megha Ram Sharma-age-38 yrs. Caste-Hindu, resident of-Sardarshahar Thana Sardar Shahr Police report No-Nil. dated—6-8-60

Nature of injury whether cut, wound, bruise	Size of each injury in inches, being length, breadth and depth	On what part of the body inflicted	Simple or Grievous	By what kind of weapon inflicted	Identification marks on individual examined.	X-ray findings	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Contused wound	$\frac{1}{2}$"×$\frac{1}{10}$×$\frac{1}{10}$"	on the left Traques (Ear)	Simple	Blunt			
2. Contusion	$\frac{3}{4}$" round $2\frac{1}{2}$"	behind the left mastord	„	„			
3. Contusion	1"×$\frac{1}{8}$"×1"	achuod the mastoil left	„	„			
4. Contusion	$1\frac{2}{3}$"×1"	on nudial aspect of pinna (left) and the sealp	„	„			
5. Contusion	1"×$\frac{1}{8}$×", 1"	below injury no. 2	„	„			

1		2	3	4	5	6	7	8
6.	Contusion	$\frac{1}{8}$"×$\frac{1}{8}$"	on the right side of root of nose.	Simple	Blunt	may be X rayed for a fracture.		lerdence of
7.	Contusion	2$\frac{1}{2}$"×2$\frac{1}{3}$"	on the right 24 goma and the forehead.	,,	,,			
8.	Habua tonia	1$\frac{1}{3}$"	round on the right pinna (Ear);	,,	,,			
9.	Contusion	2$\frac{1}{2}$"×$\frac{1}{3}$"	right side of neck at level of mandible.	,,	,,			
10.	Abrasion	$\frac{1}{3}$"×$\frac{1}{3}$"	on the right shoulder 3" from the acromion.	,,	,,			
11.	Contusion	3$\frac{3}{4}$"×1$\frac{1}{3}$"	on the right shoulder	,,	,,			
12.	Contusion	1"×$\frac{1}{8}$", 1"	above the right External epecondyle	,,	,,			
13.	Contusion	2$\frac{3}{4}$"×1"	below the right oleevanon was abrasious $\frac{1}{3}$"×$\frac{1}{4}$"×$\frac{1}{3}$"×$\frac{1}{3}$" on it.	,,	,,			

1	2	3	4	5	6	7	8
14. Abrasion	$\frac{1}{2}'' \times \frac{1}{2}''$	on volar aspect right fore arm, 2" above the wrist	Simple	Blunt			
15. Abrasion, linear one	2"	vertical on the middle of chest infront	,,	,,			
16. Abrasion	$1\frac{1}{2}'' \times \frac{1}{3}''$	on volar aspect left fore asm just above the wrist	,,	,,			
17. Contusion	$10\frac{1}{2}'' \times \frac{1}{2}''$	in the left inter scapulor region and below	,,	,,			
18. Contusion	$4'' \times \frac{1}{2}''$	in the right inter seapular region	,,	,,			
19. Contusion (Thick)	6" round	on the left buttock	,,	,,			
20. Contusion (Thick)	$7'' \times 5''$	on the right buttock	,,	,,			

1	2	3	4	5
21. Contusion	2" X 1"	on the left buttock at the level of greater Trochanter	Simple Blunt	
22. Contusion	4" X $\frac{1}{2}$", $\frac{1}{2}$"	below the injury No. 21	,, ,,	
23. Contusion	4" X $\frac{1}{2}$"	on back of left thigh at level of grent mocha-nled 1" modial to the injury 21	,, ,,	
24. Contusion	3" X $\frac{1}{2}$", $\frac{1}{2}$"	above injury No. 23	,, ,,	
25. Contusion	1$\frac{1}{2}$" X 1"	niddle of & back aspect of Right thigh	,, ,,	
26. Contusion	1"X$\frac{3}{4}$"	on back of right thigh in its niddle below inj-ury No. 25	,, ,,	l Scar $\frac{3}{4}$" round 4" above the Pt. patclla on Thigh

परिशिष्ट

	1	2	3		4	
27.	Contusion	$2'' \times \frac{3}{4}''$	on back part of right leg at juidion of upper 2/3 c lower $\frac{1}{3}''$	Simple	Blunt	2 Scar $1\frac{1}{4}'' \times \frac{1}{6}''$ on the outer canthus
28.	Contusion		Covering $\frac{1}{3}$ of the Sole of right foot in its outer half valso $\frac{1}{2}$ after Dorsal aspect of this foot	Grievous ?	,,	Tenderness +++ on the middle of laterit bord of foot is sugges-tive of a fractured It may he confirmed by X-Ray Examination U. K.
29.	Sivelling (Contusion)	$3'' \times 2\frac{1}{2}''$	on the buder portion of the left foot in the Sole	Simple	,,	
30.	Abrasion	$\frac{1}{2}'' \times \frac{1}{8}''$	just below the right knee	,,	,,	

परिशिष्ट

Duration of all Injuries may be about Couple of hours (Dr. Vaishampayan)

No. 678
Dated 7-8-60

Vaisham Payan
6-8-60 C A S I

U. K. Vyas C A S I
Medical Officer
I/c Primary Health
Centre, Sardarshahar.

Note : The above report is not legibly written.

Copy of telegram dated 7-8-60 from the Chairman, Sardarshahar addressed to the Inspector General of Police, Rajasthan, Jaipur and copy endorsed to D. I. G., C.I.D., Rajasthan, Jaipur.

Sub inspector police and his staff Sardarshahar illegally beaten Ramjas in post office and police station about forty injuries inflicted. Condition serious. Immediate action essential. Market Closed.

Copy of telegram from Secy., Action Committee, Sardarshahar to the Dy. Inspector. General of Police, Rajasthan, Jaipur, dated 11-8-60.

Five citizens arrested in connection with a fabricated case reported by local police but so far no action taken against the police employees who cruelly beat Ramjas Sharma on sixth instant in police station and inflicted thirty injuries including one fracture. situation terribly tense immediate interference requested.

दिनांक १४-९-६० का स्थगित प्रश्न

कुचामन सिटी नगरपालिका के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव

५४४. श्री मानिकचन्द कोठारी (जायल): क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सही है कि कुचामन सिटी नगरपालिका के अध्यक्ष के विरुद्ध दिनांक २२-७-६० को एस० डी० ओ०, परबतसर की अध्यक्षता में नगरपालिका की विशेष बैठक द्वारा राजस्थान म्युनिसिपैलिटीज़ एक्ट, १९५९ की धारा ६५ (९) के अनुसार सर्व सम्मति से अविश्वास प्रस्ताव पारित किया जा चुका है ?

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि इस प्रस्ताव को आज तक क्रियान्वित नहीं होने दिया गया है ?

(ग) ऐसा राज्य के किस अधिकारी द्वारा हुआ है ? क्या उसे ऐसा करने का कानूनी अधिकार प्राप्त है ? यदि नहीं, तो क्या सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध शीघ्र ही सख्त कार्यवाही की जायगी ?

(घ) क्या उक्त प्रस्ताव पारित हो जाने के बाद अनाधिकृत रूप से अध्यक्ष द्वारा किये गये सभी कार्य अवैध माने जायेंगे ?

(ङ) क्या अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने के उपरान्त भी अध्यक्ष द्वारा स्थान रिक्त न करके अध्यक्षीय कार्य करते रहना मिसकन्डैक्ट नहीं है ? यदि है, तो क्या शीघ्र ही मिसकन्डैक्ट की कार्यवाही की जाएगी ?

उत्तर

(क) जी हां।

(ख) अध्यक्ष अभी तक कार्य कर रहा है।

(ग) जहां तक जानकारी प्राप्त हुई है किसी भी अधिकारी द्वारा ऐसा नहीं किया गया।

(घ) यह कानूनी इन्टरप्रिटेशन और ओपीनियन का सवाल है जिसके बारे में सरकार कुछ नहीं कह सकती।

(ङ) इस सम्बन्ध में एन्क्वायरी की जा रही है। यदि मिसकन्डैक्ट पाया गया तो नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

दिनांक १०-६-६० का स्थगित प्रश्न

मेसर्स कोटा ट्रांसपोर्ट लि०, कोटा

४७८. श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या मैसर्स कोटा ट्रान्सपोर्ट लिमिटेड, कोटा, नाम की कोई संस्था कोटा में कार्य करती है ? यदि हां, तो कितने वर्षों से ?

(ख) क्या तत्कालीन कोटा रियासत ने भी इस कम्पनी के २ लाख रु० के हिस्से खरीदे थे ? यदि हां, तो क्या ये हिस्से राजस्थान सरकार के नाम परिवर्तित हो चुके हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(ग) क्या यह लिमिटेड कम्पनी प्रति वर्ष इन हिस्सों पर लाभ का वितरण करती है ? यदि हां, तो अभी तक उपरोक्त २ लाख के हिस्सों पर कितना २ लाभ किस २ वर्ष में किसको दिया गया ?

(घ) इस ट्रान्सपोर्ट कम्पनी की कुल पूंजी कितने लाख की है तथा इस कुल पूंजी में से लागत की पूंजी कितनी है तथा शेष पूंजी किस २ बैंक में जमा है तथा उस पर कितना ब्याज प्रति वर्ष आता है ?

उत्तर

(क) जी हां। इस संस्था का पंजीकरण जनवरी, सन् १६४६ में हुआ था तथा संस्था ने जुलाई, १६४७ से कार्य शुरू किया था।

(ख) ये हिस्से राजस्थान सरकार नाम के अभी तक नहीं हुये क्योंकि संस्था ने परिवर्तन करने से आपत्तियां उठाई थीं। इस सम्बन्ध में उच्च न्यायालय ने निर्णय ८-८-६० को दिया है जिसके अनुसार २ लाख रुपये के हिस्से राज्य सरकार के नाम परिवर्तन हो जायेंगे। इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही उच्च न्यायालय के आदेश की प्रलिलिपि के प्राप्त होने पर शीघ्र ही की जावेगी।

(ग) जी हां। यह कम्पनी प्रतिवर्ष लाभ वितरण करती है। इन दो लाख रुपयों के हिस्सों पर कोई लाभांश प्राप्त नहीं हुआ; क्योंकि ये हिस्से राज्य सरकार के नाम परिवर्तित नहीं हुये हैं।

(घ) इस कम्पनी की कुल पूंजी कम्पनी की वार्षिक रिपोर्ट (१९५७-५८) के अनुसार १० लाख रुपये है। कुल लागत की पूंजी तथा अन्य पूंजी के बैंक में जमा होने तथा ब्याज मिलने आदि की सूचना सरकार से सम्बन्धित नहीं है। यह कम्पनी के निजी कार्य से सम्बन्धित है और कम्पनी एक्ट के अनुसार उनके डाइरेक्टरगण ही जान सकते हैं।

———

परिशिष्ट ६

(कृपया अल्पकालीन सूचना प्रश्न १ का उत्तर देखिये)

सूची 'अ'

क्र० सं०	बसनेवालों के नाम	बसाने की तारीख	बसने की तिथियां
	फतेह टीबा हरिजन बस्ती, जयपुर		
१.	श्री मुनिया वल्द मंगा	१६५७-५८	निश्चित तिथि गृह
२.	,, मंगा वल्द गंगा	,,	प्रवेश की प्राप्त
३.	,, घीसा वल्द रामचन्द्र	,,	नहीं है। कार्य
४.	,, कालिया वल्द घासी	,,	सम्पूर्ण होते ही
५.	,, पांचू वल्द धन्ना	,,	बहुत से सहायित
६.	,, रामरतन वल्द छीतर	,,	गृह प्रवेश कर
७.	,, सागरिया वल्द सनवारिया	,,	चुके हैं।
८.	,, गणेश वल्द रामदेव	,,	
९.	,, मुवा वल्द हरदला	,,	
१०.	,, मैना वल्द मंगा	,,	
११.	,, पूनिया वल्द जोरूरियां	,,	
१२.	,, प्रभाती वल्द कल्या	,,	
१३.	,, पंचा वल्द काना	,,	
१४.	,, किशोरिया वल्द मोहन	,,	
१५.	,, जमना वल्द नाथूलाल	,,	
१६.	,, रामविलास वल्द मौजा	,,	
१७.	,, भौरीलाल वल्द रामपाल	,,	
१८.	,, फकीरचन्द वल्द बोदूराम	,,	
१९.	,, घासीलाल वल्द छीतरलाल	,,	

१	२	३	४
२०.	श्री मुनिया वल्द रूघाराम	१९५७–५८	निश्चित तिथि गृह
२१.	,, मूलिया वल्द मोतीराम	,,	प्रवेश की प्राप्त नहीं
२२.	श्रीमती नाथी पुत्री नाथू	,,	है। कार्य सम्पूर्ण होते
२३.	श्री लादूराम वल्द कालिया	,,	ही बहुत से सहायित
२४.	,, कन्हैया वल्द शंकरलाल	,,	गृह प्रवेश कर चुके हैं।
२५.	,, गुलाबचन्द वल्द गौरीलाल	,,	
२६.	,, पूर्ण वल्द लीला	,,	
२७.	,, पांचू वल्द भोला	,,	
२८.	,, बंशीलाल वल्द बसन्तीलाल	,,	
२९.	,, भैरू वल्द गोरा	,,	
३०.	सु. श्री खसालिया पुत्री अमरू	,,	
३१.	श्री लादूराम वल्द मांगी	,,	
३२.	,, रामचरन वल्द छुगन	,,	
३३.	,, प्रभाती वल्द इदु	,,	
३४.	,, सायरलाल वल्द कजोड़	,,	
३५.	,, हरिराम वल्द भगवान्	,,	
३६.	,, गुलाबचन्द वल्द पूरणराम	,,	
३७.	,, गोपाल वल्द छोगराम	,,	
३८.	,, रेवतीप्रसाद वल्द रूड़ाराम	,,	
३९.	,, सीताराम वल्द गंगाराम	,,	
४०.	,, ललितप्रसाद वल्द जमनाप्रसाद	,,	
४१.	,, छुगनलाल वल्द गोरीलाल	,,	
४२.	,, सुवालाल वल्द मंगल	,,	

१	२	३	४
	४३. श्री गोरीशंकर वल्द फकीरचन्द	,,	
	अमृतपुरी हरिजन बस्ती, जयपुर		
	१. श्री किशनलाल वल्द नाथूलाल	१९५९-६०	कार्य प्रारम्भ १५
	२. ,, रामप्रसाद वल्द नाथूलाल	,,	अगस्त हो चुका
	३. ,, रामपाल वल्द नाथूलाल	,,	है।
	४. ,, लालचन्द वल्द गैंदाराम	,,	
	५. ,, रामचरण वल्द मोहरीराम	,,	
	६. ,, मोतीसागर वल्द मोहनराम	,,	
	७. ,, छोटेलाल वल्द चन्दराम	,,	
	८. ,, जमनाप्रसाद वल्द मरगूराम	,,	
	९. ,, रामप्रसाद वल्द मांगीलाल	,,	
	१०. ,, मोतीलाल वल्द मांगीलाल	,,	
	११. ,, छोटेलाल वल्द नाथूलाल	,,	
	१२. ,, नाथूलाल वल्द महादेवराम	,,	
	१३. ,, हरीशंकर वल्द भौंरीलाल	,,	
	१४. ,, नाथूलाल वल्द महादेवराम	,,	
	१५. ,, जमनाप्रशाद वल्द मालूराम	,,	
	१६. ,, छाजूराम वल्द नारायण	,,	
	१७. ,, चिरन्जीलाल वल्द गौरीलाल	,,	
	१८. ,, कालूलाल वल्द सुआलाल	,,	
	१९. ,, नारायण वल्द सुआलाल	,,	
	२०. ,, कैलाशचन्द्र वल्द गोपीराम	,,	
	२१. ,, रतनलाल वल्द कुमाराम	,,	

१	२	३	४
२२.	श्री लालूलाल वल्द मोदूराम	१९५९-६०	कार्य प्रारम्भ १५
२३.	,, छोटूलाल वल्द प्रभातीलाल	,,	अगस्त हो चुका है।
२४.	,, जुमाराम वल्द लादूराम	,,	
२५.	,, बन्नूलाल वल्द मांगीलाल	,,	
२६.	,, लालचन्द वल्द भैरूलाल	,,	
२७.	,, गणेशराम वल्द पांचूराम	,,	
२८.	,, रमेश वल्द बाबूलाल	,,	
२९.	,, गोविन्दराम वल्द बालूराम	,,	
३०.	,, पांचूलाल वल्द भूराराम	,,	
३१.	,, अजमेरी वल्द रामबक्स	,,	
३२.	,, पद्माराम वल्द गणेशराम	,,	
३३.	,, हीरालाल वल्द गौरीलाल	,,	
३४.	,, ईश्वरलाल वल्द गौरीलाल	,,	
३५.	,, रामचन्द्र वल्द नारायण	,,	
३६.	,, हरिश्चन्द्र वल्द चम्पाराम	,,	
३७.	,, जमनाप्रसाद वल्द चम्पाराम	,,	
३८.	,, जमनाप्रसाद वल्द प्रभातीराम	,,	
३९.	,, सरूपचन्द्र वल्द छोटूराम	,,	
४०.	,, खुशालसिंह वल्द कन्हैयालाल	,,	
४१.	,, दूलचन्द्र वल्द नन्दराम	,,	
४२.	,, रामलाल वल्द रामलाल	,,	
४३.	,, बोदूसिंह वल्द नानूसिंह	,,	

१		२	३	४
४४.	श्री	कमलसिंह वल्द कानसिंह	१९५९–६०	कार्य प्रारम्भ १५
४५.	,,	भौंरीलाल वल्द ग्वालाराम	,,	अगस्त हो चुका है।
४६.	,,	नाथूलाल वल्द बल्लाराम	,,	
४७.	,,	सीताराम वल्द घीयाराम	,,	
४८.	,,	ओमप्रकाश वल्द छोटूराम	,,	
४९.	,,	कन्हैयालाल वल्द नानगसिंह	,,	
५०.	,,	छीतरलाल वल्द चन्द्राम	,,	

———

 परिशिष्ट

सूची 'ब'

क्रम संख्या	बस्ती का नाम	परिवारों की संख्या	प्रार्थनापत्र देने की तिथि
१.	फतह टीबा हरिजन बस्ती	४३	२८-१-५८
२.	अमृतपुरी हरिजन बस्ती	५०	१२-१०-५६

———

परिशिष्ट ७

(कृपया अल्पकालीन सूचना प्रश्न ३ का उत्तर देखिए)

क्र० सं० १	नाम व पिता का नाम २	मौजूदा रहने का स्थान ३	राजामल का तालाब ४
१.	रामरतनलाल पुत्र गौरीशंकर	नाहरगढ़	राजामल का तालाब
२.	चिरंजीलाल पुत्र नानगराम	,,	,,
३.	कल्याणसहाय पुत्र महादेवराम	चान्द पोल	,,
४.	नाथूलाल पुत्र भंवरलाल	नाहरगढ़	,,
५.	धन्नालाल पुत्र बाबुराम	,,	,,
६.	मूलचन्द पुत्र बिरदाराम	,,	,,
७.	लक्ष्मीनारायण पुत्र भगवानसहाय	,,	,,
८.	भंवरसिंह पुत्र कजोड़मल	,,	,,
९.	मुन्नालाल पुत्र भंवरराम	चान्द पोल	,,
१०.	रामपाल पुत्र मांगीलाल	,,	,,
११.	गुलाबचन्द पुत्र भंवरराम	गंदीमोरी	,,
१२.	छोटीलाल पुत्र बच्चीराम	,,	,,
१३.	सुखदेव पुत्र शंकरराम	,,	,,
१४.	सोहनलाल पुत्र लादूराम	,,	,,
१५.	मदनलाल पुत्र धन्नाराम	,,	,,
१६.	चिरंजीलाल पुत्र भंवरराम	दुलारावबी का घेर	,,
१७.	रामपाल पुत्र भंवरराम	,,	,,
१८.	रामपाल पुत्र बन्नाराम	,,	,,
१९.	सियाराम पुत्र बिरदीराम	,,	,,
२०.	गुलाबचन्द पुत्र भंवरराम	घाट गेट	,,
२१.	चिरंजीलाल पुत्र सुन्दरराम	तोपखाना हुजूरी	,,

१	२	३	४
२२.	कन्हैयालाल पुत्र खन्नीराम	रामगंज	राजामल का तालाब
२३.	गुरुबख्श पुत्र खन्नीराम	,,	,,
२४.	रामनारायण पुत्र जमनाप्रसाद	,,	,,
२५.	गुलाबचन्द पुत्र ललताप्रसाद	,,	,,
२६.	जमनाप्रसाद पुत्र गैंदाराम	,,	,,
२७.	रामप्रसाद पुत्र चौथूराम	,,	,,
२८.	फकीरचन्द पुत्र गोपीराम	हींदा की मोरी	,,
२९.	जमनाप्रसाद पुत्र भंवरराम	गंगा पोल	,,
३०.	चिरंजीलाल पुत्र गणेशराम	,,	,,
३१.	रतनलाल पुत्र भंवरराम	,,	,,
३२.	मोहनलाल पुत्र नारायणराम	,,	,,
३३.	जमनाप्रसाद पुत्र बीहोराम	,,	,,
३४.	गोकुलराम	,,	,,
३५.	मिट्ठूराम पुत्र भूराराम	,,	,,
३६.	गंगाराम पुत्र भूराराम	,,	,,
३७.	रामपाल पुत्र शम्भुलाल	कच्चा बन्धा	,,
३८.	छोटूलाल पुत्र ग्यारसीराम	,,	,,
३९.	सूर्यलाल पुत्र चन्दाराम	,,	,,
४०.	गणेशलाल पुत्र चन्दाराम	,,	,,
४१.	गोपीलाल	,,	,,
४२.	मुक्तीलाल पुत्र महादेवराम	,,	,,
४३.	मिट्ठूलाल पुत्र दुलाराम	,,	,,
४४.	गोपीलाल पुत्र झींगरराम	,,	,,

१	२	३	४
४५.	गुलाब पुत्र कव्वाराम	कच्चा बन्धा	राजामल का तालाब
४६.	बाबूलाल पुत्र गणेशराम	,,	,,
४७.	हुसेनीराम पुत्र ललताराम	,,	,,
४८.	जमनाप्रसाद पुत्र भैरीराम	,,	,,
४९.	सगरूलाल पुत्र सडाराम	चेलों का रास्ता	,,
५०.	रामपाल पुत्र गुल्लाराम	,,	,,
५१.	आशाराम	,,	,,
५२.	छोटालाल पुत्र घासीराम	ओझाजी का घेर	,,
५३.	केशर पुत्र कज्जाराम	,,	,,
५४.	मांगीलाल पुत्र भौंरीराम	ब्रह्मपुरी	,,
५५.	गणेशलाल	,,	,,
५६.	लब्बाराम पुत्र गणेशराम	,,	,,
५७.	नन्नालाल पुत्र जोधराज	,,	,,
५८.	श्यामलाल पुत्र नानाराम	,,	,,
५९.	जमनाप्रसाद पुत्र ग्यारसीराम	,,	,,
६०.	मीठाराम पुत्र प्रभातीलाल	,,	,,
६१.	बालकिशोर पुत्र मीठाराम	,,	,,
६२.	गुलाबराय पुत्र सीताराम	,,	,,
६३.	बसन्तीलाल पुत्र हीराराम	,,	,,
६४.	चौथीलाल पुत्र हीराराम	,,	,,
६५.	मीठाराम पुत्र बाबूराम	,,	,,
६६.	कानालाल पुत्र वीरूराम	,,	,,
६७.	बन्नीलाल पुत्र जोरूराम	,,	,,

१	२	३	४
६८.	किशनी औरत रत्या की	ब्रह्मपुरी	राजामल का तालाब
६९.	गैंदाराम पुत्र जोरूराम	,,	,,
७०.	बाबूलाल पुत्र घीसाराम	,,	,,
७१.	गुलाबचन्द पुत्र सराराम	,,	,,
७२.	छोटीलाल पुत्र गैंदाराम	,,	,,
७३.	केवलसिंह पुत्र कानासिंह	,,	,,
७४.	छोटीलाल पुत्र चन्दाराम	,,	,,
७५.	सोहनलाल पुत्र चौथूराम	,,	,,
७६.	दुलीचन्द हब्बूराम	,,	,,
७७.	बन्शीलाल पुत्र नाथूराम	,,	,,
७८.	ईश्वरलाल पुत्र नानगराम	चौगान	,,
७९.	मांगीलाल नानगराम	ब्रह्मपुरी	,,
८०.	नाथू पुत्र लील्या	,,	,,

MUNICIPAL COUNCIL, JAIPUR.

OFFICE ORDER.

Sub:—Slum Clearance Scheme of Rajamal ka Talab.

The Plot No. 1 to 60 in the attached drawing No. 1 dated 3. 12. 58 are hereby alloted to Harijans as per list attached as appendix 1 to the members from 1 to 60.

The Plot Nos. 1 to 20 in attached Drawing No. 2 dated 20. 1. 59 are hereby allotted to Harijans as per list attached appendix 1 to the members from 6 to 80. The allottees will vacate the sites of their present houses and hand over to the Municipality for which no compensation will be claimed.

The constructions on the plots will be done after due permission from the Municipality according to type design which will be furnished by the Municipality.

The allotment is made under the Slum Clearance Scheme of the Government of India and the conditions as detailed in the attached agreement form will be fulfilled.

Sd/- P. N. Kaul
20. 2. 59
Administrator,
Municipal Council, Jaipur.

———

परिशिष्ट

Copy of the letter No. 41 (a) dated 17.3.59 from the Municipal Commissioner, Municipal Council, Jaipur addressed to Shri Gori Shankar, representative of Mahatar Mazdoor Sangh, Jaipur.

Sub:— Slum Clearance Scheme of Raja Mal Ka Talab.

80 Plots have been allotted to the Harijans as per your list submitted in Office. Please submit plans for the proposed construction for individual plots as per type design attached so that necessary permit be issued. The agreements according to the terms agreed by you may also be executed for each Plot.

Copy of allotment orders of Administrator dated 20th. February, 1959 is enclosed for your information.

Sd/- Bhawani Shankar Sharma.

17-3-59

Municipal Commissioner,
Municipal Council, Jaipur.

———

शुद्धि-पत्र

(शुक्रवार, १६ सितम्बर, १६६०)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१	२	३	४
४५२७	६	ऐसी व्यवास्था	ऐसी व्यवस्था
,,	२४	ओरिजिल प्लॉन	ओरिजिनल प्लान
४५२६	अन्तिम से ५	ऐसी याजना	ऐसी योजना
४५३६	प्रथम	धनसराशि	धन-राशि
,,	७	एएड एवव	एएड एवव
,,	अन्तिम से २	कि ओसिय	कि ओसियां
४५४२	शीर्ष	(श्री मोगजी भाई)	(श्री रामकिशोर व्यास)
४५४६	५	,, नाथूराम	श्री नाथूराम
४५४७	५	मिधा	मिर्धा
,,	अन्तिम	अन्तर्गत ाा	अन्तर्गत जो
४५६१	२५	श्र रुषोत्तमलाल	श्री पुरुषोत्तमलाल
४५६३	अन्तिम	नहीं हुआ है।	तैयार नहीं हुआ है।
४५६४	१३	व	वार्ड ?
४५७०	६	ता वह	तो वह
४५७४	अन्तिम	साप्त हो	समाप्त हो
४५७६	१६	कमचारियों	कर्मचारियों
४५७६	अन्तिम	तथा वैगनों	तथा वैगनों
४५८०	,, से २	Deptment	Department
४५८१	१-२	Developmint	Development
४५६५	६	separtely	separately
,,	२२	dees not	does not
४५६६	११	काराण है ?	कारण है ?
४६०५	प्रथम	नागर-विकास	नगर-विकास
४६०७	शीर्षक	सूचन	सूचना
४६१६	६	स्लम लिकय	स्लम विलय
४६२२	शीर्षक	श्यक जनहित	४६२२ आवश्यक जन-हित
,,	२	।	चुकी है। माननीय सदस्य खुद जानते हैं।
४६३१	२८	unctions	functions
४६३२	२	superfluons	superfluous

(२)

१	२	३	४
४६३२	२५	कमेटी	कमेटी
४६३८	शीर्ष	श्री सम्हतराम	श्री सम्पतराम
४६३६	४	शिड्यल्डू	शिड्यूल्ड
४६४२	१	स्टेटस	स्टेट्स
४६७५	८	१४-७-५७	१४ ७-५८
४६७८	शीर्ष	गवराज श्री	रावराजा श्री
४६८२	शीर्षक	ग्रशासन	प्रशासन
४६८५	,,	प्रवधान	प्रावधान
४६८८	१८	थी कई ।	थी । कई
४६६०	२२-२३	पुरानी की गलियां	पुरानी गलियां
४६६१	२३	है वह;	है; वह
४६६३	१५	एक्ट सेलमेल	एक्ट से मेल
४७०१ व			
४७३६	शीर्षक	अस्थयी	अस्थायी
४७०२	अन्तिम	सल तक	साल तक
४७०५	२२-२३	Perform duties	Perform the duties
४७०७ व			
४७१५	शीर्षक	प्रावधन	प्रावधान
४७०८	१५	एक्हटेंड	एक्सटेंड
४७०६	शीर्षक	[४७ ६	[४७०६
४७११	६	सकते थे ।	सकते थे ?
,,	२७	मांग जिब	मांग वाजिब
,,	अन्तिम से ४	हो गया	हो गयी
४७१३ से			
४७५५	शीर्षक	आवधान	प्रावधान
४७१६	२३	एक्स्टेन्शन	एक्सटेन्शन
४७१८	६	राजधानी की राजस्थान	राजस्थान की राजधानी
४७२१	१०	नुकुसान	नुक्सान
४७२४	शीर्षक	नगरपलिका	नगरपालिका
,,	३१-३२	his office shauld deemed	His office should be deemed
४७२६	अन्तिम से ३-४	उन आदमिय	उन आदमियों
४७३६	१	उकके द्वारा	उनके द्वारा

(३)

१	२	३	४
४७३६	४	शिड्ल्डयु	शिड्यूल्ड
४७४१	६	इलेवेन्ट ..	इर्रेलेवेन्ट
४७४८	११-१२	Satis Chandra	Satish Chandra
४७५५	२३	oura disposal	our disposal
४७६६-६७	शीर्षक	६६ सितम्बर	१६ सितम्बर
४७७१ व			
४७७४	शीर्षक	परिशिष्ट	परिशिष्ट
४७७४	१	Conaring	concerning
४७७५	५	pursurance	pursuance
४७७६	१२	Stort	Stout
४७८०	५	aurcli	auricle
४७८१	२	वाले उत्तर)	वाले प्रश्न एवं उत्तर)
४७९२	३	Ram Das	Ram Jas
,,	कॉलम ३, पंक्ति ६	the sealp	Scalp
४७९३	कॉलम ३, पंक्ति १५	abrasious	abrasions
४७९७	कॉलम ३, पंक्ति ११	Seap-	Scap-
४८०४ व	कॉलम ४,	अगस्त हो	अगस्त को हो
४८०६	पंक्ति २		
४८०५	कॉलम ४, पंक्ति १-२	कार्य प्राहम्भ १५ अगस्त हो चुका है	कार्य प्रारम्भ १५ अगस्त को हो चुका है
४८०७	कॉलम ४, पंक्ति २	१२-१०-५६	२२-१०-५६

अनुपूरक शुद्धि-पत्र

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१	२	३	४
४५४२	शीर्षक	४४३	४५४३
४५८४	क्रमशः पंक्ति संख्यायें १, ८ व १२	(१), (२), (३)	(क), (ख), व (ग)
४६१६	२१	डा० चन्द्रकला	(३) डा०
४६६७	शीर्ष	प्रायधान) विधियक	प्रावधान) विधेयक
४३६०	अन्तिम से ४	श्री चन नमल	श्री चन्दनमल
४६६७	शीर्ष	प्रावधन)	प्रावधान
४७३६	✓	(अस्थयी	(अस्थायी